शाह कमीशन के आईने मे

शाह कमीशन
के
आईने में

वीरेन्द्र साघी

सरस्वती विहार

21, दयानन्द मार्ग, दरियागंज
नई दिल्ली-110002

मूल्य सोलह रुपय (16 00)

प्रथम सस्करण 1978

© वीरेन्द्र साघी

प्रकाशक सरस्वती विहार
21 दयानन्द मार्ग दरियागज
नई दिल्ली 110002

मुद्रक चौधरी प्रिंटस
न 32, नवीन शाहदरा
दिल्ली 110032

SHAH COMMISSION KE AAINE MEIN (Current Affairs) by
V rendra Sanghi

विषय-सूची

१ आयोग का गठन और उसकी रिपोर्ट

एमरजेन्सी क दौरान हुई नजरबन्दिया और गिरफ्तारिया परिवार नियोजन के नाम पर जबरन नसबदी नगरा को सुन्दर बनान के लिए मकान गिराने की घटनाए और ऐसी ही अनेक बातें माच, १९७७ मे हुए लोकसभा चुनावा म मुख्य मुद्दा रही।

जनता पार्टी न इन चुनावो मे एमरजेन्सी म हुई इन ज्यादतियो की जाच कराने का वादा किया और उसी वादे के मुताबिक केन्द्र म जनता सरकार बनने क बाद गहमत्री श्री चरणसिंह ने ७ अप्रैल १९७७ को इनकी जाच के लिए एक न्यायिक आयोग के गठन के निश्चय की घोषणा की।

२८ मई, १९७७ को भारत सरकार ने राजपत्र मे एक अति विशिष्ट अधिसूचना जारी कर जाच आयोग अधिनियम की धारा ३ क अतगत सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूव मुख्य न्यायाधीश श्री जयतीलाल छोटेलाल शाह की अध्यक्षता म एमरजेन्सी के दौरान हुई ज्यादतियो की जाच के लिए एक सदस्यीय आयोग का गठन किया।

आयोग को जिन जिन कार्यों की जाच करने का काम सौंपा गया था व इस प्रकार हैं

१ (।) सविधान के अनुच्छेद ३५२ के अतगत २५ जून १९७५, जब से एमरजेन्सी लागू की गई या उसकी घोषणा के तत्काल पहले के दिनो मे की गई कानूनी कारवाइया,

प्रशासनिक कार्यप्रणाली तथा आचरण। अधिकारो के दुरुपयोग ज्यादतियां तथा भ्रष्टाचार आदि के सन्दर्भ में तथ्यों एवं परिस्थितियो की जाच।

(ii) इस अवधि में गिरफ्तारी व अधिकारो के दुरुपयोग तथा नजरबंदी के उन मामलो की जाच जो सम्बद्ध कानूनो से मेल नहीं खाते।

(iii) इस दौरान भारत रक्षा कानून के अंतर्गत गिरफ्तार। नजरबन्द व्यक्तियों तथा उनके सम्बन्धियो और निकट सहयोगियो पर किए गए अत्याचार और दुर्व्यवहार की जाच।

(iv) परिवार नियोजन की अनिवार्यता के नाम पर हुई जोर जबरदस्ती की जाच।

(v) गंदी बस्तियो की सफाई तथा नगर नियोजन एवं सौन्दर्यीकरण के नाम पर मकानो, दुकानो झोपड़ियां तथा अन्य निर्माण कार्यों को गिराने के कार्य की जाच करना।

२ इसी प्रकार के अन्य मामले जो आयोग की नजर में ज्यादतियां में आते हों।

३ आयोग को जाच के अतिरिक्त उन उपायो की भी सिफारिश करने का काम सौंपा गया जो ऐसे अधिकारो का दुरुपयोग ज्यादतियां और भ्रष्टाचार की पुनरावृत्ति रोकने के लिए अपनाए जा सकें।

अधिसूचना में यह प्रावधान भी किया गया कि आयोग की जाच ज्यादतियां भ्रष्टाचार तथा अधिकारो के दुरुपयोग के उन्हीं मामलो से सम्बद्ध होगी जो कथित रूप में सरकारी कर्मचारियो द्वारा किए गए। इसके साथ ही उन दूसरे व्यक्तियों के आचरण पर भी विचार करने का प्रावधान रखा गया जिन्होंने उन कामो के लिए निर्देश दिए हों सहयोग किया हो अथवा किसी अन्य तरीके से उससे सम्बद्ध रहे हों।

आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली के इंडिया गेट इलाके के एक कोने में स्थित पटियाला हाउस की इमारत में स्थापित किया गया जहां पहले दिल्ली उच्च न्यायालय हुआ करता था। आयोग ने ४ जून १९७७ से अपना कार्य प्रारम्भ किया। आयोग के लिए कार्य कर रहे केन्द्रीय जाच ब्यूरो (सी० बी० आई०), पुलिस वित्त

तथा आयकर विभाग के एक सौ से अधिक अधिकारियों तथा विभिन्न राज्यों में गठित तथ्यान्वेषण समितियों के जरिये तथा सीधे ही आयोग के पास ज्यादतियों की लगभग ४८ हजार शिकायतें आई जिनमें से लगभग दो हजार शिकायतों के बारे में जांच करने का फैसला किया गया। इनमें से कुछ संबंधित राज्यों में गठित तथ्यान्वेषण समितियों के पास भेज दी गई।

आयोग ने दिल्ली में २९ सितम्बर १९७७ से सार्वजनिक सुनवाई प्रारम्भ की। आयोग को जो कार्य सौंपा गया था, वह अपने आपमें एक अलग किस्म का था। आयोग ने इसके लिए एक नई प्रक्रिया अपनायी और कार्यवाही को दो चरणों में करने का फैसला किया जैसा इससे पहले किसी आयोग ने नहीं किया था।

किसी भी मामले पर विचार से पूर्व सबसे पहले आयोग के जांच अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया मामला आयोग के समक्ष पढ़ा जाता था, जिसे 'केस हिस्ट्री' का नाम दिया गया था। यह 'केस हिस्ट्री' आयोग को भेजी गई शिकायतों के आधार पर संबंधित व्यक्तियों के बयान लेकर तैयार की जाती थी।

'केस हिस्ट्री' पढ़े जाने के बाद उससे संबंधित गवाहों के आयोग के समक्ष बयान लिए जाते थे, जो उन्हें शपथ लेकर देने होते थे। इसके बाद आयोग द्वारा स्वयं (जस्टिस शाह) कुछ प्रश्न किए जाते थे जो तथ्यों से संबंधित होते थे। इसके पश्चात सरकारी वकील अपने प्रश्नों को सुझाव के रूप में आयोग की अनुमति से पूछ सकता था। लेकिन वह भी सिर्फ तथ्यों की जानकारी तक ही सीमित होते थे, जिरह के रूप में नहीं।

आयोग के दूसरे चरण की कार्यवाही में गवाहों को जांच आयोग अधिनियम की धारा ८ (बी) के अंतर्गत समन देकर बुलाया जाता था और जिसके अंतर्गत वे आयोग के समक्ष अपना वकील लेकर उपस्थित हो सकते थे। इस चरण में संबंधित गवाहों से आयोग के वकील और सरकारी वकील जिरह करते थे। इसके अतिरिक्त गवाह चाहे तो स्वयं अथवा अपने वकील के जरिये दूसरे संबंधित गवाहों से जिरह कर अपनी बात सिद्ध कर सकते थे।

यदि कोई गवाह न तो स्वयं पेश होता और न ही अपना वकील भेजता, तो उसकी अनुपस्थिति में ही जिरह की जाती थी तथा उसके पक्ष के बिना ही मामले पर विचार किया जाता

था।

आयोग की कार्यवाही के दौरान कई अवसरो पर गवाहो द्वारा इसकी प्रक्रिया को चुनौती दी गई। परन्तु जस्टिस शाह ने स्पष्ट करते हुए कहा कि आयोग को दिया गया कार्य जाच आयोगो के इतिहास म अपनी किस्म का सम्भवत पहला है। आयोग को सिर्फ ज्यादतियो का पता लगाने का काम सौंपा गया है जिसके लिए जरूरी था कि इस प्रकार की प्रक्रिया अपनायी जाती। उनका कहना था कि यह कार्य तथ्यान्वेषात्मक है इसलिए पहले चरण मे पता लगाया जाएगा कि ज्यादती हुई भी है या नही और दूसरे चरण म ही सबधित व्यक्ति की जिम्मेदारी देखी जाएगी।

जस्टिस शाह ने स्पष्ट किया था कि यदि जांच के लिए यह प्रक्रिया नही अपनायी जाती तो यह कार्य एक जन्म म तो क्या, सकडो जन्मो म भी पूरा नही हो सकता था।

आयोग ने ज्यादतियो के सबध म अपनी रिपोर्ट म कहा

आयोग की रिपोर्ट

आयोग ने ११ मार्च और २६ अप्रल को अपनी दो अतरिम रिपोर्टें सरकार को पेश की। सरकार द्वारा इन दोनो रिपोर्टों को १५ मई को ससद म पेश किया गया। सरकार ने ससद के समक्ष रिपोर्टों के साथ-साथ इनपर की जाने वाली कारवाई से सबधित ज्ञापन भी पेश किया।

आयोग ने अपनी दोनो रिपोर्टों म भूतपूर्व प्रधानमत्री श्रीमती गाधी को आतरिक एमरजेन्सी की घोषणा के सबध म दोषी ठहराते हुए कहा है कि यह एक राजनीतिक फसला था जो सत्ता मे कायम रहने के लिए किया गया था। आयोग ने श्रीमती गाधी के अतिरिक्त श्री सजय गाधी को दिल्ली म मकान गिराने की कार वाई क सबध म श्री विद्याचरण शुक्ल को काग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र के अनुवाद क लिए अधिकारो का दुरुपयोग करने का तथा श्री प्रणव मुखर्जी को प्रशासनिक प्रक्रिया एव परम्पराओ का उल्लघन करने का दोषी पाया है। आयोग ने इनके अतिरिक्त श्री धीरेन्द्र ब्रह्मचारी श्री जगमोहन श्री कृष्णचन्द्र श्री बहादुरराम टमटा तथा राजस्थान क भूतपूर्व मुख्यमत्री श्री हरिदेव जोशी को भी दोषी

ठहराया है। दिल्ली मे हुई गिरफ्तारियो के सबध मे श्री पी० एस० भिण्डर तथा श्री के० एस० बाजवा को अधिकारो क उल्लघन का दापी पाया गया है।

आयोग द्वारा अलग अलग मामलो म दिए गए निणय इस प्रकार है

एमरजेन्सी की घोषणा

'जिन परिस्थितियो म एमरजेन्सी की घोषणा की गई तथा जिस प्रकार से इस लागू किया गया वह देश के नागरिको के लिए एक चेतावनी है। देश मे पहले स ही एक एमरजेन्सी की घोषणा के बावजूद श्रीमती गाधी द्वारा राष्ट्रपति को आतरिक एमरजेन्सी की घोषणा के लिए सलाह देने के बारे मे न सिफ मन्त्रिमडल तथा सरकार के महत्त्वपूण अधिकारियो से ही विचार विमश नही किया गया, बल्कि उन्हे जानबूझकर अधेरे मे रखा गया।"

काफी समय था

"श्रीमती गाधी ने काफी समय होने क बावजूद अपन मन्त्रिमडल स सलाह नही ली। उनका यह कहना कि वे राष्ट्रपति को पत्र लिखने से पहल मन्त्रिमडल स सलाह लेना चाहती थी परन्तु समय की कमी के कारण ऐसा नही कर सकी सिद्ध नही हो पाता। जब २६ जून की प्रात हुई मन्त्रिमडल की बठक सिफ ६० मिनट के नोटिस पर हो सकती थी तब ऐसा क्या कारण था कि २५ जून की शाम को साडे पाच बज म रात्रि क ग्यारह साढे ग्यारह बजे के बीच जब राष्ट्रपति म हस्ताक्षर कराए गए एसी बठक नही हो सकती थी? चाहे जो भी हो आयोग के पास इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि श्रीमती गाधी न २२ जून को ही देश म एमरजन्सी की घोषणा करने के बारे म विचार कर लिया था। उन्होने इस सबध म २८ जून को प्रात ही अपन कुछ विश्वसनीय राजनीतिक साथियो को बता भी दिया था।'

'उन परिस्थितियो के कोई प्रमाण नही मिले है जिनके कारण देश म एक और एमरजेन्सी की घोषणा की जरूरत पड़ गई थी। २५ जून १९७५ की रात्रि को समाचारपत्रो क कार्यालयो की बिजली काट दन और मीसा' मे लोगो को नजरबन्द कर दन

की कारवाई सिर्फ परिस्थितिवश ही की गई मालूम होती है।"

इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि उस समय देश के किसी भी भाग में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हुई थी अथवा उस संबंध में किसी प्रकार की आशंका थी। उस समय आर्थिक स्थिति भी नियंत्रण में थी तथा उसके बिगड़ने का भी कोई डर नहीं था। इस प्रकार की एक भी सूचना नहीं थी कि देश के किसी भी हिस्से में कोई गड़बड़ी हो रही है जिसके कारण कि आतरिक एमरजेन्सी की घोषणा की जरूरत आ पड़े। इसके अतिरिक्त इस बात के भी कोई संकेत नहीं थे जिनसे यह पता चलता हो कि देश की आतरिक अथवा बाहरी सुरक्षा को खतरा हो गया हो।'

सत्ता में बने रहने के लिए

इन सभी बातों से सिर्फ यही निष्कर्ष निकलता है कि श्रीमती गांधी द्वारा राष्ट्रपति को आतरिक एमरजेन्सी की घोषणा की अमान्य सलाह देने का कारण इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों में हुई गहरी राजनीतिक प्रतिक्रिया का नतीजा था जो उन्होंने अपने आपको सत्ता में बनाए रखने के लिए किया और जिसके कारण अनेकों के हितों की बलि चढ़ा दी गई। आयोग द्वारा यह निष्कर्ष निकालना स्वाभाविक ही है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अपने को सत्ता में कायम रखने के लिए एमरजेन्सी लागू करने का निर्णय किया। उन्होंने यह कठोर कार्रवाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले से हताश होकर की जिससे हजारों लोगों को अवर्णनीय कष्ट झेलने पड़े।"

रिपोर्ट के अनुसार श्रीमती गांधी के समर्थकों द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद १२ से २५ जून १९७५ के बीच दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर प्रदर्शन, रैलियां और सभाएं आयोजित कर यह दिखाने की चेष्टा की गई कि उच्च न्यायालय के निर्णय के बावजूद वे प्रधानमंत्री पद पर बने रहने के योग्य हैं।'

रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान इन प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए दिल्ली परिवहन निगम की १७६१ बसों का उपयोग किया गया जिनके किराए के ४ लाख रुपयों का आज तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अथवा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा भुगतान नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक डिपो से ५ बसों के

हिमाब से प्रतिदिन कुल ८५ बसा से अधिक बुक नही की जा सकती जबकि इससे कही अधिक बसा को इन प्रदशना के लिए लोगो का ढोने म उपयोग किया गया। दिल्ली की बसा का उपयोग पजाब, हरियाणा तथा राजस्थान जस पडासी राज्यो से प्रदशनकारियो को लान ले जाने म भी किया गया पर तु उन बसा के लिए अलग से काई स्ट परमिट नही बनवाए गए। इसके अलावा राजस्थान स भी ५८ ट्रका म प्रदशनकारिया को लादकर लाया गया।"

वायुसेना के विमानो का उपयोग

रिपोट म वायुसना के विमाना के उपयोग के लिए उचित नियम बनान को कहा गया है तथा सरकार से इस बात की भी जाच करने का कहा गया है कि २५ जून, १९७५ को वायुसेना के विमाना का जा उपयोग किया गया था वह नियमा के अनुसार किया गया था अथवा नही तथा उनके उपयोग के लिए उचित बिल दिए गए थे अथवा नही।

गिरफ्तारिया और नजरबदिया

रिपोट के अनुसार 'अधिकारिया द्वारा प्रधानमत्री के निर्देशा पर कई राजनीतिक नताओ की जो गिरफ्तारिया की गइ व न्याय सम्मत नही थी तथा अनधिकृत और गलत थी। चूकि नजरब दी क आदश अधिकारिया की बिना व्यक्तिगत सन्तुष्टि के जारी किए गए थे इसलिए व अवध' थे। चूकि ये सभी आदेश श्रीमती गाधी क निर्देशा पर दिए गए थे इसलिए इनकी प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीपर है।

इसलिए इन परिस्थितिया म आयाग इसी निष्कष पर पहुचा है कि श्रीमती गाधी कई सम्माननीय नागरिको की गिरफ्तारी और नजरबन्दी क आदेश देने के लिए जिम्मेदार हैं। श्रीमती गाधी ने यह निर्देश/आदश बिना किसी अधिकार के अपने को सत्ता मे बनाए रखने के लिए दिए।

प्रमाणा से यह भी साफ है कि सवश्री पी० एस० भिण्डर के० एस० बाजवा और नवीन चावला ने एमरजेन्सी के दौरान अपने अधिकारो का बहिभाव उपयोग किया, क्योकि उनकी प्रधानमत्री निवास तक काफी अच्छी पहुच थी। अपने अधिकारो का प्रयाग

करते समय उन्होंने यह नहीं देखा कि ये नैतिक हैं अथवा अनैतिक, वैध हैं अथवा अवैध। इन लोगों ने सत्ता में पहुंचने के लिए वह सब कुछ किया जो वे कर सकते थे। इन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग 'पागलपन' की सीमा तक किया। श्री कृष्णचन्द ने अपने विभिन्न कार्यों से, चाहे वे नजरबन्दियां जैसे महत्वपूर्ण कार्य ही क्यों न हों, यह दिखा दिया कि वे दिल्ली प्रशासन के प्रमुख होने के बावजूद निर्णय लेने में अक्षम हैं। उन्होंने सर्वश्री भिण्डर बाजवा और चावला जैसे अतिआग्रही लोगों के दल के आगे घुटने टेक दिए।

आयोग समझता है कि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों जैसे स्तर के अधिकारियों को उनकी बिना किसी पुष्टि के केन्द्र सरकार के स्थान पर प्रधानमंत्री द्वारा निर्देश दिए गए कि अमुक व्यक्ति को नजरबन्द कर लिया जाए।'

सरकार को पुलिस को उनके कर्तव्यों और कानून के अनुसार कार्य करने के लिए तथा राजनीतिक अपमान से बचाने पर विचार करना चाहिए। आयोग समझता है कि जो बात पुलिस पर लागू होती है वही अन्य सेवाओं पर भी लागू होती है। जो राजनीतिज्ञ अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए सरकारी कर्मचारियों को काम में लाते हैं तथा जो सरकारी कर्मचारी स्वयं ही ऐसा करते हैं उन्हें रोका जाना चाहिए।"

नजरबन्दी आदेशों की पुष्टि, पुनरीक्षण तथा सम्मति

यद्यपि पुष्टि एवं पुनरीक्षण के समय नजरबन्दियों के आदेशों के संबंध में विधि विभाग की सहायता ली जाती थी परन्तु वास्तव में कोई कानूनी जांच नहीं की जाती थी। प्रमाणों से पता चलता है कि नजरबन्दियों के संबंध में पहले राजनीतिक दल और फिर यह कि अमुक व्यक्ति प्रधानमंत्री के २० सूत्री कार्यक्रम का समर्थन करता है अथवा नहीं मुख्य बात होती थी।"

पैरोल के संबंध में कार्य विधि

मीसाबंदियों को परोल पर रिहा करने के संबंध में दिल्ली प्रशासन की कोई एक सी नीति नहीं थी। कई मामलों में प्रशासन द्वारा बहुत ही कड़ा रुख अपनाया गया तो कई मामलों में बहुत ही

नरमी दिखाई गई।"

जेलों मे व्यवहार

'यद्यपि श्री नवीन चावला की जेल प्रशासन मे कोई स्थिति नही थी फिर भी वे जेलो के मामलो म अतिरिक्त अधिकारो का प्रयोग करते थे, जिनम किसी विशिष्ट बदी से किस प्रकार व्यवहार किया जाए यह तक शामिल है।

आयोग बताना चाहता है कि 'राजनीतिक नजरबन्दी मूलरूप से निवारक किस्म की होती है दण्डात्मक किस्म की नही परन्तु एमरजेसी के दौरान इस बात को बिलकुल अनदेखा कर दिया गया। जेलो म बदियों के रहने की स्थिति इतनी खराब थी कि वे मानसिक और शारीरिक रूप से बिलकुल कमजोर हो गए जिसके कारण उनस माफीनामे लिखवा लिए गए। जलो म लोगो को ठूस दिया गया। सेनिटरी व्यवस्था न के बराबर थी, पानी की कमी, सफाई का स्तर बहुत ही नीचे, बहुत ही खराब खाना तथा चिकित्सा-व्यवस्था भी बहुत ही खराब थी।"

दिल्ली प्रशासन और गृह-मत्रालय के सबध

'मुख्य सचिव श्री जे० के० कोहली की गवाही स पता चलता है कि मीसा के सबध म उप राज्यपाल गह मत्रालय को कोई तरजीह नही देत थे। जिन मामलो म उप राज्यपाल सहमत नही होते थे उनम अधिकारी गह मत्रालय की सलाह नहीं मानते थे और उप-राज्यपाल की राय मानी जाती थी।

'श्री कृष्णचद के बयानो स स्पष्ट है कि गहमत्री श्री ब्रह्मानन्द रड्डी की दिल्ली के मामलो म कुछ नहीं चलती थी। अधिकाश मामलो म गह राज्यमत्री श्री ओम मेहता के निर्देशो का पालन होता था, जो प्रधानमत्री निवास म अधिक निकट थे। वास्तव म प्रधान-मत्री ने दिल्ली का काम श्री सजय गाधी के जिम्मे कर दिया था तथा व चार-पांच अधिकारी जो उनके काफी निकट थ, उनसे सीधे निर्देश लिया करते थे। श्री कृष्णचद ने स्वीकार किया है कि जब कभी भी श्री नवीन चावला उन्ह कोई निर्देश' दिया करत थ, तो व उन्ह श्री गाधी के निर्देश समझकर ही पालन करत थे।

सामान्य अपराधियों के विरुद्ध मीसा

एमरजेन्सी के दौरान दिल्ली में बहुत-से सामान्य अपराधियों को भी मीसा में नजरबन्द कर दिया गया, जबकि उनसे सामान्य कानूनों के अंतर्गत अधिक प्रभावशाली तरीके से निपटा जा सकता था। ऐसा गृह मंत्रालय के विशेष निर्देशों से किया गया।'

मीसा में कृष्णचन्द की जिम्मेदारी

"श्री कृष्णचन्द ने मीसा सहित कई आपात अधिकारों का प्रयोग कर अपने पद तथा अधिकारों का दुरुपयोग किया जबकि ऐसे मामलों में कानून के सामान्य प्रावधानों से ही अच्छी तरह निपटा जा सकता था।'

नामचन्द की गिरफ्तारी

श्री कृष्णचन्द और श्री भिण्डर दोनों ने ही श्री नामचन्द (अखबार बेचने वाला हॉकर) जैसे एक असहाय व्यक्ति की नजरबन्दी के आदेश देकर अपने पद और अधिकारों का दुरुपयोग किया। नामचन्द की गिरफ्तारी इस बात का प्रमाण है कि प्रशासन उन दिनों असहाय व्यक्तियों की आजादी समाप्त करने के लिए कहां तक जा सकता था।'

डॉ० करुणेश शुक्ल की नजरबंदी

जिन आधारों पर डा० शुक्ल को मीसा में नजरबन्द किया गया, वे पूर्ण रूप से झूठे थे। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यह कार्य श्री कृष्णचन्द द्वारा अधिकारों का दुरुपयोग था, जो उन्होंने श्री बाजवा की सलाह पर किया। आयोग समझता है कि श्री बाजवा के पास उन दिनों एस० पी० (सी० आई० डी०) के रूप में बहुत अधिकार थे जिनका वे अकसर दुरुपयोग करते थे।

श्री वीरेन्द्र कपूर की नजरबन्दी

' श्री कपूर की गिरफ्तारी में श्री बाजवा की एक बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। श्री कपूर की गिरफ्तारी के बाद मीसा में उनकी नजरबन्दी एकदम

अवास्तविक आधारों पर की गई। आयोग का विचार है कि सर कार उन व्यक्तियों के विरुद्ध उपयुक्त कारवाई करे जिनके मौखिक अथवा लिखित आदेशों से ऐसी नजरबंदियां की गई।"

वैद्य गुरुदत्त की नजरबन्दी

आयोग का विचार है कि ' वैद्य गुरुदत्त की नजरबन्दी के आदेश देकर श्री कृष्णचंद ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। लगता है उन्होंने यह कार्य तत्कालीन प्रधानमंत्री को प्रसन्न करने के लिए किया। वैद्य गुरुदत्त जैसे वृद्ध, कमजोर तथा माननीय नागरिक की गिरफ्तारी से लोगों के मन में प्रशासन की ईमानदारी तथा सक्षमता में विश्वास डिगा है।

श्री प्रबीर पुरकायस्थ की नजरबन्दी

' श्री भिण्डर द्वारा श्री पुरकायस्थ की गिरफ्तारी के संबंध में कही गई कहानी, मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया गिरफ्तारी का आदेश तथा उप राज्यपाल की भूमिका, ये सभी कानून के नियमों का पूर्ण रूप से उल्लंघन है। श्री भिण्डर द्वारा मात्र प्रधानमंत्री निवास में किसी को प्रसन्न करने के लिए की गई यह कारवाई काफी दुखद है। श्री कृष्णचंद द्वारा इस मामले में जिस प्रकार से श्री भिण्डर की बातों पर आंखें मूंदकर विश्वास किया गया, वह भी अपने पद और अधिकारों का दुरुपयोग ही है।"

चार अधिकारियों के विरुद्ध झूठी शिकायतें

मारुति के संबंध में संसद में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए जानकारी एकत्र करने वाले चार अधिकारियों से संबंधित मामले में आयोग का निष्कर्ष है कि 'श्रीमती गांधी ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया। उन्होंने वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के चार अधिकारियों के विरुद्ध सिर्फ इसलिए कारवाई करने के आदेश दिए क्योंकि उनकी सूचना से मारुति पर प्रभाव पड़ सकता था। उन्होंने श्री सेन से इन अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले दर्ज कर उनके घरों की तलाशी लेने को कहा, जो एकदम गलत था तथा जिसे बाद में वापस भी लेना पड़ा।

श्री सेन ने भी इन अधिकारियों के विरुद्ध प्रथम सूचना

रिपोट (एफ० आई० आर०) दज कर जाच करावे अपने अधिकारो का दुरुपयोग किया है।'

बारह टक्सटाइल/कस्टम इस्पेक्टरो का मामला

बारह टक्सटाइल/कस्टम इस्पक्टरा की झूठे आरोपा म गिरफ्तारी और फिर मीसा म नजरबन्दी तथा बाद म केन्द्रीय जाच ब्यूरो द्वारा इनम से चार के घरो की तलाशी के सबध म आयोग का मत है कि—

उपलब्ध रिकार्डों स यह कतई ज्ञात नही होता कि ये अधिकारी भ्रष्ट थे अथवा इन्होने कोई ऐसा काय किया था, जो गलत था।'

श्री देवन्द्र सेन द्वारा केन्द्रीय जाच ब्यूरो द्वारा जिस आधार पर यह काय कराया गया वह गलत तथा अपर्याप्त था। उन्होने ऐसा करके पुणरूप से अपने अधिकारा का दुरुपयोग किया है।"

श्रीमती गाधी न इन बारह इस्पक्टरा की नजरबन्दी के तथा चार अधिकारिया के घरा की तलाशी के आदेश देकर अपने पद तथा अधिकारो का दुरुपयोग किया।

श्री भिण्डर ने भी इस मामले म जिस प्रकार से काय किया वे भी श्री सेन के साथ साथ अधिकारो के दुरुपयोग के दोषी है।"

श्री मगलबिहारी तथा श्रीमती शर्मा का मामला

राजस्थान के भूतपूव मुख्यमत्री श्री हरिदेव जोशी ने जिस प्रकार से तत्कालीन प्रधानमत्री के निजी सचिव श्री धवन के एक फोन के आधार पर आई० ए० एस० अधिकारी श्री मगलबिहारी तथा एक अध्यापिका श्रीमती चन्द्रावती शर्मा को हटाया उसके सबध मे आयोग का मत है कि—

श्री जोशी ने इस प्रकार स अपने पद का दुरुपयोग कर, स्थापित प्रशासनिक प्रक्रियाओ को तोडकर तथा अधिकारो का गलत लाभ उठाकर श्रीमती शर्मा को बिना किसी सवधानिक प्रावधाना के हटाया।

' श्रीमती गाधी ने श्रीमती शर्मा को नौकरी स हटाने के आदेश देकर तथा श्री मगलबिहारी को जबरन छुट्टी पर भेजकर अधिकारो तथा पद का दुरुपयोग किया और स्थापित प्रशासनिक प्रक्रि-

याओ को तोडा।"

श्री भीमसेन सच्चर तथा सात अन्य की गिरफ्तारी

'श्रीमती गाधी ने श्री भीमसेन सच्चर तथा सात अन्य की मीसा मे नजरबन्दी के आदेश देकर अपने पद तथा अधिकारो का दुरुप योग किया है। श्रीमती गाधी के आदेश श्री धवन के जरिये दिल्ली प्रशासन को दिए गए थे।'

महारानी गायत्रीदेवी की 'कोफेपोसा' मे नजरबन्दी

जयपुर की राजमाता गायत्रीदेवी और उनके पुत्र कनल भवानीसिंह की कोफेपोसा मे नजरबन्दी के पर्याप्त कारण नही थे, तथा इस मामले म यह अधिनियम लागू ही नही होता था।'

'प्रमाणो से स्पष्ट हो जाता है कि तत्कालीन बकिंग और राजस्वमत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने श्रीमती गायत्रीदेवी और कनल भवानीसिंह की अपर्याप्त आधारा पर गिरफ्तारी के आदेश देकर अपने पद तथा अधिकारो का दुरुपयोग किया और वैध तथा प्रशास निक प्रक्रियाओ को तोडा।'

विश्व युवक केन्द्र का अधिग्रहण

'प्रमाणा स सिद्ध होता है कि तत्कालीन प्रधानमत्री श्रीमती गाधी ने उप-राज्यपाल श्री कृष्णचन्द पर विश्व युवक केन्द्र की इमारत के अधिग्रहण के लिए गलत तरीके से दवाव डाला।'

आयोग का यह भी विचार है कि श्री कृष्णचन्द ने अपन पद तथा अधिकारो का दुरुपयोग किया और ऐसा ही विद्याचरण शुक्ल ने भी इस मामले म किया।"

प्रमाणो से यह भी सिद्ध होता ह कि पिछले लोकसभा चुनाव के समय अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी ने केन्द्र के भवन का उप योग चुनाव प्रचार के लिए किया था।

बजाज उद्योग समूह के प्रतिष्ठानों पर छापे

'आयकर अधिनियम १९६१ की धारा १३२ के अतगत बजाज उद्योग पर मारे गए छापा म कही भी गलत उद्देश्य नही झलकता।"

'पूरे मामले मे सिफ तलाशी के खाली वारण्टा पर हस्ताक्षर

करने की बात ही स्पष्ट रूप से गरकानूनी नजर आती है।

बडौदा रेयन पर छापे

अप्रल १६७६ म आयकर अधिकारियो द्वारा बडौदा रयन कार्पोरेशन पर मारे गए छापो के सबध मे आयोग का मत है कि—

आयकर अधिनियम की धारा १३२ के अतगत ली गई तलाशी और जब्ती की कायवाही पूण रूप से गलत थी तथा यह कुछ उन दस्तावेजो को प्राप्त करने के लिए की गई थी जिनका आयकर मामले से कोई सबध नही था।

श्री एस० आर० मेहता द्वारा इस मामले म श्री हरिहरलाल को अधिनियम की धारा १३२ के अतगत कारवाई करन के निर्देश देना कानूनी प्रक्रियाओ को तोडना तथा अधिकारो का दुरुपयोग है।

'श्री मेहता द्वारा श्री प्रणव मुखर्जी स कागज वापस लेन की असफलता भी कानूनी प्रक्रियाओ को तोडने के समान ही है।'

श्री मुखर्जी द्वारा जब्त किए गए कागजो को अपने पास रखने की कायवाही भी अधिकारो का दुरुपयोग और कानूनी प्रक्रियाओ को तोडने क समान है।'

आयोग के विचार म 'इस मामले म श्री हरिहरलाल के लिए सीमित अवसर थे। यद्यपि वे इस अवैध कारवाई के बारे मे जानते थे।'

पडित ब्रदस पर छापे

दिल्ली की एक फम पडित ब्रदस पर मारे गए छापे और उसके भागीदार श्री आर० एन० हक्सर तथा श्री के० पी० मुशरान और उनके मनेजर श्री एल० एस० माथुर की गिरफ्तारी स सबधित मामल म आयोग का मत है कि—

फम पर मारे गए छापो तथा इन लोगो की गिरफ्तारी मे श्री कृष्णचन्द की बडी भूमिका रही है।'

प्रमाणो से स्पष्ट पता चलता है कि पडित ब्रदस पर मारे गए छापे तथा उसक मालिको को परेशान करने की कारवाई की सीधी जिम्मेदारी श्री सजय गाधी पर है जो उन दिनो दिल्ली म मकान गिराने की कारवाई के साथ साथ लोगो को परेशान करने

के लिए गिरफ्तार और नजरबन्द कराने म भी दिलचस्पी ले रहे थे।"

दो ट्रेड यूनियन नेताओ के यहा छापे

बम्बई के दो ट्रेड यूनियन नेता श्री डी० पी० चड्ढा तथा श्री प्रभातकर के निवासो पर श्री दवेन्द्र सन क निर्देश पर आयकर अधिनियम के अतगत मारे गए छापा के सबध म आयोग का मत है कि—

'यद्यपि परिस्थितिया के अनुसार तलाशी और जब्ती के सबध म की गई कारवाई के सदभ म श्री देवेन्द्र सन की भूमिका पर सदेह होता है परतु इस मामले म कही भी अधिकारो के दुरुपयोग तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओ को तोडन का मामला नही बनता।"

मारुति का मामला

मारुति के बेनामी शेयर होल्डरो के सबध म चाही गई जानकारी को दबाने के मामले म आयोग का मत है कि "श्री एम० आर० महता ने मारुति के सबध म चाही गई जानकारी म देरी करने के लिए श्री हरिहरलाल को मौखिक आदेश दिए जबकि यह कर-चोरी का एक स्पष्ट मामला था। इस प्रकार स श्री मेहता ने प्रशासनिक प्रक्रिया को तोडा तथा अपने अधिकारा का दुरुपयोग किया।'

रिश्वत का मामला

रेलवे के एक क्लक श्री सुदर्शन वर्मा के रिश्वत के मामले को रफा-दफा करने के सबध मे आयोग का मत है कि "प्रमाणा से स्पष्ट है कि श्री देवेन्द्र सेन ने प्रधानमत्री निवास स किसी व्यक्ति के कहने पर सामान्य प्रक्रियाआ का तोडा और अपने अधीनस्थ अधिकारियो पर श्री वर्मा क मुकदमे म सहायता करने के लिए दबाव डाला।'

गुप्तचर ब्यूरो

आयोग के मत मे 'भारत सरकार द्वारा गुप्तचर ब्यूरो का उपयोग महत्त्वपूण काग्रेस नेताआ तथा मत्रिया की कायवाहियो की

निगरानी रखने में किया गया।'

आयोग सलाह देता है कि 'सरकार द्वारा गुप्तचर ब्यूरो का उपयोग सरकार राजनीतिक जासूसी में अथवा सरकार किसी व्यक्ति के खिलाफ न कर पाने के लिए आवश्यक कारवाई की जानी चाहिए। इस ओर लोगों का ध्यान गया है तथा इस प्रश्न पर सार्वजनिक बहस करवाने पर भी विचार किया जाना चाहिए।"

केन्द्रीय जाच ब्यूरो

आयोग ने जाच ब्यूरो के निदेशक के पद के सबध में सुझाव दिया है कि भविष्य में निदेशक को अपने अधिकारों के दुरुपयोग करने से रोकने के लिए सरकार को विचार करना चाहिए। आयोग का विचार है कि केन्द्रीय जाच ब्यूरो के निदेशक को किसी स्वतंत्र सगठन के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए कुछ कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

प्रमाणों से स्पष्ट है कि श्री सेन ने स्वय को तथा अपने सगठनों को उन कार्यों में लगा दिया था, जो किसी भी हालत में जाच ब्यूरो के अतर्गत नही आते थे।

गुप्तचर सगठन प्रभावशाली तथा ठीक तरह से काय करे इसके लिए जरूरी है कि उसके कार्यों तथा उपलब्धियों पर विशेष रूप से छाटे गए एसे लोगों के एक फोरम द्वारा निगाह रखी जाए, जो जन भावना से काय करें। इस सुझाव के पीछे सिर्फ 'राष्ट्र तथा नागरिकों का हित की ही भावना है।

मकान गिराने की कारवाइया सारी कारगुजारी सजय की

एमरजन्सी के दौरान दिल्ली के विभिन्न इलाकों में गिराए गए मकानों दुकानों झुग्गी झोपडियों के सबध में आयोग का मत है कि—

मकान गिराने की कारवाई के सूत्रधार श्री सजय गाधी थे। श्री जगमोहन तथा श्री टमटा उनके निर्देशों के अनुसार काय कर रहे थे। श्री गाधी के गदी बस्तिया हटाने, नगर के सौदर्यकरण तथा पुनर्वास बस्तियों के सबध में अपने अलग विचार थे। श्री गाधी ने दिल्ली प्रशासन में कोई उत्तरदायित्वपूर्ण पद नही सभाल रखा था, फिर भी उनके पास पर्याप्त अधिकार थे। श्री जगमोहन तथा

श्री टमटा ज से महत्त्वपूण अधिकारी लगभग प्रतिदिन १ सफदर-जग रोड स्थित श्री गाधी के निवास पर जाकर उनसे प्रशासन के सबध म आदेश लिया करते थे।"

आयोग के विचार म, 'देश भर म एमरजेंसी के दौरान हुई ज्यादतिया भी उस एक ज्यादती क मुकाबले कम हैं, जो सम्पूण रूप से अवैध और असवधानिक तरीके स हुई है। यहा एक युवक है, जा एक के बाद एक आवासीय, व्यावसायिक तथा औद्योगिक इमारतों को बस्ती दर बस्ती गिराता जा रहा है तथा जिसके मन म यह रत्ती भर भी भावना नहीं है कि इमस उजडे उन लोगों का क्या होगा जिनके पास कोई साधन नही है। इस युवक के पास यह सब काय करने के लिए कोई पद या अधिकार नही था। सिवाय इसके कि वह प्रधानमत्री का बेटा था।'

बिना ताज के राजा

आयोग के विचार मे "श्री गाधी ने दिल्ली के सावजनिक मामलों म जिस प्रकार स काय किया वह एमरजेन्सी के दौरान हुई सबस बडी ज्यादती है जिसके लिए स्वतत्र भारत के इतिहास म न तो कोई दूसरा समान उदाहरण है और न ही अधिकार और सत्ता क इस प्रकार का उपयोग न्यायोचित है। ज्यादतियो के दूसरे काय ऐस अधिकारियो द्वारा किए गए हैं, जिन्होंने अपने अधिकारो से कही अधिक ज्यादतियां की हैं लेकिन यहा एक एस व्यक्ति का मामला है, जिसने बिना किसी अधिकार के तानाशाही तरीके से असीमित अधिकारो का उपयोग किया। यदि इस देश की भावी पीढ़ियों क लिए बचाना है तो जनता को स्वय इस काय क लिए अपने आपको आश्वस्त कर लेना चाहिए कि इस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना और गरकानूनी सत्ता का केन्द्रीकरण न होने दें जैसाकि एमरजेंसी के दौरान श्री सजय गाधी के चारो ओर हो गया था।'

आयोग के मतानुसार श्री कृष्णचन्द की न तो कोई सुनता हो था और न ही कोई उनसे सलाह लेता था। इसकी एवज म सभी आदेश श्री गाधी स लिए जाते थे।'

'श्री टमटा तथा श्री जगमोहन श्री गांधी को प्रसन्न करने के लिए काय कर रहे थे। श्री गांधी बिना किसी देरी के, बिना किसी कानूनी और प्रशासनिक औपचारिकताओं को पूरा होने की

परवाह किए जल्दी से जल्दी काम पूरा देखना चाहते थे।"

'श्री टमटा ने जहां गलत तथा अवैध कार्यों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए यह बहुत की ईमानदारी दिखाई कि उस समय की परिस्थितियों के कारण ऐसा करना जरूरी हो गया था, वहां *श्री जगमोहन ऐसा कुछ न स्वीकार करते हुए यही कहते रहे कि जो कुछ किया कानून के अनुसार किया और ठीक किया।'*

आयोग द्वारा मकान गिराने के अलग-अलग मामलों में दिया गया निर्णय इस प्रकार है

भगतसिंह मार्केट

नई दिल्ली नगर पालिका के सदस्य सचिव श्री एलीवादी की देख रेख में हुआ यह कार्य अवैध तथा बिना कानूनी अधिकार के किया गया। श्री ऐलीवादी ने इसे करने में अपने पद तथा अधिकारों का दुरुपयोग किया।

सुल्तानपुर माजरा

इस गांव में डी० डी० ए० द्वारा गिराए गए मकानों के लिए उसके उपाध्यक्ष श्री जगमोहन तथा कार्यकारी अधिकारी श्री रणवीरसिंह जिम्मेदार है। उनका यह कार्य अवैध है क्योंकि भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा ४ के अंतर्गत कोई अधिसूचना *जारी किए बिना भूमि पर कब्जा अवैध था।*

सराय पीपलथला

श्री जगमोहन ने इस गांव की भूमि के अधिग्रहण के आदेश देकर अवैध कार्य किया।

आर्यसमाज मंदिर

आयोग के विचार में श्री जगमोहन ने पूजा के इस स्थान को गिराने के आदेश देकर अपने पद तथा अधिकारों का दुरुप योग किया।

तुर्कमान गेट

'श्री जगमोहन तथा श्री एच० के० लाल ने बिना प्रशासनिक

कार्यवाही पूरा किए मकानों को गिराने का जो काय कराया, वह अधिकारों का दुरुपयोग है।'

'श्री भिण्डर ने जिस प्रकार से पुलिस द्वारा गोली चलाने के बाद तथा दंगा की गर्मी के बीच बुलडोजर मगाए उससे सिद्ध होता है कि उन्होंने अपने पद तथा अधिकारों का दुरुपयोग किया।

समालखा गाव

समालखा गाव म मकान गिराने की कारवाई म श्री टमटा ने अपने पद तथा अधिकारो का दुरुपयोग किया।

कापसहेडा

"प्रमाणा से सिद्ध होता है कि सवश्री जगमोहन, बहादुरराम टमटा रणबीरसिंह तथा सत्यप्रकाश इसके लिए जिम्मेदार हैं। इन सभी ने अपने पदो तथा अधिकारो का दुरुपयोग किया।'

'चकि यह काय श्री सजय गाधी के कहने पर किया गया था और अवध था इसलिए वे भी इसकी जिम्मेदारी से नही बच सकते।"

अर्जुन नगर

"श्री रणबीरसिंह ने श्री अर्जुनदास के परिवार के सदस्यो को उनके मौखिक ज्ञापन पर फ्लैट देना स्वीकार किया है।"

इस क्षेत्र म डी० डी० ए० द्वारा गिराए गए कुछ मकानो की कारवाई अवध थी इसलिए सवश्री जगमोहन सत्यप्रकाश तथा रणबीरसिंह न इस प्रकार के अवध काय मे भाग लिया।'

करौलबाग

"इस क्षेत्र म गिराए गए मकानो की कारवाई 'अवैध थी, इसलिए इसकी पूरी जिम्मदारी भी टमटा और श्री गाधी पर है, जिनके कहने म यह सब किया गया।"

अधेरिया मोड

आयोग के मत म ' अधेरिया माड के निवासियो की सम्पत्ति को गिराने के आदेश देने के कारण श्री सजय गाधी उसके लिए

जिम्मेदार हैं तथा वह आदेश भी बिना किसी कानूनी अधिकार के दिया गया।'

तुर्कमान गेट गोलीकाण्ड

'प्रमाणों से स्पष्ट है कि श्री संजय गांधी ने श्री भिण्डर की ओर से मामला म हस्तक्षेप किया तथा जिला मजिस्ट्रेट, उसके सह योगियों और जूनियर मजिस्ट्रेटो से पिछली तारीख म गोली चलाने के आदेश पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाला। श्री गांधी द्वारा अपने निवास पर मजिस्ट्रेट को बुलाकर इस प्रकार के गलत तथा अवध काय करने का आदेश देने का काय सवथा अनुचित तथा बिना चाहा गया हस्तक्षेप है।

जनप्रचार-साधनों का दुरुपयोग

आयोग ने अपनी रिपोट मे सूचना और प्रसारण मत्रालय की काय पद्धति पर बिना कोई टिप्पणी किए आयोग के समक्ष पेश किए गए तथ्यो को ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया है जो इस प्रकार ह

सामान्य

'प्रेस के विरुद्ध उठाए गए कदमो का एकमात्र कारण जनता को अधकार मे रखना था। यहा तक कि राष्ट्रीय दनिको के सम्पादक भी सरकार के इन कदमो के खिलाफ नही बोल सकते थ।'

सेंसरशिप

ससद तथा अदालतो की कायवाही पर भी सेंसर लगा दिया गया। समाचारो आदि के प्रकाशन के लिए मौखिक आदेश दिए गए। वास्तव म सेंसरशिप का मुख्य उद्देश्य सरकार के खिलाफ खबरो को दबाना सरकार समथक खबरो को उछालना तथा काग्रेस पार्टी के समथको की विरोधी खबरो का दबाना था।

प्रेस पर अन्य दबाव

श्री शुक्ल के निर्देश पर समाचारपत्रो की 'मित्र' तटस्थ' एव विरोधी के हिसाब से सूची बनाई गई। इसी श्रेणी के हिसाब से

अखबारों को विज्ञापन देने के निर्देश भी दिए गए।"

एमरजेंसी के दौरान 'समाचार' के प्रशासनिक एवं सम्पादकीय दोनों कार्य सरकार के निरीक्षण में चलते थे।'

एमरजेंसी के दौरान कई संवाददाताओं की मान्यता समाप्त कर दी गई तथा विदेशी पत्रिकाओं के भारतीय पत्रकारों को परेशान किया गया।'

सरकारी प्रचार-साधनों का कार्य

"सरकारी प्रचार-साधनों द्वारा एमरजेंसी के दौरान एक राजनीतिक दल तथा उसके नेताओं की तस्वीर उभारने के लिए मुख्य रूप में कार्य किया गया।"

"न सिर्फ कांग्रेस पत्रिकाओं को अधिकांश विज्ञापन दिए गए बल्कि स्मारिका को दिए गए विज्ञापनों की बाद में दरें तक बढ़ा दी गई।'

"आकाशवाणी द्वारा सरकारी तथा विपक्षी दलों के बीच दिए गए समाचारों का अनुपात ८५ से १ तक कर दिया गया।

'श्री संजय गांधी को न सिर्फ युवा नेता बल्कि राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरने के लिए कई फिल्में बनाई गईं।'

कांग्रेस चुनाव घोषणापत्र का अनुवाद

"आकाशवाणी तथा डी० ए० वी० पी० के अनुवादकों द्वारा कांग्रेस के चुनाव घोषणापत्र का अनुवाद कराने से संबंधित श्री शुक्ल का कार्य पद का दुरुपयोग तथा जनप्रतिनिधित्व कानून १९५१ की धारा १२३ (७) के अंतर्गत एक अपराध है।'

श्री शुक्ल के चुनाव-पोस्टर

आयोग का मत है कि 'श्री विद्याचरण शुक्ल ने डी० ए० वी० पी० के डिजाइनों द्वारा अपने चुनाव-अभियान के लिए पोस्टर बनवाकर अधिकारियों का दुरुपयोग तथा प्रशासन के मूल उद्देश्यों का उल्लंघन किया है। इसके अतिरिक्त उनका यह कार्य जनप्रतिनिधित्व कानून, १९५१ की धारा १२३ (७) के अंतर्गत एक अपराध है।

किशोरकुमार के गीतों पर प्रतिबंध

किशोरकुमार के विरुद्ध कारवाई करने का कारण यह था कि फिल्म कलाकारों तथा निर्माताओं ने इच्छा के अनुरूप जवाब नहीं दिया था।

श्री बर्नी द्वारा लिए गए इस निर्णय पर श्री शुक्ल ने सहमति दी थी। श्री शुक्ल ने इसे एक गलत कदम बताते हुए इसकी सम्पूर्ण संवैधानिक जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली।'

'श्री शुक्ल की स्वीकृति में लिया गया मंत्रालय का यह निर्णय अधिकारों का दुरुपयोग था।'

श्री शुक्ल द्वारा इसके लिए अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी लेने के बावजूद वे अधिकारों के दुरुपयोग की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते।

नियुक्तियां

इंडियन एयर लाइन्स तथा एयर इंडिया के निदेशक मंडलों की

निदेशक मंडलों की नियुक्ति के संबंध में सामान्य तथा स्थापित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। मंत्री श्री राजबहादुर को *वस्तुतः यह काम प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी के सुझाव पर करने को* बाध्य होना पड़ा।

भारतीय पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष पद पर

सार्वजनिक उद्योग चयन बोर्ड द्वारा जिस व्यक्ति को इंटरव्यू में अयोग्य घोषित कर दिया गया था उसे ही एक उच्च अधिकारी के पद पर नियुक्त करना एक स्वस्थ परम्परा नहीं मानी जा सकती। बेहतर यही होता कि बोर्ड से नया नाम सुझाने को कहा जाता। इस प्रकार से एक वैध निकाय के सुझावों की अवज्ञा कर सरकार इस प्रकार के निकाय की प्रतिष्ठा एवं व्यावहारिकता में घुसपैठ कर रही थी।

भारत के अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर

सावजनिक उद्याग चयन बोड द्वारा सुझाए गए किसी व्यक्ति का यदि सरकार किसी विशेष कारण से नियुक्त नही करना चाहती ता बोड से नया उम्मीदवार सुझाने को कहा जा सकता है, परन्तु उसके स्थान पर बोड द्वारा अयोग्य घोषित किए गए व्यक्ति को नियुक्त करना उचित नहीं ठहराया जा सकता।'

रिजव बक के गवनर पद पर

रिजव बक के गवनर पद पर श्री क० आर० पुरी की नियुक्ति म सामान्य तथा स्थापित प्रक्रियानुसार काय नही किया गया तथा वित्तमन्त्री श्री सी० सुब्रह्मण्यम को वस्तुत यह काय प्रधानमन्त्री श्रीमती गाधी के सुझाव पर करने को बाध्य होना पडा। श्रीमती गाधी द्वारा प्रधानमन्त्री के रूप म स्थापित प्रशासनिक प्रक्रियाओ को अनदेखा करन का यह एक और मामला है।'

पजाब नेशनल बक के अध्यक्ष पद पर

"इस मामले म भी श्री सुब्रह्मण्यम को श्रीमती गाधी के सुझाव पर बाध्य होकर श्री टी० आर० तुली की नियुक्ति करनी पडी। श्रीमती गाधी की इस प्रकार की कारवाई पद का दुरुपयाग तथा स्थापित प्रक्रियाओ को तोडना है।'

स्टेट बक आफ इडिया के अध्यक्ष पद पर

'स्टट बैक आफ इडिया के अध्यक्ष पद पर श्री टी० आर० वरदाचारी की नियुक्ति स्टट बैंक आफ इडिया अधिनियम के प्राव धानो के अनुरूप नही है तथा इस सबध म स्थापित सामान्य प्रक्रिया का भी पालन नही किया गया। श्री प्रणव मुखर्जी ने श्री वरदाचारी की इस पद पर नियुक्ति कर स्थापित प्रशासनिक परम्पराओ तथा प्रक्रियाओ का उल्लघन किया है तथा अपने पद का दुरुपयोग किया है।

दिल्ली परिवहन निगम के अध्यक्ष पद पर

श्री यू० एस० श्रीवास्तव की नियुक्ति म न सिफ सावजनिक उद्योग चयन बोड स ही कोई सलाह ली गइ बल्कि परिवहन तथा जहाजरानी मत्री से भी कोई विचार विमश नही किया गया जबकि यह मामला उनके मत्रालय क अधीन था। श्री श्रीवास्तव को २५०० ३००० की सयुक्त सचिव वाली वेतन शृखला म नियुक्त किया गया जबकि वे काफी जूनियर अधिकारी थे। यह मामला इस बात का उदाहरण है कि किस प्रकार से स्थापित नियमा तथा प्रक्रियाआ का ऐसी नियुक्तिया म पालन नहीं किया गया।

न्यायाधीशो की पुर्ननियुक्ति का मामला

'दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश श्री आर० एन० अग्रवाल तथा बम्बई उच्च न्यायालय क अतिरिक्त न्यायाधीश श्री यू० आर० ललित का दो वप का काय काल समाप्त होन पर श्रीमती गाधी द्वारा उनकी पुष्टि करते हुए पुर्ननियुक्ति न करना पद तथा अधिकारो का दुरुपयोग और स्थापति परम्पराओ एव प्रक्रियाआ का उल्लघन है।

श्री अग्रवाल के विरुद्ध कारवाई उनके द्वारा श्री कुलदीप नायर का मामला सुन जाने के दडस्वरूप थी जबकि दोना मामलो मे राज्या के मुख्य न्यायाधीशो तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश की स्वीकृति मिल चुकी थी।

पजाब नेशनल बैंक द्वारा ऋण

एसोसिएटेड जनल्स को

आयाग के विचार म, बक के अध्यक्ष श्री तुली ने मसस एसोसिएटड जनल्स लिमिटेड का बिना कोई जाच कर ओवर डाफ्ट दिलाकर स्थापित प्रक्रियाआ का तोडा है। इस प्रकार स श्री तुली न अपने पद और अधिकारा का दुरुपयोग किया है।'

ऋस्मा केमिकल्स

'श्री तुली ने मैसर्स ऋस्मा केमिकल्स को बिना ब्याज लिए ६,३० ००० रुपए के ऋण पत्र दिलवाकर सामान्य स्थापित प्रक्रियाओ के विरुद्ध काय किया है।'

मारुति को रियायत

आयोग का विचार है कि 'इस मामले म प्रशासनिक प्रक्रियाओ अथवा पद एव अधिकारों क दुरुपयोग का कोई मामला नही बनता।'

बोइग विमानों की खरीद

आयोग के विचार से, 'इडियन एयर लाइस के लिए तीन बोइग-७३७ विमानो के खरीदे जान के सबध म जरूरत स ज्यादा जल्दबाजी की गई।

आयोग ने बोइग विमानो की खरीद के सबध म हुई बैठक म श्री राजीव गाधी की असामान्य उपस्थिति पर भी टिप्पणी की है।

श्री धीरेन्द्र ब्रह्मचारी द्वारा विमान आयात

"ब्रह्मचारी ने प्रधानमत्री निवास के साथ अपने सबधो का पूरा लाभ उठाते हुए एक विमान का उपहार के नाम पर झूठ बोलकर आयात करा लिया। उन्होंने स्थापित प्रशासनिक प्रक्रियाओ को तोडते हुए तेजी से काय किया। ब्रह्मचारी ने विमान को उपहार-स्वरूप बताकर कस्टम की स्वीकृति भी ले ली। कस्टम बचाने के लिए उन्होंने अपने आश्रम को धर्मार्थ सस्था घोषित कर दिया। ब्रह्मचारी ने जम्मू के निकट एक हवाई पट्टी का निर्माण करवाने म भी प्रशासनिक प्रक्रिया को आनन फानन मे गैरकानूनी तरीके से पूरा करवा लिया।'

जिस तरीके से ब्रह्मचारी की मागो को पूरा करने के लिए देश की सुरक्षा के विचार को उठाकर ताक पर रख दिया गया, उसके प्रति आयोग ने चिन्ता व्यक्त करते हुए सरकार स ऐसे गम्भीर मामले मे अपनी स्पष्ट नीति तय करन को कहा है।

२ श्रीमती गांधी और शाह आयोग

एमरजेन्सी की घोषणा और उस दौरान हुए कार्यों की प्रमुख सूत्रधार तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को शाह आयोग ने छ बार बुलाया। चार बार उन्हें आयोग ने सहयोग करने के लिए निमंत्रित किया और दो बार उन्हें समन भेजा।

श्रीमती गांधी को पहला आमंत्रण ७ नवम्बर को जांच आयोग अधिनियम के नियम ५ (२) (ए) के अंतर्गत भेजा गया था जिसमें आयोग के समक्ष पेश होकर शपथ लेकर बयान देना होता है। परंतु चूंकि उन दिनों श्रीमती गांधी अपने दौरों में व्यस्त थीं इसलिए उन्होंने अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए आगे कोई और तारीख देने का अनुरोध किया। आयोग ने उनकी बात मान ली, और पुन २१ नवम्बर को आमंत्रित किया।

लोग गए, मगर तमाशा न हुआ

श्रीमती गांधी के २१ नवम्बर को आयोग के सामने पेश होने की सम्भावनाओं को देखते हुए इंडिया गेट इलाके में जहां पटियाला हाउस में शाह आयोग की कार्यवाही हो रही है पुलिस का पूरा बंदोबस्त किया गया ताकि कोई अप्रिय घटना न होने पाए। उस दिन पटियाला हाउस पर भारी संख्या में जनता पहुंची। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में देश और विदेश के पत्रकार टी० बी० कमरामैन और फोटोग्राफरों ने प्रात आठ बजे से ही वहां पहुंचना शुरू कर दिया।

ज्यों ज्यों साढे नौ बजे का समय नजदीक आने लगा त्यों-त्यों लोगों की उत्सुकता बढने लगी। देखते-देखते साढे नौ भी बज गए परंतु श्रीमती गांधी नहीं पहुंचीं और सारा का सारा बंदोबस्त बेकार हो गया और साथ ही इसपर जो भारी खर्च हुआ, वह अलग।

साढे नौ बजे जस्टिस शाह ज्योंही कक्ष में प्रविष्ट हुए उन्होंने अपनी कुर्सी पर बैठते ही पूछा 'श्रीमती गांधी के बारे में क्या सूचना है?' कुछ क्षणों की खामोशी के बाद एक एडवोकेट श्री मुशीर कुमार आगे आए और बोले 'श्रीमान्, श्रीमती गांधी तो उपस्थित नहीं हुई हैं परंतु मैं उनकी ओर से एक बयान लाया हूं

जिसे अनुमति हो तो पढा जा सकता है।" जस्टिस शाह ने इसकी अनुमति प्रदान कर दी।

आयोग के जाच अधिकारी द्वारा पढे गए श्रीमती गाधी के बयान म कहा गया था कि आयोग की कार्यवाही जिस प्रकार म समाचारपत्रो म प्रकाशित और आकाशवाणी तथा दूरदशन के जरिय प्रसारित की जा रही है उसस मरी प्रतिष्ठा धूल धूसरित हो रही है और चरित्र-हनन हो रहा है। आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया जाच आयोग सबधी कानूनो स सवथा परे है। आयोग के समक्ष मवस पहले आरोपो स सबधित कहानी पढी जाती है पता नही किस कानून के अन्तगत उस कहानी के निर्माण के लिए सामग्री एकत्र की जाती है और किस कानून के अतगत इसे आयोग के रिकाड म शामिल किया जाता है।

आयोग की कायवाही जिस प्रकार से चल रही है उससे मरी प्रतिष्ठा पर गहरी आच आ रही है। सविधान के अनुच्छेद २१ के अतगत अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा का मुझे पूरा अधिकार है और मुझे उस अधिकार स वचित नही किया जा सकता। मुझे किसी ऐसी प्रक्रिया का शिकार भी नही बनाया जा सकता जिसके कारण मेरी प्रतिष्ठा धूमिल हो। यू कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओ के अनुसार कुछ भी किया जा सकता है।

प्रश्न मेरी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का नही प्रतिष्ठा तो देश के एक प्रधानमत्री की दाव पर लगी हुई है। आयोग के समक्ष भूतपूव प्रधानमत्री के रूप म मरी कायवाहिया विचाराधीन हैं। आयोग के समक्ष चल रही कायवाही के दौरान आयोग द्वारा (जस्टिस शाह) प्रसगवश की गई टिप्पणिया को आकाश वाणी दूरदशन और समाचारपत्रो द्वारा इस प्रकार उछाला जा रहा है मानो आयोग ने अपना फैसला दे दिया हो। आयोग ने गवाहो से जिरह करने की छूट नही दी है इसके फलस्वरूप अनेक गवाह मनमाने तौर पर गवाहिया द रह हैं, क्योकि उन्ह जिरह म पकडे जान का डर नही है। इसके अतिरिक्त स्वय आयोग द्वारा लम्बी जिरह की जाती है।'

'आयोग की कायवाही हसी मजाक और शोर शराबे के जिस वातावरण म चलती है उसे न्यायालय योग्य वातावरण हर्गिज नही कहा जा सकता। आयोग की कायवाही के दौरान श्रोताओ

द्वारा व्यक्त हंसी मजाक को जिस प्रकार रेडियो पर प्रसारित किया जाता है, उसमे इस आयोग की नियुक्ति के पीछे छिपी राजनीतिक मनोभावना का साफ परिचय मिलता है।"

'आयोग को विद्वेषपूर्ण राजनीतिक प्रचार का अखाडा बनाया जा रहा है जबकि वास्तव मे यह एक कानूनी केन्द्र है। ऐसा लगता है, जैसे समाचारपत्रो द्वारा खुली सुनवाई की जा रही हो।'

'यदि विभिन्न आरोपो पर सबसे पहले भारत सरकार के बयान लिए जाते और उसपर अन्य सबधित लोगो की गवाही होती तो जनता के सामने सतुलित चित्र प्रस्तुत होता।'

प्रक्रिया को चुनौती

आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को चुनौती देते हुए श्रीमती गाधी ने कहा 'एक ही आरोप पर दो बार जाच की स्थिति पैदा हो गई है। जाच आयोग किसीको सजा देने का अधिकारी नही है। इसकी कार्यवाही से मुझे जितनी हानि पहुच सकती है वह तो इसकी पहले चरण की कार्यवाही से पहुच चुकी है। आयोग द्वारा ज्यादती का सारा मामला निर्धारित किए जाने के बाद सुनवाई के दूसरे दौर मे जब उन ज्यादतियो के लिए जिम्मेदार लोगो पर जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए कार्यवाही चलेगी तब उसका मुझे कोई लाभ नही होगा। दोहरी जाच की कोई गुजाइश नहीं थी यदि यह प्रारम्भिक जाच हो रही है तो इसे सार्वजनिक तौर पर किया जाना उचित नही है।"

'मत्रिमडल के सदस्यो द्वारा दी गई गवाहियो के दौरान मत्रियो द्वारा प्रधानमत्री के नाम लिखे गए पत्रो के उद्धरण पेश करने से कुछ महत्त्वपूर्ण सवैधानिक प्रश्न खड़े हो गए है जिसका सबध मत्रिमडल की कार्यप्रणाली और प्रधानमत्री पद की गरिमा से सबधित है।"

स्पष्टीकरण

श्रीमती गाधी ने अपने बयान में अपने द्वारा किए गए कुछ कार्यों का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है कि जब दो मत्रालयो के बीच विचारो मे परस्पर विरोध उठ खडा हो, तो ऐसी स्थिति मे

प्रधानमंत्री अपने विवेक से निर्णय करता है और ऐसा ही कई मामलों में किया गया है। परन्तु उनके द्वारा किए गए इसी प्रकार के निर्णयों को अब आयोग द्वारा ज्यादती कहा जा रहा है।

इस संबंध में उन्होंने जस्टिस आर० एन० अग्रवाल और जस्टिस यू० आर० ललित के मामलों का उल्लेख किया जिनमें गृहमंत्रालय ने परस्पर विरोधी राय दी थी।

रिजर्व बैंक के गवर्नर पद पर श्री पुरी की नियुक्ति का फैसला उन्होंने उनकी योग्यता को देखते हुए किया था तथा पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष पद पर श्री तुली की नियुक्ति श्री सुब्रह्मण्यम की सहमति से की गई थी।

टैक्सटाइल कमेटी के दस और कस्टम विभाग के दो इंस्पेक्टरों की गिरफ्तारी के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी बल्कि बहुत से लोगों ने उनसे वाणिज्य मंत्रालय के कई अधिकारियों के बारे में भ्रष्टाचार में लिप्त होने की शिकायतें की थीं जिनके बारे में श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय को अवगत करा दिया था।

समस्त जिम्मेदारी अपने ऊपर

श्रीमती गांधी का कहना था कि शिकायत तो उनके पास श्री टी० ए० पै के बारे में भी आई थी कि वे तथा उनके परिवार के सदस्य धन बना रहे हैं पर उन्होंने इस ओर कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया था। मेरा अभिप्राय अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को दोषी ठहराने का नहीं है। मैंने जिस सरकार का नेतृत्व किया है उसकी सभी कार्यवाहियों के लिए मैं सम्पूर्ण संवैधानिक और राजनीतिक जिम्मेदारी स्वीकार करती हूं।

श्रीमती गांधी के लगभग १७ पृष्ठों के बयान के बाद जस्टिस शाह ने अपनी व्यवस्था देते हुए उसे अस्वीकार कर दिया।

उन्होंने कहा कि जांच अधिनियम के अंतर्गत इस आयोग को जिन विषयों की जांच का भार सौंपा गया है वे असाधारण हैं। इस प्रकार की जांच कानून के अंतर्गत पहले कभी नहीं हुई थी। स्वभावतः आयोग के समक्ष असंख्य शिकायतें पहुंचीं चूंकि उनमें से सभी को निपटाना आयोग के लिए संभव नहीं था इसलिए आयोग ने जांच की एक निश्चित प्रक्रिया अपनायी जो जांच आयोग कानून के अंतर्गत सही है।

जिन आरोपा या शिकायता म कुछ तथ्य नजर आए हैं उनकी जाच का ही फमला किया गया है। शेष शिकायता को यही खारिज कर दिया गया है। ज्यादतिया के जिन मामला की जाच का मैंने फमला किया है उनकी अभी प्रारम्भिक जाच ही की जा रही है। सिफ यह पता लगान के लिए कि वह सचमुच ज्यादती का मामला है या नही। यदि प्रारम्भिक जाच क बाद यह सिद्ध हो गया कि ज्यादती का साफ साफ मामला बनता है ता उस मामल की दूसर दौर म गहराई स जाच की जाएगी और उसके दौरान सबधित लोगा को समन देकर बुलाया जाएगा और यह पता लगाया जाएगा कि उन ज्यादतियो के लिए कौन कौन जिम्मेदार हैं। जिनपर आरोप हागे उनको गवाहो स जिरह करने का भी पूरा अवसर दिया जाएगा।

जस्टिस शाह के अनुसार आयोग अपनी प्रक्रिया निर्धारित करने मे सक्षम है और अपन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया की सवधानिकता या वधता पर उस स्वय निणय लेने का अधिकार नही है। (शायद उनका सकेत था कि जिन्हे यह प्रक्रिया उचित नही मालूम देती है व उसे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय म चुनौती दे सकते हैं।)

जस्टिस शाह ने स्पष्ट किया कि आयोग की जाच का उद्देश्य किसीको बदनाम करने का नही है। जिस किसीके विरुद्ध कोई आरोप है उन्ह जवाब देने और निराधार साबित करन के लिए पूरा अवसर दिया जाएगा और दिया भी जा रहा है।

जस्टिस शाह का कहना था कि हमारा समाचारपत्रा पर कोई नियत्रण नही है अत आयोग के समक्ष चल रही कायवाही को वे किस प्रकार से छाप रह हैं उसपर हमारा वम नही है और यही बात आकाशवाणी और दूरदशन पर भी लागू हाती है।

श्रीमती गाधी के बयान के बाद सरकारी वकील श्री प्राणनाथ लेखी न कहा कि श्रीमती गाधी ने आयोग के समक्ष स्वय पेश होन के स्थान पर अपना बयान भेजकर इस न्यायिक आयोग का निरादर किया है।

उनका कहना था कि श्रीमती गाधी न स्वय तो न्यायचरण के साथ सिद्धाता की कथित अवहेलना का आरोप लगाया है परन्तु स्वय अपने बयान में वतमान सरकार क मत्रिया पर एकतरफा

आरोप लगाकर इस अवसर का नाजायज फायदा उठाया है और न्यायचरण के प्राथमिक सिद्धांतों का उल्लंघन किया है।

तीसरे बुलावे का जवाब

आयोग की ओर से २४ नवम्बर को एक बार फिर पत्र लिख कर श्रीमती गांधी से एमरजेंसी की घोषणा के औचित्य पर विचार करने के समय आयोग के सामने ५ से १० दिसम्बर तक उपस्थित होने का अनुरोध किया गया जिसे भी उन्होंने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने आमंत्रण के जवाब में आयोग को २ दिसम्बर को अपना बयान भेजा और इसके साथ ही उसकी प्रतियां समाचारपत्रों में प्रकाशन के लिए भी जारी कर दीं।

श्रीमती गांधी ने अपने इस बयान में आयोग के समक्ष उपस्थित होने से इंकार करते हुए कहा कि एमरजेंसी की घोषणा के संबंध में आयोग को जांच करने का कोई अधिकार नहीं है। श्रीमती गांधी ने आयोग से कहा कि नियमानुसार समन भेजने पर ही वे आयोग के सामने उपस्थित होंगी।

उन्होंने कहा 'जांच आयोग अथवा किसी भी प्राधिकरण को संसद द्वारा पारित किसी भी अधिनियम या प्रस्ताव की वैधानिकता अथवा औचित्य पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं है। जांच आयोग अधिनियम के अंतर्गत किसी संसदीय कार्य की जांच नहीं की जा सकती। यदि जांच आयोग ने संसद की कार्यवाही पर विचार करना शुरू किया तो वह संविधान की व्यवस्था और संसद की सर्वोच्चता पर आघात होगा। एमरजेंसी की घोषणा की जांच शाह आयोग की जांच की परिधि से परे है। एमरजेंसी की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा घोषित एक संवैधानिक कदम था, जिसे मंत्रिमंडल ने अनुमोदित किया था और संसद के दोनों सदनों ने सम्पुष्ट किया था इसलिए उसके औचित्य पर जांच आयोग विचार नहीं कर सकता।'

श्रीमती गांधी ने एमरजेंसी के पूर्व की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा, एमरजेंसी के पूर्व से केन्द्र सरकार को कमजोर करने और निर्वाचित सरकार को अपदस्थ करने का उपक्रम किया जा रहा था। एक तरफ लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शक्तियां थीं और दूसरी ओर प्रतिक्रियावादी, साम्प्रदायिक और

पूंजीवादी तत्त्व थे। जब देश विश्वव्यापी मुद्रा स्फीति की चपेट में था और बगला देश की लडाई से उत्पन्न कठिनाइयो से लड रहा था, प्रतिक्रियावादी तत्व गर सवधानिक तरीके से केन्द्र सरकार को उलटकर सत्ता हथियाने का कुचक्र चला रहे थे। इसी बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय आ गया। उससे हमारे विरुद्ध उनका राजनीतिक उन्माद और बढ गया। यद्यपि आक्रमण का केन्द्र मैं थी, परन्तु वास्तव मे वे कांग्रेस को हटाकर असवधानिक तरीके से सत्ता हस्तगत करना चाहते थे। ऐसी स्थिति मे प्रधान मन्त्री के नाते मैं अपनी जिम्मेदारी से बच नही सकती थी।"

उनका तर्क था कि सिर्फ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले से लेकर एमरजेन्सी की घोषणा तक के घटनाक्रम पर विचार करने से न्याय के बदले अन्याय होगा, क्योंकि केवल उस दौरान की घटनाओ से यह पता नहीं चलेगा कि उस समय स्थिति कितनी विकट हो गई थी।

समाचारपत्रो मे बयान के प्रकाशन पर आपत्ति

लगभग दो सप्ताह के अंतराल के बाद ५ दिसम्बर को आयोग की कार्यवाही प्रारम्भ होते ही जस्टिस शाह ने श्रीमती गाधी द्वारा भेजे गए पत्र के समाचारपत्रों पर प्रकाशन पर आपत्ति करते हुए कहा कि जब आयोग ने उक्त पत्र पर विचार ही नहीं किया तब किस प्रकार से उसे समाचारपत्रो म प्रकाशन के लिए दे दिया गया ? उनका कहना था कि आयोग को भेजा गया प्रत्येक कागज एक न्यायिक दस्तावेज है तथा बिना आयोग द्वारा विचार पूरा किए ही उसे प्रकाशन के लिए दे देना उचित नही है। आयोग के कार्यालय द्वारा श्रीमती गाधी से सभी के हितो को ध्यान म रखते हुए आयोग के समक्ष उपस्थित होने को कहा गया था, परन्तु उन्होंने उपस्थित होने के स्थान पर अपने पत्र मे कई न्यायिक एव राजनीतिक आपत्तिया उठाई हैं।

श्रीमती गाधी द्वारा आयोग की प्रक्रिया के सबध म उठाई गई आपत्ति पर अपनी पूर्व व्यवस्था को दोहराते हुए उन्होने कहा कि आयोग द्वारा अपनायी गई प्रक्रिया उचित है तथा काफी सोच विचारकर ही उसे अपनाया गया है।

जस्टिस शाह ने इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई

व्यक्ति आयोग के समक्ष उपस्थित न होकर इसकी कार्यवाही रोकना चाहता है तो वह इसमें सफल नहीं होगा। ' मैं कई बार आयोग की प्रक्रिया के बारे में स्पष्टीकरण दे चुका हूं इसलिए उसे बार बार दोहराना आवश्यक नहीं है। आयोग की कार्यवाही जारी रहेगी और दो चरणों में ही होगी।

उनका कहना था कि 'मेरा राष्ट्रपति अथवा संसद द्वारा जारी किए गए आदेशों को चुनौती देने का कोई ध्येय नहीं है, तथा ऐसा सोचना एक गलत धारणा है। मुझे जो कार्य सौंपा गया है मैं सिर्फ उसीके अनुसार कार्य कर रहा हूं। एमरजेन्सी में हुई ज्यादतियां तथा एमरजेन्सी किन परिस्थितियों में लगाई गई इस सन्दर्भ में मैं सिर्फ १२ जून १६७५ के बाद की परिस्थितियों पर ही विचार करूंगा।'

सरकारी वकील श्री लेखी ने जस्टिस शाह की व्यवस्था के बाद कहा कि आयोग के इस मंच से श्रीमती गांधी द्वारा जब कुछ राजनीतिक मुद्दों को उठाया गया है तब आयोग की ओर से भी उनका स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए।

जस्टिस शाह ने इसपर कहा आयोग एक राजनीतिक प्रचार मंच नहीं है। यदि किसी बात का स्पष्टीकरण करना भी है तो यह कार्य सरकार का है आयोग का नहीं।

परन्तु श्री लेखी का कहना था कि जब आयोग ने श्रीमती गांधी के पत्र को अपने रिकार्ड में रखा है तब इसका स्पष्टीकरण भी इसी मंच से होना चाहिए परन्तु जस्टिस शाह ने उसे स्वीकार नहीं किया।

कानूनी लड़ाई की शुरुआत

आयोग द्वारा श्रीमती गांधी को तीन बार आयोग के समक्ष उपस्थित होने का अनुरोध करने पर भी न आने के बाद उन्हें जांच आयोग अधिनियम के नियम ५ (२) (ए) तथा धारा ८ (बी) के अनुसार समन देकर ६, १० और ११ जनवरी १६७८ को आयोग के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया गया।

श्रीमती गांधी को इन दिनों ग्यारह मामलों पर अपना बयान दाखिल करने को कहा गया था। ये मामले इस प्रकार हैं

१ दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री ए० एन०

अग्रवाल की पदावनति।

२ बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री यू० आर० ललित की पुनर्नियुक्ति।

३ केन्द्रीय जाच ब्यूरो द्वारा भारी उद्योग मत्रालय म उप-सचिव श्री कृष्णास्वामी, तकनीकी विकास महानिदेशालय म विकास अधिकारी श्री ए० एस० राजन, राज्य व्यापार निगम म मुख्य मार्केटिंग मनेजर श्री एल० आर० काले तथा इसी विभाग के उप मुख्य मार्केटिंग मनजर श्री पी० एस० भटनागर के विरुद्ध कारवाई।

४ पजाब नशनल बक के अध्यक्ष पद पर श्री टी० आर० तुली की नियुक्ति।

५ रिज़र्व बैंक के गवनर पद पर श्री के० आर० पुरी की नियुक्ति।

६ एयर इडिया तथा इडियन एयर लाइस के निदेशक मडलो के सदस्यो की नियुक्ति म नियमो के पालन न करने का मामला।

७ टक्सटाइल तथा कस्टम विभाग के इस्पेक्टरो की मीसा म गिरफ्तारी।

८ श्री भीमसन सच्चर तथा सात अन्य की मीसा म गिरफ्तारी।

९ विश्व युवक केन्द्र का भारत सुरक्षा कानून क अतगत अधिग्रहण।

१० राजस्थान के एक आई० ए० एस० अधिकारी श्री मगल-बिहारी का निलम्बन तथा एक सहायक अध्यापिका श्रीमती चन्द्रेश शर्मा का निलम्बन।

११ (ए) १२ जून से २२ जून १९७५ के बीच की घट-नाए।

(बी) २३ जून से २५ जून १९७५ के बीच की घट-नाए।

(सी) २५ और २६ जून १९७५ की मध्य रात्रि का तथा उसके बाद की गई मीसा म नज़रबदिया तथा अन्य गिरफ्तारिया।

उनका आना भी खबर बन गई

६ जनवरी, १६७८ का दिन सवेरे का समय। इंडिया गेट इलाके में पटियाला हाउस के आसपास का दृश्य। पुलिस का लगभग वही २१ नवम्बर १६७७ जैसा इन्तजाम। चारों ओर पुलिस के जवानों की भारी भीड़ नजर आ रही थी। आम दिनों की भांति आम आदमी को आयोग कार्यालय में जाने की अनुमति नहीं थी। आयोग कक्ष में सिर्फ विशिष्ट व्यक्तियों को ही पास से प्रवेश करने दिया जा रहा था। आयोग के मुख्य द्वार पर भारी संख्या में देश विदेश की टेलीविजन कम्पनियों के कैमरामैनों के साथ साथ बहुत से अन्य फोटोग्राफर भी मौजूद थे। लोगों ने सवेरे आठ बजे से आना प्रारम्भ कर दिया था। विशिष्ट व्यक्तियों के सिवाय अन्य लोगों को पटियाला हाउस के बाहर के लॉन में बल्लियों के सहारे दूर ही रखा जा रहा था। इस भीड़ में श्रीमती गांधी के समर्थक और विरोधी दोनों ही मौजूद थे। सारे वातावरण में हल्की सी चहल पहल थी और मनों में यह शक भी कि शायद श्रीमती गांधी आज भी न आएं। समय के साथ साथ लोगों की भीड़ भी और उपस्थित लोगों की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही थी। लॉन में एकत्र लोगों के लिए अन्दर की कार्यवाही सुनने हेतु लाउडस्पीकरों की व्यवस्था कर दी गई थी।

आयोग का अन्दर का कक्ष लगभग नौ बजे ही पूरा भर चुका था। भूतपूर्व रसायन एवं उर्वरक मंत्री तथा मध्यप्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रकाशचंद सेठी तथा श्रीमती गांधी के अतिरिक्त सचिव श्री राजेन्द्र कुमार धवन आ चुके थे। अचानक लोगों में खलबली मची और लगभग सवा नौ बजे कक्ष के बीच का दरवाजा विशेष रूप से खोला गया जबकि रोजाना पीछे का ही दरवाजा खोला जाता था। दरवाजा खुलने के साथ ही श्रीमती गांधी के बड़े पुत्र श्री राजीव गांधी और उनकी पत्नी श्रीमती सोनिया तथा श्री संजय गांधी की पत्नी श्रीमती मेनका गांधी ने प्रवेश किया। और इसीके साथ लोगों को विश्वास हो गया कि श्रीमती गांधी भी आ रही हैं। धीरे धीरे श्रीमती गांधी के अन्य भूतपूर्व मंत्रिमंडलीय साथी भी आने लगे। उनमें प्रमुख थे—भारी उद्योगमंत्री श्री टी० ए० पै वाणिज्यमंत्री श्री डी० पी०

चट्टोपाध्याय, गृह राज्यमंत्री श्री ओम मेहता, श्री बी० पी० मौर्य, श्री ए० पी० शर्मा और श्री एच० के० एल० भगत।

दस बजने म लगभग दस मिनट पहले श्रीमती गाधी वहा पहुच गई थी, उनके साथ थे उनके पुराने साथी मीर कासिम। श्रीमती गाधी क पहुचते ही पटियाला हाउस के लान मे और बाहर एकत्र भीड ने उनके समथन और विरोध म बराबर नारे लगाए। श्रीमती गाधी के आयोग के कक्ष मे प्रवेश करते ही वाता वरण म एकदम हलचल पदा हो गई थी। ज्योंही गहरे गुलाबी रग की साडी और उसपर ऊनी ब्लाउज पहन वे आयोग क कक्ष म पहुची वहा उपस्थित अनेक लोग और उनके अधिकाश भूतपूव साथी उनके सम्मान म उठकर खडे हो गए। वे कुछ देर तक अपने साथियो और फिर अपने वकीलो स बातचीत कर आगे की पक्ति म रखी कुर्सी पर बठ गइ।

दस बजते ही जस्टिस शाह ने कक्ष म प्रवेश किया। सभी लोग उनके सम्मान म उठकर खडे हो गए और उ्होंने हाथ जोड कर सबको नमस्कार किया। जस्टिस शाह ने अपनी कुर्सी पर बठते ही पूछा 'क्या श्रीमती गाधी ने जांच आयोग अधिनियम के नियम ५ (२) (ए) के अतगत अपना बयान दाखिल कर दिया है?' और इसके साथ ही कानूनी और राजनीतिक तर्कों का लगभग ढाई दिन तक चलने वाला सिलसिला शुरू हो गया। श्रीमती गाधी की ओर से उनके वकील श्री फ्रैंक एथनी न, जो वर्षों तक ससद मे एग्लो इडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करते रहे थे, परवी की।

तर्क पर तर्क

श्री एथनी के तर्कों का मुख्य मुद्दा यही था कि शाह आयोग की स्थापना का एकमात्र उद्देश्य श्रीमती गाधी की प्रतिष्ठा को समाप्त करना है। जो काम आयोग को सौंपा गया है और उसने जिस तरह की कायप्रणाली अपनायी है तथा समाचारपत्रो म आरोपो के बारे मे एक लम्बे अर्से से जिस प्रकार लिखा जा रहा है उसमे ऐसा लगता है, मानो श्रीमती गाधी और उनके साथी पहले से ही दोषी साबित हो चुके हो। इस समस्त प्रचार से श्रीमती गाधी की प्रतिष्ठा को भारी ठेस पहुची है। जब श्रीमती

गाधी के विरुद्ध सबधित गवाहो ने आरोप लगाए, उसी समय आयोग को उन्हे नोटिस देकर बुलाना चाहिए था, ताकि बचाव पक्ष भी उसके सबध मे अपना स्पष्टीकरण दे सकता। इसलिए अब पहले धारा ८ (बी) के अनुसार सबधित गवाहो से जिरह करने का मौका दिया जाना चाहिए और इसके बाद ही वे नियम ५ (२) (ए) के अनुसार अपना बयान देंगे।

जस्टिस शाह ने इसपर बडे ही शात और सयत तरीके से उन्हे टोका और समझाने की चेष्टा करते हुए कहा 'जैसा आप समझ रहे हैं वैसा नही है। यह कोई फौजदारी अदालत नही है और न ही यहा कोई अभियुक्त है। हम सिर्फ सच्चाई जानने की चेष्टा कर रहे है। किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध जब तक सरसरी नजर से कोई मामला नही बनता कि उसने एमरजेन्सी के दौरान अपने अधिकारो का दुरुपयोग किया था, उसके खिलाफ कोई मामला नही बनाया जाएगा।

जस्टिस शाह ने अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहा 'हमने पहले भी श्रीमती गाधी को आमत्रित किया था कि वे आए और आयोग को सच्चाई का पता लगाने मे मदद करें पर श्रीमती गाधी ने इसमे सहयोग नही किया। छानबीन के बाद आयोग इस परिणाम पर पहुचा है कि ऐसे मामले हैं जिनका श्रीमती गाधी से ताल्लुक हो सकता है और जिसके बारे मे उनकी जानकारी प्राप्त करनी जरूरी है। इसी कारण उन्हें आयोग मे उपस्थित होने के लिए समन जारी किए गए।'

जस्टिस शाह के इस स्पष्टीकरण के बावजूद श्री एथनी ने अपने तर्कों को आगे बढाते हुए गृहमत्री श्री चरणसिंह के उस वक्तव्य पर आपत्ति की जिसमे कहा गया था कि आयोग की प्रारम्भिक कार्यवाही से सिद्ध हो गया है कि श्रीमती गाधी ने एमरजेन्सी के दौरान अपने अधिकारो का दुरुपयोग किया था तथा इस आधार पर उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया जाएगा। उनका कहना था कि श्री चरणसिंह के वक्तव्य से ऐसा लगता है जैसे आयोग उनके इशारे पर काय कर रहा हो। इन सब बातो से स्पष्ट हो जाता है कि आयोग का एकमात्र लक्ष्य श्रीमती गाधी हैं और इसकी कार्यवाही से श्रीमती गाधी जैसी विश्व प्रतिष्ठित महिला को काफी धक्का लगा है।

जस्टिस शाह ने इसपर एक बार फिर उन्हें टोकते हुए कहा, 'आयोग के समक्ष जो भी व्यक्ति उपस्थित होता है वह गवाह के रूप में आता है और मेरी नजर में वह सिर्फ गवाह है। उस व्यक्ति की राजनीतिक या अन्य किसी प्रकार की हैसियत से इसपर कोई अन्तर नहीं पड़ता। जहां तक गृहमंत्री और अखबारों का प्रश्न है उनसे मुझे कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि वे मेरे नियंत्रण में नहीं हैं।'

एक जन्म क्या, सैकड़ों जन्म भी कम थे

उनका कहना था कि जहां तक आयोग की प्रक्रिया का संबंध है आयोग के समक्ष ज्यादतियों के लगभग ४८ हजार मामले आए थे और यदि धारा ८(बी) के अनुसार प्रत्येक गवाह के आरोप पर संबंधित व्यक्ति को बुलाया जाता तो आयोग की कार्यवाही इस जन्म में तो क्या सैकड़ों जन्मों में भी पूरी नहीं हो सकती थी। आयोग द्वारा जल्दी से जल्दी अपना काम पूरा करने के लिए ही यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

श्री एंथनी ने अपनी दलीलों में आगे कहा कि आयोग द्वारा २३ से २५ जून १९७५ की घटनाओं पर विचार करना तर्कसंगत नहीं है क्योंकि एमरजेन्सी की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई थी तथा मंत्रिमण्डल द्वारा उसका अनुमोदन किया गया था और इनकी जांच करना आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इसपर जस्टिस शाह ने फिर टोका और कहा, 'मैं राष्ट्रपति अथवा मंत्रिमंडल की कार्यवाही की जांच नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ यह जांच कर रहा हूं कि एमरजेन्सी जिन परिस्थितियों में लागू की गई थी वह न्याय सम्मत थी अथवा नहीं।' इसपर श्री एंथनी ने टिप्पणी करते हुए कहा, 'यह अप्रत्यक्ष रूप से घोषणा की जांच करना ही है।'

श्री एंथनी ने कहा कि जब वर्तमान उद्योगमंत्री श्री जार्ज फर्नांडीस स्वयं ही यह स्वीकार कर चुके हैं कि उन्होंने तथा उनके साथियों ने अकेले कर्नाटक राज्य में एक महीने के दौरान ८२ रेल-गाड़ियों को पटरी से उतारा था तब किस प्रकार से कहा जा सकता है कि एमरजेन्सी गलत परिस्थितियों में लागू की गई थी?

इसपर जस्टिस शाह ने कहा 'आप यह क्या समझ रहे हैं कि मैंने अपना यह दृष्टिकोण बना लिया है कि एमरजेन्सी गलत लागू

की गई थी ?'

श्री एथनी का तर्कयुक्त भाषण जितना कानूनी था, उतना ही राजनीतिक भी। जिस तरह कानूनी तर्कों के साथ-साथ राजनीतिक तर्कों को मिलाकर वे संसद में अपनी बढ़िया अंग्रेजी में श्रोताओं को प्रभावित करने की चेष्टा किया करते थे उसी तरह की चेष्टा उन्होंने यहां भी की। उनकी बहस के दौरान उनकी किसी बात पर उपस्थित लोगों ने व्यंग्य भरा ठहाका लगाया तो वे बिगड़ उठे और बोले मैं जानता हूं, यहां जानबूझकर ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जो वर्तमान सरकार के समर्थक हैं और इसलिए बीच-बीच में हंसते और ठहाके लगाते रहते हैं। हां मेरी अंग्रेजी पर रीझकर वे हंसें तो मुझे कोई एतराज नहीं है। इसपर जस्टिस शाह ने जोरदार हंसी के बीच कहा ' मैं दोनों ही तरह की हंसी को गैर जरूरी समझता हूं।

श्री एथनी के तर्कों के बाद सरकारी वकील श्री लेखी और आयोग के वकील श्री काल खडालावाला ने उनके तर्कों को निराधार बताते हुए आयोग के गठन और उसकी कार्यप्रणाली को उचित ठहराते हुए अनेक तर्क प्रस्तुत किए।

दूसरा दिन पहले जैसा

१० जनवरी १९७८ के सवेरे का समय और लगभग पिछले दिन जैसा ही वातावरण। आज भी कई भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्रियों के अतिरिक्त श्रीमती गांधी के छोटे पुत्र श्री संजय गांधी उनकी पत्नी श्रीमती मेनका गांधी तथा उनकी भाभी श्रीमती सोनिया पहले ही आ गए थे। उनके लगभग दस मिनट बाद ही श्रीमती गांधी भी कक्ष में पहुंच गई। आज कक्ष में पहले दिन के मुकाबले जरा कम चुस्ती थी, क्योंकि लोगों ने अनुमान लगा लिया था कि आज का दिन भी लगभग श्री एथनी ही लेंगे और श्रीमती गांधी शायद ही अपना बयान दें।

श्री एथनी ने कार्यवाही शुरू होते ही अपने वही पहले दिन वाले तर्क रखने शुरू किए जो वे बड़े विस्तार से रख चुके थे। इसके साथ ही वे आयोग के वकील श्री खडालावाला और सरकारी वकील श्री लेखी की बहस का भी उत्तर देते रहे।

कार्यवाही के दौरान श्री एथनी और श्री लेखी में कई बार गरमा-

गरम झड़पें हुई। एक अवसर पर श्री एथनी द्वारा अपनी दलीलों के दौरान आक्रमण का लक्ष्य बार बार श्री लेखी को बनाने पर उन्होंने (श्री लेखी ने) कहा "यदि मेरी उपस्थिति से श्री एथनी को इतनी परेशानी हो रही है तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता हूं। आखिर मैं मुझे ह्वा क्या समय रहे हैं मैं कोई पैगम्बर तो हूं नहीं।" इसपर श्री एथनी ने उसी प्रकार मजाक में कहा "नहीं नहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी देर बाद मैं स्वयं ही अपनी दलीलें समाप्त करने वाला हूं और उसके बाद आपको चाय पिलाऊंगा।"

आरोप प्रत्यारोप

एक अन्य अवसर पर श्री एथनी ने श्री लेखी को लक्ष्य करते हुए कहा कि विद्वान मित्र किस प्रकार से आयोग के साथ सहयोग कर सकते हैं जबकि उनकी मुवक्किल जिसका वे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पहले से ही श्रीमती गांधी के प्रति पूर्वाग्रह से पीड़ित हैं और फिर श्री लेखी जिस शैली में बोलते हैं वह उचित नहीं कही जा सकती तथा आयोग भी इसपर आपत्ति नहीं करता।" इसपर श्री लेखी आवेश में आ गए और बोले "मैं किसीका खरीदा हुआ नहीं हूं और न ही मैंने संसद सदस्य के रूप में कभी मनोनयन के लिए ही प्रार्थना की है।"

इसपर जस्टिस शाह को बीच में टोककर कहना पड़ा 'बेहतर है आप लोग यहां आपसी छींटाकशी न करें।

श्री एथनी ने इसके जवाब में कहा कि वे अपनी दलील में कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहे हैं तथा श्री लेखी के लिए उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा है जबकि वे बराबर उनपर व्यक्तिगत आक्षेप कर रहे हैं। वे संसद में किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि एक समुदाय का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं।

लगभग डेढ़ दिन लम्बी बहस सुनने के बाद जस्टिस शाह ने श्री एथनी के एतराजों पर अपने फैसले में आयोग की कार्यवाही को पूर्णत उचित और वैधानिक ठहराते हुए निर्णय दिया कि 'जांच आयोग अधिनियम के अंतर्गत श्रीमती गांधी को शपथ लेकर अपना बयान दाखिल करना चाहिए था, परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया है इसलिए सच्चाई जानने के लिए जरूरी हो गया है कि मैं उनसे जिरह

करू।"

जस्टिस शाह ने लगभग ८५ मिनट तक विभिन्न मुद्दों पर अपना निर्णय देते हुए कहा कि आयोग ने जो प्रक्रिया अपनायी है वह उचित है और सही है। अधिनियम के नियम ५(२) (ए) के अनुसार श्रीमती गांधी शपथ लेकर बयान देने को बाध्य हैं। उन्हें वे मूल दस्तावेज या उनकी प्रतिलिपियां भी पेश करनी होंगी जिनके आधार पर वे अपना बयान देंगी। जस्टिस शाह ने स्पष्ट किया कि आयोग की कार्यवाही न तो दीवानी मुकदमे के समान है और न ही फौजदारी मुकदमा के बल्कि उनके द्वारा किया जा रहा जांच कार्य सच्चाई-परक मिशन का है तथा यह जनतंत्र में जीवन की शुद्धता और एकात्मता को बनाए रखने के लिए जरूरी है। उन्होंने इस संदर्भ में ब्रिटेन के लार्ड सालमन की टिप्पणी का जिक्र किया।

उन्होंने कहा, जहां तक इस आरोप का सवाल है कि आयोग का गठन राजनीतिक कारणों से और बदले की भावना से किया गया है मुझे यही कहना है कि इस पर विचार करना आयोग का काम नहीं है बल्कि उसका गठन करने वाले प्राधिकरण का है। आयोग स्वयं इस मामले पर विचार नहीं कर सकता।

अखबारों और अन्य प्रचार-साधनों के बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं कि उनपर मेरा नियंत्रण नहीं है तथा मेरा कोई भी निर्णय इनकी आलोचना से प्रभावित होने वाला नहीं है। जहां तक गृहमंत्री श्री चरणसिंह के बयान का सवाल है मेरे पास उसका कोई अधिकृत रिकार्ड नहीं है। लेकिन उनके या अखबारों की टिप्पणी से मेरे प्रभावित होने का कोई सवाल ही नहीं है। मैं उसी बात से प्रभावित होऊंगा जो मुझे सही और न्यायोचित लगेगी।

जस्टिस शाह ने स्वीकार किया कि उन्हें राष्ट्रपति द्वारा देश में लागू की गई एमरजेंसी और संसद द्वारा उसके अनुमोदन पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं है लेकिन इसके साथ ही उनका कहना था कि आयोग को इस बात का अधिकार है कि वह उन परिस्थितियों पर विचार करे जिनके कारण राष्ट्रपति को एमरजेंसी की घोषणा करनी पड़ी थी।

जस्टिस शाह की व्यवस्था के बाद श्रीमती गांधी और उनके वकीलों ने आपस में सलाह की और फिर श्री एथनी ने खड़े होकर जस्टिस शाह से उनके मुवक्किल को निर्णय के अध्ययन के लिए कुछ

समय देने की प्राथना की, जिसे जस्टिस शाह ने स्वीकार करते हुए दूसरे दिन सवेर दस बजे तक का समय दिया।

सवाल गोपनीयता का

११ जनवरी १६७८ को सुबह आयोग के कक्ष म एक बाहर आशंका का एक वातावरण बना हुआ था कि श्रीमती गाधी शपथ लकर बयान देंगी अथवा नहीं तथा जस्टिस शाह क्या फसला देंगे। दस बजने म पाच मिनट पहले श्रीमती गाधी अपने वकीलों पुत्र श्री सजय गाधी और बडी पुत्रवधू श्रीमती सोनिया क साथ कक्ष म आ गई थी। इसक अतिरिक्त आज समय स पहले ही आयोग का कमरा राजनीतिक नताओ भूतपूव मत्रियो आमत्रित गवाहो पत्रकारो और वकीलो स भर गया था। सवश्री ब्रह्मानन्द रडडी, ज० वेंगल राव सिद्धाथ शकर र राजबहादुर टी० ए० प इन्द्रकुमार गुजराल सी० सुब्रह्मण्यम और दूसरे कितने ही नामी व्यक्ति आयोग की काय वाही को देखने तथा उनम स कुछ उसम भाग लेने क लिए पहले ही हाजिर हो गए थ।

ठीक दस बजे जस्टिस शाह न अपनी कुर्सी पर बठते ही श्रीमती गाधी के वकील श्री एथनी स सवाल किया 'कहिए श्री एथनी। क्या स्थिति है?' श्री एथनी जवाब दन क लिए खडे हुए ही थ कि इतने म ही श्रीमती गाधी भी खडी हो गइ और उन्होने माइक्रो फोन क पास आकर जस्टिस शाह क सामने अपना पहल स टाइप किया हुआ बयान पढना शुरू कर दिया।

सरकारी वकील यह देखते ही बोले "श्रीमान श्रीमती गाधी स कहिए कि व गवाह की कुर्सी पर जाकर अपना बयान पढें। नियम उनपर भी वस ही लागू होते हैं जसे दूसरो पर।' परन्तु जब जस्टिस शाह न श्रीमती गाधी को बयान पढन स नही रोका तो वे यह कहकर बैठ गए 'श्रीमान आप देखेंगे कि व अपना बयान पढेगी और चली जाएगी परन्तु आदेश का पालन नहीं होगा।'

श्रीमती गाधी ने अपने बयान म एमरजेन्सी को लागू करने क निणय को उचित ठहराते हुए कहा कि १६७४ म वतमान गहमत्री ने उत्तरप्रदेश विधानसभा के उद्घाटन पर चेतावनी दी थी कि यदि यह सरकार नहीं हटी तो हम हटा देंगे। भूतपूव काग्रेसाध्यक्ष श्री क०कामराज के मकान को गो रक्षा आन्दोलन क नाम पर जलान

का प्रयत्न किया गया। भूतपूर्व रेलमंत्री श्री ललितनारायण मिश्र की हत्या कर दी गई और दिल्ली में भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री ए० एन० रे पर हमला किया गया। इन सबके अतिरिक्त पुलिस तथा सेना के जवानों से सरकार के आदेश न मानने का आह्वान किया गया, जो बिलकुल भी उचित नहीं था। कोई भी सरकार इस प्रकार की कार्यवाहियां बर्दाश्त नहीं कर सकती थी तथा हम समझते थे कि इस प्रकार की कार्यवाहियों से देश को नुकसान होगा और इसी आधार पर एमरजेंसी लागू करना उचित था। हो सकता है, उनका निर्णय उचित नहीं रहा हो परन्तु उन्होंने जो कुछ किया जनता के हित में किया।

श्रीमती गांधी ने कहा कि जो भी निर्णय लिए गए थे सब सम्मति से लिए गए थे। यदि किसी सहयोगी को कुछ आपत्ति थी भी तो उसका उन्हें पता नहीं। यदि उन्हें आपत्ति से अवगत नहीं कराया गया तो उसकी उनकी जिम्मेदारी नहीं है। वे सामूहिक उत्तरदायित्व में विश्वास करती हैं परन्तु आयोग के समक्ष उनके कुछ साथियों ने इससे बचना चाहा है।

उन्होंने कहा कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मामले में संविधान संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध करार दिया था क्योंकि हमने बैंकों को मुआवजा देना स्वीकार नहीं किया था। जब न्यायालय की बेंच में वह सदस्य ही बैंक के शेयर होल्डर हों तो किस प्रकार से न्याय की आशा की जा सकती थी! (उल्लेखनीय है कि बैंक राष्ट्रीयकरण के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की जिस बेंच द्वारा निर्णय दिया गया था उसमें जस्टिस शाह भी शामिल थे।)

इसपर जस्टिस शाह ने आपत्ति करते हुए कहा कि वे उसी समय स्पष्ट कर चुके थे कि वे किसी बैंक के शेयर होल्डर नहीं थे। श्रीमती गांधी ने कहा, "मैंने आपका नाम नहीं लिया है।" जस्टिस शाह बोले, "परन्तु इशारा मेरी ओर ही है।" श्रीमती गांधी ने जवाब दिया, "मेरा आशय यह नहीं था और यदि इससे आपको चोट पहुंची है तो मुझे इसका खेद है।"

श्रीमती गांधी ने अपना बयान जारी रखते हुए कहा कि गृहमंत्री ने अपनी पसंद का आयोग नियुक्त किया है तथा इसका उपयोग उनके विरुद्ध किया जा रहा है।

उनका कहना था कि एक ओर तो आप कहते हैं कि आपका

समाचारपत्रों पर कोई अधिकार नहीं है इसलिए आप उन्हें कुछ भी प्रकाशित करने से रोक नहीं सकते, जबकि दूसरी ओर आकाशवाणी और दूरदर्शन पर तो पूर्णरूप से सरकार का नियंत्रण है जहां से उनका चरित्र हनन किया जा रहा है इसपर तो आप रोक लगा सकते हैं।

श्रीमती गांधी ने कहा 'आप उन परिस्थितियों पर विचार नहीं कर सकते, जिनके अंतर्गत राष्ट्रपति को एमरजेंसी लागू करने की सलाह दी गई थी। संसद का अपना स्वतंत्र प्रभुत्व है तथा आप संविधान के अनुच्छेद ७८ (२) के अंतर्गत उसके कार्यों पर विचार नहीं कर सकते।'

उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा उन्हें जो नोटिस दिया गया है, उसमें यह नहीं बताया गया है कि उन्हें किन किन आरोपों का उत्तर देना है। जब उनपर कोई आरोप ही नहीं लगाए गए हैं, तब किस प्रकार से उन्हें समन देकर बुलाया गया ?

श्रीमती गांधी का बयान समाप्त होते ही सरकारी वकील श्री लेखी खड़े हुए और बोलने लगे। इसपर जस्टिस शाह ने कहा 'श्री लेखी! मैं पहले ही एक राजनीतिक भाषण सुन चुका हूं और दूसरा नहीं सुनना चाहता।' परन्तु श्री लेखी बोलते रहे और उन्होंने लगभग आधे घंटे के अपने भाषण में श्रीमती गांधी के बयान का उत्तर दिया।

श्री एंथनी और श्री लेखी में एक बार फिर झड़प हो गई। श्री एंथनी ने एक अवसर पर श्री लेखी के खिलाफ कुछ कहा तो श्री लेखी उबल पड़े और बोले 'श्रीमान श्री एंथनी क्या राजनीति की बात करेंगे ? मैं जब १५ वर्ष की उम्र में लाहौर के किले में बन्दी बना पड़ा था उस जमाने में भी श्री एंथनी 'गाड सेव दि किंग' के तराने गाने में मशगूल थे, और देश के आजाद होते ही वे संविधान बनाने वालों में शामिल हो गए और अब उसी संविधान में किए गए गलत संशोधनों की पैरवी कर रहे हैं।'

श्री लेखी के जवाबी भाषण के बाद वह निर्णायक समय आया, जब जस्टिस शाह इस ढाई दिन की कार्यवाही का पटाक्षेप करने वाले थे। जस्टिस शाह ने कहा कि श्रीमती गांधी और श्री लेखी दोनों ही की ओर से राजनीतिक भाषण हुए हैं जो इस आयोग के सामने नहीं होने चाहिए थे परन्तु अंतिम मुद्दा यह है कि क्या

श्रीमती गाधी मेरे मन के निणय के अनुसार शपथ लेकर बयान दे रही हैं ?

कुछ क्षणो की खामोशी के बाद श्री एथनी ने कहा कि हम यहा न्याय की आशा नहीं है इसलिए हम आयोग से निकल रहे है। इतना कहकर श्री एथनी और श्रीमती गाधी जाने लगे तो जस्टिस शाह ने उन्हें रोका और कहा आयोग के साथ सहयोग न करने का जो कानूनी परिणाम निकला है वह भी मैं आपको बता देना चाहता हू। मैं नहीं चाहता कि आयोग के समक्ष भविष्य मे कोई और इस प्रकार का तमाशा बनाए। यदि आपको बयान नहीं देना था तो आपको इस बारे मे पहले मे ही बता देना चाहिए था। आपके बयान के कारण ही दूर दूर से गवाहो को बुलाना पडा है इनमे से एक तो मणिपुर से आए हैं।

जस्टिस शाह ने अपना फैसला सुनाने से पूर्व एक बार फिर श्रीमती गाधी से पूछा क्या आप शपथ लेकर बयान दे रही हैं इसपर श्रीमती गाधी ने कहा मैं पहले भी कह चुकी हू कि मैं सवधानिक और कानूनी रूप से बयान देने के लिए बाध्य नहीं हू क्योंकि इससे पद की गोपनीयता भग होने का खतरा है।

श्रीमती गाधी के इकार करने पर जस्टिस शाह ने अपना फैसला दिया कि श्रीमती गाधी द्वारा आयोग के समक्ष शपथ लेकर बयान देने से इकार करने पर उनके खिलाफ भारतीय दड सहिता की धारा १७६ के अतगत मामला बनता है और वे आदेश देते हैं कि उनके खिलाफ दिल्ली की किसी उपयुक्त अदालत मे मुकदमा चलाया जाए।

जस्टिस शाह का फैसला सुनकर जहा दर्शको मे स्तब्धता छा गई वहीं श्रीमती गाधी और उनके वकील आपस मे सलाह मशवरा करने लगे। श्री एथनी ने जस्टिस शाह का ध्यान उनको भेजे गए नोटिस की ओर दिलाया जिसमे मामला नम्बर ११ मे यह कहा लिखा था कि श्रीमती गाधी को १२ से २६ जून १९७५ की कि घटनाओ पर अपना बयान देना है। इसपर आयोग की ओर से उन्हें सूचित किया गया कि इस सबध मे दोबारा नोटिस जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद श्रीमती गाधी और उनके वकील आयोग के कक्ष से उठकर चले गए। श्रीमती गाधी के आयोग से चले जाने पर जस्टिस शाह ने उन सभी भूतपूर्व मत्रियो और अन्य

गवाहों को जो श्रीमती गांधी से संबंधित मामले पर अपनी गवाही देने आए थे जाने की अनुमति दे दी।

आयोग के निर्देशानुसार दिल्ली के मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट श्री पी० के० जैन की अदालत में श्रीमती गांधी पर मुकदमा दर्ज किया गया।

श्री एंथनी की आपत्ति के अनुसार श्रीमती गांधी को एक बार फिर १६ जनवरी को मामला नम्बर ११ पर विचार करने के लिए बुलाया गया। उस दिन भी श्रीमती गांधी की ओर से एंथनी ने वही पहले जैसा तर्कों का लम्बा सिलसिला शुरू किया और उसका अंत भी उसी प्रकार हुआ। आयोग की ओर से इस मामले में भी श्रीमती गांधी के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १७६ के अंतर्गत मुकदमा चलाने के आदेश दिए और यह मुकदमा भी श्री जैन की अदालत में दायर किया जा चुका है।

भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १७६ के अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति सरकार द्वारा नियुक्त किसी आयोग या अधिकारी के समक्ष उसके द्वारा चाहे गए अनुसार ब्यान देने से इंकार कर देता है तो यह एक अपराध है जिसके अंतर्गत उसे छः महीने की कारावास अथवा एक हजार रुपये तक जुर्माना अथवा दोनों ही सजाएं भुगतनी पड़ सकती हैं।

चारों वकीलों की

आयोग की ओर से एक बार फिर श्रीमती गांधी से २८ फरवरी को आयोग के समक्ष उपस्थित होकर सहयोग करने को आमंत्रित किया गया और उनके लिए १८ फरवरी तक आयोग के कार्यालय में जवाब देने को कहा गया। आयोग के नोटिस के उत्तर में श्रीमती गांधी के वकीलों सर्वश्री फ्रैंक एंथनी डी० आर० सेठी और श्री सुशीलकुमार ने जवाब भेजा और उसकी प्रतिलिपियां समाचारपत्रों में प्रकाशनार्थ दे दी।

इन वकीलों ने आयोग को यह पत्र स्वयं हस्ताक्षर कर भेजा था। वकीलों ने अपने इस पत्र में आयोग द्वारा उन्हें तथा श्रीमती गांधी को २५ तारीख को आयोग के समक्ष उपस्थित होने के आदेश को गलत और गैरकानूनी बताया था। इसके अतिरिक्त पत्र में वही सब तर्क दोहराए गए थे जो पहले ही कहे जा चुके हैं।

आयोग द्वारा इस पत्र के जवाब में कहा गया कि श्रीमती गांधी की एवज में उनके वकीलों द्वारा भेजा गया पत्र आयोग की अवमानना है। आयोग ने वकीलों के बयान को पूर्ण रूप से अनुचित बताते हुए कहा कि क्यों न उनपर अधिनियम की धारा १० (ए) और इसकी उपधारा (२) के अंतर्गत आयोग की मान-हानि का मुकदमा चलाया जाए। इस संबंध में आयोग की ओर से इस संबंध में तीनों वकीलों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए।

जस्टिस शाह का कहना था कि जहां तक वकीलों द्वारा सरकारी वकील द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का जिक्र किया गया है उन्होंने (सरकारी वकील) प्रथम चरण की कार्यवाही में सिर्फ प्रश्न किए हैं जिरह नहीं। कई अवसरों पर स्वयं उन्होंने सरकारी वकील को ऐसे प्रश्न पूछने से रोका है जो प्रश्न नहीं बल्कि तर्क लगते थे।

जस्टिस शाह ने कहा कि अब भी समय है जब श्रीमती गांधी २५ फरवरी को आयोग के समक्ष उपस्थित होकर उन ११ मामलों में अपने बयान दें जो उनसे पूछे गए हैं। जस्टिस शाह का कहना था कि श्रीमती गांधी इस तरह बार बार इंकार कर अपने आपको आयोग की कार्रवाई से नहीं बचा सकती।

उन्होंने आयोग के वकील श्री काल घडालावाला के इस सुझाव के प्रति सहमति व्यक्त की कि श्रीमती गांधी द्वारा आयोग के साथ सहयोग करने से इंकार करने पर अब उनकी अनुपस्थिति में उन ६ मामलों में आगे की कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकती है जो सिर्फ उनसे संबंधित हैं। वे छः मामले इस प्रकार हैं

पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष पद पर श्री टी० आर० तुली की नियुक्ति, रिजर्व बैंक के गवर्नर पद पर श्री के० आर० पुरी की नियुक्ति, एयर इंडिया और इंडियन एयर लाइंस के निदेशक मंडलों की नियुक्ति में नियमों का पालन न करना, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री ए० एन० अग्रवाल की पदावनति, बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री यू० आर० ललित की पुनर्नियुक्ति तथा १२ जून से २६ जून १९७५ के बीच हुई घटनाएं।

समस्त जिम्मेदारी श्रीमती गांधी की

आयोग के वकील श्री बाल खडालावाला ने इन छ मामलों में सम्बंधित गवाहों द्वारा दिए गए बयानों से निष्कर्ष निकालते हुए कहा कि श्रीमती गांधी के पास इतना समय था कि वह एमरजेंसी लागू करने से पूर्व अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उसपर विचार विमर्श कर सकती थी। परन्तु उन्होंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया क्योंकि कुछ मंत्रियों द्वारा इसका विरोध करने की सम्भावना थी।

श्री खन्डालावाला का कहना था कि एमरजेंसी की घोषणा का एकमात्र उद्देश्य श्रीमती गांधी द्वारा अपनी सत्ता और वंश को बचाना था।

उन्होंने कहा कि श्रीमती गांधी ने एमरजेंसी लागू करने के लिए जिन कारणों का जिक्र किया है, वे गलत हैं तथा किसी भी गवाह ने उनका इस बात का समर्थन नहीं किया है कि उस समय स्थिति असामान्य' थी।

श्री खडालावाला ने कहा कि श्रीमती गांधी द्वारा बैंकों और न्यायालयों में अपनी इच्छा के व्यक्तियों की नियुक्ति यही दर्शाती है कि वे उच्च पदों पर अपने विरोधी विचार वाले व्यक्तियों को रखना ही नहीं चाहती थी। उन पदों पर अपने इच्छित व्यक्ति की नियुक्ति करने के पीछे एक ही भावना थी कि वे उनसे अपने मन माने अनुसार काम करा सकें।

बैंकों में नियुक्ति के समय श्रीमती गांधी ने वित्तमंत्री श्री सुब्रह्मण्यम की राय नहीं मानी तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के मामले में उन्होंने विधिमंत्री की राय की अनदेखी कर दिया।

इसी तरह उन्होंने इंडियन एयर लाइंस और एयर इंडिया के निदेशक मल्ला की नियुक्तियों में भी किया।

वकीलों का भी नम्बर

आयोग द्वारा दिए गए मान हानि के नोटिस के उत्तर में श्रीमती गांधी के तीनों वकील-सर्वश्री फ्रैंक एंथनी श्री० आर०, सेठी और श्री सुशीलकुमार बाद में २७ मार्च, १९७८ को आयोग के सामने पेश हुए।

वकीलों की ओर से प्रसिद्ध वेत्ता श्री आनंद सेन ने कहा कि उनके मुवक्किलों ने जो कुछ किया उसका उद्देश्य किसी भी तरह से आयोग की मान हानि करना नहीं था तथा उन्होंने जो कुछ किया, अपनी मुवक्किल श्रीमती गांधी के हितों को ध्यान में रखकर किया। श्री सेन का कहना था कि उनके मुवक्किलों ने आयोग को बयान भेजने के बाद ही उस प्रश्न के लिए जारी किया था।

न्यायमूर्ति शाह ने तीनों वकीलों के स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए दिया गया नोटिस वापस लेने के आदेश दिए।

३ शासक जब गवाह बने

भारत में सभी बराबर होते हैं शासक भी और जनता भी। जो कल तक शासन करते रहे उन्हें भी एक दिन अपने कार्यों के लिए जनता के सामने अपनी सफाई देनी पड़ सकती है किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन ऐसा हुआ और इमरजेंसी के दौरान अपने किए गए कार्यों के लिए जिस प्रकार से इन शासकों को शाह आयोग के समक्ष उपस्थित होकर अपनी सफाई देनी पड़ी वह भी स्वतंत्र भारत के इतिहास की एक अनोखी घटना बन गई है।

आयोग के समक्ष भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री राज्यों के भूतपूर्व मुख्यमंत्री तथा उनके सचिवों को पेश होने के लिए कहा गया था और इनमें से कई आयोग को पूरा सहयोग भी देते रहे। कुछ लोग कुछ दिन आए लेकिन बाद में गोल हो गए और कुछ बिलकुल ही नहीं आए।

आयोग के समक्ष उपस्थित होने वाले भूतपूर्व मंत्री हैं—वित्त मंत्री श्री सी० सुब्रह्मण्यम विधिमंत्री श्री एच० आर० गोखले वाणिज्यमंत्री श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय पर्यटन एवं नागरिक उड्डयनमंत्री श्री राजबहादुर रक्षामंत्री श्री जगजीवनराम सूचना और प्रसारणमंत्री श्री इंद्रकुमार गुजराल श्रम एवं आवासमंत्री रघुरमैया गृहमंत्री श्री ब्रह्मानंद रेड्डी भारी उद्योगमंत्री श्री टी० ए० पै गृह राज्यमंत्री श्री ओम मेहता बैंकिंग और राजस्वमंत्री श्री प्रणव मुखर्जी तथा सूचना और प्रसारणमंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल।

दिल्ली के तत्कालीन उप राज्यपाल श्री कृष्णचद और भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों में मध्यप्रदेश के श्री पी० सी० सेठी उत्तरप्रदेश के नारायणदत्त तिवारी, राजस्थान के श्री हरिदव जोशी, आंध्रप्रदेश के श्री जे० वेंगलराव कर्नाटक के श्री देवराज अर्स और पश्चिम बंगाल के श्री सिद्धार्थ शंकर रे भी आयोग के समक्ष उपस्थित हुए।

इनके अतिरिक्त दिल्ली नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त श्री बहादुरराम टमटा तत्कालीन उप राज्यपाल के निजी सचिव श्री नवीन चावला, दिल्ली विकास प्राधिकरण के तत्कालीन उपाध्यक्ष श्री जगमोहन और तत्कालीन प्रधानमंत्री के अतिरिक्त सचिव श्री राजेन्द्रकुमार धवन को भी आयोग ने बुलाया। श्रीमती गांधी के पुत्र श्री संजय गांधी और परिवार नियोजन कार्यक्रम में उनकी सहयोगिनी श्रीमती रुखसाना सुलतान को भी आयोग के समक्ष उपस्थित होने को कहा गया था।

हम तो बस उनके इशारे पर

आयोग के समक्ष सबसे पहले गवाह के रूप में पेश होने वाले थे श्री सुब्रह्मण्यम जिन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर पद पर श्री के० आर० पुरी की तथा पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष पद पर श्री टी० आर० तुली की नियुक्ति के संबंध में गवाही दी। श्री सुब्रह्मण्यम ने इसकी सारी जिम्मेदारी श्रीमती गांधी पर डालते हुए कहा कि यद्यपि श्री पुरी एवं श्री तुली की नियुक्ति श्रीमती गांधी के निर्देशानुसार की गई थी परन्तु वे स्वयं उससे संतुष्ट नहीं थे।

विधिमंत्री श्री गोखले को बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री यू० आर० ललित की पुनर्नियुक्ति और दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री ए० एन० अग्रवाल की पदावनति के मामले में बुलाया गया था। उन्होंने भी इसकी जिम्मेदारी श्रीमती गांधी पर डाल दी। उन्होंने कहा कि वे चाहती थीं कि इन लोगों की सेवाएं आगे जारी न रखी जाएं और उसीके अनुसार कार्य किया गया। उन्होंने इस बात से भी इन्कार किया कि एमरजेंसी की घोषणा के संबंध में विधि मंत्रालय से कोई राय ली गई थी।

पर्यटन एवं नागरिक उड्डयनमंत्री श्री राजबहादुर को दो तीन मामलों के लिए बुलाया गया था। पहला मामला था पर्यटन विकास

निगम के अध्यक्ष पद पर ले० जनरल श्री सतारावाला की नियुक्ति की। उन्होंने इस मामले की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। दूसरा मामला था इंडियन एयर लाइंस और एयर इंडिया के निदेशक मंडलों में नियुक्तियों का। श्री राजबहादुर का कहना था कि इन मण्डलों से श्री अप्पा स्वामी का नाम श्रीमती गांधी के निर्देशानुसार ही हटाया गया था और उन्होंने ही कुछ अन्य नाम भी सुझाए थे। इसके अतिरिक्त बोइंग विमानों की खरीद के संबंध में भी उनसे पूछताछ की गई। इस मामले में उनका कहना था कि श्रीमती गांधी के निर्देशानुसार ही इन विमानों की सिस्टम स्टडी नहीं कराई गई थी। इस मामले में श्री के० रघुरमैया की भी गवाही हुई क्योंकि उन्होंने श्री राजबहादुर के पद-त्याग के बाद इस मंत्रालय का काम संभाला था।

अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर एयर मार्शल एच० सी० दीवान की नियुक्ति को उचित बताते हुए उसकी पूरी जिम्मेदारी श्री राजबहादुर ने अपने ऊपर ले ली।

श्री राजबहादुर ने आयोग के समक्ष उपस्थित होकर अनुरोध किया कि उन्हें कुछ लोगों द्वारा डराया धमकाया जा रहा है अतः उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जाए। इसपर सरकार की ओर से उन्हें पूरा संरक्षण देने का आश्वासन दिया गया। श्री राजबहादुर के आयोग के समक्ष गवाही देने के लिए उपस्थित होने के समय कुछ *लोगों ने उनके विरुद्ध नारेबाजी की थी।*

रक्षामंत्री श्री जगजीवनराम और तत्कालीन सूचना और प्रसारणमंत्री तथा इन दिनों सोवियत संघ में भारत के राजदूत श्री इन्द्रकुमार गुजराल का कहना था कि एमरजेंसी की घोषणा के बारे में उन्हें कोई पूर्व सूचना नहीं थी तथा दूसरे दिन हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मात्र सूचना दी गई थी। बैठक में किसीने असहमति व्यक्त नहीं की थी आप चाहें तो उसे मौन स्वीकृति भले ही मान लें।

भारी उद्योगमंत्री श्री टी० ए० पै तथा वाणिज्यमंत्री श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय को कुछ अधिकारियों को तंग करने और गिरफ्तार करने से संबंधित मामलों में बुलाया गया था।

इन दोनों मंत्रियों ने मारुति के संबंध में संसद में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर के लिए जानकारी एकत्र करनेवाले चार अधिकारियों

के विरुद्ध केन्द्रीय जाच ब्यूरा द्वारा की गई कारवाई स सबधित मामला क बार म गवाही दी। उनका कहना था कि इन अधिकारिया क विरुद्ध कारवाई करन क निर्देश श्रीमती गाधी ने दिए थ। व स्वय ता इन अधिकारिया की सहायता करना चाहते थ, परतु उस समय क हालात ही एस थे जिनक कारण कुछ नही किया जा सका।

श्री सजय गाधी की मास स सबधित एव फम की जाच करने वाल वाणिज्य मत्रालय की टक्सटाइल कमेटी के दस और कस्टम विभाग के दो इम्पक्टरा की मीसा म गिरफ्तारी क सबध म भी श्री चटटोपाध्याय को अपनी सफाई दन क लिए बुलाया गया था। इस मामले म उनका कहना था कि उन्ह स्वय इन गिरफ्तारिया की काई जानकारी नही थी क्योकि यह सब कारवाई प्रधानमत्री निवास स सीधे की गई थी।

श्री ओम मेहता तथा श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी का एमरजेन्सी की घोषणा और उसके बाद की गई नजरबन्दिया और गिरफ्तारिया क सबध म बुलाया गया था। श्री रेड्डी का कहना था कि उन्ह २५ जून की रात को एमरजेन्सी की घोषणा के बारे म चलत चलत जानकारी दी गई थी और इसपर उन्हाने श्रीमती गाधी स यह कहकर छुट्टी पा ली थी कि आप बेहतर जानती हैं कि देश के लिए क्या अच्छा हागा।' जबकि श्री मेहता का कहना था कि उन्ह एमरजेन्सी की घोषणा के बारे म कोई पूव जानकारी नही थी।

भूतपूव सूचना तथा प्रसारणमत्री श्री विद्याचरण शुक्ल न जरा अपनी मर्दानगी का परिचय देते हुए उन सभी कार्यों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली जो उन्होंने किए थे। उनका कहना था कि उन्होंने जो कुछ किया मत्री की हैसियत स किया और उचित समझकर ही किया। अब यह अलग बात है कि उन्ह उचित नही समझा जा रहा है। उन्होने कुछ मामला से साफ इकार भी कर दिया। इस सबध म उनका कहना यही था कि सबधित गवाह झूठ बाल रहा है। उनका तक था कि जो व्यक्ति नौकरी के डर स पहले इस प्रकार क काय कर सकता था उसके सबध म अब क्या गारटी है कि वह यहा भी उसी नौकरी के डर से गवाही देने नहीं आए हैं ? इस सिलसिले म उन्हाने आकाशवाणी समाचार-सेवा के निदेशक श्री शकर भटट का विशेष रूप स उल्लेख किया।

वैंकिंग तथा राजस्वमंत्री श्री प्रणव मुखर्जी को एक नहीं, बल्कि कई मामलों में गवाही के लिए बुलाया गया। श्री मुखर्जी ने आयोग के समक्ष कुछ आपत्तियां उठाईं। उनकी एक आपत्ति यह भी थी कि उनके द्वारा गवाही देने से उनके पद की गोपनीयता की शपथ भंग हो सकती है जिसे जस्टिस शाह ने अस्वीकार कर दिया। उन्हें पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष पद पर श्री टी० आर० तुली, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर श्री टी० आर० वरदाचारी की नियुक्ति तथा जयपुर की राजमाता श्रीमती गायत्रीदेवी और ग्वालियर की राजमाता श्रीमती विजय राजे सिंधिया की मीसा में गिरफ्तारी के संबंध में गवाही देने के लिए बुलाया गया था।

श्री प्रणव मुखर्जी को बाद में जांच आयोग अधिनियम के नियम ५ (२) (ए) तथा धारा ८ (बी) के अनुसार समन देकर बुलाया गया और शपथ लेकर बयान देने को कहा गया परन्तु उन्होंने भी श्रीमती गांधी का रास्ता अख्तियार करते हुए शपथ लेकर बयान देने से इंकार कर दिया जिसके परिणामस्वरूप आयोग ने उनके विरुद्ध भी दिल्ली के मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट श्री पी० के० जैन की अदालत में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १७६ के अंतर्गत मुकदमा दायर कर दिया।

हम तो बस नाम के थे

दिल्ली के तत्कालीन उप राज्यपाल श्री कृष्णचंद ने कई मामलों के संबंध में आयोग के समक्ष बयान दिए। श्री कृष्णचंद ने एमरजेन्सी की पूर्व संध्या और उसके बाद हुई गिरफ्तारियां, अखबारों की बिजली काटने के आदेश, दिल्ली परिवहन निगम के अध्यक्ष पद पर श्री यू० एस० श्रीवास्तव की नियुक्ति, टैक्स-इंस्पेक्टरों की गिरफ्तारी, विश्व युवक केन्द्र पर कब्जा, श्री भीमसेन सच्चर तथा सात अन्य की गिरफ्तारी और दिल्ली में मकानात गिराए जाने में संबंधित मामलों में आयोग को सहयोग दिया।

श्री कृष्णचंद ने इस बात पर विशेष रूप से जोर दिया कि एमरजेंसी के दौरान वे सिर्फ एक रबर स्टाम्प बनकर रह गए थे। दिल्ली प्रशासन का कार्यभार तो श्री संजय गांधी को सौंप दिया गया था तथा उनके निकट के चार या पांच अधिकारी ही सब काम कर रहे थे। इन लोगों में उनके निजी सचिव श्री नवीन चावला, उप

महानिरीक्षक (रेंज) श्री पी० एस० भिण्डर, पुलिस अधीक्षक (गुप्तचर विभाग जांच) श्री वाजवा आदि शामिल थे। उनसे तो सिर्फ उन्हीं कार्यों के बारे में पूछा जाता था जहां वैधानिक रूप में उनकी जरूरत आ पड़ती थी। उनका कहना था कि श्री धावला श्री गांधी के काफी नजदीक थे और श्री गांधी के सभी निर्देश उनके जरिये आया करते थे।

उन्होंने कहा कि उन्हें एक सूची देकर कहा गया था कि इसमें बताए गए लोगों को गिरफ्तार करना है जिसका उन्होंने पालन किया। अखबारों की बिजली भी प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार ही काटी गई थी। दिल्ली परिवहन निगम के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के संबंध में भी श्रीमती गांधी की अनुमति थी। इसी प्रकार टर्कमान्दगेट इलाके के कटरा की गिरफ्तारी चाणक्यपुरी स्थित विश्व युवक केन्द्र की इमारत पर कब्जा और श्री भीमसेन सच्चर तथा सात अन्य की गिरफ्तारियां भी प्रधानमंत्री निवास से मिले निर्देशों के अनुसार की गई थी।

दिल्ली में एमरजेंसी के दौरान मकानात गिराए जाने की घटनाओं के संबंध में श्री कृष्णचन्द का कहना था कि ये सब कार्य श्री संजय गांधी के निर्देशों पर हुए थे। उन्होंने बताया कि एक तरीके से एमरजेंसी के दौरान दिल्ली प्रशासन का कार्य श्री गांधी चला रहे थे। लगता था कि जैसे उन्हें किसी उच्च पद पर नियुक्त करने के लिए प्रशिक्षण के रूप में दिल्ली प्रशासन का कार्य सौंपा गया है। उन्होंने आयोग को बताया कि दिल्ली प्रशासन की कार्यपद्धति में यदि एल० जी० (उप राज्यपाल) के स्थान पर एस० जी० (संजय गांधी) कर दिया जाए, तो सभी बातें स्वतः समझ में आ जाएंगी।

आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जे० वेंगलराव ने इस बात से इनकार किया कि एमरजेंसी लागू करने से पूर्व मुख्यमंत्रियों से कोई सलाह ली गई थी। लेकिन इसके विपरीत कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री देवराज अर्स ने आयोग को बताया कि एमरजेंसी की घोषणा के बारे में सूचना उन्हें सबसे पहले स्वयं श्री वेंगलराव ने २५ जून की दोपहर में बंगलौर बुलाकर दी थी।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पी० सी० सेठी ने बताया कि उन्हें एमरजेंसी की घोषणा के बारे में तो नहीं बताया गया था परन्तु २५ तारीख की मध्य रात्रि को की जाने वाली गिरफ्तारियों के

संबंध में जरूर कहा गया था। उन्होंने ही राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री हरिदेव जोशी को बांसवाड़ा जाकर ऐसा ही संदेश दिया था।

श्री जोशी को इस मामले के अतिरिक्त एक आई० ए० एस० अधिकारी श्री मगनबिहारी के निलम्बन के मामले में भी गवाही देने को बुलाया गया था। उन्होंने इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री-निवास पर डालते हुए कहा कि श्री धवन ने उन्हें फोन कर ऐसा करने को कहा था।

उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नारायणदत्त तिवारी ने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने आगरा-यात्रा में श्री संजय गांधी को कोई विशेष दर्जा दिया था। श्री गांधी को युवकों के एक बड़े वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में आगरा बुलाया गया था। उनका कहना था कि श्री गांधी ने वहां कोई आदेश या निर्देश नहीं दिए। उन्होंने तो सिर्फ सुझाव दिए थे जिन्हें अच्छा समझा गया और कार्यान्वित किया गया।

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री श्री सिद्धार्थ शंकर रे का कहना था कि एमरजेंसी की घोषणा के संबंध में उन्हें तो सिर्फ मोहरा बनाया गया था जबकि समस्त काम श्रीमती गांधी द्वारा ही किए गए थे। उन्होंने बताया कि एमरजेंसी की घोषणा के संबंध में उनसे राय जरूर ली गई थी परन्तु अब वे समझते हैं कि इसमें श्री संजय गांधी तथा अन्य लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही थी।

राज सचिवों का

आयोग के समक्ष राजनीतिक नेताओं के अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों के भी बयान हुए जिनमें कुछ प्रमुख हैं—श्रीमती गांधी के अतिरिक्त सचिव श्री राजेन्द्रकुमार धवन, दिल्ली के तत्कालीन उप राज्यपाल के निजी सचिव श्री नवीन चावला, दिल्ली नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त श्री बहादुरराम टमटा और दिल्ली विकास प्राधिकरण के भूतपूर्व उपाध्यक्ष श्री जगमोहन।

एमरजेंसी के दौरान सबसे अधिक चर्चित व्यक्ति थे श्री धवन। एमरजेंसी में अधिकारियों तथा मंत्रियों आदि को श्रीमती गांधी के सन्देश श्री धवन के माफत ही जाया करते थे और इसीके कारण उनका महत्त्व बढ़ गया था। आयोग के समक्ष पेश सभी मामलों में जिनमें प्रधानमंत्री निवास का जिक्र था श्री धवन का जिक्र अधिक

था, श्रीमती गाधी का कम।

श्री धवन न बहुत ही तज-तर्रार तरीक स जवाब दिए। अधिकाश मामलो म उनका यही कहना था कि उन्होंने वही किया, जो श्रीमती गाधी ने उनस कहा। कुछ मामला म उन्होंने सबधित गवाहो को झूठा ठहराते हुए कहा कि वे लोग उन्ह फसाना चाहत हैं। उनकी नजर म ऐसा कोई व्यक्ति नही है, जिसपर समस्त इलजाम थोपा जा सके। इसपर जस्टिस शाह ने कहा, "आखिर य लाग आप ही को क्या फसाना चाहगे इससे इन्ह क्या मिलने वाला है ?" श्री धवन न जवाब दिया "श्रीमान् यही वे लोग थे, जो एमरजेसी के दौरान प्रधानमत्री निवास तक गलत सूचनाए भिजवाकर अपना उल्लू सीधा करत रहे और अब भी वही कर रहे हैं।"

एक अवसर पर श्री धवन का कहना था कि मुझे हर मामले म बेकार म घसीटा जा रहा है जबकि वास्तविकता तो यह है कि उन दिनो हालात एसे थे, जिसम मैं भी कुछ नही कर सकता था।' श्री सजय गाधी और श्री नवीन चावला के आपसी सबधो की ओर इशारा करत हुए उन्होंने कहा कि श्री चावला इस चेष्टा म थे कि किसी तरह मुझ हटाकर वे स्वय इस पद पर पहुच जाए। वे मेरी उपस्थिति बरदाश्त नही कर सकत थे।' श्री धवन न कहा कि श्री चावला बहुत ही महत्वकाक्षी व्यक्ति थे। उन्होन जस्टिस शाह स पूछा, 'श्रीमान क्या आप उन दिनो दिल्ली म थ ?' जस्टिस शाह ने जब इसका जवाब नकारात्मक दिया तो श्री धवन बोले 'तभी श्रीमान आप चावला के शिकार होने से बच गए।"

श्री धवन ने कहा कि यदि उनकी तथा उनके परिवार की सुरक्षा की पूरी गारटी दी जाए तो वे बता सकत हैं कि अब भी कई ऐस अधिकारी है जो अपना सारा अपराध उनक सिर मढकर बचना चाहत हैं। उन्ह इस बात की बराबर धमकी दी जा रही है कि उन्होंने अपना मुह खाल दिया तो बडे बुरे परिणाम होगे।

लेफ्टिनेण्ट बनाम गवनर

एक अन्य बहुचर्चित सचिव थ श्री चावला। श्री धवन की ही तरह दिल्ली के मामला म इनकी चर्चा ज्यादा थी और उनक बास श्री कृष्णचद की कम। दिल्ली क तत्कालीन मुख्य सचिव श्री जे० के० कोहली का उनके सबध म कहना था कि एमरजेसी के

१०३०

दौरान अधिकारियों को कह दिया गया था कि प्रत्येक मामले में पहल श्री चावला से बात की जाए बाद में श्री कृष्णचंद से। उनके अनुसार था कृष्णचंद तो सिर्फ लेफ्टिनेण्ट थे, गवर्नर तो श्री चावला ही थे जबकि श्री चावला का कुछ और ही कहना था। उन्होंने कहा "मैंने अपनी इच्छा से कोई काम नहीं किया उप राज्यपाल ने मुझे जो निर्देश दिए मैंने सिर्फ उनका पालन किया।" उन्होंने इस बात से भी इकार किया कि श्री गांधी के साथ उनकी मैत्री के कारण उन्होंने गलत कदम उठाए थे।

वही किया जो उन्होंने कहा

दिल्ली नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त श्री बहादुरराम टमटा का भी यही कहना था कि एमरजेंसी के दौरान दिल्ली के मामले में जैसा उन्हें करने को कहा गया उन्होंने वैसा ही किया, चाहे वह मामला मकानों को गिराए जाने का हो या कोई और। मकान गिराए जाने की कार्यवाही सिर्फ श्री संजय गांधी के अहम को पूरा करने के लिए की गई थी। उन्हें धमकी दे दी गई थी कि यदि उनके आदेशों का पालन नहीं किया गया तो उन्हें मीसा में गिरफ्तार किया जा सकता है। नौकरी से हटाने की धमकी तो अक्सर ही दी जाती थी। उनके सामने इन आदेशों को मानने के सिवाय कोई चारा नहीं था।

कुत्तों के भौंकने पर भी रोक

श्री टमटा का कहना था कि उन दिनों इतने बुरे हालात थे कि श्री संजय गांधी यह भी पसंद नहीं करते थे कि जब वे सड़कों से गुज़रें तो कुत्ता या अन्य जानवर उनका रास्ता काट दे या उन्हें दिख जाए। और उनकी इच्छा से इस प्रकार के निर्देश दिए गए थे कि सफदरजंग इलाके से सभी कुत्तों को हटा दिया जाए।

दिल्ली के तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक श्री भवानीमल माथुर ने भी श्री टमटा के इस बयान की पुष्टि करते हुए कहा कि इस प्रकार के आदेश दिए गए थे कि सफदरजंग इलाके में तथा उसके आसपास के क्षेत्र में आवारा कुत्तों तथा अन्य जानवरों को पकड़ लिया जाए ताकि वे भौंक नहीं सकें।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री जगमोहन आयोग

के समक्ष यही सिद्ध करने की चेष्टा करते रहे कि प्राधिकरण द्वारा जो कुछ किया गया, वह जनता की भलाई के लिए ही किया गया था। चाहे वह काम तुर्कमान गेट इलाके में मकानों को गिराने का रहा हो या फिर अर्जुन नगर की पूरी बसी-बसाई बस्ती को उजाड़ देने का। श्री जगमोहन अपनी बात को सिद्ध करने के लिए घंटों एक ही बात को दोहराते रहे और एक बार तो जस्टिस शाह को भी कहना पड़ा कि आप जिस तरह प्रश्नों को घुमा फिराकर उत्तर देते हैं, उससे अच्छा है आप सीधे ही उत्तर देने से इंकार कर दें।'

एक ज़माने के बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक श्री देवेन्द्र सेन की इस सन्दर्भ में चर्चा न किए जाने से यह कहानी अधूरी ही रह जाएगी। श्री सेन के जस्टिस शाह आयोग और सरकारी वकील के सवालों के जवाब देने के तरीके से ऐसा अनुमान लगाना कठिन था कि वे कभी एक ऐसे महकमे के प्रमुख रह चुके हैं, जिसका नाम सुनते ही आम आदमी घबरा जाता है। चाहे वह मामला मारुति की जांच कर रहे चार अधिकारियों को तंग करने का रहा हो या फिर बड़ौदा रेयन के दफ्तरों पर मारे गए छापों का। वे प्रत्येक काम के औचित्य पर प्रकाश डालते हुए यही बताते रहे कि उन्होंने जो कुछ किया सही किया और कानून तथा नियमों के अनुसार किया। वह न तो यह बात मानने को तैयार थे कि उन्होंने जो कुछ किया वह सब ऊपर के निर्देशों से किया और न ही फिर यह मानने को तैयार थे कि उन्होंने ये काम करते समय अपने अधिकारों की भी सीमा लांघ दी थी।

श्री संजय गांधी तथा परिवार नियोजन कार्यक्रम में उनकी सहयोगिनी श्रीमती रुखसाना सुलतान को भी आयोग के समक्ष उपस्थित होकर तुर्कमान गेट इलाके तथा दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में मकानात गिराए जाने की घटनाओं पर आयोग के साथ सहयोग देने को बुलाया गया था, पर दोनों ही अपना बयान देने उपस्थित नहीं हुए।

आए भी वे और गए भी वे

आयोग द्वारा भेजे गए समन के जवाब में श्री संजय गांधी ८

अप्रल को आयोग के सामने पश तो हुए परन्तु उन्होंने वहा यह बन्बर सनसनी फला दी कि दो बार तारीखें बदले जाने क बाद तीसरी बार भेजे गए जिस समन का अखबारा म जिक्र किया गया है वह उन्ह मिला ही नही।

जस्टिस शाह ने आयोग क रिकार्डो की जाच करन के बाद स्वीकार किया कि ८ अप्रल को आयोग के समक्ष पश होने क लिए भेजा गया समन श्री गाधी को स्वय अथवा उनके परिवार क किसी वयस्क सदस्य के स्थान पर उनके ड्राइवर को दिया गया था।

श्री गाधी न समन ठीक से जारी न होने के तक क आधार पर आयोग के सामने कुछ कहने से इकार कर दिया तथा माग की कि उन्ह समन दोबारा से जारी किए जाए वे तभी कुछ कहग। जस्टिस शाह न इसपर उन्हे वही प्रतीक्षा कर समन लेने को कहा ताकि बार की परेशानियो से बचा जा सक। श्री गाधी लगभग आधे घटे तक तो इनजारी करते रहे फिर अचानक यह कहकर उठकर चल गए कि 'मुझे आप कानूनन यहा रोक नही सकते हैं तथा समन मरे घर भेजा जा सकता है।' आयोग ने बाद म उसी दिन श्री गाधी को उनके घर पर समन भेजकर २२ अप्रैल को आयोग के समक्ष उपस्थित होने के आदेश दिए। जस्टिस शाह न यह स्पष्ट किया कि व श्री गाधी की सुविधा के कारण ही शनिवार का दिन तय करते रहे है क्योकि श्री गाधी अन्य दिनो एक अन्य मुकदमे म (किस्सा कुर्सी का) व्यस्त रहते है।

आयोग की ८ अप्रैल की कायवाही के दौरान श्री गाधी के समथको द्वारा बार बार ताली बजाने तथा हसी मजाक करने पर जस्टिस शाह को कई बार चेतावनी देनी पडी। कायवाही के दौरान कइ बार श्री गाधी तथा सरकारी वकील श्री लेखी म तीखी तकरारें हुइ जो कई बार तो व्यक्तिगत छीटाकशी तक पहुच गई। एक बार तो जस्टिस शाह को इसम हस्तक्षेप कर श्री लखी को रोकना पडा।

श्री गाधी को पहल ८ अप्रल को और बाद म २२ अप्रल को दिल्ली की एक फम पडित ब्रदस पर छापे मारे जान तथा उनके मालिको को परेशान करन की कारवाई और अधेरिया मोड महपालपुर कापसहेडा गाव तथा करौल बाग क्षेत्र म मकान गिरान की कारवाई से सबधित मामलो पर बयान देने के लिए बुलाया गया

था।

हगामे के बीच सफाई

२२ अप्रैल का दिन आयोग के इतिहास म एक अविस्मरणीय दिन रहेगा। उस दिन की कार्यवाही भारी हगामे के बीच अपने सामान्य समय से (सवेरे दस बजे) दस मिनट देर से प्रारम्भ हुई। उसमे पूर्व श्री गाधी के समर्थकों और उनके विरोधियो म आयोग के कक्ष म और बाहर जमकर हाथापाई और नारेबाजी हुई। आयोग के कक्ष म तो सेना पक्ष की ओर से एक दूसरे पर कुर्सिया फेंकी गई जिससे कुछ खिडकियो और दरवाजो के शीशे भी टूट गए। पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियो को घसीटकर बाहर निकाला गया और बाद मे आयोग के कक्ष म सिर्फ प्रेस वालो को और सादी वर्दी म पुलिस वालो को रहने दिया गया। पुलिस द्वारा इस सारे हगामे के आरोप म आयोग के कक्ष और बाहर से ३३ व्यक्तियो को गिरफ्तार किया गया जिन्हें बाद म शाम को यूहा या फिर चेतावनी देकर रिहा कर दिया गया।

२२ अप्रैल की इस घटना पर लोकसभा में भी अच्छी-खासी चर्चा हुई जहा सरकारी पक्ष के सदस्यो ने इस घटना की सारी जिम्मेदारी श्री गाधी के समर्थको पर थोपी वही विरोधी पक्ष के सदस्यो का कहना था कि यह सारा काय राष्ट्रीय स्वय सेवक सघ के कार्यकर्ताओं द्वारा कराया गया था, ताकि श्री गाधी को बदनाम किया जा सके। कुल मिलाकर सदन म इस प्रकार की कारवाई की निन्दा ही हुई और सभी सदस्यो का मत था कि इस प्रकार की कारवाई आगे न हो, इस बात के प्रयत्न किए जाए।

आयोग की २२ अप्रैल की पूरी कार्यवाही का अतिम निष्कर्ष यही रहा कि श्री गाधी पर शपथ लेकर बयान न देने के आरोप म भारतीय दड सहिता की धारा १७८ और १७९ के अतगत दिल्ली के मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत म मुकदमा चलाने का आदेश दे दिया गया।

इससे पूर्व श्री गाधी ने शपथ लेकर बयान देने के स्थान पर तीन अलग अलग आपत्तिया की जिन्हे जस्टिस शाह ने अस्वीकार कर दिया।

श्री गाधी की पहली आपत्ति यह थी कि आयोग की आज की

कार्यवाही प्रारम्भ होने से पहले आयोग के कक्ष में और बाहर उनके समर्थकों के साथ जनता पार्टी के किराये के लोगों द्वारा जिस प्रकार से मारपीट की गई तथा पुलिस वाले उनको प्रोत्साहन दे रहे उससे वह ऐसी मनःस्थिति में नहीं हैं कि अपना बयान दे सकें। उन्होंने आयोग की कार्यवाही स्थगित करने की माग की।

श्री गाधी की दूसरी आपत्ति यह थी कि जिस प्रकार से श्री विद्याचरण शुक्ल द्वारा अपनी सफाई में कुछ न कहने पर आयोग द्वारा उनको छूट दी गई थी उसी प्रकार उन्हें भी छूट दी जाए क्योंकि वे भी उसी मुकदमे में (किस्सा कुर्सी का) ग्रस्त हैं जो अदालत में चल रहा है। सरकारी वकील श्री लेखी का कहना था कि श्री गाधी की आपत्ति को स्वीकार न किया जाए क्योंकि जहा श्री शुक्ल ने आयोग के प्रत्येक चरण की कार्यवाही में पूरा सहयोग दिया है वहीं श्री गाधी ने ऐसा कुछ नहीं किया बल्कि हर स्तर पर आयोग की कार्यवाही को रोकने का प्रयत्न ही किया है।

श्री गाधी ने अपनी तीसरी आपत्ति में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में श्रीमती नन्दिनी सत्पथी के मामले में दिए गए निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें भी उसी प्रकार बयान देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। उन्होंने सविधान के अनुच्छेद २० (३) का जिक्र करते हुए कहा कि किसी भी अभियुक्त को उसके स्वय के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

जस्टिस शाह ने सभी आपत्तिया रद्द करते हुए कहा कि श्री गाधी और श्रीमती सत्पथी का मामला अलग अलग है। सविधान के अनुच्छेद २० (३) के सन्दर्भ में उनका कहना था कि उनके सामने कोई भी गवाह अभियुक्त के रूप में पेश नहीं हुआ है और न ही उन्हें किसीको अभियुक्त करार देने का कोई अधिकार ही है। ऐसी स्थिति में किसी भी गवाह के बयान लेने से अनुच्छेद २० (३) का उल्लघन होने का सवाल ही नहीं उठता।

कार्यवाही के दौरान श्री गाधी की जस्टिस शाह से भी कई बार तकरार हुई और श्री गाधी द्वारा की गई उकसाने की कार्रवाई से एक बार तो जस्टिस शाह भी थोड़े से रोष में आ गए। एक अवसर पर श्री गाधी के साथ आए वकील द्वारा ताली बजाने पर जब जस्टिस शाह ने डाटकर उनसे आयोग की प्रतिष्ठा बनाए

रखन को कहा तब श्री गाधी बोल 'आयाग की प्रतिष्ठा ता मैं सवर उम समय से देख रहा हू जब मर ममयकों को जनता पार्टी क किराये के गुडा द्वारा मारा पीटा गया और पुलिस खडी की खडी देखती रही।'

एक अय अवसर पर जब श्री लखी न श्री गाधी के लिए कुछ कहा और श्री गाधी न भी खडे होकर उसका जवाब दना प्रारम्भ किया, ता जस्टिम शाह न उन्हे टोककर बैठ जाने का कहा। श्री गाधी इसपर बोले "पहले आप श्री लेखी को बठाइए उसक बाद मैं बठूगा।" जस्टिस शाह द्वारा तीन चार बार चेतावनी दन पर भी जब श्री गाधी नही बठे तो जस्टिम शाह को कहना पडा, "आप बठ जाइए, अयथा आपके खिलाफ मान हानि का मुकदमा चलाया जा सकता है।" श्री गाधी उसक बाद बठ गए।

४ एमरजेन्सी की पृष्ठभूमि नेताओ की गिरफ्तारिया

१२ जून १९७५ को दोपहर को आकाशवाणी के समाचार बुलेटिन म प्रसारित इस समाचार न सभीको स्तब्ध कर दिया कि प्रधानमत्री श्रीमती इन्दिरा गाधी क विरुद्ध दायर चुनाव याचिका को इस आधार पर स्वीकार कर लिया गया है कि उन्होने अपने चुनाव म सरकारी साधना का दुरुपयोग किया था।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय क न्यायाधीश श्री जगमोहन लाल सिन्हा न तत्कालीन प्रधानमत्री श्रीमती गाधी क १९७१ म रायबरली लाकसभा चुनाव क्षत्र स चुनकर आन के विरोध म श्री राजनारायण द्वारा दायर की गई याचिका को स्वीकार करत हुए उनके चुनाव का अवध घोषित कर दिया। न्यायाधीश श्री सिन्हा ने श्रीमती गाधी क चुनाव का अवध घोषित करत हुए उन्ह दस दिन के भीतर सर्वोच्च न्यायालय म इस निणय क विरुद्ध अपील करने की भी अनुमति दे दी।

१२ जून का यही एतिहासिक दिन उन वाले दिनो की पृष्ठभूमि है जिसक कारण भारत क नागरिका को १९ महीन तक एक निरकुश शासन म जाना पडा। यही वह दिन था जिस दिन म देश में अपन प्रधानमत्री क प्रति आस्था प्रकट करन वालो की होड लगी

उन्हें हटाने के लिए जुलूसों और रलियों की बाढ़ आ गई सभाएं हुई और न जाने कितने बयान जारी हुए, समर्थन और विरोध दोनों में और अन्त में २५ जून की मध्य रात्रि को देश में आंतरिक एमरजेंसी की घोषणा कर दी गई। एमरजेन्सी की घोषणा के साथ ही गिरफ्तारियों और नजरबन्दियों का एक अटूट सिलसिला भी शुरू हो गया। समाचारपत्रों पर सेंसर लग गया, व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छिन गई। किसीको मालूम नहीं कि उसे कब किस आरोप में जेल के अन्दर डाल दिया जाए। सवेरे घर से निकलने वाले को यह पता नहीं था कि वह शाम को घर पर वापस पहुंचेगा या जेल में होगा।

(1) रैलियां और प्रदर्शन

१२ जून १९७५ के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद सरकारी स्तर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी के समर्थन में रैलियां और प्रदर्शनों को आयोजित कर उनके समर्थन में एक लहर उत्पन्न करने की चेष्टा की गई थी।

इन रैलियों और प्रदर्शनों में लोगों के भाग लेने के लिए दिल्ली परिवहन निगम और अन्य सरकारी संगठनों की सहायता ली गई। यहां तक कि दिल्ली परिवहन निगम द्वारा १७६१ बसों की व्यवस्था की गई जिनके किराये के रूप में लगभग चार लाख रुपयों का आज तक किसीने भी भुगतान नहीं किया। इन बसों का उपयोग न केवल दिल्ली के ही बल्कि आसपास के राज्यों से भी प्रदर्शनकारियों को लाने-ले जाने में किया गया और उसके लिए कोई परमिट भी जारी नहीं किए गए।

इन रैलियों में न सिर्फ दिल्ली प्रशासन द्वारा ही बल्कि पंजाब हरियाणा उत्तरप्रदेश और राजस्थान सरकारों ने भी बसों और ट्रकों की व्यवस्था की। २० जून को दिल्ली में बोट क्लब पर आयोजित रैली में श्रीमती गांधी के प्रति आस्था प्रकट करने के लिए आसपास के राज्यों से भारी संख्या में प्रदर्शनकारियों को लाया गया। उस दिन दिल्ली परिवहन निगम द्वारा ४६७ बसों की व्यवस्था की गई जबकि निजी संस्थाओं को आम तौर पर एक दिन के लिए ६५ बसों से अधिक दिए जाने का प्रावधान नहीं है।

माग अधिक थी—बस कम

दिल्ली परिवहन निगम के तत्कालीन यातायात व्यवस्थापक श्री जे० आर० आनन्द का एक ही दिन मे इतनी बसो की व्यवस्था के बारे म कहना था कि यह सब 'असामान्य' जरूर था परन्तु वह अवसर भी कम असामान्य नही था क्योकि माग बहुत अधिक थी और जनता प्रधानमत्री म अपनी अधिक से अधिक आस्था प्रकट करना चाहती थी।

इसी सदभ म पजाब तथा हरियाणा के अधिकारियो न स्वीकार किया कि श्रीमती गाधी के प्रति समथन व्यक्त करने हेतु दिल्ली म आयोजित रलियो में जनता के भाग लेने के लिए सरकारी मशीनरी का खुलकर उपयोग किया गया।

राजस्थान राज्य विद्युत मडल के तत्कालीन अध्यक्ष श्री मगल बिहारी न इस सबध म बताया कि जयपुर स प्रदशनकारियो को लाने के लिए राजस्थान विद्युत मडल के ५८ ट्रको का उपयोग किया गया था और उनके किराये का सम्भवत आज तक भुगतान नही किया गया है। इसके अतिरिक्त जिन कमचारियो न इस रैली में भाग लिया था, उन्हे तीन दिन के आकस्मिक अवकाश की सुविधा दी गई थी और कारण में कहा गया था कि विद्युत् मजदूर फडरेशन की बैठक में भाग लेने के लिए कमचारी दिल्ली जा रहे हैं तथा ट्रको की भी इसीके लिए माग की गई थी।

धारा १४४ के बावजूद रलिया

दिल्ली के तत्कालीन उप राज्यपाल के निजी सचिव श्री नवीन चावला न इस मामल में अपनी सफाई देते हुए कहा कि उप राज्यपाल न इच्छा व्यक्त की थी कि दडप्रक्रिया सहिता की धारा १४४ के लागू रहने के बावजूद श्रीमती गाधी के निवास के बाहर प्रदशन और रलिया आयोजित कराई जाए। उनका कहना था कि रलिया और प्रदशन आयोजित करा के लिए बसा की जो व्यवस्था की जाती थी व सब अखिल भारतीय काग्रेस कमटी के नाम बुक की जाती थीं। उन्होने कहा कि जहा तक हरियाणा स लोगा को लाने के लिए दिल्ली परिवहन निगम की बसा की व्यवस्था करने की बात है तो व बसें श्री बसीलाल के अनुरोध पर भेजी गई थीं

और इसके लिए श्री कमीलाल ने श्री कृष्णचन्द से अनुरोध किया था।

बसें ही नहीं, रेलगाडियां भी

उत्तरप्रदेश में लखनऊ कानपुर और वाराणसी से प्रदशन-कारियो को लाने के लिए सिफ बसो की ही नही बल्कि तीन विशेष रेलगाडियो की भी व्यवस्था की गई थी। ये गाडिया १८ जून को रवाना होकर २० जून को दिल्ली पहुची थी। प्रदशनकारियो की वापसी के लिए भी दो विशेष रेलगाडिया की व्यवस्था की गई थी।

जहा एक ओर श्रीमती गाधी के प्रति समथन व्यक्त करने हेतु प्रदशनकारियो को लाने के लिए विशेष रेलगाडिया तक की व्यवस्था की गई वही श्री जयप्रकाश नारायण को जिन्हे २२ जून को पटना से दिल्ली आना था दिल्ली न जाने देने के लिए विमान पटना हवाई अड्डे पर उतारा ही नही गया। यह विमान कलकत्ता पटना दिल्ली की उडान पर था। परन्तु पटना नही रोके जाने के बारे में इसके स्पष्टीकरण में बताया गया कि तकनीकी गडबडी के कारण विमान को पटना में रोकने के बजाय सीधा ही कलकत्ता से दिल्ली ले जाना पडा।

(ii) एमरजेन्सी की पूव-सन्ध्या

२५ जून की मध्यरात्रि को घोषित की गई एमरजेन्सी के लिए प्रमुख कारण यह बताया गया था कि देश में जन जीवन असामान्य हो गया था हिंसा की घटनाए बढ गई थी और आर्थिक स्थिति लगातार गिरती जा रही थी। इन सबसे निपटने के लिए ही इसे लागू करना जरूरी हो गया था। एमरजेन्सी की घोषणा न सिफ जनता के लिए बल्कि प्रधानमंत्री के कुछ सहयोगियो के अतिरिक्त सभी के लिए आश्चयजनक खबर थी। उनमें से अधि-काश के लिए ता० २५ जून की रात्रि आम राता की तरह हो थी, परन्तु सवेरा आम नहा था।

भूतपूव कैबिनेट सचिव श्री बी० डी० पाण्डे को एमरजेन्सी की घोषणा सवप्रथम उस समय मालूम पडी जब वे २६ जून की

प्रात छ बजे १ अक्बर रोड पर मत्रिमडल की बठक में भाग लेने गए। इसस पूव उन्हे २५ जून की रात्रि तक इस बारे में कोई सूचना नहीं थी। रात्रि के लगभग साढे चार बजे उनके निवास पर प्रधानमत्री निवास स फोन आया था, जिसमें सवेरे छ बजे की बैठक के बारे में सूचित करते हुए आने को कहा गया था।

श्री पाडे जब प्रात १, अक्बर रोड पहुचे तो वहा कुछ मत्री आ चुके थे और कुछ आ रहे थ। उसी समय एक मत्री आए (जिनका अब उन्हे नाम याद नहीं है) और उन्होने पी० टी० आइ० का एक समाचार दिखाते हुए बताया कि रात्रि में श्री जय-प्रकाश नारायण, मोरारजी दसाई तथा कई अन्य विरोधी दलो के नेताओ को गिरफ्तार कर लिया गया है। श्री पाडे का कहना था कि बठक में एमरजेसी की घोषणा के बारे में तथा प्रमुख विपक्षी नेताओ की गिरफ्तारी के बार में सूचना दी गई और इसपर वहा बठे हुए सभी मत्रियो ने सहमति व्यक्त की। ये सब सूचनाए उनके लिए बडी आश्चर्यजनक थी।

तत्कालीन गृह-सचिव श्री सुदरलाल खुराना का कहना था कि एमरजेसी लागू किए जाने के बारे म उन्हे कोई पूव सूचना नही थी तथा गृह-सचिव होने के बावजूद उनसे इसके किसी भी पहलू पर विचार विमश नहीं किया गया था और न ही राय ली गई थी। व इस पद पर एमरजेसी की घोषणा से दो-तीन दिन पहले ही नियुक्त किए गए थ और इसस पूव वे राजस्थान सरकार म मुख्य सचिव के पद पर काय कर रहे थे। गृह सचिव का पद ग्रहण करने के बाद गृह राज्यमत्री श्री ओम महता ने उनसे १९७१ म घोषित की गई बाहरी एमरजेसी की अधिसूचना की एक प्रति देने को कहा था जो उन्होंने सबधित अधिकारियो स पूछ-ताछ के बाद प्रधानमत्री निवास पहुचा दी थी।

दाल में काला

श्री खुराना ने बताया कि २५ जून की रात्रि को लगभग साढे दस ग्यारह बजे दिल्ली के उप राज्यपाल ने उनसे फोन कर अति-रिक्त पुलिस की माग की थी क्योकि उनके अनुसार राजधानी म साम्प्रदायिक स्थिति बिगडने का आशका थी। जब उन्होने इस बारे

म अतिरिक्त गृह-सचिव को फोन किया तो उन्हें भी इस बारे म कोई जानकारी नही थी। आश्चर्य की बात तो तब हुई जब रात्रि को ही लगभग तीन बजे राजस्थान के मुख्यमत्री ने उनसे फोन कर कुछ गिरफ्तारियो के बारे म स्पष्टीकरण चाहा, परन्तु उन्हें स्वय इस बारे म कोई जानकारी नही थी। थोडी देर बाद ही इसी प्रकार का फोन चडीगढ से आया। इन सब बातो से उन्हें लगा कि जरूर दाल म कहीं काला है। उनके बाद तो उनको सवेरे अन्य लोगो की तरह ही इस बारे मे मालूम पडा।

श्री खुराना को शिकायत थी कि सरकारी अधिकारियो के लिए यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही कि एमरजेन्सी से पहले और बाद म दोनो समय उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, जबकि उन लोगो ने सिर्फ अपने राजनीतिक बासो के आदेशो का ही पालन किया था।

उनका कहना था कि एमरजेन्सी की समाप्ति के तुरन्त बाद समाचारपत्रो तथा पत्रिकाओ ने जो सनसनीखेज सामग्रिया प्रकाशित की हैं उनसे उनके जैसे अनेक अधिकारियो की प्रतिष्ठा पर फर्क पडा है। उन्होने इस सन्दर्भ म उदाहरण देते हुए बताया है कि एक समाचार पत्रिका म प्रकाशित किया गया कि मुझे राजस्थान से दिल्ली इसलिए भेजा गया, क्योकि मैं सजय गाधी की सुसराल वालो का रिश्तेदार था। रिकार्ड देखकर मालूम किया जा सकता है कि उनकी सजय के ससुराल वालो से क्या रिश्तेदारी रही है। वे दिल्ली आने को बिलकुल भी उत्सुक नही थे क्योकि राज्य के मुख्य सचिव का पद और केन्द्र म किसी मत्रालय के सचिव का पद एक ही स्तर के हैं और इसके अतिरिक्त दिल्ली आने पर उनको परेशानी के साथ साथ धन का जो नुकसान उठाना पडा वह अलग म।

प्रधानमत्री सचिवालय म तत्कालीन सयुक्त सचिव श्री पी० एन० बहल का कहना था कि २६ जून १९७५ को हुई मत्रिमडल की बैठक के बाद प्रधानमत्री ने उनसे आकाशवाणी के सम्पर्क म रहने को कहा था ताकि कोई सनसनीखेज समाचार प्रसारित न होने पाए। व इस निर्देश के बाद दो या तीन दिन तक ही वहा गए थे और बाद म वहा के समाचार निदेशक को इसी प्रकार के निर्देश दे दिए थे।

श्री बहल ने, जो बाद म नई दिल्ली नगरपालिका के आयुक्त भी बना दिए गए थे, बताया कि एमरजेंसी की घोषणा के तुरत बाद नई दिल्ली नगरपालिका क्षेत्र क समाचारपत्रा क कार्यालया की बिजली काटने के लिए दिल्ली के तत्कालीन उप राज्यपाल न कहा था। उन्होंने जब प्रधानमंत्री स इसकी पुष्टि की तो ज्ञात हुआ कि उन्होंने ऐस कोई आदेश नही दिए थ। इसके बाद नई दिल्ली नगरपालिका के क्षेत्र के किसी समाचारपत्र की बिजली नहीं काटने दी गई।

चडीगढ़ के तत्कालीन मुख्य आयुक्त श्री एन० पी० माथुर और उप आयुक्त श्री एच० जी० देवश्याम का कहना था कि उन्हे आदेश दिए गए थे कि ट्रिब्यून समाचारपत्र मे किसी भी तरह स विपक्षी दला क नताआ की गिरफ्तारी की खबर नही छपनी चाहिए और इसक लिए उसके कार्यालय की बिजली काट देने के आदेश दिए गए थे।

हरियाणा के तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक श्री एस० एस० बाजवा ने बताया कि श्री बसीलाल ने जो उस समय वहा के मुख्य-मत्री थ उन्हे २५ जून की रात्रि को साढे दस ग्यारह क बीच अपने घर बुलाया। जब व वहा पहुचे तो उस समय श्री बसीलाल श्री सजय गाधी से फोन पर बात कर रह थे और कह रह थे कि 'यह अपने आपको वकील समझता है जबकि आता जाता कुछ नहीं है। इसे बाहर निकाल फेंको और पहले विमान स ही विदा करो।' यह बात श्री सिद्धार्थ शकर र के बारे म कही जा रही थी।

श्री बाजवा का कहना था कि फान स बातचीत करन क बाद श्री बसीलाल काफी उद्विग्न लग रह थे। वे कमरे म इधर स उधर चहलकदमी कर रहे थ और बड़बडा रह थे। इसके बाद उन्हे उस रात्रि का गिरफ्तार किए जाने वाल लोगा की एक सूची दी गई।

सामान्य नहीं तो असामान्य भी नहीं

भूतपूर्व केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मत्री तथा आजकल सोवियत सघ म भारत क राजदूत श्री इन्द्रकुमार गुजराल न बताया कि एमरजन्सी लागू किए जाने से पूव देश में स्थिति सामान्य ता नहा कही जा सकती थी परन्तु ऐसी असामान्य भी नही थी जिसक

कारण एमरजेन्सी लागू करना जरूरी था। उन्होंने बताया कि १२ जून से पहले गुजरात और बिहार में आंदोलन हो चुका था तथा बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को लेकर श्रीमती गांधी से त्यागपत्र की मांग की जा रही थी तथा प्रदर्शन आदि किए जा रहे थे। एक निर्वाचित प्रधानमंत्री से त्यागपत्र की मांग को लेकर प्रदर्शन आदि करने की स्थिति को सामान्य तो नहीं कहा जा सकता परन्तु इतना जरूर था कि इन सब बातों से एमरजेन्सी लागू किए बिना भी निपटा जा सकता था और वैसे भी प्रदर्शन आदि तो लोकतांत्रिक ढांचे में एक सामान्य बात है। इसपर जस्टिस शाह ने जानना चाहा कि स्थिति यदि सामान्य नहीं थी तो क्या ऐसा कहा जा सकता है स्थिति असामान्य भी नहीं थी ? श्री गुजराल का प्रत्युत्तर था कि असामान्य शब्द का प्रयोग मैं नहीं कर सकता परन्तु स्थिति सामान्य नहीं थी ऐसा मैं कह सकता हूं।

श्री गुजराल ने बताया कि २६ जून को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद *श्री संजय गांधी ने उनसे कहा था कि रेडियो से प्रसारित* होने वाले समाचार बुलेटिन पहले उन्हें दिखाए जाएं। इसपर उन्होंने ऐसा करने से इंकार कर दिया था। एक अन्य अवसर पर श्री गांधी ने उनसे कहा था कि आकाशवाणी द्वारा प्रधानमंत्री का भाषण सभी चैनलों पर प्रसारित नहीं किया गया है तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय ठीक तरह से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। इसपर उन्होंने श्री गांधी से कहा था कि 'मेरे मंत्रालय में क्या हो रहा है यह मेरे सोचने की बात है और यदि वह उनसे भविष्य में बात करना चाहें तो शिष्टता एवं नम्रता से बात करें। प्रधानमंत्री और कांग्रेस से मेरा संबंध तब से है जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे।

चलते चलते

तत्कालीन गृहमंत्री श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी का एमरजेन्सी लागू करने के बारे में कहना था कि एक तरीके से उनसे चलते चलते इस संबंध में राय मांगी गई थी। उन्हें २५ जून की रात्रि को साढ़े दस बजे प्रधानमंत्री निवास बुलाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश में एमरजेन्सी लागू करना जरूरी हो गया है। इसपर उन्होंने कहा था कि आप भली प्रकार जानती हैं कि देशहित में क्या अच्छा

है और क्या बुरा उसके अनुसार निर्णय ले लें।" इसके बाद वे घर वापस चल गए थ।

मौन स्वीकृति

रभामत्री श्री जगजीवनराम का कहना था कि २० जून की प्रात हुई बठक म सिफ एमरजेंसी की घोषणा की सूचना दी गई थी तथा उसपर कोई विचार विमश नहा हुआ था। इस मामले म मत्रिमडल की स्वीकृति सिफ इन्ही अर्थों म मानी जा सकती ह कि किसीन भी प्रस्ताव का विरोध नहा किया था, एक तरीक म यह मौन स्वीकृति मानी जा सकती है।

श्री जगजीवनराम न आयोग को यह भी बताया कि एमरजेंसी के दौरान मत्रिमडल क सदस्या तक क विरुद्ध गुप्तचर विभाग द्वारा निगरानी रखी जा रही थी।

बाद म इस बात की पुष्टि गुप्तचर विभाग क भूतपूव मुखिया श्री जयराम न भी की कि प्रधानमत्री के पास इस प्रकार की रिपोट भेजी गइ थी कि कौन कौन ससद सदस्य किस किस नेता क अनुयायी हैं तथा कौन कौन उनका वफादार।

तत्कालीन विधिमत्री स्वर्गीय एच० आर० गोखल का कहना था कि एमरजन्सी के बारे मे विधिमत्रालय की राय न लेना एक असामान्य बात थी। राय लना तो दूर, उन्ह इसकी सूचना तक नही दी गइ। बाद म दूसर दिन मत्रिमडल की बठक म जानकारी दी गइ। वह बात अलग थी।

पश्चिम बगाल क तत्कालीन मुख्यमत्री श्री सिद्धाथ शकर र ने कहा कि उन्ह २५ जून को सवेरे प्रधानमत्री निवास से फोन कर बुलाया गया था। जब वे वहा पहुचे तो थोडी देर बाद श्रीमती गाधी आइ उनक हाथ म कुछ कागज थ। उन्होंने आत ही कहना शुरू कर दिया कि देश म गुजरात की घटना के बाद स्थिति बदतर हो गइ है। यद्यपि हम लोग सहिष्णु और शात रह हैं लेकिन हमारी सहिष्णुता और धय को हमारी कमजोरी समझा जा रहा है। कीमतें नियत्रण से बाहर चली गई है अत इन सबके लिए कुछ कठोर कदम उठान होंग। इसपर उन्होंने (श्री र न) पश्चिम बगाल का उदाहरण देते हुए कहा था कि इस प्रकार की स्थिति स तो वतमान कानूनो स ही निपटा जा सकता है।

श्री रे ने बताया कि जब वे लोग इस मामले पर विचार विमर्श कर ही रहे थे तभी एक व्यक्ति ने श्रीमती गांधी को कागज का एक टुकड़ा लाकर दिया। श्रीमती गांधी ने उस कागज को पढ़कर बताया कि आज शाम दिल्ली की सार्वजनिक सभा में श्री जयप्रकाश नारायण एक दो दिन में जन-आंदोलन का आह्वान करेंगे स्कूलों और कॉलिजों को बन्द करने तथा पुलिस और सेना को आदेशों का उल्लंघन करने का कहेंगे। श्री रे का कहना था कि सम्भवतः यह रिपोर्ट भी गुप्तचर विभाग से आई थी।

उन्होंने बताया कि इसके बाद श्रीमती गांधी ने कहा कि सरकार के पास इस प्रकार की कार्रवाइयों से निपटने के लिए कुछ संकटकालीन अधिकार होने चाहिए और एमरजेंसी जैसी कोई घोषणा होनी चाहिए। इसके बाद वे अपने घर चले गए और पूरे मामले पर पुनर्विचार किया। उन्होंने कहा मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि उन्होंने तथ्यों को जिस प्रकार से प्रस्तुत किया उससे मैं अत्यन्त प्रभावित हुआ। मैंने इसके पूर्व उन्हें कभी इतना चिन्तित और परेशान नहीं देखा था।

काफी चिंतन और मनन के बाद वे इस परिणाम पर पहुंचे कि इन परिस्थितियों से निपटने के लिए संविधान के अनुच्छेद ३५२ का उपयोग कर देश में आंतरिक एमरजेन्सी की घोषणा की जा सकती है। इस अनुच्छेद में इस बात का प्रावधान है कि यदि आंतरिक उपद्रवों का होना निश्चितप्राय हो, तो भी एमरजेन्सी लागू की जा सकती है।

श्री रे ने बताया कि इसके बाद साढ़े चार या पांच बजे पुनः प्रधानमंत्री निवास गए तथा इस बारे में श्रीमती गांधी को अवगत कराया। श्रीमती गांधी इतना सुनते ही बोलीं आप तुरन्त मेरे साथ राष्ट्रपति के यहां चलिए। राष्ट्रपतिजी ने पूरी बात सुनकर कहा 'ठीक है आप फिर अपनी सिफारिश तैयार करिए और मेरे पास भेजिए। श्री रे ने कहा कि उन्होंने श्रीमती गांधी से इस बारे में अन्य नेताओं को भी विश्वास में लेने को कहा था और इस संबंध में कांग्रेस अध्यक्ष श्री देवकांत बरुआ का नाम विशेष रूप से लिया था। जब वे प्रधानमंत्री निवास वापस पहुंचे और मसविदा तैयार किया तो श्री बरुआ भी वहीं आ गए। श्रीमती गांधी ने उन्हें एमरजेन्सी की घोषणा करने के बारे में सूचित किया।

इसके बाद वे तीनों दूसरे दिन आकाशवाणी पर प्रसारित किए जाने वाले संदेश को तैयार करने बैठ गए। उन्हें इस काम में लगभग तीन घंटे का समय लगा क्योंकि बीच बीच में श्री संजय गांधी दरवाजा खटखटाकर अन्दर आ जाते थे और अपनी मम्मी को लेकर बाहर चले जाते थे। श्रीमती गांधी दस-पंद्रह मिनट बाद फिर लौट आती थीं। इस बीच उनके कनिष्ठ सचिव भी कमरे में आते रहे थे। श्रीमती गांधी बाहर जाकर क्या बातें करती थीं इसकी उन्हें जानकारी नहीं है परन्तु अब समझ में आने लगा है कि 'श्रीमती गांधी समूचे प्रकरण में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही थीं। सम्भवतः इस बड़े कदम के लिए हमें मोहरा बनाया जा रहा था।'

श्री रे ने बताया कि तत्कालीन गृह राज्यमंत्री श्री ओम मेहता ने इसके बाद उन्हें बताया था कि उच्च न्यायालय को दो या तीन दिन के लिए बंद कर देने और समाचारपत्रों के कार्यालयों की बिजली काट देने का फैसला किया जा चुका है। उनके विचार में यह एक बहुत ही बेतुका सुझाव था अतः उन्होंने आधी रात बीत जाने के बावजूद श्रीमती गांधी से मिलने का फैसला किया और उन्हें ऐसा न करने का सुझाव दिया। श्रीमती गांधी ने इस सुझाव को मान लिया था।

श्री रे ने बताया कि २५ जून को सवेरे जब वे प्रधानमंत्री-निवास पर श्रीमती गांधी का इंतजार कर रहे थे, तब श्री गांधी बड़े आवेश और गुस्से की हालत में उनसे मिले और बोले 'आप नहीं जानते कि देश को किस तरह चलाया जाता है।

संजय को चांटा मारने की बात गलत

उन्हें ठीक तरह से तो याद नहीं कि उन्होंने इसपर श्री गांधी को क्या जवाब दिया था परन्तु इतना जरूर कहा था कि 'आप अपना काम संभालिए और जो कुछ हो रहा है, उसमें दखल नहीं दीजिए।' श्री रे ने कहा कि जो कि समाचारपत्रों में छपा था कि उन्होंने इस अवसर पर श्री गांधी को चांटा मार दिया था गलत है। उन्होंने अपना संयम नहीं खोया था।

श्री रे का कहना था कि वे ऐसा नहीं मानते कि किसी कांग्रेस-जन ने श्रीमती गांधी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद त्यागपत्र देने की सलाह दी हो। वास्तव में अनेक कांग्रेस

नेताओं ने उनसे अपने पद पर बने रहने का आग्रह करते हुए वक्तव्य जारी किए थे। श्री रे इस बात से भी सहमत नहीं थे कि एमरजेंसी की घोषणा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय से प्रेरित होकर की गई थी।

मध्यप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री प्रकाशचंद सेठी ने बताया कि २५ जून १९७५ को जब वे १ सफदरजंग रोड स्थित आयोग का प्रधानमंत्री के बंगले पर प्रातः साढ़े नौ और दस बजे के बीच गए तो वहां केन्द्रीय गृहराज्यमंत्री श्री ओम मेहता भी उपस्थित थे। श्री मेहता ने श्रीमती गांधी की उपस्थिति में उन्हें कुछ निर्देश देते हुए २५ जून की मध्यरात्रि को उन लोगों को गिरफ्तार करने को कहा जो प्रतिबंधित संगठनों तथा साम्प्रदायिक संगठनों के सदस्य थे या फिर तस्कर थे तथा जिनका रिकार्ड अच्छा नहीं था। श्री सेठी का कहना था कि उस समय इन गिरफ्तारियों के बारे में उनके दिमाग में यही बात थी कि यह भारत सरकार के आदेश हैं तथा समाज विरोधी तत्त्वों को गिरफ्तार किए जाने के संबंध में ही यह सब कुछ किया जा रहा होगा।

श्री सेठी ने बताया कि उसी दौरान जयपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री हरिदेव जोशी से सम्पर्क करने की चेष्टा की गई परन्तु वे वहां नहीं थे तथा अपने पुत्र के विवाह में बांसवाड़ा गए हुए थे। बाद में उनसे वायुसेना के विशेष विमान से बांसवाड़ा जाकर श्री जोशी से भी यही संदेश देने को कहा गया। वे दिल्ली से डूंगरपुर और वहां से कार द्वारा बांसवाड़ा गए जहां श्री जोशी को यह संदेश देकर भोपाल चले गए।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री देवराज अर्स का इस संबंध में कहना था कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जे० वेंगलराव ने २५ जून के मध्याह्न उन्हें बंगलौर बुलाकर सूचित किया था कि एमरजेंसी की घोषणा की जा रही है।

मुख्यमंत्रियों से सलाह-मशवरा नहीं

श्री जे० वेंगलराव ने इस बात को गलत बताया कि एमरजेंसी की घोषणा से पहले राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सलाह मशवरा किया गया था जैसा कि श्रीमती गांधी ने एक पत्रिका को दिए इंटरव्यू में दावा किया था।

राष्ट्रपति की मन स्थिति

एमरजेंसी की घोषणा के बारे में स्वर्गीय राष्ट्रपतिजी ने किस मन स्थिति में हस्ताक्षर किए थे, इसके बारे में बताते हुए उनके सचिव श्री के० बालचन्द्रन ने आयोग को बताया कि २५ जून की रात्रि को लगभग सवा ग्यारह बजे राष्ट्रपतिजी ने उन्हें बुलाकर श्रीमती गांधी द्वारा लिखा गया एक अत्यंत गोपनीय पत्र पढ़ने को दिया और उसपर राय मांगी। इस पत्र में श्रीमती गांधी ने अपनी दिन की मुलाकात का जिक्र करते हुए एमरजेंसी की घोषणा करने के बारे में लिखा था। पत्र में कहा गया था कि देश में आंतरिक गड़बड़ियों से आंतरिक सुरक्षा खतरे में पड़ रही है और यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हों तो संविधान के अनुच्छेद ३५२ (१) के अंतर्गत एमरजेंसी की घोषणा कर दें। उन्होंने लिखा था कि घोषणा का मसौदा संलग्न किया जा रहा है, जबकि वास्तव में यह संलग्न नहीं था।

श्रीमती गांधी ने अपने पत्र में यह भी लिखा था कि वे मंत्रिमण्डल के सदस्यों की इस बारे में राय लेना चाहती थीं परन्तु समय की कमी के कारण ऐसा सम्भव नहीं है और मामला इतना जरूरी है कि कारवाई होनी चाहिए, इसलिए सरकारी नियमों की १२वीं धारा के अनुसार वह सीधे ही राष्ट्रपति से प्रार्थना कर रही हैं।

श्री बालचन्द्रन ने राय दी थी कि संवैधानिक रूप में यह काय उचित नहीं होगा तथा सारी जिम्मेदारी आपपर आएगी। इसपर राष्ट्रपति ने फोन पर प्रधानमंत्री से बात की। इस बीच वे अपने कमरे में चले गए थे। लगभग दस मिनट बाद जब वे वापस आए तो पता लगा कि प्रधानमंत्री के अतिरिक्त सचिव श्री धवन आए थे और हस्ताक्षर कराकर ले भी गए।

राष्ट्रपति के विशेष सहायक श्री अख्तर आलम का कहना था कि राष्ट्रपति ने किसी मानसिक स्थिति में उसपर हस्ताक्षर किए थे इसका पता तो उनकी व्यक्तिगत डायरी से ही लग सकता है जो शायद अब उनके परिवार के सदस्यों के पास हो।

(iii) गिरफ्तारियां और नजरबंदियां

२५ जून की मध्य रात्रि को एमरजन्सी की घोषणा के साथ साथ सम्पूर्ण देश म गिरफ्तारियां का तांता लग गया। इनम स कुछ गिरफ्तारियां भारत सुरक्षा कानून के अतगत की गई और कुछ मीसा के अतगत।

उस दिन अकेले दिल्ली म ६७ लोगो को गिरफ्तार किया गया, जिनम सवश्री जयप्रकाश नारायण मोरारजी देसाई चरणसिंह चंद्रशेखर रामधन सिकन्दर बख्त राजनारायण पीलू मोदी और बीजू पटनायक शामिल थे। श्री जयप्रकाश नारायण को जिस समय गिरफ्तार किया गया उस समय रात्रि के ढाई बज रहे थे और वे सो रहे थे तथा अस्वस्थ भी थे।

२८ जून की शाम को दिल्ली की रामलीला मदान म विपक्षी दलो की ओर स एक आम सभा का आयोजन किया गया था जिस श्री जयप्रकाश नारायण सहित कई प्रमुख विपक्षी नेताओं न सम्बोधित किया था और यह सब गिरफ्तारियां इस सभा के समाप्त होने क बाद आधी रात के आसपास की गई थी।

इन गिरफ्तारियो के सबध म दिल्ली के तत्कालीन उप राज्यपाल श्री कृष्णचंद का कहना था कि गिरफ्तार किए जाने वाले लोगो की सूची प्रधानमंत्री निवास स उपलब्ध की गई थी। सूची बनाने के काम की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक (सी० आई० डी० —विशेष ब्राच) श्री के० एस० बाजवा को सौंपी गई थी तथा उसम श्री ओम मेहता और श्री धवन ने सहायता की थी। गिरफ्तारियां न्याय सम्मत थी अथवा नही इसके बारे म उनका कहना था कि उस समय यह सोचने का समय नही था क्योंकि प्रधानमंत्री निवास स बार-बार फोन कर इन गिरफ्तारियो के बारे म जानकारी मागी जा रही थी।

गिरफ्तारियो की सूची मे मंत्री भी

श्री कृष्णचंद न बताया कि एमरजन्सी की घोषणा स पूव ही कुछ लोगो को गिरफ्तार किए जाने क बारे म सूची तयार कर ली गई थी परन्तु बाद म उस सूची म कई परिवतन हुए। उन्होंने बताया कि प्रारम्भिक सूची म भूतपूव केन्द्रीय मंत्री श्री केशवदेव

मानवीय का भी नाम था परन्तु परिवर्तित सूची में उनका नाम नहीं था।

हम तो 'औजार' थे, काम कोई और ले रहा था

उन्होंने स्वीकार किया कि तत्कालीन उप आयुक्त श्री सुशील कुमार ने इन गिरफ्तारियों और नजरबंदियों का इस आधार पर विरोध किया था कि वारंटों में गिरफ्तारी के कोई कारण नहीं बताए गए थे। श्री कृष्णचन्द ने अपनी सफाई में कहा कि उन्होंने तो आदेशों का पालन भर किया था। "हम तो सिर्फ 'औजार' मात्र थे काम तो उनसे कोई और ले रहा था। उनके अतिरिक्त श्री सुशीलकुमार के सामने भी इन आदेशों को मानने के सिवाय कोई चारा नहीं था।

दिल्ली के उप आयुक्त और जिला मजिस्ट्रेट श्री सुशीलकुमार ने बताया कि २५ जून की रात्रि को उन्होंने अपना दफ्तर खुलवाया और लगभग २०० वारंट तैयार करने के काम में मदद करने के लिए ए० डी० एम० वगैरह की सहायता ली। इस बीच उप राज्यपाल और प्रधानमंत्री निवास से बराबर फोन आते रहे और उस बार में शीघ्रता करने को कहा जाता रहा। उनपर इतना अधिक दबाव पड़ रहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री निवास पर जाकर यह बताने का निश्चय किया कि 'मीसा' में गिरफ्तारी का यह तरीका गलत होगा और सही तरीका अपनाना होगा। परन्तु श्री धवन ने उनसे बहुत ही धमकी भरे अन्दाज में यह काम करने को कहा। उनके बात करने के तरीके से साफ लग रहा था कि यदि उन्होंने कुछ और अधिक कहा तो स्वयं खतरे में पड़ जाएंगे।

खाली वारण्टों पर हस्ताक्षर

उन्होंने बताया कि चूंकि २०० वारंटों को इतनी शीघ्रता में टाइप नहीं कराया जा सकता था और फिर सभी की चार-पांच प्रतिलिपियां भी करनी पड़ती थीं इसलिए अस्थायी तौर पर वारंट फॉर्मों को साइक्लोस्टाइल कराने का निश्चय किया गया। उन्होंने स्वीकार किया कि शीघ्रता के कारण उन्होंने कुछ वारंटों पर खाली हस्ताक्षर भी किए थे।

दिल्ली के अतिरिक्त उस रात्रि को हरियाणा में ६० लोगों को

नजरबन्द किया गया। आंध्रप्रदेश में २६ तारीख की शाम तक ३६ व्यक्तियों को नजरबंद किया जा चुका था। कर्नाटक में बंगलौर में, २६ जून को ही सर्वश्री लालकृष्ण आडवाणी, अटलबिहारी वाजपेयी, श्यामनंदन मिश्र और श्री मधु दंडवते सहित कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया।

इन गिरफ्तारियों के संबंध में विभिन्न राज्यों के उच्चाधिकारियों का कहना था कि उन्होंने गिरफ्तारियां संबंधित मुख्यमंत्रियों के आदेश से की थी। उन्होंने भी यही बात दोहराई कि यह सब कुछ इतना जल्दी करना था कि उस समय यह सोचने का समय भी नहीं था कि यह न्यायसम्मत है अथवा नहीं।

गृह मंत्रालय का इन गिरफ्तारियों के संबंध में क्या रुख था उसका पता २६ जून को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजे गए वायरलेस संदेश में दिए गए निर्देश से लगता है। संदेश में कहा गया था कि आज सवेरे घोषित की गई एमरजेंसी को देखते हुए एहतियात तथा अन्य कदमों के रूप में सभी राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को सलाह दी जाती है कि वे भारतीय जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सभी प्रभावशाली और सक्रिय कार्यकर्ताओं को नजरबंद/गिरफ्तार कर लें।

केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के विभिन्न निर्देशों के अंतर्गत २८ जून से ३ जुलाई के बीच कुल ८८१२ लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनमें से १ २७३ लोगों को मीसा के अंतर्गत नजरबंद किया गया था।

तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने ३ जुलाई १९७५ को इन गिरफ्तारियों के संबंध में अपनी नेकनीयती दिखाने के उद्देश्य से विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक अत्यंत गोपनीय पत्र में दिशानिर्देश देते हुए लिखा था कि—

हमने अभी हाल ही में मीसा अधिनियम में संशोधन किया था उसके अनुसार राज्य सरकारों को बिना कारण बताए लोगों को गिरफ्तार करने का बहुत बड़ा अधिकार मिला है। यहां तक कि ऐसे मामलों को सलाहकार मंडल तक को भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे विश्वास है कि आप लोग अधिकार का उपयोग बहुत सोच-समझकर और बड़ी सावधानी से करेंगे। संशोधित किए गए अधिनियम के अंतर्गत यह आवश्यक है कि यदि नजरबंदी का आदेश

किसी अय अधिकारी न दिया है ता राज्य सरकार को पन्द्रह दिन म उसकी पुष्टि कर देनी चाहिए। इस बात का देखत हुए यह आवश्यक है कि राज्य का सर्वोच्च अधिकारी इस प्रकार के आदेशा की स्वीकृति दे। इसलिए मेरा आपम अनुरोध है कि आप लोग स्वय इन मामला को देखें और ऐसे सभी आदेश सिफ आपक द्वारा स्वीकृत हा अथवा फिर आपके द्वारा नियुक्त किसी कमेटी स।

' यह भी देख लिया जाए कि किसी भी प्रकार से इस सशोधित अधिनियम का दुरुपयोग नही किया जाए। यह जरूरी है कि इस अधिनियम से मिली शक्ति का उपयोग सिफ एमरजेन्सी मे उत्पन्न हुए हालाता स निपटन म ही किया जाए।'

एमरजेन्सी के दौरान देश भर म मीसा क अतगत कुल ३६-०३६ व्यक्तिया का गिरफ्तार किया गया, जिनम स ६,२४४ का मीसा की सामान्य धारा म और शेष २८ ७६५ का मीसा की धारा १६ (ए) के अतगत। इस धारा के अतगत किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता है।

सबस अधिक गिरफ्तारिया उत्तरप्रदेश म हुइ जहा ७०४६ लोगो को गिरफ्तार किया गया। दूसरा नम्बर मध्यप्रदेश का था जहा ६ २१२ लोगा को गिरफ्तार किया गया। सबसे कम गिरफ्तारिया सिक्किम म हुइ। इस राज्य म सिफ चार व्यक्तिया का ही गिरफ्तार किया गया था। अरुणाचलप्रदेश लक्ष द्वीप तथा दादर और नागर हवेली म एक भी व्यक्ति का एमरजेन्सी के दौरान मीसा के अतगत गिरफ्तार नही किया गया। इस दौरान दिल्ली म १ ०११ लोगा को मीसा म गिरफ्तार किया गया।

एमरजेन्सी के दौरान दश भर म मीसा के अतगत गिरफ्तार किए गए लोगो की व्योरेवार सख्या इस प्रकार है

राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश जिसक आन्तर से गिरफ्तारी की गई	मीसा की सामान्य धारा म गिरफ्तारी	मीसा की धारा १६ (ए) में गिरफ्तारी	कुल
१ आध्रप्रदेश	२६	१०५२	१०७८
२ असम	१९०	३८३	५७३
३ बिहार	—	२३६०	२३६०
४ गुजरात	२७	१८०१	१८२८
५ हरियाणा	—	२००	२००

राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश जिसके आदेश से गिरफ्तारी की गई	मीसा की सामान्य धारा में गिरफ्तारी	मीसा की धारा १६ (ए) में गिरफ्तारी	कुल
६ हिमाचलप्रदेश	—	३४	३४
७ जम्मू कश्मीर	१३८	३६७	५३५
८ कर्नाटक	—	४८३	४८३
९ केरल	—	७८६	७८६
१० मध्यप्रदेश	३६३	५८१९	६२१२
११ महाराष्ट्र	—	५४७५	५४७५
१२ मनीपुर	१८	१३७	१५५
१३ मेघालय	—	३६	३६
१४ नागालैंड	६६	३६	१०३
१५ उड़ीसा	—	४५३	४५३
१६ पंजाब	३२१	६२	३८३
१७ राजस्थान	—	५४२	५४२
१८ सिक्किम	—	४	४
१९ तमिलनाडु	—	१०२७	१०२७
२० त्रिपुरा	—	७७	७७
२१ उत्तरप्रदेश	३८	७०११	७०४९
२२ पश्चिम बंगाल	५००९	३११	५३२०
२३ अरुणाचलप्रदेश	—	—	—
२४ अण्डमान निकोबार	१	४१	४२
२५ चण्डीगढ़	—	२७	२७
२६ दादरा नागर हवेली	—	—	—
२७ दिल्ली	—	१०११	१०११
२८ गोआ दमन और दीव	—	११२	११३
२९ लक्षद्वीप	—	—	—
३० मिजोरम	१४	५६	७०
३१ पांडिचेरी	—	५४	५४
३२ केन्द्र सरकार	—	६	६
कुल	६२४४	२९७९५	३६०३९

५ एमरजेन्सी मे कर्तव्य और शिकायते बनाम गिरफ्तारिया और निलम्बन

क्या एक लोकतान्त्रिक देश म कर्तव्यपरायणता के लिए भी लोगो को जेल भेजा जा सकता है ? यकीनन इसका जवाब है 'नहीं'। परतु एमरजेसी म एस सैकडो व्यक्तियो को जेलो म ठूस दिया गया जिन्होंने एक सरकारी अधिकारी के नाते या फिर इस देश के नागरिक के नाते अपने कर्तव्यो का पालन किया। जेलो म ठूस जाने वाले ऐसे सरकारी अधिकारियो मे वे लोग शामिल थ, जिन्होंने कुछ गलत काम करने स इकार कर दिए थे, और नागरिको म ऐसे लोग थे, जिन्होंने किसी गलत काम की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया था। इन सब गिरफ्तारियो और नजरबन्दियो क पीछे जो एकमात्र कारण नजर आया, वह था राजनीतिक।

इसी सदभ म आयोग के समक्ष कुछ मामले पेश हुए। एक मामले म श्री सजय गाधी की फम मारुति के सबध म ससद म पूछे गए प्रश्नो की जानकारी एकत्र करने वाले चार अधिकारियो को निलम्बित कर दिया गया। इसी प्रकार के एक अन्य मामले म श्री सजय गाधी की सास स सबधित एक फम की जाच करने वाले टक्सटाइल कमेटी के दम और कस्टम विभाग के दो इस्पेक्टरो को मीसा के अतगत जेल म डाल दिया गया। कुछ गलत काम करने से इकार कर देने की हिम्मत दिखाने वाले राजस्थान कैडर के एक आई० ए० एस० अधिकारी को निलम्बित कर दिया गया।

इन सब मामलो के अतिरिक्त एक मामले मे एमरजेन्सी की आलोचना करन पर एक *नहीं* मान वरिष्ठ राजनीतिज्ञ को मीसा म बद कर दिया गया। इनम स एक थे—८२ वर्षीय स्वतन्त्रता सेनानी श्री भीमसेन सच्चर (जिनका जनवरी, १९७८ म निधन हो गया)।

सरकारी अधिकारियो और आम नागरिको के साथ-साथ राजनीतिक पूर्वाग्रह के नाम पर दो भूतपूर्व रजवाडो की राजमाताओ तथा पत्रकारो और छात्रों को भी जेल की हवा खिलाई

गई।

(1) मारुति की जाच की हिमाकत का फल

तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाधी के पुत्र श्री सजय गाधी की बहुचर्चित फर्म मारुति लिमिटेड के सबध म ससद म पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर १६ अप्रल १९७५ को दिया जाना था। यह प्रश्न मारुति द्वारा कुछ आयातित मशीनें प्राप्त करने के बारे म था। लाइसेंस की शर्तों के अनुसार उस मशीनें आयात करने की अनुमति नहीं थी।

सूचना एकत्र करने के सिलसिले म भारी उद्योग मत्रालय म उप-सचिव श्री आर० कृष्णास्वामी तकनीकी विकास महानिदेशालय के विकास अधिकारी श्री ए० एस० राजन प्रोजेक्ट एण्ड इक्विपमेंट कार्पोरेशन के मुख्य मार्केटिंग मनेजर श्री एल० आर० कपूर तथा उप मार्केटिंग मनजर श्री पी० एम० भटनागर ने मारुति लिमिटेड और उसे मशीनें सप्लाई करने वाली फर्म कार्ल्ली वाई कम्पनी से सम्पर्क किया था। बाद म इनपर आरोप लगाया गया कि उन्होंने जाच के नाम पर इन फर्मों को तग करने की कार वाई की थी। इसके परिणामस्वरूप इन चारों अधिकारियों के घरो पर तलाशी ली गई और बाद म उन्हें नौकरी से भी निलम्बित कर दिया गया। इनम से एक अधिकारी ने तो बाद म नौकरी से ही त्यागपत्र दे दिया।

भारी उद्योग मत्रालय म भूतपूर्व मत्री श्री टी० ए० प का इस सबध म कहना था कि श्रीमती गाधी न उन्हें अप्रल १९७५ के किसी समय प्रधानमंत्री निवास बुलाकर नाराजगी प्रकट करते हुए कहा था कि कुछ अधिकारियों ने अपने निजी वार्तालाप म राजनीतिक भ्रष्टाचार पर बातचीत की है। श्रीमती गाधी का यह भी कहना था कि ये अधिकारी स्वय भ्रष्ट हैं तथा फर्मों को जाच के नाम पर तग करते रहते हैं। श्रीमती गांधी ने उनसे बातचीत के तुरन्त पश्चात अपने अतिरिक्त निजी सचिव श्री राजेन्द्रकुमार धवन को बुलाकर केन्द्रीय जाच ब्यूरो के निदेशक श्री देवेन्द्र सेन से इन चारों अधिकारियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर उनके निवासों की तलाशी लेने के आदेश देने को कहा।

वाणिज्य मन्त्रालय म तत्कालीन मन्त्री श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय ने बताया कि श्रीमती गाधी न उन्हें १५ अप्रैल १६७५ की शाम को अपन निवास पर बुलाकर कहा कि श्री काले के खिलाफ काफी गम्भीर शिकायतें आई हैं इसलिए उन्हें तत्काल निलम्बित कर पूरी जाच कराइ जाए। श्रीमती गाधी न श्री भटनागर के सबध मं आरोप लगाया कि उन्होंने कुछ फर्मों को तग किया है। श्री चट्टोपाध्याय का कहना था कि श्रीमती गाधी न इस तरह की बातें उनसे पहली बार कही थी इसलिए वे इसकी गम्भीरता स सतुष्ट हो गए। व नहा समझत थ कि श्रीमती गाधी न बिना कुछ सोचे समझे या पता लगाए ही यह निणय लिया होगा।

श्री चट्टोपाध्याय का कहना था कि इस प्रकार की अफवाह उनके विभाग म सुनन म आई थी कि कुछ अधिकारी फर्मों के साथ ठीक तरह का व्यवहार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने इस सबध मे सिर्फ अनुशासनात्मक कारवाई के आदेश दिए थ। केन्द्रीय जाच ब्यूरो से किसी तरह की कोई जाच कराने की नहीं सोची थी और न ही इस विषय म उन्ह कोई जानकारी थी कि इन अधिकारियो के विरुद्ध जाच की जा रही है। उन्ह यह बात तो बाद म मालूम पडी कि ऐसी जाच हो रही है।

चार अधिकारियो म स एक श्री कृष्णास्वामी के अनुसार उन्होंने कभी किसी पार्टी को तग करने जसी कोइ कारवाई नहीं की थी न ता उन्होंने कभी मारुति फैक्ट्री ही देखी थी और न ही इस सबध म कभी किसीसे बातचीत की थी। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने ससद म पूछे गए प्रश्न के उत्तर म जानकारी एकत्र करने का काम तो शुरू कर दिया था परन्तु यह मालूम हात ही कि यह एक नाजुक मामला है इसके बारे म अपन सयुक्त सचिव को सूचित कर दिया था।

श्री कृष्णास्वामी का कहना था कि केन्द्रीय जाच ब्यूरो द्वारा उनके घर तथा कार्यालय पर ५ मई १६७५ को छापा मारा गया। छापा मार जाने के बाद उन्ह काफी परशान किया गया और ८ अगस्त को उन्हें चार महीने की छुट्टी पर भेज दिया गया तथा कहा गया कि व आगे भी आधे वेतन पर अपनी छुट्टिया बटाते रहे।

इन सब बाता के अतिरिक्त जाच ब्यूरो द्वारा उनके विरुद्ध एक्साइज अधिनियम के अतगत मामला दज किया गया, जिस बाद

मे 'यायालय न समाप्त भी कर दिया। उनके ७० वर्षीय पिता को तग किया गया और उनकी पत्नी के खिलाफ विदेशी मुद्रा के उल्लघन का झूठा आरोप लगाया गया। इतनी परेशानियो से जूझने के बाद व सिर्फ इतना करा सके कि उन्हें वापस उनके पुराने विभाग रेलवे म भेज दिया गया।

एक अ य अधिकारी श्री का्ले ने बताया कि वे १५ अप्रल १९७५ को एक दिन के आकस्मिक अवकाश पर थे, जबकि तत्कालीन वाणिज्यमत्री के विशेष सचिव श्री एन० के० सिंह ने उनसे फोन पर मारुति की जाच के सबध म पूछताछ की। उन्होंने श्री सिंह को बताया था कि श्री भटनागर उनके निर्देश पर जाच कर रहे हैं। जब व दूसरे दिन कार्यालय गए तो उन्ह मद्रास स्थानातरण के आदेश थमा दिए गए। अपने अध्यक्ष श्री विनोद पारीख से उ होंने जब इसका विरोध किया तो उन्होंने सलाह दी कि इस समय उचित यही है कि इसे मान लो, अ यथा आगे और भी गडबड हो सकती है।

श्री काल्ले का कहना था कि उन्होंने मद्रास जाने के स्थान पर कार्यालय से लम्बी छुट्टी ले ली परन्तु ३ मई को ही उनके मकान की तलाशी ली गई। उन्होंने जब इस मामले मे अपने उच्चाधिकारियों से हस्तक्षेप करने को कहा तो श्री पारीख न उन्ह सलाह दी कि बेहतर यही है कि तुम किसी और जगह काम तलाश कर लो। तुम्हें काम ढूढने म कोई परेशानी नही होगी क्योकि तुम्हारे पास अच्छा अनुभव और योग्यता है।' श्री पारीख के सुझाव पर उन्होंने १५ जून को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और उसके बाद स आज तक उन्ह कोई रोजगार नही मिला। इस बीच उन्ह एक निजी सस्था म मार्केटिंग मनेजर के पद पर काम भी मिल रहा था परन्तु ज्यांही फर्म को यह मालूम पडा कि वे भी सजय के सताए हुआ म से हैं, उन्हें इकार कर दिया गया। परेशान न सिर्फ उन्ह बल्कि उनकी पत्नी को भी किया गया। उनकी पत्नी को जो एक विज्ञापन एजेंसी म काम करती थी, नौकरी स हटा दिया गया। उनकी जीवन बीमा की एक पालिसी समाप्त हो गई थी परन्तु उसे इस लिए नवीनीकृत नही किया गया क्योकि जाच ब्यूरो न फोन कर ऐसा करने स मना कर दिया था।

इतने धक्के खाने के बाद जब उन्होंने पुन प्राजक्ट एण्ड

इक्विपमेंट में आना चाहा तो यह कहकर इंकार कर दिए गए कि उनका मामला जांच आयोग के विचाराधीन है इसलिए यह सम्भव नहीं है।

जांच रोकने के लिए धवन ने फोन किया

श्री भटनागर और श्री राजन ने बताया कि श्री धवन ने उन्हें फोन कर कहा था कि वे मारुति के संबंध में जांच न करें। श्री भटनागर को तो सोलह महीने तक निलम्बित रखा गया और जब श्री राजन जांच ब्यूरो द्वारा उनके विरुद्ध की जा रही जांच के संबंध में श्री संजय गांधी से मिलने गए तो उन्होंने कहा कि 'वे मारुति के संबंध में जानकारी एकत्र क्या कर रहे हैं ?'

आयोग में जिरह के दौरान श्री धवन के वकील श्री के० जी० भगत ने दोनों अधिकारियों से जानना चाहा था कि क्या फोन वाकई में श्री धवन ने ही किया था ? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और ने श्री धवन के नाम से फोन कर दिया हो ! उनका यह भी कहना था कि जब श्री धवन इन दोनों अधिकारियों को जानते तक नहीं थे, उन्हें फोन करने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी ? इसपर अधिकारियों का कहना था कि यदि श्री धवन ने उन्हें फोन नहीं किया होता तो वे श्री धवन का नाम क्या लेते ? परन्तु इसके साथ ही इन दोनों अधिकारियों ने स्वीकार किया कि न तो श्री धवन इससे पहले कभी उनसे मिले थे और न ही इसके बाद ही उनकी कभी बात हुई थी।

श्री भटनागर ने आयोग के वकील श्री काले खंडालावाला के एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि उनकी बीस वर्ष की सेवा में आज तक किसीने यह शिकायत नहीं की कि उन्होंने किसीको तंग किया है। परन्तु जब श्री भगत ने उनसे जानना चाहा कि क्या उनके विरुद्ध कभी कोई अनुशासनात्मक कारवाई की गई थी तो श्री भटनागर ने कहा कि हां, एक बार उन्हें चेतावनी दी गई थी।

श्री राजन ने भी श्री खंडालावाला और श्री भगत के प्रश्नों के उत्तर में बताया कि उनसे आज तक कभी यह शिकायत नहीं की गई कि उन्होंने किसीको तंग किया है। उन्होंने श्री भगत के प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया उन्हें २५ वर्ष पूर्व धोखाधड़ी में पकड़ा गया था, जिसके कारण उन्हें निलम्बित कर दिया गया था।

जस्टिस शाह तथा श्री भगत ने श्री राजन से जानना चाहा कि उन्होंने किस तरह यह पहचान लिया कि फोन करने वाले श्री धवन ही हैं ? इसपर श्री राजन ने कहा 'बोलने वाले ने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री निवास से आर० के० धवन बोल रहा हूं।' इस पर श्री धवन ने बीच में ही टोकते हुए कहा, 'यह गलत है। मैं हमेशा फोन पर कहता हूं—मैं पी० एम० हाउस से धवन बोल रहा हूं न कि आर० के० धवन।'

मैंने फोन नहीं किया

श्री धवन ने जिरह के दौरान इससे साफ इन्कार किया कि उन्होंने कभी भी श्री राजन अथवा श्री भटनागर को फोन कर कोई निर्देश दिए थे। उनका कहना था कि हो सकता है किसी अन्य व्यक्ति ने उनके नाम से फोन कर दिया हो। उन्होंने कहा कि जब वे उनसे पहले कभी मिले ही नहीं थे और न ही उन्हें जानते थे तब वे किस प्रकार से उन्हें फोन कर कोई निर्देश दे सकते थे ? इसपर जस्टिस शाह ने कहा फिर इन लोगों की आपसे क्या दुश्मनी हो सकती है जो इन्होंने आपके विरुद्ध बयान दिया ?' श्री धवन ने कहा इस बारे में मैं क्या कह सकता हूं। श्री खंडालावाला के एक प्रश्न के उत्तर में श्री धवन ने कहा कि हो, सकता है उनके नाम से बाटलीवाई वाला ने ही फोन कर दिया हो ताकि उनके विरुद्ध हो रही जांच रुक जाए परन्तु यह सिर्फ उनका खयाल ही है जरूरी नहीं कि यह बात सही ही हो।

श्री धवन का कहना था कि इन जैसे वरिष्ठ अधिकारियों से यह तो अपेक्षा की ही जाती थी कि वे इन निर्देशों के बारे में प्रधानमंत्री निवास फोन कर कम से कम इसकी पुष्टि तो कर लेते। उन्होंने बताया कि सामान्यतः इस प्रकार के निर्देशों की इसी तरह पुष्टि की जाती थी।

श्री धवन द्वारा इस प्रकार के मामले को बहुत ही मामूली मामले की संज्ञा देने पर श्री खंडालावाला ने पूछा यदि यह मामला इतना ही मामूली था तो प्रधानमंत्री को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि उन्होंने अपने निवास पर श्री प० तथा श्री चट्टोपाध्याय को बुलाया ?' इसपर श्री धवन यही कह सके कि 'प्रधानमंत्री ने क्या सोचकर इन्हें बुलाया था इस बारे में मैं क्या

कह सकता हूं। उन्होंने वहां कि यह कहना गलत है कि प्रधान मंत्री ने श्री प की उपस्थिति में उन्हें श्री सेन के लिए कोई निर्देश दिए थे, जैसा कि श्री प द्वारा अपने बयान में कहा गया है।

दूसरी ही बात

श्री धवन ने इस संबंध में एक दूसरी ही बात बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने उनसे कहा था कि कुछ संसद सदस्या तथा अन्य लोगों ने इन अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें की हैं आप इनके कार्यकलापों की जांच कराइए। उन्होंने बाद में जांच ब्यूरो के निदेशक श्री देवेन्द्र सेन को इन शिकायतों से अवगत करा दिया था, इसके बाद क्या हुआ उन्हें मालूम नहीं।

सिर्फ संदेशवाहक

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री धवन ने बताया कि उनका काम सिर्फ लोगों तक प्रधानमंत्री के संदेश पहुंचाने का था। एक तरीके से वे सिर्फ एक 'संदेशवाहक' थे।

श्री धवन ने बताया कि प्रधानमंत्री ने उन्हें सिर्फ इन लोगों के जातिसूचक उपनाम बताए थे और उन्होंने भी श्री सेन से यही नाम बताए थे (राजन भटनागर कृष्णास्वामी कान्ते) पूरे नहीं। उन्होंने इस बात से भी इंकार किया कि उन्होंने श्री सेन को इन लोगों के विभाग या पद भी बताए थे। इसपर श्री खंडालावाला ने कहा, "आपने प्रधानमंत्री से इन लोगों के पूरे नाम जानने की चेष्टा क्या नहीं की ?"

श्री धवन बोले 'वे मेरी बॉस थीं मैं उनसे ऐसा करने को कैसे कह सकता था। क्या आपका सचिव आपसे ऐसी कोई बात पूछ सकता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है ?'

श्री धवन के इस उत्तर पर श्री खंडालावाला मुस्कराए बिना नहीं रह सके।

लेकिन श्री खंडालावाला फिर भी उन्हें छोड़ने वाले नहीं थे, उन्होंने पूछा "जब आपने श्री सेन से इन अधिकारियों के कार्य-कलापों की जांच के लिए कहा, तो उन्होंने कुछ समय लिया कि ये लोग अपनी आय से कहीं अधिक अच्छी तरह रह रहे हैं और भ्रष्ट हैं ?" इसपर श्री धवन ने एक बार फिर उसी चतुरता से जवाब देते हुए कहा, 'कार्यकलापों' शब्द के बारे में अलग-अलग

क्षेत्र का व्यक्ति अलग अलग अर्थ लगाएगा, साधारणतया पुलिस और सी० बी० आई० वाले इसका यही एक अर्थ लगाते हैं।'

श्री सेन ने आयोग को बताया कि श्री धवन के निर्देशानुसार ही उन्होंने इन अधिकारियों के विरुद्ध जांच कराई थी। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने बिना जांच-पड़ताल के ही उनकी बातों पर विश्वास करते हुए मौखिक रूप से उप महानिरीक्षक श्री योगेन्द्र राजपाल से जांच कराने को कहा था।

श्री राजपाल का कहना था कि श्री सेन ने उन्हें १५ अप्रैल को अपने कमरे में बुलाकर श्री कृष्णास्वामी के विरुद्ध इस आधार पर जांच करने को कहा था कि वे एक भ्रष्ट अधिकारी हैं। शाम को उनसे श्री भटनागर और श्री राजन के बारे में भी जांच करने को कहा गया। उन्होंने प्राप्त सूचना के आधार पर श्री सेन को बताया था कि श्री कृष्णास्वामी अच्छी प्रतिष्ठा वाले अधिकारी हैं और काफी ईमानदार भी हैं परन्तु बाद में जिस प्रकार से जांच-काय पूरा होने से पहले ही फाइलें मंगा ली गई और मामला भी दर्ज कर लिया गया उससे लगा कि यह सब कुछ राजनीतिक दबाव से हो रहा है और इनके पीछे मारुति का हाथ हो सकता है। उन्होंने बताया कि श्री कात्रे का मामला बम्बई शाखा को भेज दिया गया था।

जांच ब्यूरो में पुलिस अधीक्षक श्री क० विजयन के अनुसार, जांच ब्यूरो के संयुक्त निदेशक श्री ए० पी० चौधरी ने उनपर दबाव डालकर रिपोर्ट लिखवाई थी और इन अधिकारियों की तलाशियां लेने की सिफारिश कराई थी। श्री चौधरी द्वारा डाले गए दबाव के बारे में उन्होंने उप महानिरीक्षक श्री राजपाल को सूचित कर दिया था।

श्री चौधरी ने श्री विजयन के आरोप का खंडन करते हुए कहा कि उन्होंने श्री चौधरी पर कोई दबाव नहीं डाला था। उन्होंने तो सिर्फ निदेशक के आदेशों को आगे बढ़ाया था। २० अप्रैल को श्री सेन ने उन्हें बुलाकर इन अधिकारियों के विरुद्ध मामले दर्ज करने को कहा था।

संजय का रूखा व्यवहार

श्री सेन ने शपथ लेकर दिए अपने बयान में बताया कि वे

कभी भी श्री संजय गांधी से मिलने नहीं गए क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि वे लोगों के साथ बड़ा रूखा व्यवहार करते हैं। उन्होंने इसका एक उदाहरण देते हुए बताया कि एक बार जब वे प्रधान मंत्री निवास में थे तो श्री गांधी एक कमरे में घुसे और वहां उपस्थित लोगों से बड़े रूखेपन से कमरे से बाहर निकल जाने को कहा।

परन्तु इसके साथ ही उन्होंने स्वीकार किया कि हो सकता है, वे श्री गांधी से कभी प्रधानमंत्री निवास में आते-जाते टकरा गए हों, परन्तु दोनों के बीच दुआ सलाम से अधिक कुछ बात नहीं हुई।

श्री सेन का कहना था कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि इन अधिकारियों द्वारा मारुति के संबंध में तथ्य एकत्रित करने के कारण जांच करने को कहा गया है। उनसे न तो कभी श्री धवन ने और न ही इसमें से किसी अधिकारी ने ऐसी शिकायत की। यदि शिकायत की गई होती तो वे प्रधानमंत्री के पास सीधे जाकर जांच ब्यूरो को इस मामले में न घसीटने की प्रार्थना करते।

उन्होंने कहा कि श्री भटनागर और श्री काब्ले के संबंध में श्री राजपाल की रिपोर्ट के बाद उन्होंने विश्वास कर लिया था कि ये अधिकारी भ्रष्ट होंगे। उप महानिरीक्षक जैसे स्तर के अधिकारी की बात पर विश्वास न करने का कोई कारण नहीं था।

श्री काब्ले द्वारा श्री बाटलीवाई से रिश्वत लेने तथा बम्बई में एक फ्लैट खरीदे जाने के संबंध में श्री खंडालावाला ने पूछा 'जब दोनों ही बातें गलत थीं, तब आपने किस प्रकार से इसे सही मान लिया?' श्री सेन ने कहा 'इन दोनों बातों के बारे में जांच के बाद ही पता लगा था कि ये सही नहीं हैं और इसीलिए रिश्वत के मामले का एफ० आई० आर० में जिक्र नहीं किया गया था।"

श्री खंडालावाला द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या आपको जानकारी थी कि काब्ले को दो हजार रुपया मासिक से अधिक वेतन मिलता था और उनकी पत्नी को भी जो नौकरी करती थीं लगभग दो हजार रुपये मासिक वेतन मिलता था? ऐसी स्थिति में आप किस प्रकार से कह सकते हैं कि वे अपने साधनों से कहीं अधिक अच्छी तरह से रह रहे थे? इसपर श्री सेन ने कहा उस समय मुझे यह जानकारी नहीं थी कि श्रीमती काब्ले का क्या वेतन है। उस समय सिर्फ यही जानकारी थी कि वे कहीं नौकरी करती हैं। इस-

पर जस्टिस शाह ने कहा 'आप जैसे अनुभवी आदमी के दिमाग में उस समय यह बात जरूर आनी चाहिए थी कि उनको आखिर कुछ न कुछ वेतन तो मिल ही रहा होगा व वहीं अवैतनिक नौकरी तो कर नहीं रही होगी। श्री सेन इसका कुछ भी जवाब नहीं दे सके।

शान शौकत की परिभाषा

यदि आपके पास रेफ्रिजिरेटर टेलीविजन और छोटी कार है तो उसका मतलब यह निकाला जा सकता है कि आप बहुत शान शौकत से रह रहे हैं। इस बात का रहस्योद्घाटन श्री सेन ने किया। उनका कहना था कि एक अधिकारी की जांच करने पर उसके पास में यह सब मिला था और उसीके आधार पर उन्होंने समझा था कि वह अपनी आय से कहीं अधिक अच्छी तरह और शान शौकत से रह रहा है।

इसपर जस्टिस शाह ने कहा 'क्या सोलह-सत्रह सौ रुपये महीना वेतन पाने वाले सरकारी अधिकारी के पास टेलीविजन रेफ्रिजिरेटर या पुरानी कार का होना उसकी आय से बहुत अधिक धन होने का प्रमाण है ?

श्री सेन ने मुस्कराते हुए कहा मुझे साढ़े तीन हजार रुपया मासिक वेतन मिलता था लेकिन मेरे पास टेलीविजन नहीं था।' इसपर जस्टिस शाह ने हंसी के बीच कहा इसमें क्या होता है ! मेरे पास टेलीविजन नहीं है लेकिन मेरे स्टेनो के पास तो है।'

जस्टिस शाह के एक प्रश्न के उत्तर में श्री सेन ने बताया कि जांच रिपोर्ट से पता चला था कि श्री काम्बे का बम्बई में एक फ्लैट है। हो सकता है श्री काम्बे ने इसकी अपनी सम्पत्ति में घोषणा नहीं कर रखी हो और इसके बेनामी मालिक हों। श्री सेन ने यह बात तब कही जब जस्टिस शाह ने उनसे कहा कि श्री काम्बे के फ्लैट तो है नहीं उन्होंने इसे किस प्रकार सही समझ लिया था ?

एक अन्य अधिकारी श्री कृष्णास्वामी के संबंध में श्री सेन ने स्वीकार किया कि वे औसत तरीके से रहते थे तथा उनकी गोपनीय रिपोर्ट में भी कोई विपरीत टिप्पणी नहीं लिखी हुई थी।

उनका कहना था कि श्री कृष्णास्वामी के नाम पर ३० हजार रुपये के शेयर थे जिनमें से २५ हजार के शेयर १९७२ में उनके

पिता ने उनके नाम हस्तान्तरित किए थे और शेष पाच हजार के शेयर उन्होंन स्वय खरीदे थ।

जस्टिस शाह न पूछा "क्या आपको पता है कि श्री कृष्णास्वामी एक रिटायड अकाउटेंट जनरल के पुत्र थे इसलिए पाच हजार के शेयर खरीदना उनके लिए कोई बडी बात नहीं थी ?'

श्री सेन बोले, '१६७२ म पाच हजार रुपय की राशि बहुत अधिक होती थी तथा उन जसे स्तर के अधिकारी के हिसाब से यह अधिक ही थी और इसके अतिरिक्त उनके पास बहुत सा अय सामान भी था। उन्होंने बताया कि गुप्तचर यूनिट के अनुसार, श्री कृष्णास्वामी के कुछ लोगा क साथ सदिग्ध सबध भी थे।"

जस्टिस शाह न उनस पूछा क्या आपक पास कुछ शेयर हैं ?'

'जी हा, लगभग दो हजार रुपये मूल्य के।"

'क्या आपने उन्ह उचित तरीके से खरीदा है।"

"जी हा।'

'तब आप किस प्रकार स कह सकते है कि श्री कृष्णास्वामी ने पाच हजार रुपये मूल्य क शेयर गलत तरीके स खरीदे थे ?'

श्री सेन इसका जवाब नहीं दे सके।

श्री खडालावाला ने इस मामले के सबध म पूरी बहस पर विचार करने के बाद कहा कि तत्कालीन प्रधानमत्री न सभी कायदे कानूनो की उपेक्षा करके कानून अपने हाथ म ले लिया था। श्रीमती गाधी नहीं चाहती थीं कि उनके पुत्र की फक्टरी के बार म ससद म कोई जानकारी दी जाए।

उन्होंने कहा 'जहा सत्ता व्यक्ति को भ्रष्ट कर देती है वहीं निरकुश सत्ता उस पूणतया भ्रष्ट कर देती है।'

उनका कहना था कि इन सबको देखते हुए श्रीमती गाधी पर भारतीय दड सहिता के अतगत अभियोग बनता है। इसपर जस्टिस शाह न कहा कि उन्हें इस बात स कोई सरोकार नहीं है कि अभियोग बनता है या नहीं उनका काम सिफ ज्यादती का पता लगाने तक सीमित है अभियोग बनाने तक नहीं।

(11) चले थे फर्म की जाच करने—पहुचे मीसागार मे

हैडलूम के वस्त्रो के निर्माण को बढावा देने के लिए इसके निर्यात शुल्क म छूट मिली हुई है और हैंडलूम के नाम पर मिल म बने कपडे के वस्त्रो का निर्यात कर यह छूट पाना एक अपराध है। इस अपराध का पता लगाना कोई अपराध नही बल्कि देश के राजस्व म बढोत्तरी के लिए अच्छा कदम भी है। परतु एमरजन्सी के दौरान इस अच्छे कदम के लिए अधिकारियो को जो पुरस्कार मिला वह भी विचारणीय है।

कुछ अधिकारियो को उनके कार्यालय स घर लौटने स पूर्व ही और कुछ को आधी रात को उनके घरो स उठाकर मीसा के अतगत नजरबन्द कर देना ही वह पुरस्कार था। यह पुरस्कार किसी एक अधिकारी को नही बल्कि बारह अधिकारियो को मिला। इन अधिकारियो की गलती सिर्फ यही थी कि जाच स पहल उन्होने इस बात की जाच नहीं की थी कि यह फर्म किसस सम्बद्ध है। यह फर्म थी इदिरा इटरनेशनल जिसका सबध था तत्कालीन प्रधान मत्री के पुत्र श्री सजय गाधी की सास श्रीमती अमतेश्वर आनद स।

वाणिज्य मत्रालय म टैक्सटाइल कमेटी को सूचना मिली थी कि इस फर्म द्वारा हैंडलूम के स्थान पर मिल म बने कपडे के वस्त्रो का निर्यात कर निर्यात शुल्क म छूट प्राप्त की जा रही है। जाच के लिए इस कमेटी न नौ इस्पक्टरो सवश्री एस० के० बालिया बी० बी० भाम्मरी आर० रगराजन डी० बी० घोष राजेश गुप्ता सी० एम० वकटेश ए० के० चक्रवर्ती आर० सी० जैन आसुतोष मुखर्जी तथा सहायक इस्पेक्टर श्री एम० एन० चटर्जी को नियुक्त किया। उधर कस्टम विभाग म दो इस्पक्टर श्री सुमरसिंह यादव और श्री एम० एस० मलिक को पालम हवाई अड्ड के माल विभाग म इस फर्म की गाठो का निरीक्षण करन को कहा गया।

इन सभी इस्पक्टरो को इस जाच-कार्य म हाथ डालन पर दड प्रक्रिया सहिता की धारा १०८/१५१ के अतगत गिरफ्तार कर दिल्ली की तिहाड जल म डाल दिया गया। बाद म इन लोगो को मीसा के अतगत गिरफ्तारी के आदेश थमा दिए गए। सिर्फ एक इस्पेक्टर

श्री वालिया के अतिरिक्त जिन्हें पहले ही रिहा कर दिया गया था, शेष सभी इस्पेक्टरों को लोकसभा चुनाव घोषणा के बाद रिहा किया गया।

इन गिरफ्तारियों के पीछे सरकार का कथन था कि प्रधानमंत्री के पास कुछ शिकायतें आई थी कि वाणिज्यमंत्री श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय टैक्सटाइल कमेटी म बगालियों ही बगालियों को भर रहे हैं और इनमें से कुछ अधिकारी भ्रष्टाचार म लिप्त हैं तथा फर्मों को तग कर धन बना रहे हैं। श्रीमती गाधी के अनुसार, इस बार म श्री चटटोपाध्याय को सूचित करने के निर्देश दिए। श्री चट्टोपाध्याय के उपलब्ध न होने पर श्रीमती गाधी के अतिरिक्त निजी सचिव श्री राजेन्द्रकुमार धवन ने उनके विशेष सहायक श्री एन० के० सिंह को इस बात से अवगत करा दिया। कुछ ही देर बाद श्री सिंह ने इस्पेक्टिंग आफीसर श्री एस० सी० सूरी से बगाली अधिकारियों की सूची प्राप्त कर प्रधानमंत्री निवास भिजवा दी और प्रधानमंत्री के अनुसार यह मामला वहीं समाप्त हो गया।

परन्तु बात यही समाप्त नही हुई थी जाच ब्यूरो के उपमहानिरीक्षक श्री० ए० पी० मुखर्जी के अनुसार दिल्ली पुलिस के महानिरीक्षक (रेंज) श्री पी० एस० भिण्डर ने उन्हे मई १९७६ के अत मे सूचित किया था कि प्रधानमंत्री निवास म शिकायत मिली है कि टक्सटाइल कमेटी के कुछ अधिकारी भ्रष्टाचार मे लिप्त हैं। चूकि श्री मुखर्जी के पास ऐसी कोई शिकायत नही थी, इसलिए उन्होंने इसकी जाच कराने के आदेश दिए। परन्तु अभी जाच पूरी भी नही हो पाई थी कि सूचना मिली कि दिल्ली पुलिस ने इन अधिकारियों को गिरफ्तार भी कर लिया है।

श्री मुखर्जी को यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि अभी तक सभी अधिकारियों के खिलाफ जाच पूरी भी नहीं हो पाई थी और कुछ अधिकारियों के खिलाफ तो आरोप भी सही नहीं पाए गए थे। बाद म पता चला कि श्री भिण्डर ने जून के पहले सप्ताह मे ही सबधित पुलिस अधीक्षकों को इन अधिकारियों के नामों की सूची पकडाते हुए गिरफ्तारी के आदेश दिए थे और कहा था कि जिला मजिस्ट्रेट स्वय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों को इस सबध म सूचित कर देंगे।

कस्टम इस्पेक्टर मान्द तथा मलिक को १ जून, १९७६ को

दोपहर म उनके कार्यालय म ही गिरफ्तार कर लिया गया। टक्न टाइन इस्पक्टर सवश्री वालिया भाम्भरी, रगराजन तथा सहायक इस्पक्टर श्री चटर्जी को उसी रोज आधी रात को उनके घर स गिर पतार किया गया और अय इस्पक्टरा सवश्री घोप गुप्ता वक्टश चनवर्ती, जन तथा मुखर्जी को २ और ५ जून क बीच गिरफ्तार किया गया।

यादव तथा मलिक का इस आरोप म गिरफ्तार किया गया कि उहान एमरजसी क विराध म नारे लगाए हैं तथा सरकार का तख्ता उलटन की योजना बनान का प्रयास किया है। इसक्टर भाम्भरी को इस आरोप म गिरफ्तार किया गया कि उसने २ जून १६७६ को साय साढे पाच बजे अजमल खा रोड पर जनता को भडकाने वाला भाषण दिया था। वहा यह उल्लेखनीय है कि श्री भाम्भरी को एक जून की रात का ही गिरफ्तार किया गया।

दिल्ली पुलिस का चूकि मीसा क अतगत गिरफ्तारी के लिए उचित कारण नही मिल पाए थे इसलिए एक बार फिर जाच ब्यूरा की सेवाए लन का फसला किया गया। जाच ब्यूरो के निद शक श्री सेन ने आठ जून को उपमहानिरीक्षक श्री योगेद्र राजपाल को बुलाकर कहा कि व श्री भिण्डर क सम्पक म रहकर इन अधि कारिया से तिहाड जल पूछताछ की व्यवस्था करें। यह सब इस लिए किया गया, ताकि इन अधिकारियो के विरुद्ध आय स कहीं अधिक सम्पत्ति रखन का मामला बनाया जा सके।

इन आदशा के बाद जाच ब्यूरो के इस्पेक्टर श्री दरियावसिह न दिल्ली पुलिस के इस्पेक्टर श्री वेदप्रकाश के सहयोग से यह पूछ ताछ की। इन दाना इस्पेक्टरा द्वारा की कई यह पूछताछ टेप रिकाटर पर रिकाड की गई थी। पूछताछ क बाद इन अधिका किया स कोई विशप बात मालूम नही हो सकी और एक दूसरी ही बात नात हुई कि इस्पक्टिग आफीसर श्री सूरी ने जिहाने श्री सिंह को इन इसपक्टरा की सूची दी थी, जानबूझकर उन अधिका रिया क नाम दिए थे जिनसे उनके अच्छे सबध नही थे। बाद म जस्टिस शाह के आदेश पर वह रिकाडर आयाग के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसम यह सब पूछताछ रिकाड की गई थी।

बाद म ११ जून का श्री सेन के कमरे म हुई एक बठक म श्री भिडर ने कहा यद्यपि इन अधिकारिया के विरुद्ध कोई दस्तावेजी

प्रमाण नहीं मिल सके हैं परन्तु वे इस बात से शत प्रतिशत विश्वस्त हैं कि ये अधिकारी भ्रष्ट हैं।'

इस बैठक में चार अधिकारियों सर्वश्री चटर्जी, मुखर्जी, यादव और मलिक के विरुद्ध मामले दर्ज करने का निर्णय किया गया। इसके बाद इन अधिकारियों के विरुद्ध १९ जून को मामले दर्ज कर लिए गए और इन अधिकारियों के घरों की तलाशी ली गई। मुखर्जी के घर की तलाशी के समय उनकी पत्नी बीमार थी और बिस्तर पर पड़ी थी।

जहां इन चार अधिकारियों के विरुद्ध मामले दर्ज कर लिए गए वहीं श्री सूरी और श्री आर० डी० भटनागर के विरुद्ध कोई मामला दर्ज नहीं किया गया जबकि गुप्तचर यूनिट ने इन दोनों के विरुद्ध पर्याप्त सामग्री एकत्र कर मामला दर्ज करने की सिफारिश की थी। २१ जुलाई को श्री राजपाल ने एक नोट लिखते हुए कहा था कि कम से कम इन लोगों के खिलाफ प्रारंभिक जांच के मामले तो दर्ज किए ही जा सकते हैं और इसपर संयुक्त निदेशक श्री ए० बी० चौधरी ने भी अपनी सहमति व्यक्त करते हुए नियमित मामले दर्ज करने का सुझाव दिया था। परन्तु श्री सेन ने ३ अक्तूबर को श्री चौधरी से बातचीत करने के बाद कहा कि एकत्र की गई सामग्री पर्याप्त नहीं है। इसके बारे में आगे और जांच करवाई जाए। २७ अक्तूबर को अधीक्षक ने फिर इन दोनों के विरुद्ध मामले दर्ज करने की सिफारिश की, परन्तु यह निश्चय किया गया कि इन लोगों के विरुद्ध जांच ब्यूरो द्वारा जांच न कराई जाए बल्कि ये मामले विभागीय कारवाई के लिए भेज दिए जाएं।

ये सब गिरफ्तारियां इतनी अचानक और बिना कोई कारण बताए की गई थी कि ये लोग स्वयं तथा इनके परिवार वाले बचाव के लिए कुछ भी नहीं कर सके। गिरफ्तार इंस्पेक्टरों की पत्नियों ने न सिर्फ दिल्ली के तत्कालीन उपराज्यपाल श्री कृष्णचंद से भेंट की बल्कि गृह राज्यमंत्री श्री ओम मेहता और वाणिज्य मंत्री श्री चट्टोपाध्याय और उनके विशेष सहायक श्री सिंह से भी मुलाकात की, परंतु कोई भी उनकी सहायता नहीं कर सका। हां बातों से ऐसा जरूर लगा कि श्री सिंह इन गिरफ्तारियों से प्रसन्न नहीं थे।

पाठ पढाने की आवश्यकता

कस्टम इस्पेक्टर यादव की पत्नी श्रीमती ओमवती यादव ने गुडगावा के एक निवासी श्री कदमसिंह की सहायता से श्री भिंडर से मुलाकात की। परतु श्री भिंडर ने कहा कि वे इस मामले म कुछ नहीं कर सकते क्योकि गिरफ्तारी के आदेश अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने दिए थ। श्री कदमसिंह द्वारा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट से मिलन पर उन्होने कहा कि बेहतर यही है कि आप श्री भिंडर से ही मिल क्योकि उनके कहने पर ही ये गिरफ्तारिया की गई थी। बाद म श्री भिंडर से दुबारा मिलने पर उन्होंने कहा कि श्री राजय गाधी क अतिरिक्त कोई और व्यक्ति यह काम नही कर सकता, क्योकि वे यादव स इसलिए नाराज है क्योकि उसने उनकी सास की फम के वस्त्रा की गाठ की जाच करने की हिमाकत की थी। श्री कन्दमसिंह न श्री गाधी से भट करने की काफी कोशिश की और बाद म एक सुरक्षा कमचारी के सहयोग स वे उनसे मारुति फक्टरी म मिलने म सफल भी हो गए। श्री गाधी ने सारी बात सुनन के बाद कहा कि उस (यादव को) पाठ पढाए जाने की आवश्यकता है। श्रीमती यादव ने श्री कदमसिंह के अतिरिक्त अपन पति क साथी कस्टम इस्पक्टर श्री सुरेन्द्रमोहन वोहरा द्वारा भी श्री भिंडर स कहलान की चेष्टा की परतु काम नहीं चला।

काफी जाच पडताल के बाद भी उन चारो अधिकारियो के खिलाफ साधन स कहीं अधिक सपत्ति रखन का प्रमाण नहीं मिल सका जिनक विरुद्ध मामला दज किया गया था। बाद म इन सभी अधिकारियो को जिन्हे बिना किसी उचित कारण क मीसा मे गिरफ्तार कर लिया गया था फरवरी १६७७ म जेल स रिहा किया गया।

हृदयविदारक विवरण

गिरफ्तार इन्सपक्टरो की पत्नियो ने आयोग के समक्ष अपनी कठिनाइयो का जो हृदय विदारक वणन किया, उसे सुनकर जस्टिस शाह भी अपने को नहीं रोक सके और कहा इसान की इसान के प्रति अमानवीय व्यवहार की कोई सीमा नहीं है। हमारे अधिकारियो म यह अभी भी विद्यमान हैं। मैंने जो कुछ सुना है वह

रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मेरी सहानुभूति आपके साथ है इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता।"

श्रीमती वालिया ने फफक फफक रोते हुए अपनी करुणाजनक गाथा सुनाई कि किस प्रकार से उनके पति को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके फलस्वरूप उनके वृद्ध ससुर बीमार हो गए, जो अभी भी बिस्तर नहीं छोड़ सके हैं।

'मीसा' नहीं होना चाहिए

श्रीमती वालिया ने सुबकते हुए कहा कि 'मीसा' जैसा कानून होना ही नहीं चाहिए। इसमें लोगों को जानवरों की तरह गिरफ्तार किया गया। हम लोगों ने तड़प-तड़पकर वक्त काटा है। हम लोगों की इतनी बदनामी हुई कि हमारे सगे-सबंधियों ने हमसे मिलना तक छोड़ दिया। हमारे बच्चों से दूसरे बच्चे कहा करते थे कि तुम्हारा पापा जेल में है। मीसा के भय और आतंक के कारण लोगों ने हमारे यहां आना भी छोड़ दिया।

श्रीमती वालिया यह कहते हुए इतनी जोर से रो पड़ी कि उनकी पूरी बात तक सुनाई नहीं दी। आयोग के कक्ष में एक करुणाजनक दृश्य पैदा हो गया। वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखें यह हृदय विदारक गाथा सुनकर भर आई।

इसमें पूर्व एक अन्य इंस्पेक्टर की पत्नी श्रीमती चटर्जी ने अपनी करुणाभरी गाथा सुनाते हुए कहा कि उनके पति को क्यों गिरफ्तार किया गया व यह बात नहीं जान पाई। उन्होंने कहा, 'मैं एक गृहिणी हूं मैं कभी अकेले घर से बाहर नहीं निकली थी, परन्तु उस दिन अपनी दोनों बच्चियों को छोड़कर अकेले पुलिस स्टेशन गई। मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ीं, मैं गृह राज्यमंत्री श्री ओम मेहता से भी मिली, परन्तु कोई परिणाम नहीं निकला।'

श्रीमती चटर्जी का कहना था कि जांच ब्यूरो द्वारा उनके मकान की तलाशी ली गई और वे अपनी दोनों छोटी बच्चियों के साथ रात के समय बाहर आंगन में खड़ी रहीं। मेरे पति अभी तक उस आघात से प्रभावित हैं।

एक अन्य इंस्पेक्टर की पत्नी श्रीमती घोष ने कहा कि उनके पति की गिरफ्तारी की खबर सुनकर उनके सास और ससुर बीमार पड़ गए। वे लोग कलकत्ता में थे और ससुर की हालत बहुत

खराब हो गई थी। उनका कहना था कि सरकार बदलने के बाद उनके पति की नौकरी तो वापस मिल गई, परन्तु उनका तबादला बम्बई कर दिया गया और इस कारण अब भी वे अपने बीमार माता पिता की सेवा भी नहीं कर सके।

सभी महिलाओं की ओर से फरियाद

श्रीमती रंगराजन ने महिलाओं की ओर से अनुरोध करते हुए कहा कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि ऐसा समय फिर कभी नहीं आए और महिलाओं को आतंकित और अपमानित न होना पड़े। उन्होंने बताया कि वे उन दिनों रात में सो भी नहीं पाती थीं। उन्होंने कई नेताओं के दरवाजे खटखटाए, परन्तु कोई लाभ नहीं हुआ। मैं श्री सिंह से मिलने भी गई थी परन्तु उन्होंने मिलने से ही इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे श्रीमती गांधी से भी मिलने गई थीं परन्तु उन्हें बताया गया कि श्रीमती गांधी इस मामले के संबंध में किसी से मिलना नहीं चाहतीं।

गिरफ्तारी की खबर से शर्म आई

तत्कालीन वाणिज्यमंत्री श्री चट्टोपाध्याय ने अपने बयान में बताया कि उन्हें टेक्सटाइल कमेटी के दस इंस्पेक्टरों की गिरफ्तारी की बात सुनकर बहुत ही शर्म महसूस हुई। इन गिरफ्तारियों के बारे में न तो उन्हें कोई जानकारी ही दी गई थी और न ही कोई राय ली गई। उन्हें इस बात की भी कोई जानकारी नहीं थी कि श्रीमती गांधी के परिवारजनों की इंदिरा इंटरनेशनल नामक फर्म में कोई दिलचस्पी है। श्री चट्टोपाध्याय का कहना था कि उनपर आरोप लगाया गया था कि वे इन भ्रष्ट इंस्पेक्टरों को बचा रहे हैं। इस बात को गलत ठहराने के लिए ही उन्होंने इन सभी इंस्पेक्टरों की सूची प्रधानमंत्री के पास भिजवा दी थी। ये सभी इंस्पेक्टर बंगाली थे तथा इनमें से कुछ तो उनके इस मंत्रालय में आने से पूर्व ही काम कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि १० इंस्पेक्टरों की गिरफ्तारी के संबंध में उन्हें कोई न्यायिक औचित्य नजर नहीं आया था तथा यह सब उनके लिए धक्का पहुंचाने वाला और शर्मनाक था। उन्होंने इन लोगों के बारे में तत्कालीन गृह राज्यमंत्री श्री मेहता से भी बात

मी थी, परन्तु उन्होंने यही कहा कि वे इस संबंध में दिल्ली प्रशासन से बात करेंगे।

श्री चट्टोपाध्याय ने जस्टिस शाह के एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि श्रीमती गांधी वस तो हमेशा उनसे सीधे ही सम्पर्क रखा करती थीं परन्तु इसी मामले में उन्होंने अपने अतिरिक्त निजी सचिव के जरिये संदेश भिजवाया था।

जस्टिस शाह बोले 'आप मंत्रालय के प्रमुख थे, एक तरीके से अपने अधीनस्थ लोगों के पिता के समान, फिर भी आप इस मामले में नौ महीने तक सोते रहे?"

श्री चट्टोपाध्याय ने जवाब दिया, 'मैं सोता नहीं रहा, जो कुछ सम्भव था, मैंने किया। परन्तु उन दिनों हालात असामान्य थे।"

उन्होंने बताया कि उन्हें बाद में ज्ञात हुआ कि इन अधिकारियों की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली पुलिस और केन्द्रीय जांच ब्यूरो में प्रतिस्पर्धा-सी चल रही थी, जिसमें विजय दिल्ली प्रशासन की हुई।

बच्चे भी सम्पत्ति

क्या किसी सरकारी अधिकारी का पार्टियों आदि में व्हिस्की पीना नौ बच्चे होना घर में दो किलो दूध प्रतिदिन मंगाना सम्पत्ति है? इसके अतिरिक्त क्या घर में रेडियो फ्रिज, रूम कूलर लोहे की अलमारी तथा रिकार्ड-प्लेयर का होना भी सम्पत्ति में शामिल है?

यह सवाल आयोग के समक्ष उस समय पेश हुआ, जब जांच ब्यूरो के भूतपूर्व निदेशक श्री सेन ने बताया कि श्री मलिक की जांच कराने के बाद इन इन सम्पत्तियों का पता लगा था। श्री मलिक की सम्पत्ति में इन सब बातों को शामिल किया गया था। श्री सेन आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में इस बात का उचित उत्तर नहीं दे सके बस यही कहते रहे कि जांच के बाद इन सब बातों का पता लगा था।

उनका कहना था कि श्री मलिक का १०४३ रुपया मासिक वेतन मिलता था और वे इसमें से घर पर सिर्फ ८५० रुपया ही भेजा पाते थे। इसके बावजूद उनके बैंक में १२ हजार रुपये जमा

थे।

श्री यादव के संबंध में श्री सेन ने बताया कि उनका वेतन १२०४ रुपये मासिक था। उनकी गुड़गांव में जमीन भी थी तथा इसके अतिरिक्त उनके दो बैंकों में खाते थे, जिनमें से एक में २८ हजार और दूसरे में पांच हजार रुपये जमा थे। ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले थे।

उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने इस बात की कोई जांच नहीं कराई थी कि इनकी पत्नियां कमाती थीं अथवा नहीं। परन्तु यह सही है कि उनके रहन सहन का ढंग उनकी आय से कहीं अधिक अच्छा था।

जांच ब्यूरो के तत्कालीन उपमहानिरीक्षक श्री ए० पी० मुखर्जी ने अपने बयान में बताया कि एमरजेन्सी के दौरान जो कुछ हुआ, उसके कारण उन लोगों को भी मर्मान्तक पीड़ा है। उनका कहना था कि निरपराध सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जांच-पड़ताल करना उन्हें भी बुरा तो बहुत लगा था, परन्तु क्या करते, विवश जो थे।

जस्टिस शाह के एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने स्वीकार किया कि हम लोगों के कार्यालय का दुरुपयोग किया जा रहा था। हम लोगों ने इस विषय में आपस में विचार विमर्श भी किया, पर कोई और रास्ता भी नहीं था।

जस्टिस शाह ने इसपर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा "उस अवधि में ऐसे कार्य हुए जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। एमरजेंसी के दौरान किसीकी प्रतिष्ठा सुरक्षित नहीं थी किसीको भी घसीटकर मनमाने तौर पर पकड़कर नजरबंद किया जा सकता था। किसीकी भी सम्पत्ति जब्त की जा सकती थी।' उन्होंने आगे कहा एमरजेन्सी में अधिकारी अपनी बुद्धि विवेक को ताक पर रखकर किस प्रकार से काम करते थे आश्चर्य होता है।"

श्री मुखर्जी ने आयोग से प्रार्थना की कि ऐसी उपयुक्त कार-वाई की जाए ताकि कोई भी सरकार भविष्य में केन्द्रीय जांच ब्यूरो जैसी प्रतिष्ठित संस्था को ऐसा काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सके जिससे उसकी प्रतिभा नष्ट न हो।

इसपर जस्टिस शाह ने कहा 'जब तक नागरिकों और सर

यारी अधिकारियों मे नागरिक उत्तरदायित्व की भावना पैदा नहीं होगी, तब तक इससे भी खराब बातें होती रहेगी।"

सूची लुप्त

श्री धवन ने जिरह के दौरान स्वीकार किया कि श्री एन० के० सिंह ने उन्हें सूची तो भेजी थी, परन्तु बाद में उन्होंने वह सूची प्रधानमंत्री को दे दी थी। इसके बाद उस सूची का क्या हुआ, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है।

इसपर आयोग के वकील श्री खडालावाला ने कहा, 'प्रधान मंत्री ने उस सूची का क्या किया ?"

श्री धवन बोले 'मुझे मालूम नहीं।"

श्री खडालावाला तो क्या फिर वह कहीं लुप्त हो गई ?

श्री धवन मैं क्या कह सकता हू।

श्री खडालावाला कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि वह सूची श्री संजय गांधी के पास पहुच गई हो ?

श्री धवन मैं पहले ही कह चुका हू कि मुझे मालूम नहीं कि सूची का बाद में क्या हुआ।

श्री खडालावाला ने जानना चाहा कि जब यह मामला इतना महत्वपूर्ण था, तो प्रधानमंत्री सचिवालय में इसकी फाइल तो जरूर रही होगी। इसपर श्री धवन ने कहा 'मैं फाइलों का काम नहीं देखा करता था।'

श्री खडालावाला परन्तु आपको प्रधानमंत्री सचिवालय की कार्य-पद्धति की तो जानकारी होगी ?

श्री धवन मेरे खयाल से यह मामला उसी समय समाप्त हो गया था जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि उन्हें आरोपों में कोई सच्चाई नजर नहीं आती।

इससे पूर्व श्री धवन ने आयोग को बताया था कि प्रधानमंत्री के पास कुछ शिकायतें आई थीं कि वाणिज्यमंत्री श्री चट्टोपाध्याय ट्रेसमैन्ट कमेटी में बगानियों का सर रहे हैं और उनमें से कुछ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और अनियमितताएं बरत रहे हैं। उन्होंने इस बारे में श्री चट्टोपाध्याय के विशेष सहायक श्री सिंह को सूचित कर दिया था और उन्होंने बाद में इन इसपेक्टरों की एक सूची भी भेजी थी।

श्री सिंह ने आयोग को दिए अपने बयान में बताया कि श्री धवन ने उन्हें फोन कर इन अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत की थी। उन्होंने टैक्सटाइल आफीसर श्री सी० एस० सूरी को फोन पर इंस्पेक्टरों की सूची भेजने को कहा और कुछ देर बाद ही उनके पास सूची भेज दी गई, जो उन्होंने प्रधानमंत्री निवास भेज दी थी। इसके कुछ दिन बाद ही उन्हें पता हुआ कि कुछ टैक्सटाइल इंस्पेक्टरों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

भिण्डर ने जिम्मेदारी ली

दिल्ली के तत्कालीन पुलिस उपमहानिरीक्षक (रेंज) श्री पी० एस० भिण्डर ने इन अधिकारियों की गिरफ्तारी की प्राथमिक जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए कहा कि बहुत से वस्त्र निर्यातकों ने उनसे शिकायत की थी कि कुछ इंस्पेक्टर उन्हें बेवजह परेशान कर रहे हैं। उन्होंने इसके बाद दिल्ली प्रशासन में पुलिस अधीक्षक (भ्रष्टाचार निरोधक) श्री बलवंतसिंह से इस मामले का पता लगाने को कहा था।

श्री भिण्डर ने इन अधिकारियों की गिरफ्तारी से उनके परिवारजनों को हुई परेशानियों पर खेद प्रकट किया परन्तु उन्होंने इस बात से इंकार किया कि उन्होंने कभी किसी इंस्पेक्टर की पत्नी से श्री संजय गांधी के पास जाने को कहा था। उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि इस मामले में कुछ कर पाने के लिए उनके पास अधिकार नहीं है। उन्होंने इस बात से भी इंकार किया कि उन्होंने श्री मुखर्जी से कहा था कि यह सूचना प्रधानमंत्री निवास से आई है।

श्री भिण्डर का कहना था कि एमरजेन्सी की घोषणा के बाद दिल्ली प्रशासन में एक अपेक्स कमेटी का गठन किया गया था और उसमें हुई एक बैठक में निर्णय लिया गया था कि उत्तर प्रदेश सरकार की भांति दिल्ली प्रशासन भी सरकारी कर्मचारियों को मीसा के अंतर्गत गिरफ्तार कर सकता है।

उन्होंने बाद में जिरह के दौरान स्वीकार किया कि ये इंस्पेक्टर दिल्ली प्रशासन के अंतर्गत नहीं आते थे परन्तु अपेक्स कमेटी की बैठक में यह नहीं कहा गया था कि यह आदेश सिर्फ दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों पर ही लागू होंगे केन्द्र सरकार के कर्म

चारियों पर नहीं। उनका कहना था कि उन्होंने कभी भी अधिका रियों को यह आदेश नहीं दिए थे कि इन लोगों को पहले दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १५१ के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने तो इन लोगों को सीधे ही मीसा में गिरफ्तार करने को कहा था।

श्री भिण्डर ने इस बात को गलत बताया कि उन्होंने श्री कृष्ण चन्द से कहा था कि उच्चाधिकारियों ने इन इंस्पेक्टरों को मीसा में गिरफ्तार करने को कहा है। उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि उन्होंने इस मामले पर गृह राज्यमंत्री श्री मेहता से विचार विमर्श किया है और आप भी आगे कोई कारवाई करने से पहले श्री मेहता से सलाह कर लें।

दिल्ली प्रशासन के गृह विभाग में तत्कालीन विशेष गृह सचिव श्रीमती शैलजा चन्द्रा ने स्वीकार किया कि प्रशासन में एक अपक्स कमेटी का गठन किया गया था और उसमें सरकारी कर्मचारियों की मीसा में गिरफ्तारी पर भी विचार विमर्श किया गया था, परन्तु उन्हें यह याद नहीं है कि बैठक में केन्द्र और दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों के बारे में विशेष रूप से कोई ज़िक्र किया गया था अथवा नहीं।

गुड़गांव में फर्म इन्दिरा इन्टरनेशनल की एक भागीदार श्रीमती इन्दिरा डोंडी ने आयोग को भेजे एक बयान में इन आरोपों को गलत बताया था कि श्री गांधी की सास श्रीमती आनन्द इस फर्म की कोई भागीदार थी अथवा उनका इसमें कोई मालिकाना स्वार्थ था।

परन्तु एक आयकर अधिकारी श्री एस० के० भारद्वाज ने बाद में आयोग के समक्ष कुछ दस्तावेज़ प्रस्तुत कर सबको चौंका दिया। इन दस्तावेज़ों से पता चलता था कि श्रीमती आनन्द को इस फर्म द्वारा १ अप्रैल १९७६ से लेकर ३१ मार्च १९७७ के बीच १७ हज़ार रुपये से अधिक की धनराशि कमीशन के रूप में दी गई है। श्रीमती आनन्द को यह राशि निमान के काम के लिए कमीशन के रूप में दी गई थी।

श्री गुप्तनावाला ने विरुद्ध के तर्क निष्कर्ष निकालते हुए कहा कि इन अवैध गिरफ्तारियों के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी उत्तरदायी हैं क्योंकि इस संबंध में समस्त **कारवाई**

श्रीमती गाधी की पहल पर ही की गई।

उनका कहना था कि इन इंस्पक्टरो ने इन्दिरा इंटरनेशनल फर्म के सिलेसिलाए वस्त्रो को रोक दिया था तो फर्म के एजेन्टो ने इंस्पेक्टरो को धमकी दी थी कि इसकी कीमत चुकानी होगी, और बाद म इन्ह गिरफ्तार कर लिया गया।

श्री खडालावाला न कहा कि भूतपूर्व प्रधानमत्री के अतिरिक्त निजी सचिव श्री धवन यह कह चुके हैं कि उन्होन वह सूची श्रीमती गाधी को दे दी थी। उसके बाद से ही वह सूची गायब है। यदि श्रीमती गाधी यहा गवाही देने आती तो यह मालूम हो सकता था कि उस सूची का क्या हुआ और व उससे क्या चाहती थी।

(iii) आनन्द मार्ग की आड मे राजनीतिक प्रतिशोध

एमरजेन्सी के दौरान राजस्थान के एक आई० ए० एस० अधिकारी को अपनी कर्तव्यनिष्ठा क कारण नौकरी से निलम्बित होना पडा। उनपर आरोप लगाया गया था कि वे आनन्द मार्ग से सम्बद्ध हैं।

आनन्द मार्ग की आड म ही जयपुर के एक एडवोकेट को मीसा क अतर्गत जेल म डाल दिया गया था और उनकी पत्नी को भी नौकरी से हटा दिया गया था।

राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमत्री श्री हरिदेव जोशी न २० अगस्त १९७५ को राज्य के मुख्य सचिव को एक नोट लिखा था जिसमे कहा गया था

'प्रधानमत्री के अतिरिक्त निजी सचिव श्री आर० के० धवन ने मुझे फोन कर निम्नलिखित सदेश दिया

१ जयपुर म सरोजनी मार्ग पर रहने वाले एक एडवोकेट श्री एस० एन० शर्मा के बारे म ज्ञात हुआ है कि उन्होन स्वय के तथा अपनी पत्नी के आनन्द मार्ग स सबधित होने क कुछ कागजात जलाए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आर० एन० गौड इन कागजातो के जलाए जाने की सूचना मिलने के बाद भी वहा समय पर नही पहुचे और कागजो को जलने दिया। यहा सूचित

किया जाता है कि श्री शर्मा को मीसा के अतर्गत गिरफ्तार कर लिया जाए।

२ उनकी पत्नी श्रीमती चन्द्रा शर्मा को जो जयपुर के महाराजा विद्यालय म अध्यापिका हैं, नौकरी म हटा दिया जाए।

३ श्री गौड के इस प्रकार की काय की तुरत जाच कराई जाए।

४ आई० ए० एस० अधिकारी श्री मगलबिहारी को भी नौकरी से हटा दिया जाए।

कृपया इस बारे म तुरन्त कारवाई करें।

हस्ताक्षर/—हरिदेव जोशी
२० ८ ७५
मुख्यमत्री, राजस्थान

मुख्य सचिव न मुख्यमत्री के उक्त नोट के आधार पर अपनी कारवाई प्रारम्भ कर दी। उन्होंने उसी दिन यानी २० अगस्त १९७५ को तीन अत्यत गोपनीय पत्र लिखे। यह पत्र जयपुर के जिला मजिस्ट्रेट को लिखा गया जिसम श्री शर्मा का मुख्यमत्री की टिप्पणी के आधार पर मीसा म गिरफ्तार करने को कहा गया। दूसरा पत्र शिक्षा आयुक्त को लिखा गया, जिसम श्रीमती शर्मा को इस आधार पर हटाने को कहा गया कि उनका सबध आनन्द मार्ग स है। तीसरा पत्र पुलिस महानिरीक्षक को लिखा गया, जिसम पुलिस अधीक्षक श्री गौड के विरुद्ध तुरन्त कारवाई करने को कहा गया था।

आई० ए० एस० अधिकारी श्री मगलबिहारी को, जो उस समय राजस्व मडल के सदस्य थे २० अगस्त स छुट्टी पर जाने को कहा गया। बाद म २ सितम्बर को मुख्य सचिव न प्रधानमत्री सचिवालय मे सयुक्त सचिव श्री बहल तथा केन्द्र सरकार मे पर्सनल विभाग के सचिव स बात कर श्री मगलबिहारी को एक महीने के अवकाश पर भेज दिया।

मुख्य सचिव के पत्र के आधार पर श्री शर्मा को उसी दिन मीसा म गिरफ्तार कर लिया गया और बाद म मुख्यमत्री की स्वीकृति से राज्य सरकार न इस गिरफ्तारी की पुष्टि भी कर दी। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार श्री शर्मा १९६३ म आनन्द मार्ग म शामिल हुए थे तथा उसके बाद स लगातार उसके सम्पर्क म रहे थे।

श्री शर्मा को इन्हीं आधारों पर गिरफ्तार किया गया।

सरकारी रिकार्डों के अनुसार गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव ने १४ अगस्त को लिखे एक पत्र में उन लोगों की सूची भेजी थी, जो आनन्द मार्ग सहित अन्य प्रतिबंधित दलों से सम्बद्ध थे। इस सूची में श्री शर्मा का तो नाम था, परन्तु उनकी पत्नी का कोई जिक्र नहीं था।

मुख्य सचिव द्वारा भेजे गए पत्र के आधार पर शिक्षा आयुक्त ने अपने संयुक्त निदेशक (महिला) को श्रीमती शर्मा को नौकरी से हटाने के लिए लिखा था। उन्होंने उसके कारण वही बताए थे, जो मुख्य सचिव ने उन्हें दिए थे। शिक्षा आयुक्त के इसी पत्र के आधार पर संयुक्त निदेशक ने २३ अगस्त को ही श्रीमती शर्मा को नौकरी से हटा देने के आदेश दिए।

श्री गौड़ के मामले में राजस्थान पुलिस द्वारा की गई जांच के बाद बताया गया कि उन्होंने घटनास्थल पर पहुंचने में कोई देर नहीं की थी। इसलिए उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कारवाई किए जाने की आवश्यकता नहीं है। जांच के अनुसार प्रोफेसर बी० बी० गुप्ता के मकान के एक हिस्से में श्री शर्मा रहते थे तथा एक हिस्से में एक डाक्टर कुमारी पुष्पा खन्ना रहती थीं। डा० खन्ना ने ही आनन्द मार्ग के संबंध में कुछ कागजात जलाए जाने की पुलिस को सूचना दी थी। सूचना मिलते ही श्री गौड़ जब वहां पहुंचे तो डा० खन्ना ने उन्हें एक डायरी के कुछ जले हुए पृष्ठ दिखाए थे जो उनके अनुसार शर्मा दम्पती ने जलाए थे। जले हुए अधिकांश पृष्ठ खाली थे लेकिन छः पृष्ठों में अध्यात्म के बारे में कुछ बातें लिखी थीं। लेकिन डा० खन्ना वह स्थान नहीं बता पाईं, जहां यह कागजात जलाए गए थे और न ही उन्हें उस नौकर से मिलवा सकीं जिसने उन्हें जलते हुए देखा था।

झगड़ा मकान खाली कराने का

श्रीमती शर्मा ने आयोग को बताया कि उनके पति की मकान मालिक श्री गुप्ता से नहीं बनती थी क्योंकि वह मकान खाली कराना चाहते थे। श्री गुप्ता मकान खाली कराने के लिए उनपर कई तरह से दबाव डाल रहे थे। डॉ० (कुमारी) खन्ना का मकान मालिक से अच्छा मेल जोल था और उन्होंने पुलिस को गलत रिपोर्ट

दी थी।

श्रीमती शर्मा ने स्वीकार किया कि वे १९६३ तक आनन्द मार्ग की सदस्या थीं परन्तु बाद में उनका उससे कोई संबंध नहीं रहा था, हालांकि उनके पति उससे सम्बद्ध रहे थे। लेकिन उन्होंने इस बात को बिलकुल गलत बताया कि उनके मकान में आनन्द मार्ग से सम्बन्धित कोई कागजात जलाए गए थे। उनका कहना था कि उनसे इस संबंध में पूछताछ करने के लिए कोई पुलिस अधिकारी भी नहीं आया था।

उन्होंने बताया कि नौकरी से हटाए जाने का समाचार उनके लिए बहुत ही अप्रत्याशित था, क्योंकि तीन दिन पूर्व ही उनकी प्रिंसिपल ने उनसे कहा था कि आपकी तरक्की के चांस हैं। इससे पूर्व उन्हें १९७३ में श्रेष्ठ अध्यापिका का पुरस्कार मिल चुका था। नौकरी से हटाए जाने के बारे में प्रिंसिपल से मालूम करने पर कहा गया कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है बेहतर है मुख्यमंत्री से मिलो। मुख्यमंत्री से मिलने पर उन्होंने कहा 'इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यह कारवाई ऊपर से आए निर्देशों के अनुसार की गई है।' श्रीमती शर्मा ने कहा कि वे इस संबंध में शिक्षा आयुक्त से भी मिली थीं। उन्होंने कहा था कि 'हो सकता है कि आपके संबंध में किसी ने केन्द्र सरकार से शिकायत की हो।"

निलम्बन के कारण

श्री मंगलबिहारी को सितम्बर, १९७४ में तीन वर्ष के लिए राजस्थान विद्युत् मंडल का अध्यक्ष बनाया गया था परन्तु अचानक ही उन्हें २० जून १९७५ को अजमेर में राजस्व मंडल के सदस्य के रूप में स्थानान्तरित कर दिया गया। श्री मंगलबिहारी ने बताया कि उन्हें निलम्बित किए जाने के मुख्य कारण ये हो सकते हैं

१ उन्होंने मार्च १९७४ में राजस्थान राज्य मंडल परिवहन के अध्यक्ष के रूप में 'दिल्ली' में कांग्रेस द्वारा जयप्रकाश आंदोलन के विरोध में आयोजित एक विशाल रैली में निगम की बसों को काम में लेने की अनुमति नहीं दी थी।

२ विद्युत् मंडल के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने जयपुर में श्रीमती सन्तोष कपूर द्वारा आयोजित एक प्रदर्शनी के लिए रियायती दर पर बिजली देने से इन्कार कर दिया था।

३ विद्युत् मडल के अध्यक्ष के रूप म उन्होने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निणय के बाद दिल्ली म श्रीमती गाधी के प्रति अपनी आस्था प्रकट करने के सबध म आयोजित की जान वाली २० जून की रैली के लिए मडल के १०० ट्रका तथा दस हजार श्रमिका को वहा भेज जान की व्यवस्था करन से इकार कर दिया था। 'मुझ पर राजनीतिक बासा द्वारा मौखिक रूप स निर्देश दिए गए थ कि श्रमिका को बिना छुट्टी ही जान की अनुमति दी जाए तथा ट्रका के लिए कुछ भी किराया न लिया जाए।

४ बाद म उन्होने दिल्ली भेज गए ५८ ट्रका के लिए सामान्य निजी दरें वसूल करन के लिए आदेश दिए थे।

श्री मगलबिहारी ने आयोग को बताया कि सम्भवत आई० सी० एस० तथा आई० ए० एस० के इतिहास म यह पहला अवसर था जब किसी अधिकारी को सिफ प्रधानमत्री के अतिरिक्त सचिव द्वारा किए गए फान के आधार पर हटा दिया गया हो और वह भी बिना कोइ कारण बताए अथवा नोटिस दिए। यह भी आश्चय हा था कि मुख्यमत्री न बिना कोई जाच कराए मुख्य सचिव को कार वाई करन के भी आदेश दिए।

उन्हे निलम्बन की १६ महीने की अवधि के दौरान कोई वेतन नही दिया गया। चिकित्सा शुल्क का पसा नही दिया गया, फोन काट दिया गया तथा भविष्य निधि तक म स धन नही लेने दिया गया।

मत्री भी आनन्द मार्गी

श्री मगलबिहारी न बताया कि उनका १९६९ म आनन्द माग स सबध था परन्तु १९७० के बाद से उसस कोई सबध नही रहा था। जब व इस सस्था म थ उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री बी० पी० सिन्हा, केन्द्रीय मत्रिमडल के सदस्य श्री गुलजारी लाल नन्दा श्री पुनाचा श्री रघुरमया तथा एक विश्वविद्यालय के कुलपति जैस प्रमुख लोग तक उसक सदस्य थ। उन्हाने स्वीकार किया कि व एक-दो ऐसे विवाह समारोहा म जरूर शामिल हुए थ, जिनम विवाह आनन्द माग के उच्चारणा से हुआ था परन्तु १९७१ के बाद तो उनसे इस सस्था का कोई सदस्य तक नही मिला था। उन्हाने बताया कि व निलम्बन के सबध म श्री धवन स भी मिले थ।

उनका कहना था कि एमरजेंसी के दौरान दो स्थानों से निर्देश मिला करते थे, एक प्रधानमंत्री घराने से और दूसरे आधिकारिक स्तर से। इसमें प्रधानमंत्री घराने से आए निर्देशों का आधिकारिक स्तर के निर्देशों पर प्रभुत्व होता था।

जांच में प्रमाण नहीं मिले

श्री मंगलबिहारी पर लगाए गए आरोपों की जांच से पता चलता है कि इस बात के कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं हैं कि १९७४ में जयप्रकाश आंदोलन विरोधी रैली के लिए रोडवेज की बसों का उपयोग किया गया था। श्रीमती यशपाल कपूर द्वारा आयोजित प्रदर्शनी 'मापटम इंडिया' को रियायती दरों पर बिजली देने के संबंध में श्रीमती कपूर ने अध्यक्ष को एक पत्र लिखकर प्रदर्शनी के लिए औद्योगिक दरों पर बिजली देने को लिखा था परन्तु उन्होंने आम प्रदर्शनियों के लिए दी जाने वाली दरों पर ही मंजूरी दी। २० जनवरी की रैली के संबंध में प्रांतीय विद्युत मजदूर संघ की ओर से जो प्रार्थना की गई थी कि २० तारीख को आसपास उनके संघ की दिल्ली में एक बैठक है अतः उसमें भाग लेने के लिए मजदूरों को छुट्टी दी जाए तथा ट्रकों की व्यवस्था की जाए। बोर्ड की ओर से संघ को डेढ़ रुपया प्रति किलोमीटर की दर से ट्रकों की व्यवस्था की गई तथा उनसे कहा गया कि वे स्वयं ही रूट-परमिटों की व्यवस्था करें परन्तु बाद में पता चला कि इस प्रकार के परमिट बनाए बिना ही ट्रकों को दिल्ली ले जाया गया था। यह भी ज्ञात हुआ कि संघ की इन दिनों दिल्ली में कोई बैठक नहीं हुई थी। बोर्ड द्वारा संघ के महासचिव श्री दामोदर मौर्य को इन ट्रकों का बिल भेजे जाने पर उन्होंने लिखा कि इन ट्रकों का उपयोग दिल्ली में आयोजित रैली के लिए किया गया था तथा ये ट्रक प्रबंधकों के साथ हुई बातचीत के बाद ही उपलब्ध कराए गए थे। इसलिए इनके बिल मण्डल को अथवा मुख्यमंत्री को भेजे जाएं।

केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के रिकार्डों का अध्ययन से पता चलता है कि इस प्रकार के कोई पूरे प्रमाण नहीं थे कि श्री मंगलबिहारी का आनन्द मार्ग से बाद में भी संबंध रहा था। किन्तु इससे यह पता जरूर चलता था कि वे आनन्दमार्गियों से सम्बन्धित व्यक्तियों के विवाह-समारोहों में शामिल हुए परन्तु उनमें ऐसा कोई किन्तु

बात नहीं थी। जाच ब्यूरो के एक पत्र म यह भी कहा गया था कि श्री मगलबिहारी का आनन्द माग से सबध सिफ अध्यात्म तथा सगठनात्मक क्षेत्र तक ही सीमित है। हो सकता है कि उन्हें आनन्द माग के बारे म सत्य का पता नहीं हो और वे इसके अध्यात्म पाठो म भाग लेत रहे हा।'

सचिव का यह नोट ३ फरवरी, १९७६ को प्रधानमत्री के पास भेजा गया, जिसपर उन्होंने काफी दिना बाद ८ दिसम्बर १९७६ को नोट लिखा कि हा—परन्तु उनपर समय समय पर निगाह रखी जाए। श्रीमती गाधी के इस निणय के बाद राज्य सरकार का इस बारे म १५ दिसम्बर को सूचित कर दिया गया और उसीके अनुसार श्री मगलबिहारी ने २० अगस्त १९७५ स १५ दिसम्बर १९७६ तक छुट्टी पर रहने के बाद २० अगस्त स अपनी सवाए पुन प्रारम्भ की।

राजस्थान के तत्कालीन मुख्य सचिव श्री मोहन मुखर्जी ने आयोग का बताया कि जहा तक उनका सबध है किसीको गिरफ्तार करने क सबध म और किसी सरकारी कमचारी के विरुद्ध कारवाई करने के बारे म दिल्ली स आए निर्देश काफी थे।

जस्टिस शाह क्या गिरफ्तारी क कारण पर्याप्त थे?

श्री मुखर्जी चूकि आदेश प्रधानमत्री से आए थे इसलिए हमने समझा कि उन्होंने इस बारे म अपनी सतुष्टि कर ली होगी।

प्रधान-मन्त्रीनिवास के आदेश सरकारी आदेश

श्री मुखर्जी ने बताया कि कई मामला म गिरफ्तारी क आदेश फान पर ही नहीं बल्कि वायरलस क जरिये भेजे गए थ। इसपर जस्टिस शाह न कहा आप अधिनियम की धारा १६ (ए) पढिए, क्या इसम प्रधानमत्री अथवा उनके अतिरिक्त निजी सचिव का कहीं इस प्रकार के अधिकार दिए हुए हैं?' श्री मुखर्जी बोले, 'हम समझत थ कि प्रधानमत्री निवास स आया प्रत्येक आदेश केन्द्र सरकार म आया आदेश है।'

रैलियो का कोटा

प्रातीय विद्युत् मडल मजदूर फैडरेशन के महासचिव श्री दामोदर मौय ने आयोग का बताया कि दिल्ली स्थित राजस्थान हाउस

म १६ जून, १९७५ को हुई एक बैठक म २० जून की रैली के लिए राजस्थान स एक लाख व्यक्तियो के भाग लन का कोटा निश्चित किया गया था। उनका कहना था कि इन एक लाख व्यक्तियो म से विद्युत मडल का कोटा १० हजार का था। उन्होंने यह प्रस्ताव इस आधार पर स्वीकार किया था कि कमचारियो को परिवहन तथा छुट्टी की सुविधा दी जाएगी।

एक प्रश्न क उत्तर म श्री मौय ने बताया कि ५८ ट्रकों म लगभग पाच हजार कमचारी दिल्ली आए थ। उन्ह सिफ परिवहन और छुट्टी की ही सुविधा दी गई थी। खान-पान का समस्त खर्चा स्वय कमचारियो न उठाया था।

राजस्थान के भूतपूव सिचाई तथा बिजलीमत्री श्री हीरालाल देवपुरा ने बताया कि उन्ह इस बात का पता एक दो महीने बाद तब चला, जब ट्रकों के भुगतान के किराय म सबधित मामला उनक सामने आया। एक प्रश्न के उत्तर म उन्होंने इस बात से इकार किया कि उन्होंने कमचारियो को आकस्मिक अवकाश की सुविधा देन को कहा था।

जस्टिस शाह द्वारा यह पूछे जान पर कि क्या व सरकारी कम चारियों का इस प्रकार राजनीतिक प्रदशनो म भाग लना उचित समझते है श्री देवपुरा न कहा 'मैंने उस समय इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया था।'

राज्य के तत्कालीन परिवहन मत्री श्री माहन छगाणी ने आयोग को बताया कि श्री जोशी न उन्ह दिल्ली म फान कर श्री मौय की सहायता करने को कहा था। एक दो दिन बाद श्री मौय उनसे मिले तथा परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने को कहा।

बेचारे मुख्यमत्री

उनका कहना था कि यह वह समय था जब प्रत्यक व्यक्ति श्रीमती गाधी श्री सजय गाधी अथवा किसी और गाधी क निर्देशो पर काम कर रहा था। उन्होंने कहा, 'न सिफ वह बल्कि बेचारे' मुख्यमत्री भी उन्हीं के निर्देशो पर काम कर रहे थे।'

जस्टिस शाह द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या आपको यह गलत नहीं लगा कि यह सावजनिक सम्पत्ति का दुरुपयोग होगा?" उन्होंने कहा कि 'इसम अनुचित लगा कुछ नहीं था यह पहले भी

होता रहा था। उन दिनो एक नही कई रलिया निकाली जा रही थीं।

भाड मे जाए महात्मा गाधी

श्री छगाणी न कहा कि एमरजन्सी के दौरान राजस्थान की स्थिति का वणन इन शब्दो म किया जा सकता है

देश की नता इन्दिरा गाधी,
युवको के नता—सजय गाधी,
महिलाओ की नेता—मेनका गाधी,
बच्चो के नता—राहुल गाधी
भाड म जाए महात्मा गाधी।'

(श्री छगाणी के इस कथन पर आयोग का कक्ष कई मिनटो तक ठहाको म गूजता रहा।)

राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमत्री श्री जाशी न स्वीकार किया कि २० जून १९७५ को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निणय क विरुद्ध श्रीमती गाधी के प्रति अपनी आस्था प्रकट करने के सबध म आयाजित रली म भाग लेने क लिए राजस्थान स आए लोगो को राजस्थान विद्युत मडल क ट्रको म लाया गया था। उन्हाने कहा लगता है उस समय कुछ अधिकारिया ने अधिक उत्साह म आकर यह काय किया।"

श्री जाशी न इस बात से इकार किया कि राजस्थान हाउस की बैठक म २० जून को रैली क लिए राजस्थान का कोई कोटा निश्चित किया गया था। उन्हाने कहा कि श्री मौय के बयान के अनुसार यदि एक लाख व्यक्तियो को राजस्थान से लाया जाता तो पाच स सात हजार क बीच ट्रको की आवश्यकता पडती। उनका अनुमान था कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्रो के लगभग पाच हजार व्यक्तियो न रैली में भाग लिया था।

श्री जोशी ने प्रारम्भ म जस्टिस शाह के प्रश्नो को टालने का प्रयत्न किया परन्तु जब बार बार उन्होंने उनस घुमा फिराकर प्रश्न किए तो उन्हाने स्वीकार किया 'कुछ मामलो म गलतिया हुई हैं। ये गलतिया किसी भी मत्री का लेकर हुई हो, मैं अपने उत्तरदायित्व स स्वय का मुक्त नही करना चाहता।"

उनका कहना था कि श्री धवन ही तत्कालीन प्रधानमत्री का प्रतिनिधित्व करते थ। वह जो कुछ कहते थे, उसे श्रीमती गाधी का आदेश समझकर तुरत कारवाई की जाती थी।

श्री जोशी न बताया कि श्री धवन ने उन्ह फोन कर इन लोगा के खिलाफ कारवाई करने को कहा था और यह भी बताया था कि श्री मगलबिहारी का सबध आनन्द माग स है और एडवोकेट श्री शर्मा और श्रीमती शर्मा के खिलाफ भी इसी तरह के आराप हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक श्री गौड को भी उन्होंने नौकरी के प्रति लापरवाही बरतन के कारण गिरफ्तार करने का कहा था परन्तु कोइ प्रमाण न होन के कारण उन्होंने श्री धवन का दोबारा फान किया तब उन्होंने श्री गौड क खिलाफ सिफ जाच करने की हो बात कही।

श्री धवन न इस बात स साफ इन्कार किया कि उन्होंन श्री जोशी का फोन कर इस मामले के सबध मे यह सब कारवाई करने के आदेश दिए थे।

श्री धवन न कहा, मैंन फोन पर सिफ यह कहा था कि प्रधानमत्री को कुछ विधायको द्वारा उक्त व्यक्तियो के सबध म शिकायतें मिली है कि इन लोगो का आनन्द माग से सबध है।" उन्होंने प्रधानमत्री के निर्देशानुसार ही इन शिकायतो से श्री जोशी के साथ साथ गह राज्यमत्री श्री ओम मेहता को भी अवगत करा दिया था। उन्होंने श्री जोशी को इस सबध म केन्द्रीय जाच ब्यूरो का नोट पढ़कर सुनाया था कोई आदेश या निर्देश नही दिए थे तथा इस सबध म उनस श्री मेहता से सम्पर्क करने को कहा था।

श्री धवन न कहा कि कुछ विधायको ने प्रधानमत्री से शिकायत की थी कि आनन्द माग स सबधित कुछ कागजात जलाए गए हैं तथा राज्य सरकार ने सूचना मिलने के बाद भी कोई कारवाई नहीं की है। प्रधानमत्री द्वारा इस मामले म केन्द्रीय जाच ब्यूरो से जानकारी प्राप्त करन पर उसन इसकी पुष्टि की थी।

श्री धवन ने एक प्रश्न के उत्तर मे बताया मैंन श्री मगल-बिहारी के सबध म श्री जोशी मे बात की थी। श्री जोशी न तो श्री बिहारी को तुरत ही नौकरी स हटा देन को कहा था, परन्तु मैंन

कहा था कि यह ठीक नहीं होगा। आप सिर्फ उन्हें छुट्टी पर भेज दें।" उन्होंने स्वीकार किया कि श्री मंगलविहारी उनसे मिलने आए थे और उन्होंने उन्हें श्री मेहता से मिलने को कहा था।

श्रीमती गांधी दोषी

इस मामले पर जिरह के बाद आयोग के वकील श्री काल खंडालावाला ने कहा कि पूरे मामले से स्पष्ट हो जाता है कि यह सब कुछ श्रीमती गांधी के निर्देशानुसार किया गया। श्री जोशी ने श्रीमती गांधी के निर्देश से यह किया जो उन्हें श्री धवन के जरिये मिले थे।

श्री खंडालावाला का कहना था कि यह सही है कि श्री धवन ने इस समस्त मामले में सिर्फ एक संदेशवाहक की ही भूमिका निभाई थी, परन्तु यह भी लगता है कि उन्होंने अपनी क्षमता से कहीं अधिक किया। उन्होंने अपनी रजाइ से अधिक ही पर फलाने की चेष्टा की थी। श्री खंडालावाला ने कहा इन गिरफ्तारियों और निलम्बनों के लिए श्रीमती गांधी ही जिम्मेदार हैं।

(IV) आज़ादी के स्वतन्त्रता-सेनानी एमरजेन्सी के देशद्रोही

समय समय की बात है आजादी से पहले नागरिक-अधिकारों तथा प्रेस की स्वतन्त्रता की परवी करना एक सम्मानजनक बात समझी जाती थी वहीं एमरजेन्सी के दौरान इन सब बातों का जिक्र करना भी एक अपराध हो गया था।

२३ जुलाई १९७५ को ८२ वर्षीय स्वतन्त्रता सेनानी श्री भीम सेन सच्चर (जिनका १८ जनवरी १९७८ को रात्रि को निधन हो गया) तथा उनके सात अन्य साथियों ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को एक पत्र लिखा। पत्र में एमरजेन्सी लागू करने और प्रेस पर सेंसरशिप लगाने का विरोध करते हुए कहा गया था कि यदि इनपर से नियन्त्रण नहीं हटाया गया तो आगामी ९ अगस्त से सार्वजनिक रूप से शांतिपूर्ण आंदोलन किया जाएगा।

श्रीलंका में भारत के भूतपूर्व उच्चायुक्त आंध्रप्रदेश और उड़ीसा के भूतपूर्व राज्यपाल तथा एकीकृत पंजाब के मुख्यमन्त्री

श्री सच्चर के अतिरिक्त जिन सात व्यक्तियों ने इस पत्र पर हस्ताक्षर किये थे वे थे—सिटीजन आफ डेमोक्रेसी के कार्यकारी सचिव श्री विष्णुदत्त सर्वेण्ट्स आफ पीपुल्स सोसायटी की दिल्ली शाखा के अध्यक्ष श्री मेवकराम एडवोकेट श्री बी० के० सिंहा इंडियन सर्विस मिशन के श्री एस० डी० शर्मा, हंसराज कालेज में फिलोसफी विभाग के प्रमुख श्री जे० क० शर्मा सर्वोदय कार्यकर्ता श्री कृष्ण-लाल वैद तथा अध्यात्म साधना केन्द्र के श्री जे० आर० साहनी। ये सभी हस्ताक्षरकर्ता ६० वर्ष से अधिक की आयु के थे। इस पत्र की साइक्लोस्टाइल प्रतियां राजनीतिक, धार्मिक और प्रेस क्षेत्रों के प्रमुख प्रतिनिधियों को भेजी गई थी।

श्री सच्चर तथा उनके सात साथियों ने इस पत्र में लिखा था कि 'पंडित नेहरू को हम भारतीय लोकतंत्र का मुख्य निर्माता मानते हैं। वे कहा करते थे कि कोई भी व्यक्ति वह चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो आलोचना से परे नहीं है। ब्रिटिश राज में उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता संकट में है, अपनी पूरी शक्ति से इसे बचाओ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि इस समय वे जीवित होते तो कहते लोकतंत्र संकट में है, अपनी पूरी शक्ति से इसे बचाओ।'

'कानून के विरुद्ध कार्य करने वालों से निपटने के लिए सरकार के पास पहले से ही बहुत-से अधिकार हैं फिर भी हम आपके द्वारा इनसे निपटने के लिए और अधिक अधिकार लेने को चुनौती नहीं देते।

संसद की कार्यवाही को बिना पूर्व सेंसरशिप के प्रसारित करने से रोकना संसदीय लोकतंत्र पर कुठाराघात होगा। हमें इस बात की पूरी आशा है कि गिरफ्तार किए गए संसद-सदस्यों को संसद के इस सत्र में अपनी बात कहने का पूरा अवसर दिया जाएगा।"

'आज आपके राजनीतिक समर्थकों के अतिरिक्त दिल्ली का आम आदमी काफी हाउस और बस स्टैंड पर अपनी कोई राय तक प्रकट नहीं कर सकता। डर का एक ऐसा वातावरण पैदा हो गया है कि आपके विरोधी विचार वाला व्यक्ति कुछ कहने के स्थान पर चुप रहना ही पसंद करता है क्योंकि उसके मन में यह डर है कि क्या मालूम आधी रात को दरवाज़ा खटखटाकर उसे जेल में डाल दिया

जाए। पंडित नेहरू ने इस प्रकार के डर को भारत का नम्बर एक का दुश्मन बताया था।"

"वर्तमान स्थिति ने प्रत्येक नागरिक के चेहरे पर प्रश्नवाचक चिह्न लगा दिया है खास तौर पर जीवित बचे स्वतंत्रता सेनानियों पर। इसीलिए हमने सरकार द्वारा अपने हाथ में लिए गए अति विशिष्ट अधिकारों के गुणों और दोषों पर विचार करने के लिए आगामी ९ अगस्त १९७५ से सार्वजनिक भाषणों और जन संगठनों के जरिये प्रेस की स्वतंत्रता की परवाह न करने का निश्चय किया है इसके लिए हमें चाहे जो परिणाम ही क्या न भुगतने पड़ें। हमारा यह सब कार्य करने के पीछे किसी भी तरह अनावश्यक रूप से अधिकारियों को परेशान करने का उद्देश्य नहीं है।'

पत्र लिखने के तीन दिन के भीतर ही इन आठों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया और २६ जुलाई को श्री वद के अतिरिक्त अन्य सभी को २६ जुलाई को अम्बाला की सेण्ट्रल जेल में स्थानान्तरित भी कर दिया गया। इन लोगों की गिरफ्तारी मीसा की धारा ३ (I) (ए) II के अंतर्गत की गई। इनमें से श्री सच्चर के वारंट पर २५ जुलाई को नई दिल्ली की ए० डी० एम० श्रीमती मीनाक्षी दत्त ने २५ जुलाई को ही दक्षिण दिल्ली के ए० डी० एम० श्री पी० घोष ने श्री दत्त श्री सेवकराम, श्री सिन्हा श्री साहनी तथा श्री एस० डी० शर्मा के वारंटों पर और उसी दिन श्री जे० के० शर्मा के वारंट पर उत्तरी दिल्ली के ए० डी० एम० श्री एस० एल० अरोड़ा ने हस्ताक्षर किए। श्री वद के वारंट पर २६ जुलाई को मध्य दिल्ली के ए० डी० एम० श्री अशोक प्रधान ने हस्ताक्षर किए थे।

गिरफ्तारी के कारण

श्रीमती दत्त ने श्री सच्चर की गिरफ्तारी के कारणों में बताया था कि उन्होंने तथा उनके साथियों ने सरकार का विरोध करने के अपने कार्यक्रमों के बारे में जनता में प्रचार किया है तथा ९ अगस्त से इस संबंध में पूरा प्रचार प्रारम्भ किए जाने वाला है।

श्री घोष ने सर्वश्री विष्णु दत्त सेवकराम जे० आर० साहनी, के० के० सिन्हा और श्री एस० डी० शर्मा की गिरफ्तारी के लिए भी इसी प्रकार के कारण बताए थे।

श्रीमती दत्त तथा श्री घोष के अनुसार यह आदेश जिला

मजिस्ट्रेट के इस निर्देश पर दिए गए थ कि प्रधानमंत्री की इच्छा म यह किया जा रहा है तथा गिरफ्तारिया के पूरे आधार सी० आई० डी० अधीक्षक द्वारा बाद मे प्रस्तुत किए जाएगे।

श्री अरोडा ने श्री जे० के० शर्मा की नजरबदी के कारणा म वही बातें लिखी जो श्री सच्चर तथा अन्य को मे लिखी गई थी। श्री अरोडा के भी अनुसार, उन्होन यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट के कहन पर दिए थे। उत्तरी क्षेत्र के जिसके श्री अरोडा ए० डी० एम० थे अधीक्षक श्री प्रकाशसिंह न इस मामले म श्री भिण्डर (उप महानिरीक्षक रेंज) द्वारा बताए गए कारणा पर ही अपनी रिपोर्ट दी थी।

श्री प्रधान ने श्री वद की गिरफ्तारी के कारणा म लिखा था कि व सगठन काग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता है तथा उन्होने १२ फरवरी १९७५ को नजफगढ के मुख्य बाजार म आयोजित एक सभा म बिहार जैसा आदोलन चलाने की बात कही थी तथा लोगो से श्री जयप्रकाश को ६ मार्च को होन वाली रली म भाग लेन का आह्वान किया था। श्री वद न बाद म २८ फरवरी को नजफगढ म एक विशाल सभा आयोजित की, जिसे श्री जयप्रकाश ने भी सम्बोधित किया। सी० आई० डी० स्पेशल ब्राच के रिकार्डों से पता चलता है कि श्री वद ने १९६८ और १९६९ म तीन सभाओ म भाग लिया तथा उनमे पुलिस की अक्षमता और भ्रष्टाचार तथा गाधीजी के विचार और गोवध पर अपन विचार व्यक्त किए थे।

श्री सच्चर की धर्मपत्नी श्रीमती ललिता सच्चर न ६ अगस्त को दिल्ली उच्च न्यायालय म अपने पति की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए रिहा करन के लिए एक रिट याचिका दायर की। न्यायालय द्वारा इसे विचाराथ स्वीकार करने का नोटिस देने पर सरकार को न्यायालय म अपना पक्ष कमजोर लगने लगा और उसन उन्हे २१ अगस्त को न्यायालय का फैसला आन से पूर्व ही रिहा भी कर दिया।

श्री सच्चर के अतिरिक्त श्री सवकराम को भी उसी दिन रिहा कर दिया गया। उधर श्री विष्णु दत्त की अम्बाला की जेल म हालत बिगडन लगी और उन्हे १८ अगस्त १९७५ को दिल्ली का दौरा पडा। उन्हे पहले अम्बाला के सिविल अस्पताल ले जाया

गया परन्तु वहा आराम न मिलने पर चडीगढ के पी० जाई० जी० अस्पताल भेजा गया। परन्तु जब उनकी हालत म कोई सुधार होता नजर नही आया, इसपर सरकार न उन्ह रिहा करना ही उचित समझा। उन्ह १६ सितम्बर को रिहा किया गया।

इन तीना व्यक्तियो के अतिरिक्त शेष पाचो सवश्री वेद सिन्हा साहनी और श्री जे० के० शर्मा तथा श्री एस० डी० शर्मा का २ अप्रैल १६७६ तक रिहा नही किया गया। यहा ध्यान दने योग्य बात यह है कि सभी आठा व्यक्तिया को एक ही आरोप म नजरबद किया गया था परन्तु शेप पाचा को इतने महीने बाद छोडा गया। यहा एक बात का उल्लख करना और भी आवश्यक है कि इन लोगा की गिरफ्तारी की पुष्टि इनके रिहा होने के बाद की गइ।

रिट याचिका सुनने वाले भी स्थानातरित

श्री एस० डी० शर्मा ने आयोग को भेजे अपने बयान म बताया कि एमरजेसी म नजरबदी के दौरान उनपर जो ज्यादतिया की गइ उमीके कारण उनकी कोहनी की हड्डी म काफी दद है। उनका कहना था कि उन्हे बिना कोई कारण बताए ही नजरबद कर लिया गया था। जिन न्यायाधीशा न रिहाई के सबध म पेश की गइ रिट याचिकाए सुनी उन्हें भी स्थानातरित कर दिया गया।

छोडने में भी भेदभाव

श्री सेवकराम न बताया कि यह कितना आश्चय की बात थी कि २४ जुलाई को प्रधानमत्री को पत्र दिया गया और २५ तारीख की रात्रि को उन्ह गिरफ्तार भी कर लिया गया। उनको तथा श्री सच्चर को एक महीना चार दिन तक नजरबद रखा गया जबकि उनके अन्य साथिया को इमसे अधिक समय तक। उन्होंने कहा कि जब सभीको एक अपराध म गिरफ्तार किया गया था तो उन्ह जल्दी क्या छोडा गया और अन्य लोगा को इतनी दर स क्या? वह समय कितना खराब तथा शमनाक था कि देश का नागरिक अपन प्रधानमत्री तक को पत्र नही लिख सकता था। वास्तव म प्रधानमत्री लोगा के मन म डर बिठाकर उन्ह डरपोक बना दना चाहती थी।

श्री सिन्हा ने बताया कि वे १९६९ तक कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता रहे थे और बाद में कांग्रेस विघटन के समय से संगठन कांग्रेस में शामिल हो गए थे और उसके बाद सिर्फ एक मूक दर्शक मात्र रह गए थे। उन्होंने आश्चर्य प्रकट किया कि प्रधानमंत्री ने ९ अगस्त तक की इंतजारी करना उचित नहीं समझा और उससे पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वे हमसे यह भी कह सकती थीं कि यह काम नहीं किया जाए लेकिन वे तो विरोध सुनना ही नहीं चाहती थीं।

श्री सिन्हा ने कहा कि यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि प्रत्येक सरकारी अधिकारी पहले देशवासी है, बाद में सरकार का सेवक। देश के भविष्य के लिए जरूरी है कि वह स्वतंत्रता की रक्षा का विरोध करने वाला कोई आदेश नहीं माने। उन्होंने बताया कि तत्कालीन अटार्नी जनरल श्री निरेन डे ने उनके लड़के से, जो वकील भी है, कहा था कि यदि मैं राजनीति में भाग नहीं लूं तो मुझे रिहा किया जा सकता है। ऐसी ही बात मेरी पत्नी से भी कही गई थी।

आंसू ही कहानी कह सकते हैं

श्री जे० के० शर्मा ने बताया कि उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके परिवार को उनका कोई अता पता नहीं बताया गया। उन्हें काम से निलम्बित कर दिया गया तथा पांच छः महीनों तक उनका वेतन भी नहीं भेजा गया। उनकी अनुपस्थिति में उनके परिवार जनों को जिस परेशानी का सामना करना पड़ा है, वह तो वे ही जानते हैं। उन्होंने कहा 'यह सब एक दर्दनाक कहानी है जिसमें हुई क्षति घावों से कहीं अधिक गहरी है। सिर्फ आंसू ही हमारी कहानी कह सकते हैं शब्द नहीं।'

उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी को अम्बाला जाने में काफी परेशानी होती थी और एक बार तो वे अम्बाला के लिए बस पकड़ने समय दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उन्हें बिस्तर पकड़ना पड़ा परन्तु उसके बावजूद उनके पैरोल के आवेदन को स्वीकार नहीं किया गया। उनके ससुर का १९ सितम्बर को निधन हो गया तब उन्हें सिर्फ चार घंटे के लिए पैरोल पर रिहा किया गया। एक पुलिस जवान ने उनके परिवार वालों को उनके पैरोल से रिहा होने की

बात बताई और कहा कि मैं तिहाड जल म था गया हू जबकि उस समय तक मैं अम्बाला म ही था। यह उनके परिवारजनो क साथ एक क्रूर मजाक था।

गिरफ्तारी प्रधानमत्री के निर्देश पर

इन आठो व्यक्तियो की गिरफ्तारी क आदेश दिल्ली क तत्कालीन उप राज्यपाल श्री कृष्णचद न दिए थ। उनका कहना था कि उन्होने गिरफ्तारियो क य आदेश तत्कालीन प्रधानमत्री श्रीमती गाधी के निर्देशो पर दिए थ। यह निर्देश उन्ह उनक अतिरिक्त निजी सचिव श्री आर० के० धवन के जरिये मिल थ। उन्होने इस बात स भी इकार किया कि उन्होने श्री भिण्डर स इन सातो लोगो को हरियाणा की जेल म स्थानातरित करन के लिए मुख्य सचिव से मिलन को कहा था। इसस पूव श्री भिण्डर ने बताया था कि उप राज्यपाल ने उनसे कहा था कि इन बदियो का अम्बाला स्थानातरित करने के सबध म वे मुख्य सचिव से मिल लें।

दिल्ली के तत्कालीन उप-आयुक्त तथा जिला मजिस्ट्रेट श्री सुशीलकुमार ने श्री कृष्णचद के बयान का समथन करते हुए बताया कि श्री धवन ने उन्हे फोन कर प्रधानमत्री निवास बुलाया था तथा डी० आई० जी० (रेंज) श्री भिण्डर की उपस्थिति म यह आदेश दिए थे। वहा कुछ देर बाद ही श्री सजय गाधी भी आ गए थे और श्री धवन ने यह आदेश फिर दुहराए थ। श्री धवन ने यह भी कहा था कि वे इस बात स श्री कृष्णचद को सूचित कर रहे हैं।

आयोग द्वारा यह पूछे जान पर कि आपने मौखिक आदेशो का पालन क्यो किया श्री सुशीलकुमार न कहा कि यह पहला अवसर नही था जब किसी मौखिक आदेश का पालन किया गया था, इसस पूव भी श्री कृष्णचद न उन्ह ६७ व्यक्तियो की गिरफ्तारी के आदेश मौखिक ही दिए थ और उनका पालन किया गया था।

दूसरी ही कहानी

परन्तु श्री धवन दूसरी ही बात कह रह थे। उनका कहना था कि श्री सुशीलकुमार स्वय प्रधानमत्री निवास गए थे और प्रधानमत्री स इन गिरफ्तारियो की अनुमति मागी थी। श्री सुशील-

कुमार ने बताया था कि मलकागज पोस्ट आफिस में श्री मच्चर तथा उनके साथियों का एक पत्र पकड़ा गया है, जिसमें ९ अगस्त से आंदोलन करने की बात कही गई है। श्री सुशील कुमार ने प्रधानमंत्री से पूछा था कि क्या इन लोगों को मीसा में गिरफ्तार कर लिया जाए क्योंकि यह एक राष्ट्र विरोधी कारवाई है। इसपर श्रीमती गांधी ने कहा था कि "यह मामला दिल्ली प्रशासन से संबंधित है मैं इसमें दखल देना नहीं चाहती।'

मुझे फंसाने के लिए

श्री धवन ने इन अधिकारियों पर आरोप लगाया कि जो लोग एमरजेन्सी के दौरान प्रधानमंत्री सचिवालय तक गलत सूचनाएं देते रहे हैं वही लोग आज आयोग के सामने स्वयं को बचाने के लिए झूठी गवाहियां दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उस समय भी कुछ लोगों की यही आदत थी और आज भी वे यही कर रहे हैं।

जस्टिस शाह द्वारा यह पूछे जाने पर कि ये लोग आप जैसे छोटे 'जीव' को क्यों फंसाना चाहते हैं श्री धवन ने कहा कि उस समय भी उनका नाम काम निकालने के लिए सबका बड़ा उपयोगी लगता था और आज भी ये लोग अपना काम निकालने के लिए उसी नाम का उपयोग कर रहे हैं।

दिल्ली के भूतपूर्व पुलिस अधीक्षक (गुप्तचर विशेष ब्रांच) श्री के० एम० बाजवा आयोग द्वारा बार-बार पूछे जाने के बावजूद यह स्पष्ट नहीं कर पाए कि किस आदेश के अंतर्गत विशेष लोगों के पत्रों का सेंसर करने के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया गया था।

उन्होंने आयोग के समक्ष इस संबंध में दो आदेश प्रस्तुत किए। इनमें से एक की अवधि ३० जून, १९७५ को ही समाप्त हो गई थी, जबकि दूसरा ८ अगस्त को जारी किया गया था परन्तु इसे प्रभावी एक जुलाई से ही मान लिया गया था। श्री बाजवा यह स्पष्ट नहीं कर पाए कि उन्हें किस तरह से २८ जुलाई को ही यह मालूम हो गया था कि ४ अगस्त को ऐसा आदेश जारी किए जाने वाला है और उन्होंने उसके आधार पर पहले ही कारवाई भी कर ली। श्री बाजवा बार बार यही कहते रहे कि यह सब सामान्य प्रक्रिया के अनुसार किया गया। परन्तु सामान्य प्रक्रिया

बात बताई और कहा कि मैं तिहाड़ जेल में आ गया हूं जबकि उस समय तक मैं अम्बाला में ही था। यह उनके परिवारजनों के साथ एक क्रूर मज़ाक था।

गिरफ्तारी प्रधानमंत्री के निर्देश पर

इन आठों व्यक्तियों की गिरफ्तारी के आदेश दिल्ली के तत्कालीन उप राज्यपाल श्री कृष्णचंद ने दिए थे। उनका कहना था कि उन्होंने गिरफ्तारियों के ये आदेश तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी के निर्देशों पर दिए थे। यह निर्देश उन्हें उनके अतिरिक्त निजी सचिव श्री आर० के० धवन के ज़रिये मिले थे। उन्होंने इस बात से भी इंकार किया कि उन्होंने श्री भिण्डर से इन सातों लोगों को हरियाणा की जेल में स्थानांतरित करने के लिए मुख्य सचिव से मिलने को कहा था। इससे पूर्व श्री भिण्डर ने बताया था कि उप राज्यपाल ने उनसे कहा था कि इन बंदियों को अम्बाला स्थानांतरित करने के संबंध में वे मुख्य सचिव से मिल लें।

दिल्ली के तत्कालीन उप-आयुक्त तथा जिला मजिस्ट्रेट श्री सुशीलकुमार ने श्री कृष्णचंद के बयान का समर्थन करते हुए बताया कि श्री धवन ने उन्हें फोन कर प्रधानमंत्री निवास बुलाया था तथा डी० आई० जी० (रेंज) श्री भिण्डर की उपस्थिति में यह आदेश दिए थे। वहां कुछ देर बाद ही श्री संजय गांधी भी आ गए थे और श्री धवन ने यह आदेश फिर दुहराए थे। श्री धवन ने यह भी कहा था कि वे इस बात से श्री कृष्णचंद को सूचित कर रहे हैं।

आयोग द्वारा यह पूछे जाने पर कि आपने मौखिक आदेशों का पालन क्यों किया श्री सुशीलकुमार ने कहा कि यह पहला अवसर नहीं था जब किसी मौखिक आदेश का पालन किया गया था। इससे पूर्व भी श्री कृष्णचंद ने उन्हें ६७ व्यक्तियों की गिरफ्तारी के आदेश मौखिक ही दिए थे और उनका पालन किया गया था।

दूसरी ही कहानी

परन्तु श्री धवन दूसरी ही बात कह रहे थे। उनका कहना था कि श्री सुशीलकुमार स्वयं प्रधानमंत्री निवास गए थे और प्रधानमंत्री से इन गिरफ्तारियों की अनुमति मांगी थी। श्री सुशील-

कुमार ने बताया था कि मलकागज पोस्ट आफिस में श्री सच्चर तथा उनके साथियों का एक पत्र पकड़ा गया है जिसमें ९ अगस्त से आंदोलन करने की बात कही गई है। श्री सुशील कुमार ने प्रधानमंत्री से पूछा था कि क्या इन लोगों को मीसा में गिरफ्तार कर लिया जाए क्योंकि यह एक राष्ट्र विरोधी कारवाई है। इसपर श्रीमती गांधी ने कहा था कि "यह मामला दिल्ली प्रशासन से संबंधित है, मैं इसमें दखल देना नहीं चाहती।"

मुझे फसाने के लिए

श्री धवन ने इन अधिकारियों पर आरोप लगाया कि जो लोग एमरजेन्सी के दौरान प्रधानमंत्री सचिवालय तक गलत सूचनाएं देते रहे हैं, वही लोग आज आयोग के सामने स्वयं को बचाने के लिए झूठी गवाहियां दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उस समय भी कुछ लोगों की यही आदत थी और आज भी वे यही कर रहे हैं।

जस्टिस शाह द्वारा यह पूछे जाने पर कि ये लोग आप जैसे छोटे जीव' को क्यों फसाना चाहते हैं, श्री धवन ने कहा कि उस समय भी उनका नाम काम निकालने के लिए सबका बड़ा उपयोगी लगता था और आज भी ये लोग अपना काम निकालने के लिए उसी नाम का उपयोग कर रहे हैं।

दिल्ली के भूतपूर्व पुलिस अधीक्षक (गुप्तचर विशेष ब्रांच) श्री के० एम० बाजवा आयोग द्वारा बार-बार पूछे जाने के बावजूद यह स्पष्ट नहीं कर पाए कि किस आदेश के अंतर्गत विशेष लोगों के पत्रों का सेंसर करने के लिए अधिकारियों का नियुक्त किया गया था।

उन्होंने आयोग के समक्ष इस संबंध में दो आदेश प्रस्तुत किए। इनमें से एक की अवधि ३० जून, १९७५ को ही समाप्त हो गई थी, जबकि दूसरा ४ अगस्त को जारी किया गया था, परन्तु इसे प्रभावी एक जुलाई से ही मान लिया गया था। श्री बाजवा यह स्पष्ट नहीं कर पाए कि उन्हें किस तरह से २४ जुलाई को ही यह मालूम हो गया था कि ४ अगस्त को ऐसा आदेश जारी किए जाने वाला है और उन्होंने उसके आधार पर पहले ही कारवाई भी कर ली। श्री बाजवा बार बार यही कहते रहे कि यह सब सामान्य प्रक्रिया के अनुसार किया गया। परन्तु सामान्य प्रक्रिया

चया थी व इस स्पष्ट नहीं कर सके।

बाद म मर्वण्टम आफ पीपु-स आफ सासायटी क एक सदस्य श्री आय भूषण भारद्वाज न आयोग के समक्ष वह पत्र पश कर सनसनी फला दी, जिसपर प्रधानमन्त्री सचिवालय द्वारा २४ जुलाई क पत्र पर उस तारीख की प्राप्ति रसीद दी गई थी। रसीद वाकई पुरानी लगती थी क्योंकि उसपर लग आलपीन म जग लग गया था और वह कागज पर भी फल गया था। आयोग के वकील श्री काल खडालावाला न पत्र का ध्यान स दखन के बाद यह कहकर और भी सनसनी फ ा दी कि इस पत्र पर प्राप्ति-तारीख २४ जुलाई स काटकर २८ जुलाई करने की चेष्टा की गई है।

बाद म प्रधानमन्त्री सचिवालय म निजी सहायक श्री एम० एम० शर्मा न भी इस रसीद की पुष्टि करत हुए कहा कि इसपर उनके ही हस्ताक्षर है तथा इसपर प्राप्ति-तारीख को २४ जुलाई स काटकर २८ जुलाइ १९७५ करन की चेष्टा की गई है।

दूसरी कहानी बाद म गढी गई

आयाग के वकील श्री खडालावाला का कहना था कि इस रसीद से सिद्ध हो जाता है कि श्री सच्चर तथा उनके साथियो की गिरफ्तारी प्रधानमन्त्री का भेजे गए पत्र क आधार पर की गई न कि पकडे गए पत्र क आधार पर। उनका कहना था कि पकडा गया पत्र तो सिर्फ एक कहानी थी जिसे प्रधानमन्त्री का बचाने क लिए बाद म गढा गया।

(५) राजमहलो से कैदखाने तक

आजादी स पहले दश के भूतपूर्व रजवाडो की शान शौकत अब इतिहास की बात रह गई है। शान शौकत क साथ-साथ राज प्राप्त करन क लिए युद्ध और फिर राजा महाराजाओ का जल म डाल दन क किस्से भी अब उसी इतिहास का एक अग बन गए हैं।

दश की आजादी के बाद इन भूतपूर्व रजवाडो को मिलाकर भारत गतनत्र की स्थापना हुई। विलय के एवज म इन राजा महाराजाओ को जेब-खच दिया जान लगा और कुछ विशेषाधिकार भी जिनम यह भी था कि उन्हे किसी आरोप म बिना राष्ट्रपति

की अनुमति के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। परन्तु कुछ वर्षों बाद ससद म एक बिल के जरिये इन राजा महाराजाओं के व जब खच और विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए।

आजादी के बाद देश की प्रमुख रियासतों के राजा महाराजा राजनीति म आ गए और उनम से कई लोकसभा और राज्यसभा के जरिये ससद म अपनी भूतपूर्व प्रजा का निधित्व करने लग। इन्ही रजवाडो म से दो प्रमुख जयपुर और ग्वालियर विरोधी दलो की ओर स उभरकर आई—जयपुर के महाराजा मानसिंह की दूसरी महारानी श्रीमती गायत्रीदेवी और ग्वालियर की राजमाता श्रीमती विजयराजे सिंधिया।

जयपुर के भूतपूर्व महाराजा मानसिंह जो देश के आजाद होने के बाद एसे पहले महाराजा थे, जिन्होंने स्वेच्छा से अपनी रियासत को भारत म विलय करने की इच्छा प्रकट की थी। स्वर्गीय मान सिंह पोलो के एक बहुत ही प्रसिद्ध खिलाडी थे तथा उन्हें १९६३ म स्पेन म भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। २४ जून १९७० को इंग्लैंड म पोलो खेलते हुए उनका निधन हो गया था।

श्रीमती गायत्रीदेवी जयपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से १९६२ १९६७ और १९७२ के चुनावों म स्वतत्र पार्टी की ओर से चुनकर आती रही थीं और इसी तरह ग्वालियर की श्रीमती विजयराजे सिंधिया ग्वालियर स जनसघ के उम्मीदवार के रूप म।

परन्तु समय क्या रग दिखा दे, कोई नहीं जानता। देश म जून, १९७५ म एमरजेंसी लागू की गई और ३० जुलाई को जयपुर की राजमाता गायत्रीदेवी और उनके बडे पुत्र (सौतेले) ले० कनल भवानीसिंह को विदेशी मुद्रा सरक्षण और तस्करी गति विधि निवारण अधिनियम (कोफेपोसा) के अतगत गिरफ्तार कर लिया गया। इन गिरफ्तारियों के आदेश तत्कालीन बकिंग एव राजस्वमत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने दिए थे यद्यपि इन लोगो के विरुद्ध जाच के बाद भी तस्करी का कोई मामला नहीं बन पाया था। इसके अतिरिक्त प्रवतन निदेशालय अथवा राजस्व गुप्तचरी और जांच महानिदेशालय की ओर से भी उन्हें नजरबद करने का कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया गया था।

ले० कनल भवानीसिंह जो जयपुर के महाराजा मानसिंह के

चार पुत्रो म सबसे बडे थे, १९७४ तक सेना म पूणकालिक सेवा म थे तथा नवम्बर १९७४ म व्यक्तिगत कारणो स सेना से रिटायर हो गए थे। १९७१ के भारत पाकिस्तान युद्ध मे उनके द्वारा दिखाए गए पराक्रम के लिए सरकार की ओर स उन्हे महावीर चक्र प्रदान किया गया था।

श्रीमती गायत्रीदेवी न सिफ ससद सदस्य ही थी, बल्कि रेड क्रास तथा अन्य सामाजिक तथा शैक्षणिक सगठनो से भी सक्रिय रूप स सम्बद्ध थी। वे विश्व वन्य जीव जन्तु काप से भी सम्बद्ध रही तथा अपनी गिरफ्तारी के समय तो ससद सदस्य के रूप म काय कर ही रही थी।

आयकर विभाग द्वारा आयकर अधिनियम की धारा १३२ के अतगत जयपुर तथा दिल्ली म ११ फरवरी,१९७५ को श्रीमती गायत्री देवी, श्री भवानीसिंह और उनके भाई श्री जयसिंह, श्री पृथ्वीसिंह तथा अन्य लोगो के विरुद्ध तलाशी की कारवाइया की गई। इन तलाशियो के दौरान कुछ विदेशी मुद्रा अमरिकी डालर ट्रेवलस चेक जब्त किए गए। रोम स्थित श्री भवानीसिंह के एक लाकर की चाबी भी बरामद की गई। बाद म पूछताछ के दौरान श्री भवानीसिंह ने स्वीकार किया कि उनका इग्लड मे भी एक मकान है जिसका प्रबध एक टस्ट द्वारा किया जाता है।

इन दाना व्यक्तिया के यहा जयपुर तथा दिल्ली म मारे गए छापो की सूचना मिलते ही ससद म प्रश्नात्तर किए गए। बहस के दौरान दो तीन सदस्या द्वारा इन लोगो की गिरफ्तारी की भी माग की गई।

राज्यसभा म २५ फरवरी १९७५ को तत्कालीन वित्तमत्री श्री सी० सुब्रह्मण्यम ने कहा था कि प्रश्न किसीको गिरफ्तार करने का नही है प्रश्न है तथ्य मालूम करन का, और इसमे समय लगगा। पहले यह पता लगाया जाएगा कि कोई गलत काम हुआ है या नही। इसलिए उन्ह गिरफ्तार किए जाने सबधी सुझाव जिम्मेदारपूण नही कहा जा सकता।

आयकर विभाग द्वारा श्रीमती गायत्रीदेवी के जयपुर स्थित मोती डूगरी महल पर मारे गए छापे म निम्नलिखित तथ्य सामने आए

श्रीमती गायत्रीदेवी के नाम से एक स्विस बक क्रेडिट काड

मिला, जिससे यह सकेत मिलता था कि उनका या तो वहा कोई बक खाता है अथवा फिर उनका किसी बैंक से लेन देन है।

छापे के दौरान १९ ब्रिटिश पौंड, १० स्वीस फ्रक तथा ५० पनी के दो सिक्के मिले। इसके अतिरिक्त २०० डालर का एक ट्रेवलर चक भी मिला।

ले० कनल भवानीसिंह के दिल्ली स्थित निवास पर मारे गए छाप से मालूम पडा कि भूतपूव स्वर्गीय महाराजा श्री मानसिंह द्वारा इग्लड म तीन ट्रस्ट बनाए गए थे जिनकी आय श्री मानसिंह की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी श्रीमती गायत्रीदेवी तथा उनके पुत्रो को देने की बात थी।

इन ट्रस्टो से होने वाली आय के बारे म यहा रिजव बक आफ इडिया को सूचित नही किया गया था। रिजव बैंक आफ इडिया द्वारा आयकर विभाग को एक पत्र लिखकर सूचित किया गया कि ले० कनल भवानीसिंह तथा श्रीमती गायत्रीदेवी न रिजव बक से न्यूयाक के चज मेनहेटन बक तथा स्विट्जरलड के सोसायटी डी बक मे अपने खाते रखने के बारे म अनुमति नही मागी है।

इसके अतिरिक्त श्री भवानीसिंह के निवास से मेनहटन बक की एक चैक्बुक, २२० अमेरिकी डालर के ट्रेवलिंग चक, ७६ पौंड दो हजार इटेलियन लीरा ३० स्विस फ्रैंक तथा १२० अमेरिकी डालर नकद मिले। इन सबके अतिरिक्त रोम के एक बक के लाकर की चाबी भी बरामद हुई।

विदेशों में चिन्ता

श्रीमती गायत्रीदेवी की गिरफ्तारी ने विदेशो मे भी पर्याप्त ध्यान आकर्षित किया। वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास के पास किंग्सविले, टेक्सास की श्रीमती केथरिन लार्किस तथा श्रीमती पटेरा लार्किन का एक केबल आया जो इस प्रकार था

श्रीमती गायत्रीदेवी की गिरफ्तारी और उन्ह जेल म डालने की घटना भारत सरकार के लिए इतनी दुर्भाग्यपूण, भयकार रूप स बदनामी भरी और घातक होगी जिसकी प्रतिक्रिया विश्व भर में सुनी जाएगी। इससे किसीका भला नहीं होने वाला है। उनको (गायत्रीदेवी) जानने वाले सभी क्रोधित और दुखी हैं। कृपया मेरी ओर स इस महिला की रिहाई के लिए प्राथना करें और यदि

आवश्यक हो तो उसे मेरे सरक्षण म छोड दें।

राजदूत ने इस प्रकार के ज्ञापन पर जवाब देने क लिए सरकार से इस मामले की पृष्ठभूमि चाही। इसपर प्रधानमत्री क सचिव श्री पी० एन० धर न टिप्पणी लिखी

प्रधानमत्री भी इसे देखना चाहगी। मैं नही जानता कि श्रीमती लार्किन कौन है परतु मैं एसा कोई कारण नही देखता जिसके कारण राजदूत को इस प्रकार के सुझाव का जवाब देन की आवश्यकता है।'

जब यह फाइल श्रीमती गाधी के पास गई तो उन्होंने लिखा

परतु राजदूत को निश्चित रूप से अपनी स्वय की सूचना के लिए यह जानकारी होनी चाहिए। यह कोई राजनीतिक गिर फ्तारी नही है।"

इन दोनो व्यक्तियो द्वारा कई बार अपनी नजरबदी को समाप्त करने के लिए ज्ञापन दिए गए परतु श्री मुखर्जी न उस स्वीकार नही किया। परतु इन दोना द्वारा की गई परोल की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया गया। श्री भवानीसिंह को १ नवम्बर १६७५ को और श्रीमती गायत्रीदेवी को ६ जनवरी, १६७६ को परोल पर रिहा करने के आदेश दिए गए।

श्रीमती गायत्रीदेवी को परोल पर रिहा करने स पूव उनसे एक पत्र पर ११ सितबर १६७५ को हस्ताक्षर कराए गए, जिसम श्रीमती गाधी को सबोधित कर लिखा गया था कि—

पत्र पर रिहाई

माननीया अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष समाप्त होने जा रहा है, इस अवसर पर मैं व्यक्तिगत रूप स तथा आपके द्वारा देश के हित और अच्छाई के लिए किए जा रहे कार्यक्रमो का समर्थन करने का विश्वास दिलाती हू। मैं यह और कहना चाहूगी कि मैंने राजाजी के निधन के बाद स ही राजनीति से सन्यास लेन का निश्चय कर लिया तथा आग भी राजनीति म कोई भाग नही लूगी। वैसे भी स्वतत्र पार्टी समाप्त हो चुकी है। मैंन भविष्य म भी किसी राज-नीतिक दल मे प्रवेश न करन का निश्चय किया है।

'मैंन ऊपर जो कुछ कहा है उसको देखते हुए तथा उपलब्ध कराई गई चिकित्सा-सुविधा के बावजूद मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है मैं

आपसे अनुरोध करती हू कि मुझे रिहा करने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए। यदि आप कोई शर्त लगाना चाहती हैं तो मैं उनका पालन करूंगी।'

बाद म १६ मार्च, १६७७ को पुनरीक्षण कमेटी की सिफारिश पर विचार करते हुए श्री मुखर्जी न श्री भवानीसिंह को रिहाई के आदेश देते हुए लिखा

प्रारभ म ले० कनल भवानीसिंह को रिहा किया जा सकता है तथा उनकी गतिविधियो पर पूरी निगाह रखी जाए। श्रीमती गायत्रीदेवी के मामले पर कुछ समय बाद निर्णय किया जाएगा।'

श्रीमती गायत्रीदेवी को पैरोल पर रिहा करन स पूर्व उनस यह आश्वासन ले लिया गया था कि वे दिल्ली उच्च न्यायालय म उनके द्वारा 'कोफेपोसा के अतगत अपनी गिरफ्तारी के विरुद्ध दायर की गई रिट याचिका वापस ले लेंगी।

श्रीमती गायत्रीदेवी को गिरफ्तारी के शुरू के पाच महीनो म जेल के वरक म 'सी क्लास म रखा गया था। पास म ही दडित अपराधियो के लिए दो सेल थ जिनमे स एक म ग्वालियर की राजमाता श्रीमती विजयराजे सिंधिया को रखा गया था। समीप के सेल म एक शौचालय था जिसका उपयोग दोनो भूतपूर्व महारानिया करती थीं। वरक के सेल म महिला कैदियो को रखा गया था, जो हत्या जसे जघन्य अपराध से लेकर अनैतिक आचरण निवारण सबधी कानून के अतगत तक गिरफ्तार की गई थी। दिन के समय ये कैदी श्रीमती गायत्रीदेवी के कमरे तक घूम फिर सकती थी।

गिरफ्तारी, राजनीतिक बदले से

दोनो राजमाताओ ने आयोग को दिए बयानो म आरोप लगाया कि उनके विरुद्ध कारवाई राजनीतिक बदले की भावना स की गई थी। उनका कहना था कि दिल्ली की तिहाड जेल म उन्हें महीनो अत्यत विक्षोभपूर्ण स्थिति म रखा गया। उनका स्वास्थ्य ठीक न होने के बावजूद उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। आयोग के कक्ष म उपस्थित लोग शोक और दुख स नत मस्तक उनकी व्यथापूर्ण कहानी सुनते रहे। 'शेम शेम' की आवाजो के बीच उन्होंने बताया कि उन्ह जेल म पागलो तथा कठोर अपरा

धिया और हत्यारा के साथ रखा गया।

श्रीमती गायत्रीदेवी ने बताया कि उन्होंने तत्कालीन प्रधान-मंत्री श्रीमती गांधी, वित्तमंत्री श्री सुब्रह्मण्यम तथा बैंकिंग और राजस्वमंत्री श्री प्रणव मुखर्जी को अनेक ज्ञापन भेजे, परन्तु उनका कोई जवाब तक नहीं दिया गया।

उन्होंने बताया कि जेल में न तो पंखा था और न ही सफाई की कोई विशेष व्यवस्था। लोग खुले में उनके सेल के सामने मल त्याग किया करते थे। जेल की चिकित्सा व्यवस्था इतनी खराब थी कि एक कैदी को तो शौचालय में बच्चा हुआ। कैदियों को *अस्पताल अंतिम घड़ी में ही भेजा जाता था।* श्रीमती गायत्रीदेवी ने बताया कि एक महिला तो हमेशा नंगी रहती थी तथा दिनभर भुन भुन किया करती थी और लोगों पर पत्थर फेंका करती थी।

उन्होंने बताया कि लगभग साढ़े पांच महीने के दौरान उनका वजन दस किलो घट गया था लेकिन पेरोल पर छोड़े जाने के लिए उनके सामने शर्तें रखी गई थीं कि वे उच्च न्यायालय में दायर उस रिट याचिका को वापस ले लें, जो उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के विरोध में दायर कर रखी थी। उनसे यह भी कहा गया था कि वे श्रीमती गांधी के प्रगतिशील कार्यक्रमों का समर्थन करते हुए राजनीति से संन्यास लेने-सम्बन्धी पत्र लिखें। यद्यपि वे इसे तीन सप्ताह तक टालती रहीं लेकिन बाद में अपने पुत्र जयसिंह के कहने पर इस प्रकार के पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और उसके पश्चात ही उन्हें पेरोल पर छोड़ा गया।

उन्होंने बताया कि पेरोल पर छूटने के बाद की स्थिति और भी खराब थी। जिन परिचितों से मिलना चाहती थीं उनसे मिल नहीं सकती थीं। हर दूसरे महीने पेरोल के लिए अनुमति लेनी पड़ती थी और हजारों रुपये का बांड भरना पड़ता था।

श्रीमती गायत्रीदेवी का कहना था कि उन्हें जेल में रखने का तात्पर्य केवल राजनीतिक बदला था क्योंकि पिछले चुनावों में वे *काफी वोटों से विजय होती आई थीं और आगामी चुनाव में भी* सफलता मिलने की पूरी सम्भावना थी। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई मामला नहीं बन रहा था जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। पिछले एक वर्ष से उनकी सम्पत्ति का मामला चला आ रहा था और उसपर सरकार का कोई फैसला नहीं हुआ

था।

सुबह की शुरुआत गालियों से

ग्वालियर की राजमाता श्रीमती सिंधिया ने बताया कि तिहाड़ जेल के जिन कमरों में उन्हें तथा श्रीमती गायत्रीदेवी को रखा गया था, वहां दिन रात दुर्गन्ध आती रहती थी। भयंकर अपराधों में सजा काट रही जिन महिलाओं के साथ उन्हें रखा गया था वे सुबह की शुरुआत ही गालियों के उच्चारणों से करती थीं और जेल की हालत भी बड़ी खराब थी। वहां न तो शौचालय ही था और न ही स्नानघर का प्रबंध।

उन्होंने बताया कि जेल में महिलाओं के साथ जेल के अधिकारी बड़ा ही रूखा व्यवहार किया करते थे। श्रीमती सिंधिया का कहना था कि उन्हें गिरफ्तारी के शुरू के दिनों में पचमढ़ी के एक बंगले में रखा गया और उसके बाद तिहाड़ जेल लाया गया। उन्होंने कहा, ' मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह बदला इतना विकट होगा।

"मुझे गिरफ्तार करने के अतिरिक्त पुणे, दिल्ली और ग्वालियर स्थित मकानों पर छापा मारा गया और तलाशी के नाम पर वहां की बेशकीमती और पुरानी चीजों को तोड़ फोड़ दिया गया। इसके अतिरिक्त मेरी पुत्रियों और कर्मचारियों को काफी परेशान किया गया। किसी भी सभ्य देश में नागरिकों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं होता। यह सब और कुछ नहीं बल्कि राजनीतिक बदला था।'

कार्रवाई मुखर्जी के निर्देश पर

राजस्व गुप्तचरी एवं जांच विभाग के तत्कालीन महानिदेशक श्री जी० ए० साहनी ने बताया कि २४ जुलाई १९७५ को श्री मुखर्जी के कमरे में बिना पूर्व सूचना के आयोजित एक बैठक में श्रीमती गायत्रीदेवी और ले० कर्नल भवानीसिंह को 'कोफेपोसा' के अधीन नजरबंद किए जाने पर विचार हुआ था। उनके खयाल से इस मामले में काफी तेजी बरती जा रही थी।

उनका कहना था कि आयकर विभाग द्वारा श्रीमती गायत्रीदेवी के जयपुर स्थित निवास मोती डूंगरी महल पर मारे गए छापे में जो दस्तावेज तथा माल जब्त किए गए थे, उसमें उनपर तस्करी

का मामला नही बनता था। उन्होंने इस बात से श्री मुखर्जी को अव गत करा दिया था कि श्रीमती गायत्रीदेवी और श्री भवानीसिंह पर सिर्फ विदेशी मुद्रा से सबधित ही मामला बन सकता है।

श्री साहनी के अनुसार यद्यपि जब्त की गई विदेशी मुद्रा की मात्रा अधिक नही थी परन्तु विदेशो मे स्थापित तीन न्यासो से होने वाली आय के बारे म रिजव बक का सूचित किया जाना जरूरी था। श्रीमती गायत्रीदेवी ने इस सबध म रिजव बक की अनुमति नही ली थी और इसी आधार पर कोर्फेपोसा के अतगत मामला बनाया गया।

जस्टिस शाह द्वारा यह पूछे जाने पर कि जब श्री भवानीसिंह को पेरोल पर रिहाई कर दी गई थी तब किस आधार पर श्रीमती गायत्री को परोल पर रिहाई की अनुमति नही दी गई प्रवतन निदेशक श्री एस० बी० जैन ने कहा कि न्यासा का सबध श्रीमती गायत्री से था और इसीलिए उन्हे रिहा न करने का फसला किया गया था। उन्होंने कहा कि नियमानुसार विदेशो म स्थित न्यास से होने वाली आय के बारे म रिजव बक को ३० दिन के भीतर सूचना दे दी जानी चाहिए परन्तु श्रीमती गायत्रीदेवी ने ऐसा नहीं किया था।

मुखर्जी की वापसी

तत्कालीन बकिंग तथा राजस्वमत्री श्री मुखर्जी भी इस मामले के सबध म आयोग के समक्ष उपस्थित हुए थे परन्तु ज्योही उन्होंने अपना बयान पढ़ना प्रारम्भ किया वहा उपस्थित लोगो ने जोरो से 'शेम शेम' के नारे लगाए और कुछ लोगो न तो उन्ह 'चमचा' तक कहा।

इसपर श्री मुखर्जी यह कहकर आयोग से उठकर चले गए कि गवाहियो की सावजनिक सुनवाई से मेरी इज्जत को गम्भीर हानि हो सकती है।'

जस्टिस शाह ने इसपर कहा आयोग के साथ सहयोग करने के लिए आपपर कोई प्रतिबध नही है। यदि आप मेरे साथ सहयोग नही करना चाहते तो यह ऐसा मामला नही है जिसके लिए मैं चिन्तित होऊ।

बाद म इस मामले पर जिरह के बाद सरकारी वकील श्री प्राण-

नाथ लेखी और आयोग के वकील श्री काल खडालावाला ने कहा कि यह समस्त काय श्रीमती गाधीके निर्देशानुसार हुआ था। श्रीमती गायत्रीदेवी और ले० कनल भवानीसिंह की गिरफ्तारी का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक था क्योकि उन्हें जिन ट्रस्टो के मामलो मे गिरफ्तार किया गया था उनके बारे म पहले ही उन्ह अगस्त तक जवाब देने को कह दिया गया था, परन्तु सरकार द्वारा अगस्त तक इतजार किए बिना ही गिरफ्तार करना इनके पीछे छुपी इच्छा को साफ जाहिर करता है। उनका कहना था कि दोनो की गिरफ्तारी का मामला पडताल कमेटी (स्क्रिनिंग कमेटी) के समक्ष न रखने से भी यही इच्छा झलकती है।

(११) नजरबदिया कुछ गैर-राजनीतिज्ञो की

एमरजेन्सी के दौरान राजनीतिक बदिया की मीसा मे गिरफ्तारी के अतिरिक्त जिन गैर राजनीतिक व्यक्तियो की नजर बन्दी की गई उनमे से कुछ इस प्रकार हैं प्रसिद्ध पत्रकार श्री कुलदीप नायर एक अन्य पत्रकार श्री वीरेन्द्र कपूर प्रसिद्ध उपन्यासकार श्री गुरुदत्त, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय म छात्र श्री प्रवीर पुरकायस्थ एक व्यवसायी श्री कुन्दनलाल जग्गी तथा डा० करुणेश शुक्ल। इन लोगो के अतिरिक्त अखबार बेचने वाले एक हाकर मामचन्द को भी नहीं बख्शा गया।

(१) कुलदीप नायर

श्री नायर को २५ जुलाई १९७५ को सवेरे छ बजे इस आरोप म गिरफ्तार किया गया कि उनकी कायवाहिया स देश मे शाति और व्यवस्था को खतरा है। इसके अतिरिक्त उनपर यह भी आरोप लगाया था कि उन्होंने सगठन काग्रेस तथा श्री जयप्रकाश के नेतृत्व वाले गैर कम्युनिस्ट विरोधी मोर्चे की कायकारिणी की बठको म गैर पत्रकार के रूप में भाग लिया तथा उन्ह प्रेस के जरिये पूरा प्रचार दिलाने का आश्वासन दिया। श्री नायर पर यह भी आरोप लगाया गया था कि उन्होंने जामा मस्जिद के इमाम सयद बुखारी से मिलकर ६ माच को बोट क्लब पर आयोजित की जाने वाली विरोधी मोर्चे की रली म अधिक से अधिक सख्या म

मुसलमान स्वयंसेवकों को भेजने की बात कही थी।

गिरफ्तारी, सेंसरशिप का विरोध करने पर

जहां सरकार की ओर से उनकी गिरफ्तारी के लिए यह आरोप लगाए गए, वहीं श्री नायर का कहना था कि उनकी गिरफ्तारी का एकमात्र कारण यह था कि उन्होंने समाचारपत्रों पर लगाई गई सेंसरशिप का विरोध किया था तथा उसके लिए एक बार प्रेस क्लब में और दूसरी बार प्रेस परिषद में एक प्रस्ताव पारित कराने की चेष्टा की थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने सेंसरशिप के विरोध में श्रीमती इन्दिरा गांधी को भी एक पत्र लिखा था जिसके कारण उन्हें मीसा में गिरफ्तार कर लिया गया।

जब शुक्ल रोए

श्री नायर का कहना था कि तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल ने प्रेस क्लब वाले प्रस्ताव के बारे में उनसे पूछताछ की थी। श्री शुक्ल से उनकी काफी निकटता रही थी तथा उनको वह अवसर अब भी याद है जब वे रक्षा उत्पादन मंत्रालय छिनने पर उनके पास आए थे और उनके कंधे पर सिर रखकर रोए थे। श्री शुक्ल ने प्रेस क्लब वाले प्रस्ताव के बारे में उनसे कहा था कुलदीप ! वह प्रेम पत्र कहां है ?

उन्होंने पूछा, कौन-सा प्रेम पत्र ?

श्री शुक्ल बोले, 'वही जिसपर ११७ पत्रकारों ने अपने हस्ताक्षर किए हैं। मैं उन पत्रकारों के नाम जानना चाहता हूं क्योंकि मुझे उन्हें गिरफ्तार करने को कहा गया है।' परन्तु उन्होंने वह प्रस्ताव उन्हें दिखाया नहीं।

श्री नायर की गिरफ्तारी के संबंध में दक्षिण दिल्ली के ए० डी० एम० श्री पी० घोष का कहना था कि उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट श्री सुशीलकुमार के कहने पर मीसा वारंट पर हस्ताक्षर किए थे, जबकि दूसरी ओर श्री सुशीलकुमार का कहना था कि उन्होंने तत्कालीन उप राज्यपाल के निजी सचिव श्री नवीन चावला के कहने पर श्री घोष को ऐसे निर्देश दिए थे और श्री चावला का कहना था कि उन्होंने ऐसा प्रधानमंत्री के निवास से मिले निर्देशों के अनुसार किया था।

इन सब बातो से बेखबर श्री कृष्णचद का कहना था कि 'उन्हे तो श्री नायर की गिरफ्तारी के बारे मे मालूम ही दूसरे दिन पडा था, जबकि वे दिल्ली के मुखिया कहे जाते थे।'

श्री नायर की गिरफ्तारी के विरोध के बाद मे उनकी पत्नी श्रीमती भारती नायर ने दिल्ली उच्च न्यायालय मे एक रिट याचिका प्रस्तुत की। न्यायालय द्वारा सुनवाई के बाद याचिका पर निर्णय १५ सितम्बर, १९७५ तक के लिए सुरक्षित रखा गया और इसी बीच सरकार द्वारा ११ सितम्बर १९७५ को श्री नायर को रिहा करके मीसा आदेश रद्द करने के आदेश भी दे दिए गए।

(ii) श्री वीरेन्द्र कपूर

एक अन्य पत्रकार दिल्ली के फाइनेंसियल एक्सप्रेस के सवाददाता श्री वीरेन्द्र कपूर को १ नवम्बर १९७५ को लालकिले मे आयोजित एक समारोह की रिपोर्टिंग के समय गिरफ्तार कर लिया गया। यह समारोह उन दिनो दिल्ली मे आए राष्ट्र मडलीय प्रतिनिधि मडलो के सम्मान मे लालकिले के दीवाने आम मे आयोजित किया गया था। उक्त समारोह मे अचानक ही कुछ छात्रो ने नारेबाजी करना और पर्चे फेंकना प्रारम्भ कर दिया। इसी बीच उन दिनो युवक काग्रेस की महासचिव श्रीमती अम्बिका सोनी ने एक छात्र को पकड लिया तथा उनके दो साथियो ने उसकी मरम्मत प्रारम्भ कर दी। श्री कपूर द्वारा श्रीमती सोनी को ऐसा करने से रोकने पर पुलिस वालो ने श्री कपूर को गिरफ्तार कर लिया।

रिहाई मीसा मे नजरबदी के लिए

श्री कपूर को बाद मे ६ नवम्बर को जमानत पर रिहा कर दिया गया और बाद मे फिर १७ नवम्बर को मीसा मे नजरबद कर लिया गया। लगभग एक वर्ष बाद पाच नवम्बर १९७६ को मीसा आदेश रद्द किए गए। इस बीच उन्हे २६ जुलाई १९७६ को पेरोल पर रिहा कर दिया गया था।

इस सारे काड के बारे मे श्रीमती सोनी का कहना था कि यह सब कुछ गलतफहमी के कारण हुआ। पुलिस वालो ने जाने क्या सोचकर श्री कपूर को गिरफ्तार किया था, जबकि उन्होने

स्वय श्री सजय गाधी तथा पुलिस उपमहानिरीक्षक (रेंज) श्री पी० एस० भिण्डर से मिलकर कहा था कि श्री कपूर को बेकार म ही गिरफ्तार किया गया है। वे स्वय इस मामले म श्री कपूर से मिलकर अपना अफसोस प्रकट करना चाहती थी परन्तु श्री कपूर न मिलना उचित नही समझा था। उन्ह इस बात का भी कोई जानकारी नही थी कि श्री कपूर को एक बार रिहा करने क बाद म फिर मीसा म नजरबद कर लिया गया था। उन्ह बाद म लोकसभा चुनाव के बाद एक दिन ससद सदस्य श्री सुब्रह्मण्य स्वामी ने बताया था कि उनके साढू श्री कपूर की गिरफ्तारी मेरे कारण हुई थी। उससे पहले उन्हें यह भी पता नही था कि श्री कपूर श्री स्वामी के रिश्तेदार हैं।

जबकि दूसरी ओर दिल्ली प्रशासन का कहना था कि श्री कपूर की श्रीमती सोनी स हुई तकरार के कारण नहीं बल्कि उनके जनसघ तथा राष्ट्रीय स्वय सेवक सघ से निकट क सबध होने के कारण गिरफ्तार किया गया था।

यहा यह भी उल्लेखनीय है कि श्री कपूर क रिहाई के सबध म गृह मत्रालय द्वारा सिफारिश किए जाने के बावजूद दिल्ली प्रशासन ने उन्ह रिहा करना स्वीकार नही किया था।

(iii) वृद्ध गुरुदत्त

गैर राजनीतिक व्यक्तियो की मीसा मे गिरफ्तारी का एक महत्त्वपूर्ण मामला प्रसिद्ध उपन्यासकार ८२ वर्षीय श्री गुरुदत्त का है जिन्ह २२ नवम्बर १९७६ को रात्रि के दस बजे गिरफ्तार किया गया। उनपर आरोप लगाया गया था कि उन्होने २२ नवम्बर की ही रात्रि को दस बजे गली के बाहर एक जलस म लोगो को भडकाया था जबकि उनके अनुसार उस दिन कोई जलसा हुआ ही नही था।

तीस हजारी अदालत म सबधित मजिस्ट्रेट ने स्वय आश्चय चकित होकर पूछा था कि जो व्यक्ति सुन नही सकता है वह किस प्रकार से लोगो का भडकाएगा। इसपर पुलिस की ओर से कोई जवाब नही दिया गया तथा सिर्फ इतना कहा गया कि उन्ह ऐसा करने के आदेश दिए गए थे।

पजाबी बाग दिल्ली के जिस इलाके म श्री गुरुदत्त रहा करते थ तत्कालीन ए० डी० एम० श्री ए० के० पटण्डी का कहना था

कि उन्होंने श्री गुरुदत्त की गिरफ्तारी का विरोध किया था, परन्तु ज़िला मजिस्ट्रेट के आदेशों के कारण मजबूरन मानना पड़ा। इस बार में उस समय के ज़िला मजिस्ट्रेट श्री बी० के० गोस्वामी ने बताया कि श्री पटण्डी ने इस गिरफ्तारी का विरोध किया था, परन्तु वे लाचार थे, क्योंकि उप राज्यपाल ने कहा था कि इन्हें गिरफ्तार करने के लिए आदेशों का पालन किया जाना चाहिए।

२२ नवम्बर को गिरफ्तार करने के बाद श्री गुरुदत्त को ३० नवम्बर तक के लिए पुलिस रिमांड में तिहाड़ जेल भेज दिया गया। इस बीच उन्हें २८ नवम्बर को मीसा में बन्दी बनाने का आदेश थमा दिया गया और ३ दिसम्बर को रिहा भी कर दिया गया।

व्यक्तिगत ईर्ष्या

आयोग के वकील श्री खंडालावाला ने गुरुदत्त की गिरफ्तारी को 'तुच्छ व्यक्तिगत ईर्ष्या का परिणाम बताया जो किसी को प्रसन्न करने के लिए की गई थी।

(१४) श्री प्रबीर पुरकायस्थ

इसी प्रकार की गिरफ्तारियों में एक नाम है—जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के एक शोध छात्र श्री प्रबीर पुरकायस्थ का, जिन्हें २५ अगस्त १९७५ को उस समय गिरफ्तार कर लिया गया जब वे अपने कुछ साथियों के साथ विश्वविद्यालय के भाषा विभाग के बाहर लॉन में बैठे थे। इससे पहले दिन से यानी २४ तारीख से तीन दिन के लिए कक्षाओं के बहिष्कार का कार्यक्रम चल रहा था और उसीके अनुसार कक्षाओं में कोई पढ़ाई नहीं हो रही थी।

श्री पुरकायस्थ की गिरफ्तारी का मुख्य कारण यह बताया गया कि उन्हें गलतफहमी का शिकार होना पड़ा। पुलिस वास्तव में गिरफ्तार करना चाहती थी विश्वविद्यालय यूनियन के अध्यक्ष श्री देवीप्रसाद त्रिपाठी को, परन्तु उनकी एवज में गिरफ्तार कर लिया गया श्री पुरकायस्थ को। इस बार में श्री पुरकायस्थ का कहना था कि इस घटना के पहले श्रीमती मेनका गांधी को, जो विश्वविद्यालय में जर्मन भाषा पढ़ने आती थीं, कक्षा में जाने से कुछ छात्रों ने रोका था और इस बारे में हो सकता है, श्री मेनका ने श्री संजय गांधी से कहा हो। परन्तु उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि श्रीमती

या कि श्री करणेश को तुरंत मीसा म गिरफ्तार कर लिया जाए। इस सबध म आदेश भेजे जा रहे हैं।

श्री अशोक प्रधान का कहना था कि दिल्ली के उप-आयुक्त श्री बी० के० गोस्वामी ने उनसे बातचीत के दौरान कहा था कि उप राज्यपाल चाहते हैं कि श्री करुणेश शुक्ल को गिरफ्तार कर लिया जाए क्योंकि उन्होंने उप राज्यपाल को दिए ज्ञापन म गलत तथ्य बताए है।

श्री बानवा ने स्वीकार किया कि उनके पास श्री करणेश क सबध म कोई सूचना नही थी परन्तु क्योंकि उप राज्यपाल ने कहा था कि उन्होंने तथ्यों को गलत तरीके स प्रस्तुत किया है गिरफ्तारी के आदेश दिए गए।

बाद म उप राज्यपाल ने २८ सितम्बर, १९७६ को श्री करणेश की नजरबन्दी क आदेशों की पुष्टि की और ६ फरवरी, १९७७ को उन्हें रिहा कर दिया गया।

भिण्डर की भी मजबूरी

दिल्ली के तत्कालीन पुलिस उप महानिरीक्षक (रेंज) श्री भिण्डर ने ८ अप्रैल की कार्यवाही म आयोग के सामने अपना पक्ष रखने म असमर्थता प्रकट की। उनका कहना था कि जहा एक ओर प्रत्येक सरकारी अधिकारी को उस विभाग द्वारा अपने बचाव के लिए कानूनी मदद दी जा रही है वहा उन्हें न तो केन्द्र सरकार ही कोई मदद दे रही है और न ही हरियाणा सरकार जहा से वे डेपूटेशन पर दिल्ली आए थ। ऐसी स्थिति म व बिना किसी कानूनी मदद के अपना पक्ष ठीक तरह पेश नही कर सकते।

श्री भिण्डर का यह भी कहना था कि वे इस समय एक अन्य मुकदमे म (सुन्दर डाकू-हत्याकांड क मामले म जिसम व मुख्य अभियुक्त हैं) फसे हुए हैं तथा उन्हें जेल म रहना पड रहा है इस कारण उन्हें आयोग स सबधित मामलों पर विचार करने क लिए समय नही मिल पा रहा है। उन्होंने आयोग से उनके मामले म कार्यवाही स्थगित करने की भी प्रार्थना की।

जस्टिस शाह ने श्री भिण्डर क अनुरोध को अस्वीकार करते हुए अपनी व्यवस्था म कहा कि आयोग का इससे कोई सबध नही है कि सबन्धित गवाह को सरकार की ओर स कानूनी मदद मिल

रही है या नहीं। ऐसी स्थिति में इस आधार पर कार्यवाही को स्थगित करने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि आयोग ने पहले ही श्री भिण्डर को काफी समय दिया है, इसलिए अब और समय देना सम्भव नहीं है।

जस्टिस शाह ने श्री भिण्डर द्वारा अपना पक्ष न रखने पर उनका पक्ष सुने बिना ही मामले पर विचार पूरा करने के आदेश दिए।

नजरबंदी और सफाई

एमरजेंसी के दौरान मीसा और भारत सुरक्षा कानून के अंतर्गत गिरफ्तार/नजरबंद किए जाने वालों की सूचियां तैयार किए जाने के संबंध में अपना स्पष्टीकरण देते हुए पुलिस अधीक्षक सी० आई० डी० (विशेष ब्रांच) श्री के० एस० बाजवा ने बताया कि उन्होंने बंदी बनाए जाने वाले लोगों की सूची तैयार करके केवल अपनी ड्यूटी पूरी की थी। यदि इसमें कोई गलती हुई हो तो वे इसकी पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं।

उनका कहना था कि पहले और दूसरे स्तर के सभी नेताओं को गिरफ्तार किए जाने के निर्देश दिए गए थे। इस श्रेणी के लोगों को मीसा में और शेष सभी को डी० आई० आर० और दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत गिरफ्तार किए जाने को कहा गया था।

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक श्री राजेन्द्र मोहन का कहना था कि जिन लोगों को श्री बाजवा अथवा श्री भिण्डर ने मीसा में बंदी बनाने पर सहमति दी उन्हें बंदी बनाने के आदेश जमानत होने से पहले ही जेल में दे दिए गए थे।

श्री ओट्री ने बताया कि उन दिनों कई तरह के नोट और सूचनाएं मिलती थीं जिनमें कहा जाता था कि अमुक व्यक्ति को उठाना है। 'उठाने' से मतलब होता था, पकड़कर जेल में बंद करना। उन्होंने बताया कि जितनी भी राजनीतिक गिरफ्तारियां हुई, वे या तो श्री बाजवा के कहने पर हुई या फिर श्री भिण्डर के कहने पर।

एक अन्य पुलिस अधीक्षक श्री के० डी० नैयर का कहना था, चूंकि कुछ लोगों के भूमिगत होने का संदेह था, इसलिए पहले उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १०८ के अंतर्गत गिरफ्तार करने

को कहा जाता था और उसके बाद से मीसा का वारंट थमा दिया जाता था।'

एमरजेन्सी में घोर मदान्धता और पागलपन

उप राज्यपाल श्री कृष्णचद ने इस सबध म स्वीकार किया कि एमरजेन्सी म घोर मदान्धता का वातावरण कायम था और सम्पूर्ण सत्ता प्रधानमत्री निवास म सिमट गई थी तथा सारा काय श्री सजय गाधी के निर्देशानुसार चलता था।

श्री कृष्णचद और उनके सचिव श्री नवीन चावला ने स्वीकार किया कि एमरजेन्सी की घोषणा के बाद एक अजीब पागलपन की स्थिति कायम हो गई थी। इस दौरान किसीको भी नजरबद कर दिया जाना एक साधारण बात हो गई थी।

श्री चावला ने जस्टिस शाह के एक प्रश्न के उत्तर म कहा कि एमरजेन्सी के समय राजनीतिक विरोधियो की नजरबदी सरकार की नीति के अनुकूल स्वाभाविक थी परन्तु अनेक लोगो की नजर बन्दी अधाधुध की गई। इसके लिए किसी और को दोष नही दिया जा सकता। इसपर सरकारी वकील श्री लेखी ने झट पूछा उस पागल पन के माहौल म आपकी क्या भूमिका थी?' श्री चावला ने जवाब दिया "यह निर्णय करना आयोग का काम है। मैं स्वय अपना मूल्याकन नही कर सकता।

श्री चावला का कहना था कि यह कहना जरूरत से ज्यादा होगा कि नजरबद लोगो के मामलो की समीक्षा समिति की बैठक म श्री बाजवा की ही चलती थी। वास्तविकता यह थी कि नजर बदो को छोडने की जिम्मेदारी कोई भी अपने ऊपर नही लेना चाहता था। उन्होने आरोप लगाया कि जो लोग अब श्री बाजवा पर आरोप लगा रहे हैं वे उस समय क्या नही बोलते थे?

परन्तु इसके साथ ही उन्होने यह भी स्वीकार किया कि इस समिति का गठन केवल औपचारिकता थी। उस समय भय का ऐसा वातावरण बना हुआ था तथा प्रत्येक व्यक्ति बहुत ही डरा हुआ था और एक दूसरे का सहारा चाहता था।

जिम्मेदारी तो है ही

जस्टिस शाह ने आयोग के अतिम चरण की कार्यवाही के

दौरान दिल्ली के तत्कालीन उप राज्यपाल श्री कृष्णचंद और उनके वकील तथा प्रशासन के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के इस स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं किया कि उन्होंने जो कुछ किया, ऊपर से मिले आदेशों के कारण किया तथा वे उसके जिम्मेदार नहीं ठहराए जा सकते क्योंकि उस समय के हालात में उनके सामने ऊपरवालों के आदेश मानने के सिवाय कोई और चारा नहीं था।

जस्टिस शाह का कहना था कि कोई भी अधिकारी सिर्फ यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता कि वह असहाय था, इसलिए उसने ऐसा किया। क्योंकि प्रत्येक अधिकारी को नियमों तथा अपने विवेकानुसार काम करना होता है और यदि वह ऐसा नहीं करता तो यह जिम्मेदारी उसकी है।

आयोग के वकील श्री खंडालावाला का कहना था कि एमरजेंसी के दौरान की गई गिरफ्तारियां एक 'मजाक' थी तथा यह इतनी अचानक की गई ताकि लोगों को बचने और छुपने का अवसर भी नहीं मिल सके।

नजरबंदी और पेरोल पर रिहाई

दिल्ली प्रशासन की ओर से नजरबंद किए गए कुछ बंदियों के बारे में गृह मंत्रालय द्वारा पेरोल पर रिहाई की सिफारिश किए जाने के बावजूद रिहा नहीं किया गया। इनमें से कुछ नाम हैं—सर्व श्री कंवरलाल गुप्त, श्रीमती प्रमीला लेविस, प्रवीर पुरकायस्थ, हंस राज गुप्त और श्री टी नरूला।

इन सभी लोगों के मामले में गृह मंत्रालय द्वारा रिहा करने की सिफारिशें की गई थीं, परन्तु दिल्ली प्रशासन की ओर से उन्हें स्वीकार नहीं किया गया। जहां एक ओर इन लोगों को पेरोल पर रिहा नहीं किया गया, वहां दूसरी ओर कुछ बंदियों को थोड़े से समय के लिए ही रिहा किया गया था, परन्तु बाद में वे काफी समय तक बाहर रहे और इस बात का कोई नोटिस नहीं लिया गया। इनमें से कुछ थे—सर्व श्री विशम्भरदत्त शर्मा रणजीतसिंह के० एम० राधाकृष्ण बलीराम शर्मा रमेश कुमार रखेजा और श्री बृजमोहन शास्त्री।

श्री कंवरलाल गुप्त के संबंध में उनकी पत्नी ने पेरोल पर रिहाई के लिए प्रार्थना की थी क्योंकि उनकी दो भतीजियों का

विवाह होने वाला था परन्तु उप राज्यपाल ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसके बाद एक प्रार्थना उनके बीमार होने के आधार पर की गई, परन्तु उसे भी स्वीकार नहीं किया गया। इन दोनों मामलों में गृह मंत्रालय ने अपनी स्वीकृति दे दी थी।

इस संबंध में उप राज्यपाल श्री कृष्णचंद का कहना था कि गृह मंत्रालय की सिफारिश के साथ साथ वे भी श्री गुप्त को रिहा करने को इच्छुक थे परन्तु श्री ओम मेहता की इस मामले में अनुमति नहीं थी और श्री मेहता उन दिनों प्रधानमंत्री निवास से निकट से जुड़े हुए थे। उन्होंने अंत में स्वयं अपने निर्णय से श्री गुप्त को रिहा भी कर दिया था परन्तु इससे प्रधानमंत्री उनपर बहुत बिगड़ी थीं और कहा था कि जब और लोग अंदर हैं तब इन्हें ही रिहा करने की क्या आवश्यकता थी? इसपर जस्टिस शाह ने चुटकी लेते हुए कहा आपको कह देना चाहिए था कि उन्हें भी रिहा कर दिया जाए।

सर्वश्री आर० प्रसाद, श्री हंसराज गुप्त, टी० नरूला और श्री एम० एन० तलवार को बीमारी के आधार पर गृह मंत्रालय की ओर से रिहा करने की सिफारिश की गई परन्तु इन्हें भी नहीं माना गया।

नजरबंदी में मृत्यु

उल्लेखनीय है कि श्री तलवार के बारे में गृह मंत्रालय द्वारा सिफारिश किए जाने के बावजूद उप राज्यपाल ने स्वीकृति प्रदान नहीं की जबकि उनकी हालत काफी खराब थी और वे पंत नर्सिंग-होम में भरती थे। इसी बीच श्री तलवार की मृत्यु हो गई। श्री तलवार की मृत्यु के बाद उप राज्यपाल चाहने लगे कि किसी भी तरह रिकार्डों में यह तबदीली कर दी जाए कि श्री नरूला को मृत्यु से पहले ही रिहा कर दिया गया था परन्तु अधिकारियों के असहयोग से ऐसा हो नहीं सका।

श्रीमती प्रमीला निविस के बारे में भी जिन्हें प्रधानमंत्री के फार्म पर काम कर रहे मजदूरों को न्यूनतम वेतन लेने के लिए भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था गृह मंत्रालय की सिफारिश को नहीं माना गया।

इन सब मामलों के अतिरिक्त जहां कुछ बन्दियों को रिहा कर

दिया गया उनके बारे में कहा जाता था कि वे तस्करी तथा अन्य कार्यों में लिप्त थे तथा उन्हें इसी प्रकार के आरोपों में मीसा में नजरबंद किया गया था, परन्तु उसके बावजूद उन्हें रिहा कर दिया गया। इन लोगों की रिहाई के बारे में भी उप राज्यपाल ने श्री ओम मेहता पर जिम्मेदारी डाली। उनका कहना था कि श्री मेहता तथा प्रधानमंत्री निवास के निर्देशानुसार ही ऐसा किया गया।

नसबंदी और पेरोल पर रिहाई

एमरजेन्सी के दौरान स्वेच्छा से नसबन्दी कराकर पेरोल पर छोड़ने के आदेश देने से संबंधित रोचक मामला भी आयोग के सामने आया। प्रशासन की ओर से आदेश दिए गए थे कि जो भी मीसाबंदी स्वेच्छा से अपनी नसबंदी करा लेगा, उसे तुरन्त पेरोल पर छोड़ दिया जाएगा।

इस आदेश के संबंध में उपराज्यपाल से लेकर अन्य अधिकारियों तक ने सारी जिम्मेदारी श्री नवीन चावला पर डाली। जबकि श्री चावला ने बड़ी ही मासूमियत से यह कहकर बचना चाहा कि 'नसबंदी शब्द' जो आजकल इतना बुरा लगता है उन दिनों परिवार नियोजन कार्यक्रम का एक आवश्यक भाग था। चूंकि जेलें दिल्ली प्रशासन के अंतर्गत ही आती थीं इसलिए वहां भी परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रचार किया जा रहा था। श्री चावला ने यह भी स्वीकार किया कि श्रीमती रुखसाना सुलतान को भी दो-तीन बार तिहाड़ जेल भेजने की व्यवस्था की गई थी।

पेरोल और परीक्षा

तिहाड़ जेल में बंदी कुछ छात्रों को जो परीक्षा में बैठना चाहते थे, गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद पेरोल पर रिहा न कर परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी गई। जिन छात्रों ने इस प्रकार की अनुमति मांगी थी वे थे—सर्वश्री जितेन्द्र सरीन, अशोककुमार डागरा, सुभाष नागपाल, गुरमुख दास, प्रवीर पुरकायस्थ और श्री अरुण जेटली।

श्री जेटली ने इस संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका प्रस्तुत कर दिल्ली प्रशासन को आदेश देने की प्रार्थना की थी। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कहा था कि यदि विश्व-

विद्यालय तिहाड जल म ही एक परीक्षा क द्र खोल दे, तो सरकार को आपत्ति नही होगी। इस सबध म यायालय ने उसक अनुसार अपने आदेश दे दिए परन्तु दिल्ली प्रशासन द्वारा इस सबध म विश्व विद्यालय स कोई पत्र-व्यवहार नही किया गया और छात्र परीक्षा म नही बठ सक ।

सबध—दिल्ली प्रशासन और गृह मत्रालय के बीच

पैरोल पर रिहा करने और अ य मामला म दिल्ली प्रशासन की गह मत्रालय क सुझावा पर बरती गई नाराजगी के बारे म श्री कृष्ण चद का कहना था कि एमरजेसी के दौरान दिल्ली के मामलो म श्री ओम महता को जिम्मेदारी सौपी गई थी। जो थे तो मत्रालय म राज्यमत्री परन्तु मत्री श्री ब्रह्मान द रेड्डी के मुकाबल उनक निर्देशो का पालन करना पडता था। उ होने बताया कि इसका कारण यही हो सकता था क्योकि श्री ओम मेहता प्रधानमत्री निवास स सीधे जुडे हुए थे। इसका मतलब यह था कि श्री ओम मेहता के निर्देश या सुझाव एक तरीके स प्रधानमत्री निवास के ही आदेश या निर्देश होत थे।

श्री कृष्णचद ने बताया इसके अतिरिक्त प्रधानमत्री श्रीमती इदिरा गाधी ने दिल्ली को सभालने की जिम्मेदारी श्री सजय गाधी को द दी थी। अत हम लाग कोई कारवाई श्रीमती गाधी या सजय गाधी के निर्देश क विपरीत नही करते थे।

प्रधानमत्री निवास मे शक्ति केद्रित

उ होने जस्टिस शाह के प्रश्नो क उत्तर म बताया कि वास्तव म पराल और बदियो को छोडने के बारे म मेरी मर्जी कुछ भी नही थी इसका निणय तो प्रधानमत्री निवास स होता था जहा सत्ता क द्रित थी।

तत्कालीन मुख्य सचिव श्री ज० क० कोहली के अनुसार दिल्ली म मीसा के अतगत ब दियो को पेरोल पर रिहा करन क लिए कोई नियम नही थ। इस प्रकार के नियमो की अनुपस्थिति म कुछ नियमो का प्रारूप तयार किया गया था और उनपर उप राज्यपाल की सह मति स निणय लिया जाता था। उ होने बताया कि कुछ अवसरो पर उप राज्यपाल और गह मत्रालय के दृष्टिकोणो मे अतर पाया

गया। अधिकांश मामला म उप राज्यपाल के निणय को ही मा यता मिलती थी। इसी प्रकार की बाता को देखते हुए दिल्ली प्रशासन विभिन्न मामला म गह मत्रालय के सुझावा को ठुकरान म हिचकता नही था।

तत्कालीन विशेष गह सचिव श्रीमती शलजा च द्रा के अनुसार गहमत्रालय न कभी मुख्य सचिव को और कभी उप राज्यपाल को इस बारे म पत्र लिखना चालु कर दिया था कि मीसा म की गई कुछ गिरफ्तारिया उचित नहीं हैं अथवा उ ह मीसा के अतगत नही किया जाना चाहिए था। कितन ही अवसरो पर मत्रालय ने पेरोल पर रिहा किए जाने के बार म भी सिफारिशें की थी। अधिकाश समय उप राज्यपाल द्वारा मत्रालय की सिफारिशें नही मानी गइ। इस बारे म वे बराबर उप राज्यपाल और उनके सचिव से बात किया करती थी कि वहा से पत्र भी आ रहे ह और व्यक्तिगत रूप से वे लोग इसकी शिकायत कर रहे हैं कि प्रशासन उनकी राय नहीं मान रहा है। इसपर उप राज्यपाल उनसे कहा करते थ कि गहमत्रालय की सिफारिशा से वह निपट लेंगे, हम लोगा को चि ता करन की आवश्यकता नही है।

दिल्ली के ही त कालीन उप आयुक्त श्री सुशीलकुमार तथा भूतपूव विधि सचिव श्री रजनीकात क अनुसार गह मत्रालय ने कई बार दिल्ली प्रशासन को लिखा था कि जिन आधारो पर अमुक व्यक्ति की गिरफ्तारी मीसा म की गई वह उचित नही है, पर तु उप रा यपाल न उनकी राय कभी नही मानी।

श्री कृष्णचद के निजी सचिव श्री नवीन चावला का कहना था कि उप राज्यपाल ने इन मामलो म शायद ही कभी गह मत्रालय के निर्देशानुसार काम किया हो! चाह वह मामला श्री कवरलाल गुप्त की रिहाई का रहा हो या फिर श्रीमती लिडिस का। उ होने कभी गह मत्रालय के निर्देशा के अनुसार काय नही किया। जब यह एक अलग बात है कि वह यह काय किसी और के निर्देशानुसार कर रहे हो।

बदियों के साथ जेल मे व्यवहार

एमरजसी क दौरान जेला म राजनीतिक बदिया तथा अ य बदिया म किया गया व्यवहार काफी चचित रहा है। चाहे बदिया

मे कोई आम मजदूर रहा हो पत्रकार रहा हो या फिर भूतपूर्व महारानिया ही क्या न रही हो, कोई भी इन जेल अधिकारियो के दुर्व्यवहार से नहीं बच सका था।

जेल अधीक्षक श्री आर० एन० शर्मा ने स्वीकार किया कि जयपुर की राजमाता श्रीमती गायत्रीदेवी को तिहाड जेल की ऐसी कोठरी में रखा गया था जो फासी की सजा पाने वाली महिलाओं के लिए नियत थी, यद्यपि उसमे ऐसी सजा पाने वाली कोई महिला नही रखी गई थी। उन्होने कहा कि श्रीमती गायत्रीदेवी के अतिरिक्त ग्वालियर की राजमाता श्रीमती विजयराजे सिंधिया और श्रीमती गायत्रीदेवी के पुत्र ले० कर्नल भवानीसिंह को भी इसी प्रकार की कोठरियो में रखा गया था।

श्री शर्मा का कहना था कि उच्चाधिकारियो को बता दिया था कि ये कोठरियां इन लोगो के उपयुक्त नहीं हैं परन्तु पुलिस वाले माने नहीं। जेल के कई अधिकारियो ने बताया कि तिहाड जेल में श्री मदनलाल खुराना (दिल्ली के वर्तमान कार्यकारी पार्षद) और श्री प्राणनाथ लेखी (शाह आयोग में सरकारी वकील) और एक अन्य नजरबद को जेल के पागलो के बाडे में रखे जाने के निर्देश दिए गए थे। श्री लेखी ने स्वयं बताया था कि उन्हे जेल मे झुलसा देने के उद्देश्य से सीमेण्ट की चादर वाली छत की कोठरी में कडी गर्मी में रखा गया था।

एक अन्य जेल-अधीक्षक श्री एस० के० बत्रा का कहना था कि श्री नवीन चावला ने इन नजरबदो को पागलो के साथ बाडे में रखे जाने का निर्देश दिया था।

श्री चावला ने स्वीकार किया कि उन्होने उप राज्यपाल के निर्देशानुसार इन तीनो को जेल में रखने का सुझाव अवश्य दिया था परन्तु पागलो के साथ बद किए जाने की बात झूठी थी।

उप राज्यपाल श्री कृष्णचद ने इस बात से इकार किया कि उन्होने किसी राजनीतिक नजरबदी को सेल में रखने के आदेश दिए थे।

चर्चा रुखसाना की

जेलो में व्यवहार पर विचार के दौरान आयोग के समक्ष एक रोचक सस्मरण भी पेश हुआ और वह था श्री सजय गाधी की परि-

वार नियोजन कार्यक्रम म सहयोगी श्रीमती रुखसाना सुलतान के सबध म। चर्चा के दौरान बताया गया कि श्रीमती सुलतान के लिए राजनिवास और तिहाड जेल, दोना के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे।

श्री कृष्णचद का कहना था कि श्रीमती रुखसाना अक्सर श्री चावला के पास आती रहती थी और उनके कमरे म तीन-तीन घटो बठती थी। कभी-कभी मुझस भी भेंट कर लेती थी और परिवार नियोजन कार्यक्रम की प्रगति के सबध म कुछ सूचनाए दे जाती थीं।

उनके इस बयान पर श्री चावला न उत्तेजित स्वर म कहा, 'कुछ तो सच बोलिए आपन उनके (श्रीमती रुखसाना) साथ कितनी बार भोजन किया था ?"

इसस पूव श्री चावला स्वय कह चुके थे कि श्रीमती रुखसाना को दो-तीन बार तिहाड जेल भेजने के लिए उन्होंने स्वय व्यवस्था की थी। श्रीमती रुखसाना वहा परिवार नियोजन कायक्रम के सिलसिल म गई थीं।

जेलो में किए गए व्यवहार पर जयपुर और ग्वालियर की राजमाताए पहले ही शिकायत कर चुकी थी। उनका कहना था कि उन्हें जिन सेलों म रखा गया था वह एकदम गदी थी तथा उनक आस पास गदी वदी महिलाए घूमती रहती थीं और गालिया बकती रहती थीं।

श्री कुलदीप नायर न भी अपने बयान म बताया था कि जलों की हालत बडी खराब थी और वहा क एक दो अधिकारियो को छोडकर अन्य का व्यवहार बडा ही खराब था। उन्होंने बताया था कि ६३ बदियो के बीच सिफ दो मूत्र शौचालय थ तथा पूरी जेल म एक हैंडपप। इसके अतिरिक्त सलो के चारो ओर की घास को काटा नही जाता था जिसस वर्षा म कीडे मकोडे और कभी कभी साप भी अन्दर आ जाते थ।

पैसे देने पर सब कुछ हाजिर

उन्होंने बताया था कि जेल म खाना भी ठीक नही था। चपातिया तो जितनी मागो मिल जाती थीं परन्तु दाल एक ही बार मिलती थी। इसक अतिरिक्त कभी भी कोई सब्जी नही दी जाती

थी। इन सब बातो के अतिरिक्त यदि बदी स्वय धन खच कर तो उसके लिए बिस्तर करी और 'तदूरी' तक बाहर से मगवा दी जाती थी।

श्री नायर न बताया था कि जेल म जब भी अधिक बदी हो जात थे तो सडको पर इधर उधर घूमने वाले लडको को यूही पकडकर ले आया जाता था और उनस काम कराया जाता था और उन्हे तब तक नही छोडा जाता था, जब तक कि दूसरे लडके नही आ जात थ। श्री नायर जब तिहाड जेल मे थे तब एक सवेर एक लडके को उन्होन रोते देखा और उसस कारण पूछा तो उसने बताया कि वह अपने मालिक के लिए पान लेने जा रहा था, तब उसे पकड लिया गया। जेल वाडन ने बाद म उन्हे इस प्रकार की जानकारी दी।

६ छापे या राजनीतिक बदला

किसी उद्योगपति, व्यवसायी राजनीतिज्ञ अथवा साधारण व्यक्ति को परेशान करने का एक अप्रत्यक्ष किंतु सबसे अच्छा तरीका यह भी हो सकता है कि उससे सबधित फर्मों, ट्रस्टो और अन्य स्थानो अथवा ये न हो तो उसके घर पर ही किसी न किसी बहाने आयकर विभाग बिक्री कर विभाग या फिर किसी अन्य विभाग के जरिय छापे पडवाए जाए और फिर जब देश म एमरजेसी लागू हो तो यह काम और भी आसान हो जाता है—यानी सोने म सुहागा।

एमरजेसी के दौरान इसी प्रकार की परेशान करने की कारवाइयो के अतगत दिल्ली के विश्व युवक केद्र पर कब्जा कर लिया गया अवाड (ग्रामीण क्षेत्रो मे काय कर रही स्वयसेवी सस्थाओ का सगठन) पर छापे मारकर उसकी तथा दो अन्य गाधीवादी सस्थाओ की सरकारी सहायता बद कर दी गई। बजाज उद्योग समूह क प्रतिष्ठानो की देशव्यापी तलाशी ली गई तथा बडौदा रेयन क दफ्तरो और दिल्ली की एक फम पडित ब्रदस पर छापे मारे गए।

इस दौरान इन मामलो म जिस प्रकार स भेदभावपूण नीति अपनाई गई वह भी उल्लेखनीय है। जहा एक ओर अवाड पर एक

समद-सदस्य के कुछ पत्रों के आधार पर तथा बजाज उद्योग समूह पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों की सूचना पर बिना किसी उचित आधार के छापे मारे गए वहीं मारुति लिमिटेड के ५५ हजार रुपए मूल्य के शेयरों के दो बेनामी लेन देनों के मामले को बिना जाच ही कूडे के ढेर में फेंक दिया गया। बात यहीं समाप्त नहीं हुई एक मामले में तो प्रधानमंत्री निवास से मिले निर्देशों पर २०० रुपए की रिश्वत के मामले को भी रफा दफा कर दिया गया।

(1) विश्व युवक केन्द्र पर कब्जा

नई दिल्ली में राजनयिकों की एक आलीशान बस्ती है—चाणक्यपुरी। यहां विश्व युवक केन्द्र की एक बहुमंजिली इमारत है। इस केन्द्र में देशी तथा विदेशी पर्यटकों को ठहराने की व्यवस्था के अतिरिक्त युवकों में नेतृत्व की भावना पैदा करने और उनके कल्याण के लिए गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। परन्तु एमरजेंसी के दौरान ३० अगस्त १९७५ को दिल्ली प्रशासन द्वारा भारत रक्षा कानून की धारा २३ के अंतर्गत इस इमारत पर कब्जा कर लिया गया। कब्जा करने के कारणों में बताया गया था कि केन्द्र राष्ट्रविरोधी कारवाइयों में संलग्न है।

शुक्ल की केन्द्र पर निगाह

केन्द्र का संचालन कर रहे न्यास के प्रबंध न्यासी तथा प्रसिद्ध उद्योगपति श्री रामकृष्ण बजाज के अनुसार, भूतपूर्व रक्षा उत्पादन मंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल की (जिन्हें बाद में सूचना और प्रसारण मंत्री बनाया गया था) १९७३ से ही केन्द्र पर निगाह लगी हुई थी तथा वे मौके की तलाश में थे और उनको यह मौका एमरजेंसी के दौरान मिल ही गया। श्री शुक्ल केन्द्र का प्रबंध स्वयं करना चाहते थे। उनका कहना था कि वे इसका प्रबंध श्री संजय गांधी की सहायता से करेंगे। श्री शुक्ल प्रबंध मंडल के सदस्य श्री मनमोहन अर्मसिया, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित श्री वी० वी० जॉन और चरतराम को हटाना चाहते थे। उन्हें श्री नवल टाटा सहित अन्य सदस्यों के बने रहने पर कोई आपत्ति नहीं थी। इसपर उन्होंने श्री शुक्ल से कहा था कि इस बात का न्यास मंडल के

सविधान म कोई प्रावधान नही है तो उन्होंने कहा 'यदि प्रावधान नही है तो सविधान को ही बदल दो।' परन्तु बाद मे प्रबध मडल ने भी श्री शुक्ल क इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

श्रीमती गाधी से भेंट

श्री बजाज का कहना था कि श्रीमती गाधी जब सितम्बर १९७५ म आचार्य विनोबा भावे से मिलने वर्धा गई थी तब वे भी वहा मौजूद थ। श्रीमती गाधी क वर्धा स दिल्ली लौटत समय उनकी अनुमति से वे भी उनके विमान म ही दिल्ली आए। विमान म श्री बजाज ने केन्द्र पर कब्जे के सबध म उनसे बातचीत करनी चाही परन्तु ऐसा नही लगा कि श्रीमती गाधी ने इस मामले म कुछ उत्सुकता दिखाई हो। श्रीमती गाधी की श्री बजाज स हुई बातचीत के कुछ अश इस प्रकार हैं

श्री बजाज ने कहा 'आपकी मुझस कोई नाराजगी है क्या केन्द्र के सबध म आपक पास कोई शिकायत आई है ?

श्रीमती गाधी न इसपर कहा 'हा इस तरह की खबर तो बीच बीच म आती ही रहती हैं।'

यदि केन्द्र राष्ट्र विरोधी कार्यवाहियो म सलग्न है तो आप अपने विश्वास का आदमी नियुक्त कर दें और इसकी जाच करा लें।'

श्री बजाज का कहना था कि श्रीमती गाधी न इसका कोई जवाब नही दिया था। श्री बजाज न बताया कि उनक भाई १९६९ म काग्रेस विभाजन क समय सगठन काग्रेस म चले गए थ। उनके परिवार वालो का और उनका श्री मोरारजी देसाई श्री जयप्रकाश नारायण और सर्वोदय वाला स निकट का सबध रहा था और शायद इसीलिए श्रीमती गाधी क समर्थक उन्हे अपना विरोधी मानते थे और उनक विरुद्ध शिकायतें करते रहते थ।

कृष्णचद से भी भेंट

श्री बजाज ने बताया कि नवम्बर १९७५ म दिल्ली क तत्का लीन उप राज्यपाल श्री कृष्णचन्द ने उनस कहा था कि यदि वे अपने प्रबध मडल का पुनगठन स्वीकार कर लें तो केन्द्र की इमारत को वापस दिलवाया जा सकता है। श्री कृष्णचद न इस सबध म

श्रीमती अम्बिका सोनी को मंडल में शामिल करने का सुझाव दिया था। बाद में एक अन्य मुलाकात में श्री कृष्णचंद के सुझाव पर उन्होंने कहा था कि प्रबंध मंडल में उन्हें भी शामिल किया जा सकता है लेकिन उनका प्रवेश व्यक्तिगत हैसियत में होगा, उप राज्यपाल के पदेन सदस्य के रूप में नहीं, क्योंकि इससे प्रत्येक बार उप राज्यपाल के बदलने के साथ-साथ उनको भी अपना सदस्य बदलना होगा। परन्तु श्री कृष्णचंद ने इसका कोई जवाब नहीं दिया।

श्री बजाज का कहना था कि उन्होंने वर्धा से आने के बाद तीन चार बार श्रीमती गांधी तथा तत्कालीन गृहमंत्री श्री ब्रह्मानंद रेड्डी को केन्द्र पर से सरकारी कब्जा समाप्त करने तथा उन पर लगाए गए आरोपों की जांच कराने के बारे में पत्र लिखे, परन्तु दोनों ने ही उनके एक भी पत्र का जवाब नहीं दिया।

आदेश न मानने पर जेल में डालने की धमकी

बाद में जनवरी, १९७६ में वे एक बार श्रीमती गांधी के विशेष दूत श्री मोहम्मद युनूस से मिले और उन्हें इस पूरे मामले से अवगत कराया। इसपर श्री युनूस ने उनसे बाद में फोन करने को कहा। बाद में फोन करने पर श्री युनूस ने उनसे कहा 'बेहतर यही है कि आप श्री शुक्ल के साथ सहयोग करें। वैसे भी आज कल एमरजेन्सी है और सरकार को काफी अधिकार मिल गए हैं। यदि ट्रस्टियों ने उनके साथ सहयोग नहीं किया तो उन्हें जेल में भी डाला जा सकता है।'

श्री बजाज का कहना था कि श्री युनूस ने यह बात उनसे किसी गलत भावना से नहीं कही थी। श्री युनूस उनके मित्र थे और अब भी हैं। उन्होंने उनसे जो कुछ कहा, वह एक सुझाव के रूप में था, कोई धमकी नहीं थी।

श्री युनूस से हुई इस वार्ता के बाद बम्बई में प्रबंध मंडल की एक बैठक हुई जिसमें पूरे मामले पर दोबारा विचार विमर्श किया गया। बैठक में एक ट्रस्टी श्री जे० आर० डी० टाटा ने सरकार के इस रवैये पर नाराजगी प्रकट करते हुए सभी सदस्यों से त्यागपत्र देने को कहा और बाद में अपना त्यागपत्र भिजवा भी दिया।

इससे पूर्व श्री टाटा ने दिल्ली में श्री संजय गांधी से बातचीत

की थी। श्री गांधी ने बताया था कि उनकी पहल इस इमारत में जरूर दिलचस्पी थी परन्तु अब नहीं है। इमारत पर कब्जे के बारे में उनका कोई लेना देना नहीं था तथा यह कार्य उप राज्यपाल द्वारा किया गया था। श्री बजाज ने इस बात से श्री शुक्ल को बम्बई में अवगत करा दिया था।

श्री बजाज ने बताया कि केन्द्र के एक अन्य ट्रस्टी श्री बी० बी० जान ने प्रबंध मंडल की बम्बई में हुई बैठक में कहा था कि न्यासियों द्वारा त्यागपत्र देना उचित नहीं होगा क्योंकि इससे सरकार आसानी से केन्द्र का दुरुपयोग कर सकेगी। उन्होंने कहा था कि जेल में डाल देने की धमकी का उनपर कोई असर नहीं होने वाला है। जो लोग पहले से ही जेल में हैं वे हमसे काफी अच्छे हैं।'

केन्द्र का उपयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए

श्री बजाज ने बाद में जिरह के दौरान बताया कि केन्द्र पर कब्जे के बाद उसका उपयोग उसके मूल उद्देश्यों के अनुरूप नहीं किया गया बल्कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया गया, जो उचित नहीं था। उनका कहना था कि केन्द्र पर कब्जा इस आधार पर किया गया कि यह राष्ट्रविरोधी कार्यवाहियों में संलग्न है परन्तु इस बारे में कभी भी जांच नहीं कराई गई।

केन्द्र को सी० आई० ए० से धन

उन्होंने स्वीकार किया कि केन्द्र को शुरू के दिनों में भवन निर्माण के समय बाहर से कुछ धन अवश्य मिला था, परन्तु ज्योंही यह बात हुई कि यह धन सी० आई० ए० से सम्बद्ध है उसे तुरन्त वापस कर दिया गया और बाद में ऐसा कोई धन स्वीकार नहीं किया गया। श्री बजाज ने यह भी स्वीकार किया कि केन्द्र के भवन का एक भाग एक भूतपूर्व ट्रस्टी को किराये पर दिया गया था तथा वे वहां इंटरनेशनल असेम्बली आफ यूथ की भारत स्थित शाखा का कार्यालय चलाया करते थे परन्तु बाद में उनसे यह भाग खाली करा लिया गया था।

श्री बजाज ने बताया कि उप राज्यपाल से हुई बातों से लगता था कि वे केन्द्र की समस्या तो सुलझाना चाहते हैं परन्तु अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा था कि

श्री कृष्णचद किसी और के इशारे पर काम कर रहे थे। बम्बई म श्री शुक्ल ने उनसे भेंट क दौरान उनके साथ जो व्यवहार किया वह बहुत ही धक्का पहुचाने वाला था जबकि स्वतत्रता सग्राम मे श्री शुक्ल क पिता और उनके पिता मित्र रह चुके थे और व दोना भी आपस म अच्छे मित्र थे।

इमारत पर कब्जा श्रीमती गाधी के निर्देश से

श्री कृष्णचद न आयोग को बताया कि केन्द्र की इमारत पर कब्जा श्रीमती गाधी के निर्देश पर किया गया था। श्रीमती गाधी न उन्ह बताया था कि केन्द्र राष्ट्र विरोधी कारवाइया म सलग्न है। इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सी० आई० डी० विशेष शाखा) श्री के० एस० बाजवा न भी तत्कालीन उप आयुक्त श्री सुशीलकुमार को इस सबध म एक पत्र लिखा था। उन्होंने बताया कि भूतपूर्व ससद सदस्य श्री शशिभूषण न भी उन्ह एक पत्र लिख-कर इस बात का जिक्र किया था कि केन्द्र को सी० आई० ए० से धन मिलता है।

उन्होंने जस्टिस शाह के एक प्रश्न क उत्तर म बताया कि अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के महासचिव श्री बी० बी० राजू ने उनसे केन्द्र की इमारत का दो महीने के लिए मागा था। इससे पूर्व इस इमारत का उपयोग दिल्ली प्रशासन के एक विभाग दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा किया जा रहा था। श्री राजू का यह प्रस्ताव उक्त विभाग को भेज दिया गया था और उसन इमारत का एक भाग काग्रेस के देने पर सहमति प्रदान की थी। उन्होंने इस बारे म श्रीमती गाधी को भी सूचित कर दिया था।

श्री कृष्णचद न स्वीकार किया कि बाद म सूचना मिली थी कि काग्रेस द्वारा इमारत का उपयोग चुनाव प्रचार सामग्री एकत्र करने तथा अन्य कामा मे किया गया।

आपत्ति इमारत पर थी, ट्रस्ट पर नहीं

उन्होने यह भी स्वीकार किया कि इमारत पर कब्जे के बावजूद ट्रस्ट के कायकलाप जारी थे। ट्रस्ट ने किराय क किसी भवन म अपनी गतिविधिया जारी रखी थी। इसपर आयोग क

वकील श्री काल खडालावाला ने कहा, "इसका मतलब यह हुआ कि सरकार को आपत्ति केन्द्र की इमारत पर थी, ट्रस्ट के काय कलापों पर नहीं।' श्री कृष्णचन्द ने जवाब में कहा हो सकता है, परन्तु मैंने तो सिर्फ वही किया, जो मुझसे कहा गया।"

दिल्ली प्रशासन में तत्कालीन मुख्य सचिव श्री जे० के० कोहली का कहना था कि कब्जे के बाद विश्व युवक केन्द्र का उपयोग उसके मूल उद्देश्यों के अनुरूप नहीं किया गया। हालांकि वे स्वयं भी इसे पसंद नहीं करते थे, परन्तु उस समय वे कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि इस मामले में जो कुछ भी हो रहा था, वह सब 'राजनिवास' की ओर से हो रहा था।

कृष्णचंद लेफ्टिनेंट, चावला गवनर

उन्होंने बताया कि उस समय के हालात ही ऐसे थे और उप राज्यपाल स्वयं भी असहाय थे, क्योंकि उस समय ऐसी धारणा थी कि उनके निजी सचिव श्री नवीन चावला जिस मामले में रुचि ले रहे हैं उसमें श्री संजय गांधी की भी दिलचस्पी होगी। श्री कृष्णचंद तो सिर्फ 'लेफ्टिनेंट' थे गवनर तो श्री चावला ही थे। और इन सब बातों को देखते हुए ही उन्हें श्री चावला जैसे जूनियर अधिकारी से निर्देश लेने होते थे।

केन्द्र को विदेशों से धन

भूतपूर्व संसद सदस्य श्री शशिभूषण ने आयोग के समक्ष यह सिद्ध करना चाहा कि केन्द्र को विदेशों से धन मिलता था तथा वह राष्ट्रविरोधी कारवाइयों में संलग्न था।

जस्टिस शाह के एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि केन्द्र को इंटरनेशनल असेम्बली आफ यूथ के जरिये सी० आई० ए० से धन मिलता था। जस्टिस शाह द्वारा इस संबंध में प्रमाण मांगे जाने पर उन्होंने बताया कि उन्होंने ऐसा अमरिका से प्रकाशित होने वाले दैनिक 'न्यूयार्क टाइम्स' तथा पत्रिका 'टाइम' में पढ़ा था। इसपर जस्टिस शाह ने कहा जब तक दस्तावेजी प्रमाण या निकट के कोई प्रमाण नहीं पेश किए जाते तब तक किसी भी आयोग अथवा न्यायालय द्वारा उसपर विश्वास करना मुश्किल है।'

सजय गाधी भी सी० आई० ए० के एजेण्ट

श्री शशिभूषण ने जब यह कहा कि ये लोग भारत आकर केन्द्र म गाष्ठियो के नाम पर समाज विरोधी कारवाइया करते रहते थे और इसी आधार पर केन्द्र भी इस प्रकार की कारवाइयो में शामिल था, सरकारी वकील श्री लेखी ने पूछा सी० आई० ए० क एजेण्ट श्री कुलदीप नारग श्री सजय गाधी के मित्र थे क्या इसका मतलब हुआ कि श्री गाधी भी सी० आई० ए० से सम्बद्ध हैं ?" इसपर श्री शशिभूषण ने कहा, 'हो सकता है, तभी तो मेरे कागजो पर कारवाई नही हुई।" (उनके इस कथन पर आयोग के कक्ष म देर तक ठहाके लगते रहे।)

शुक्ल द्वारा खडन

भूतपूव सूचना और प्रसारणमत्री श्री विद्याचरण शुक्ल ने जिरह क दौरान इस बात से साफ इकार किया कि उनका श्री सजय गाधी के साथ मिलकर युवक केन्द्र को चलान का कभी कोई इरादा था। उन्होंने इस बात से भी इकार किया कि उनकी इस केन्द्र पर कोई बुरी नजर थी। उनका कहना था कि केन्द्र के मामला म दखलदाजी उ होने केवल एक दोस्त के रूप म की थी किसी सरकारी हैसियत से नहीं।

श्री खडालावाला के सवालो का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि राजनीतिक मामला पर उनके विचार श्री बजाज से बहुत अलग हैं, लेकिन उनकी उनसे कोई दुश्मनी नही है। उन्ह श्री बजाज की गवाही स ही मालूम पडा है कि वे १९७६ की मुलाकात क बाद स उन्ह अपना दोस्त भी नही मानते हालाकि उस भेंट म ऐसा कुछ नहा हुआ था कि व इस तरह का रवया अपनाते।

श्री शुक्ल ने यह भी बताया कि श्रीमती गाधी भी किसी समय केन्द्र की ट्रस्टी रही थी परन्तु बाद मे उन्होंने वहा से इस्तीफा दे दिया था। इसकी वजह उन्होंने यह बताई थी कि वे केन्द्र क काम काज करने के तरीके से खुश नही हैं। श्री शुक्ल ने इस बात से भी इकार किया कि श्रीमती गाधी न उनसे कहा था कि केन्द्र के प्रबध मडल म परिवतन किया जाना चाहिए। उन्होंने श्री खडालावाला के इस विचार को गलत बताया कि श्री सजय गाधी उनके मित्र थे

और उन्होंने उनसे केन्द्र के मामले पर विचार विमर्श किया था।

मजबूती से जवाब

श्री शुक्ल ने श्री लेखी और श्री खडालावाला के सवालों का बड़ी मजबूती से जवाब दिया। श्री खडालावाला के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, 'मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं मैं तो आपको सिर्फ वही बता सकता हूं, जो मुझे याद है।' इसपर उनके वकील श्री राजेन्द्रसिंह ने उन्हें सहारा देते हुए कहा 'यदि गवाह को इसी तरह कसकर जवाब देना पड़ा तो मुश्किल हो जाएगी।' श्री सिंह की इस तरफदारी पर श्री शुक्ल ने जस्टिस शाह से आग्रह किया कि उनके वकील की बात पर गौर किया जाए।

(ii) अवाड को एमरजेन्सी का 'अवार्ड'

सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट १८६० के अनुसार सन् १९५८ में एक संस्था अवाड (ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रही स्वयंसेवी संस्थाओं का संगठन) का श्री जयप्रकाश नारायण की अध्यक्षता में गठन किया गया। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए काम कर रही विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं में समन्वय स्थापित करना और उनकी जानकारी के लिए एक तरीके के क्लियरिंग हाउस का काम करना था। इसके अतिरिक्त इसका काम पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन गोष्ठियों तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन और समान उद्देश्य वाली देशी एवं विदेशी संस्थाओं से संबंध स्थापित करना भी था।

देश में एमरजेन्सी की घोषणा के तुरन्त बाद संसद सदस्य श्री शशिभूषण ने प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी श्री संजय गांधी तथा तत्कालीन बैंकिंग एवं राजस्व मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी को अवाड तथा उसके पदाधिकारियों की कथित गैर कानूनी गतिविधियों के बारे में पत्र लिखने शुरू कर दिए।

श्री शशिभूषण ने श्री संजय गांधी को लिखे अपने पहले पत्र में कहा कि अवाड द्वारा एक पर्चा निकाला गया है जिसका शीर्षक है 'क्या एमरजेन्सी जरूरी थी?' यह पर्चा दिल्ली के एक वकील

श्री पी० एन० लेखी ने, जो आयोग के सरकारी वकील भी है, तयार किया था।

उन्होंने इस पत्र मे एमनस्टी इंटरनेशनल' के श्री मार्टिन एनल्स द्वारा भारत मे इसकी शाखा के सचिव को, जो अवाड के भी सचिव थे, लिखे गए पत्र का हवाला दिया। पत्र म कहा गया था कि हम उन बंदियो के लिए काय करने को उत्सुक हैं जो पूरे वर्ष एमनेस्टी इंटरनेशनल' के लिए काय करते रहे हैं।' श्री शशि भूषण न अपने पत्र म अवाड द्वारा तयार किए गए सीमावर्ती क्षेत्रो के कुछ नक्शा का भी जिक्र किया। उनका कहना था कि अवाड द्वारा यह नक्शे तयार करके विदेशो को भेजे गए हैं। पत्र म कहा गया था कि निम्न सात व्यक्ति अवाड स सम्बद्ध हैं—श्री ए० सी० सेन (महासचिव), श्री आर० एल० गायल (अकाउटेंट), श्री वाई० के शर्मा (श्री सेन के निजी सचिव तथा जब श्री जयप्रकाश नारायण दिल्ली म होते ह तब उनके सचिव), डा० ओम प्रकाश (जिओग्राफर) श्री एम० वी० शास्त्री (प्रशासनिक अधिकारी) श्री एस० डी० थापर (अनुसधान निदेशक) तथा श्री एस० चक्र पाणी (सोशल आर्गेनाइजर)।

पत्र म कहा गया था कि श्री ए० सी० सन तथा डा० ओम प्रकाश को तुरन्त गिरफ्तार किया जाना चाहिए और अवाड के दफ्तर पर छापा मारा जाना चाहिए। पत्र म यह भी कहा गया था कि अवाड को यू० एस० ए० आई० डी० से पहले सहायता मिला करती थी, जो अब बन्द हो गई है। इसके अतिरिक्त इसे पश्चिम जमनी की सस्था प्रोटेस्टेंटस सेण्ट्रल एजेंसी फार डेवलपमट एड से अभी भी सहायता मिलती है।

श्री शशिभूषण न श्री गाधी को अपने दूसरे पत्र म श्री जय प्रकाश नारायण का अवाड स सबध होने का जिक्र करते हुए लिखा कि इस सस्था न श्री जयप्रकाश नारायण को धन दिया है। उन्होंने श्री गांधी को एक पत्र और लिखा।

श्री शशिभूषण ने श्रीमती गाधी को लिखे अपने पत्र म अवाड तथा एमनेस्टी इंटरनेशनल की कायवाहिया का जिक्र करते हुए कहा कि श्री जयप्रकाश ने एमनेस्टी इंटरनेशनल की भारत स्थित शाखा के सचिव श्री ए० सी० सन को एक पत्र लिखा था जिसम स्पष्ट होता है कि अवाड की कायवाहिया तथा इसके कोष का

उपयोग राष्ट्र विरोधी कारवाइयों के लिए किया जाता है।

श्री शशिभूषण ने श्री प्रणव मुखर्जी को लिखे एक पत्र में अवाड से संबंधित कुछ व्यक्तियों के नाम तथा पते देते हुए अनुरोध किया कि इन लोगों के यहाँ छापे मारकर तलाशी ली जानी चाहिए तथा संबंधित दस्तावेज़ों को ज़ब्त किया जाना चाहिए।

श्री मुखर्जी ने श्री शशिभूषण के इस पत्र को निदेशक (जांच) श्री एच० के० सोधी को आवश्यक कारवाई के लिए भेज दिया, जिसे श्री सोधी ने निदेशक (गुप्तचर) श्री हरिहरलाल के पास भेजा।

श्री लाल ने इस पत्र पर अपने नोट में लिखा था कि उन्होंने फोन करके श्री शशिभूषण को बुलाया था जो एक व्यक्ति श्री शशांक देव के साथ आए थे। श्री देव पहले अवाड में काम किया करते थे। उन्होंने श्री शशिभूषण से बातचीत के बाद श्री देव को उप निदेशक श्री शेण्डे के पास भेज दिया जिन्होंने पूछताछ के बाद एक नोट भेजा था जिसमें कहा गया था कि अवाड एवं धर्मार्थ संस्था के रूप में पंजीकृत हुई थी, परन्तु उसने कई वर्षों से अपने आय व्यय के रिटर्न नहीं भरे हैं। काफी विचार के बाद उन्होंने तलाशी के आदेश दिए। इन आदेशों के आधार पर अवाड के कार्यालय की ५ फरवरी १९७६ को तलाशी ली गई।

पुष्टि के बिना तलाशी

श्री लाल ने आयोग के समक्ष स्वीकार किया कि उन्होंने अपनी पुष्टि के बिना ही श्री शशिभूषण द्वारा बताए गए तथ्यों और श्री शेण्डे की टिप्पणी के आधार पर तलाशी के आदेश दे दिए थे। उनका कहना था कि चूंकि श्री शशिभूषण उस समय संसद-सदस्य थे इसलिए उनके द्वारा प्रकट किए गए तथ्यों पर विश्वास करके ही उन्होंने ये आदेश दिए। उन्होंने बताया कि श्री शशिभूषण के साथ आए श्री देव ने चर्चा के दौरान एक शब्द भी नहीं कहा था।

श्री शेण्डे ने आयोग को बताया कि श्री देव ने उन्हें जो सूचनाएं दी थीं वे काफी नहीं थीं। उन्होंने इस तथ्य से श्री लाल को भी अवगत करा दिया था कि सिर्फ इन सूचनाओं के आधार पर धारा १३२ के अंतर्गत तलाशी के वारंट जारी नहीं किए जा सकते। श्री शेण्डे का कहना था कि श्री शशिभूषण से उनकी कोई बातचीत

नही हुई थी और उन्होंने जो कुछ किया, श्री लाल के आदेश से किया।

गाधीवादी सस्थानो को सहायता बन्द

गृह मन्त्रालय की फाइलो से पता चलता है कि तत्कालीन गृह राज्यमन्त्री श्री ओम मेहता ने श्री सी० वी० नरसिम्हन (सयुक्त सचिव) को पत्र लिखकर सभी मन्त्रालयो तथा सभी राज्य सरकारो से अगले आदेश मिलने तक गाधीवादी सस्थाओ को अनुदान बद करने का निर्देश देने को कहा था। श्री नरसिम्हन के एक नोट के उत्तर म श्रीमती गाधी ने इन सस्थाओ की कार्यवाहिया पर चिन्ता व्यक्त करते हुए इनकी जाच कराने को कहा। श्रीमती गाधी का यह नोट प्रत्यक्ष कर बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष श्री एस० आर० मेहता को भेजा गया तथा इस नोट को गृह-सचिव श्री सुन्दरलाल खुराना ने भी देखा। इस नोट के आधार पर ही अवार्ड, गाधी शान्ति प्रतिष्ठान तथा गाधी अध्ययन सस्था का सभी प्रकार की सुविधाए तथा अनुदान बद करने के निर्देश दिए गए।

विभिन्न एजेन्सियो द्वारा की गई जाच के अनुसार सिर्फ यह पाया गया कि श्री जयप्रकाश तथा एक श्री गुलाबसिंह के दिल्ली से कलकत्ता तक के विमान टिकट का खर्चा तथा उनके टेलीफोन के तीन हजार रुपये का बिल अवार्ड ने चुकाया था। उन दिनो श्री जयप्रकाश अवार्ड के अध्यक्ष थे।

बाद म ७ अप्रल को केन्द्रीय गृहमन्त्री श्री चरणसिंह ने ससद म एक वक्तव्य देकर इन सस्थाओ को फिर से अनुदान देने की स्वीकृति प्रदान कर दी।

कारवाई ससदीय समिति की राय पर

श्री ओम मेहता ने आयोग को बताया कि अवार्ड तथा उसके पदाधिकारियो के विरुद्ध कारवाई काग्रेस ससदीय दल की कार्य-कारिणी तथा गृह मन्त्रालय की ससदीय समिति की बैठकों म व्यक्त की गई राय के आधार पर की गई थी।

उन्होंने बताया कि इस सस्था तथा कुछ अन्य सस्थाओ को जाच पूरी होने तक दी जा रही अनुदान राशि को अस्थायी रूप से रोकने के आदेश के साथ-साथ जाच कराने के भी आदेश दिए गए

थे।

श्री मेहता ने बताया कि कांग्रेस संसदीय समिति की कार्यकारिणी म सदस्यो ने इस बात पर गहरी चिन्ता व्यक्त की थी कि गाधीजी के नाम पर चलाई जा रही कुछ सस्थाए पिछले कुछ वर्षों स सरकार विरोधी प्रचार करने म लगी हुई है और दी जा रही सहायता का दुरुपयोग कर रही ह। उन्होंने बताया कि कृषि मन्त्रालय द्वारा पहले से ही सवसेवा सघ को अनुदान राशि देना बद किया जा चुका था।

श्री शशिभूषण ने आयोग को बताया कि आयोग म चर्चा के दौरान श्री गाधी को लिखे गुरू के जिन दो तथाकथित पत्रो का उल्लेख किया गया है वे उन्होने कभी लिखे ही नही तथा इन पत्रो पर उनके हस्ताक्षर भी नही हो रहे है। उन्होने बताया कि श्रीमती गाधी को लिख जिस पत्र की चर्चा की गई है वह भी उन्होने नही लिखा तथा इसपर भी उनके हस्ताक्षर नही हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि श्री गाधी को लिखे जिस तीसरे पत्र का उल्लेख किया गया है वह उन्होने जरूर लिखा है। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि आयोग के पास काफी सक्षम स्टाफ होने के बावजूद सही पत्र पकड़ना तक या नही पहुच सके है।

शैतान को भी पत्र

जस्टिस शाह द्वारा यह पूछे जाने पर कि श्री गाधी की ऐसी क्या हैसियत थी जिसके कारण आपने उनको यह पत्र लिखा ? श्री शशिभूषण ने कहा यह हैसियत की बात नहीं थी मी०आई० ए० का पर्दाफाश करने के लिए यदि उन्ह शैतान को भी पत्र लिखना पडता तो वे ऐसा करते।'

सरकारी वकील श्री प्राणनाथ लेखी ने इसपर चुटकी लेते हुए पूछा, क्या आपको शैतान का पता मालूम है ? इसपर जस्टिस शाह ने बीच म ही टोकते हुए कहा जिस चीज का कोई अस्तित्व ही नहीं है उसकी आयोग के समक्ष चर्चा करना बेकार है। जस्टिस शाह की इस टिप्पणी पर आयोग का कक्ष हसी के ठहाको से गूज उठा।

सी० आई० ए० के लिए चपरासी की भी सहायता

श्री शशिभूषण न अपना बयान जारी रखते हुए बताया कि उन्होंने श्री गाधी को एक कांग्रेसी के नाते ही पत्र लिखा था तथा सहायता करने का कहा था। श्री शशिभूषण ने कहा कि उन्होंने सहायता करने के लिए सभी को कहा था, यहा तक कि वे एक चपरासी से भी कह सकते थे।

उन्होंने इस बात पर अफसोस प्रकट किया कि जहा एक ओर श्रीमती गाधी और श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा उनके पत्रो पर कारवाई की गई, वहीं श्री गाधी ने कोई कारवाई नही की। वे श्री गाधी की मदद लेना चाहते थे, परन्तु उन्होंने इस ओर कोई ध्यान नही दिया।

सी० आई० ए० की कारवाइयो के लिए आयोग

श्री शशिभूषण न सी० आई० ए० का जिक्र करते हुए बताया कि इस सस्था न ही बगला देश म राष्ट्रपति श्री मुजीबुरहमान तथा उनके साथियो की हत्या कराई थी। उनका कहना था कि वे शुरू स ही इस सस्था की कारगुजारियो का पर्दाफाश करन म लगे हुए हैं।

उन्होंने बताया कि 'अवाड' एक स्वयसेवी धर्मार्थ सस्था है फिर भी उसने मुजफ्फरनगर मे खेती के औजार बनाने का एक कारखाना खोला और उसके धन का दुरुपयोग राष्ट्र विरोधी कारवाइयो म किया।

अवाड मे ब्लाउज

श्री शशिभूषण न कहा कि यह कहना सही नहा है कि छापो और तलाशी के दौरान कुछ नही मिला था। उन्होंने समाचारपत्रो म पढ़ा था कि तलाशी के दौरान बहुत कुछ बरामद हुआ है। यहा तक कि अवाड द्वारा ब्लाउजो की सिलाई के लिए किए गए भुगतान के वाउचर पकडे गए थे जबकि इस सस्था का 'ब्लाउजो' से कोई सबध नही होना चाहिए था।

श्री शशिभूषण ने इस बात पर खेद प्रकट किया कि श्री देव को जिन्होंने उन्हें इस सस्था के सबध म सूचनाए दी थी, आयोग

द्वारा यह मामला बनाने के लिए तंग किया गया और मारा पीटा गया।

(iii) बजाज उद्योग-समूह के प्रतिष्ठानों पर छापे

एमरजेंसी के दौरान आयकर द्वारा जिस फुरती से काम किया गया, उसका एक उदाहरण है—बजाज उद्योग समूह पर मारे गए छापे। इस उद्योग समूह के देश के विभिन्न भागों में स्थित ११४ कार्यालयों पर आयकर विभाग के ११०० अधिकारियों द्वारा एकसाथ छापे मारे गए और ये छापे सिर्फ कार्यालयों तक ही सीमित नहीं रखे गए, बल्कि इनमें प्रसिद्ध स्वतन्त्रता सेनानी श्री जमनालाल बजाज की धर्मपत्नी ८४ वर्षीया श्रीमती जानकीदेवी के वर्धा स्थित निवास की भी तलाशी ली गई।

बदले की भावना से

प्रसिद्ध उद्योगपति श्री रामकृष्ण बजाज के अनुसार बजाज उद्योग समूह पर राजनीतिक बदले की भावना से छापे मारे गए थे। उनका कहना था कि "इन सब छापों के पीछे और कोई न्यायिक औचित्य नजर नहीं आता, सिर्फ इसके कि यह सब राज-नीतिक पूर्वाग्रह के कारण किया गया, क्योंकि हमारे परिवारजनों के आचार्य विनोबा भावे, श्री जयप्रकाश नारायण तथा सर्वोदय आंदोलन से काफी निकट के सम्पर्क रहे हैं।'

जस्टिस शाह द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि आयकर विभाग द्वारा मारे गए छापे में बिना हिसाब का कोई धन नहीं मिला, हालांकि विभाग द्वारा ऐसा प्रचार किया गया जो पूर्णतया गलत था।

श्री बजाज ने बताया कि 'एमरजेंसी के दौरान तो बहुत सी गम्भीर बातें हुई थीं, हमारे यहां मारा गया छापा तो उनके मुकाबले कम ही महत्त्वपूर्ण है। जिस बात ने हमें सबसे अधिक परे-शान किया वह था बजाज के नाम को बदनाम करने का प्रयास। उन्होंने हमारी ८४ वर्षीया माताजी के मकान तक को नहीं छोड़ा, जो १९४२ में ही पिताजी की मृत्यु के समय से सभी प्रकार के सांसारिक वैभवों का त्याग कर चुकी थीं।'

श्री बजाज का कहना था कि छापा के पीछे जो सबसे प्रमुख कारण नजर आता है, वह यह है कि उन्होंने अपने साले (स्वर्गीय) श्री श्रीमन्नारायण को आचार्य विनोबा भावे की इच्छानुसार आयोजित किए जाने वाले आचार्य-सम्मेलन के आयोजन से नहीं रोका था। जनवरी, १९७६ में वर्धा में हुए इस प्रथम आचार्य सम्मेलन में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर एमरजेंसी को समाप्त करने तथा सभी राजनीतिक नेताओं को रिहा करने की माग की गई थी, जो निश्चित रूप से श्रीमती गाधी की इच्छा के अनुकूल नहीं थी।

सिर्फ एक व्यक्ति की सन्तुष्टि के लिए छापे

बजाज आटो लिमिटेड के अध्यक्ष श्री राहुल बजाज ने एमरजेंसी के दौरान आयकर विभाग की कार्य पद्धति पर तीखी चोट करते हुए कहा कि उनके यहा सिर्फ एक व्यक्ति की सतुष्टि के लिए छापे मारे गए थे। उनके यहा छापे मारे जाने से १५ दिन पूर्व ही तत्कालीन बैंकिंग तथा राजस्व मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने ससद में आश्वासन दिया था कि सिर्फ सदेह के आधार पर कही भी छापे नहीं मारे जाएगे। इसके बावजूद हमारे यहा छापे मारे गए जबकि आयकर विभाग के पास हम लोगो द्वारा की जा रही कथित कर चोरी की कोई पक्की सूचना नहीं थी। उन्होंने बताया कि आयकर विभाग के एक अधिकारी को हमारे सभी कार्यालयो के पते आदि नोट करने के लिए 'भारत दर्शन' कराया गया था।

उन्होंने कहा 'हमपर करोडो रुपये की कर चोरी का आरोप लगाया गया, परन्तु छापो मे बिना हिसाब के सिर्फ ५८ लाख रुपये का पता लगा उसमें से भी ५२ लाख रुपये का विवाद एमरजेन्सी की समाप्ति से पहले ही समाप्त हो गया तथा शेष छ लाख रुपयो का विवाद सुलझने की आशा में है।"

छापे एस० आर० मेहता के निर्देश पर

निदेशक (गुप्तचर) श्री हरिहरलाल ने आयोग को अपनी सफाई में बताया कि बजाज उद्योग-समूह पर छापे प्रत्यक्ष कर-बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष श्री एस० आर० मेहता के निर्देशानुसार मारे गए थे। उन्होंने बताया कि श्रीमती जानकीदेवी के घर की ही

विशेष रूप से तलाशी के आदेश नहीं दिए गए थे, बल्कि सभी संबंधित रिश्तेदारों के घरों की तलाशी के आदेश भी दिए गए थे। उनका कहना था श्रीमती जानकीदेवी के नाम तलाशी का कोई अलग से वारंट जारी नहीं किया गया था, उनके घर की तलाशी तो करदाता के रिश्तेदारों के यहां की तलाशी के अंतर्गत ही आती थी।

उन्होंने स्वीकार किया कि तलाशी का निर्णय लिए जाने के समय उनके समक्ष ऐसी कोई विशिष्ट सामग्री नहीं थी जिसके आधार पर तलाशी के निर्देश दिए गए।

इसपर जस्टिस शाह ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि आपने तलाशी के ११४ वारंट जारी किए और आप कह रहे हैं कि आपके सामने उस समय इस उद्योग-समूह के विरुद्ध कोई विशिष्ट सामग्री नहीं थी।

श्री लाल ने अपने स्पष्टीकरण में आगे कहा कि आयकर अधिनियम की धारा १३२ अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध संदेह के *उचित कारण बनते हैं तो उसके यहां तलाशी ली जा सकती है* और उसके अंतर्गत ही करदाता के रिश्तेदारों पर भी संदेह का उचित कारण बनता है।

मेहता द्वारा खंडन

श्री लाल ने कहा कि ये छापे श्री मेहता के निर्देशानुसार मारे गए थे लेकिन श्री मेहता ने इस बात का खंडन किया कि उन्होंने ऐसा करने के बारे में कोई निर्देश दिए थे।

(iv) बड़ौदा रेयन पर छापे

सत्तारूढ़ दल द्वारा दलीय हितों के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग करना न सिर्फ अनुचित है बल्कि गैर कानूनी भी। एमरजेंसी के *दौरान कांग्रेस पार्टी को दिए गए चंदे से संबंधित* कुछ कागजात निकालने के लिए जिस प्रकार से आयकर विभाग का उपयोग कर बड़ौदा रेयन कार्पोरेशन के बम्बई, सूरत और बड़ौदा स्थित कार्यालयों पर छापे मारे गए वह इस बात का एक उदाहरण है कि उन दिनों जो कुछ हुआ कम ही था।

२१ अप्रल, १६७६ को दिन के लगभग ११ बजे निदेशक (गुप्तचर) श्री हरिहरलाल न उप निदेशक श्री एम० एन० शेण्डे को अपने कमरे म बुलाकर कहा कि एक सप्ताह के अदर अदर बडौदा रेयन कार्पोरेशन क सभी मामला म उनके निदेशक तथा सभी वरिष्ठ पदाधिकारियो क यहा तलाशी ली जानी चाहिए। यहा यह बात उल्लेखनीय है कि श्री लाल के इस निर्देश से पहल तक उनके किसी अधीनस्थ अधिकारी का यह नात नही था कि बडौदा रेयन के किसी पदाधिकारी अथवा निदेशक द्वारा कर चोरी की कोई सूचना मिली है और न ही उन्हें धारा १३२ के अतगत जाच करन का कोई औचित्य ही नजर आ रहा था।

श्री लाल स बातचीत के बाद श्री शेण्डे ने इस सम्बध म कुछ सूचनाए एकत्र की तथा श्री लाल के पास गए और उन्ह बताया कि बडौदा और सूरत जसी जगहा का पहले सर्वे किया जाना आवश्यक है। बाद म श्री लाल की अनुमति से दो सहायक निदेशकों श्री रंगाभास्यम और श्री माथुर को विमान स पहले बम्बइ और बाद म सूरत भेजने की बात तय की गई, ताकि यह पता लगाया जा सके कि छापे मारने के लिए कितने आदमियो की आवश्यकता होगी। इन दोनों अधिकारियो का उनके घरा के लिए रवाना करन के पश्चात अभी शाम के पाच भी नही बज पाए थे कि श्री लाल ने एक बार फिर श्री शेण्डे को बुलाया और कहा कि छापे मार जाने की कारवाई २७ अप्रल का नहीं, जैसाकि पहल योजना थी, बल्कि २४ अप्रल को ही की जाए। इसके अतिरिक्त कम्पनी के अध्यक्ष श्री फतहसिंह गायकवाड तथा प्रबध निदशक श्री बी० के० शाह के घरा की किसी भी हालत म तलाशी नही ली जाए। अतिम समय म लिए गए इस निणय क बाद उसी दिन श्री माथुर के घर पर यह सूचना भेज दी गइ।

तलाशी की कारवाई २४ अप्रैल का सूरत के पास कम्पनी की फक्टरी से शुरु हुई तथा उसी दिन वहा कुछ अधिकारियो के घरा की भी तलाशी ली गई। २४ अप्रल को शनिवार होने के कारण बम्बई स्थित कार्यालया म छुट्टी थी, इसलिए उन्हें सील कर दिया गया, जिसके कारण वास्तविक तलाशी सोमवार २६ अप्रल को ही हो सकी।

बम्बई स्थित कार्यालया म तलाशी का काय २६ और २७

अप्रैल तक चला। २७ अप्रैल को जब तलाशियां जोर शोर से जारी थीं तब सहायक निदेशक श्री एस० तलवार ने जो वहां तलाशी कार्यों के प्रमुख थे तलाशी कर रहे एक अधिकारी श्री सी० एस० परिदा से कहा कि श्री लाल के निर्देशानुसार उन्हें कुछ ऐसे दस्तावेजों को खोजना है जिनमें श्री शाह द्वारा एकत्र किए गए चंदे का जिक्र है। इसके बाद श्री तलवार और श्री परिदा दोनों ही श्री शाह के निजी सचिव के पास गए और उनसे वे फाइलें प्रस्तुत करने को कहा जो चंदे से संबंधित थीं। निजी सचिव ने श्री शाह से विचार विमर्श के बाद 'कप बोर्ड' में से कुछ फाइलें निकालकर उन्हें दीं। श्री परिदा द्वारा फाइलों को सरसरी नजर से देखने पर मालूम पड़ा कि इनमें उन विभिन्न कम्पनियों तथा व्यक्तियों के नाम लिखे हुए हैं जिनसे कांग्रेस पार्टी के लिए धन लिया गया था।

इसी बीच श्री लाल ने जो दिल्ली से बम्बई चले गए थे बम्बई स्थित उप निदेशक श्री बी० आर० वैद्य को निर्देश दिए कि वे स्वयं बड़ौदा रयन के दफ्तर जाएं और अधिकारियों के साथ मिलकर श्री शाह के ब्रीफकेस की तलाशी लें। श्री लाल के निर्देशानुसार श्री वैद्य जब ब्रीफकेस की तलाशी ले ही रहे थे श्री तलवार और श्री परिदा आए और उन्होंने उन्हें चंदे से संबंधित कागजों के बारे में बताया।

विस्फोटक सामग्री

श्री वैद्य के अनुसार श्री शाह को जब ये कागजात दिखाए गए तो उन्होंने स्वीकार किया कि इन दस्तावेजों में दिखाई गई राशि व्यवसायियों तथा उद्योगपतियों से कांग्रेस पार्टी के लिए प्राप्त की गई थी तथा बाद में इसमें से कुछ राशि गुजरात के कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों को दे दी गई। श्री शाह के अनुसार वह 'विस्फोटक सामग्री' थी।

इन कागजों की बरामदगी के बाद आयकर कार्यालय में इन कागजों को श्री लाल को दिखाया गया। श्री लाल ने इन्हें अपने पास रखते हुए श्री वैद्य से कहा कि वे एक घंटे बाद उनसे मिलें। बाद में जब श्री वैद्य श्री लाल के पास पहुंचे तो उनसे कहा गया कि इन कागजों का एक अलग पंचनामा बनाया जाए क्योंकि वे

बड़ौदा रेयन के कर निर्धारण से सबंधित नहीं है। श्री परिदा ने पहले तो अलग अलग पचनामे बनाने का विरोध किया, परन्तु बाद में श्री लाल के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग पचनामे बना दिए। अलग से बनाए गए पचानामे के सभी कागजों के साथ सामान्य पचनामे का एक फोल्डर भी श्री लाल को दिया गया। श्री लाल ने अलग से बनाए गए पचनामे में दर्ज चार आइटमों में से एक के कागज तो लौटा दिए और शेष तीन आइटमों और सामान्य पचनामे में दर्ज फोल्डर को अपने पास रख लिया। अलग से बनाए गए पचनामे में एक फाइल का भी जिक्र था, जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की स्मारिका समिति की बड़ौदा रेयन के नाम ३५१ रसीदें थीं जिनकी कुल राशि साढे तीन लाख रुपये के लगभग थी।

जब्त किए गए कागजों को लेकर श्री लाल २८ अप्रैल के आसपास दिल्ली अट्ठ। दिल्ली रवाना होने से पूर्व उन्होंने श्री शेण्डे को फोन कर पालम हवाई अड्डे पर बुलाया। उन्होंने श्री शेण्डे को बताया था कि वे अपने साथ कुछ महत्त्वपूर्ण कागजात लेकर आ रहे हैं इसलिए वे पालम आ जाएं। दिल्ली आने के बाद श्री लाल ने जब्त किए गए कागजात प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष श्री एस० आर० मेहता के सुपुर्द कर दिए। श्री मेहता ने अलग से बनाए गए पचनामे के तीन आइटमों में से एक श्री लाल को वापस कर दिया और शेष दो अपने पास रख लिए।

कागज नहीं लौटाए

श्री मेहता ने श्री लाल से लिए वे दो आइटम, जो श्री शाह की केबिन से बरामद किए गए चार आइटमों में से थे अपने पास ही रखे। ये दोनों आइटम प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा निदेशक (गुप्तचर) को बाद में भी नहीं लौटाए गए जबकि अधिनियम की धारा १३२ के अंतर्गत इन्हें १५ दिन के भीतर लौटा दिया जाना चाहिए।

छापे मेहता के निर्देशानुसार

श्री लाल ने जिरह के दौरान बताया कि उन्होंने बड़ौदा रेयन पर छापे श्री मेहता के निर्देशानुसार मारे थे तथा उसीके अनुसार

वा वह गलत है।

एमरजेंसी पर दृष्टिकोण

श्री लेखी द्वारा एमरजेंसी के बारे में श्री मेहता का दृष्टिकोण जानने पर उन्होंने कहा "एमरजेंसी के दौरान उन्हें वातावरण अजीब सा बदला हुआ नहीं लगा। उन्हें केवल यही लगा कि जीवन के हर क्षेत्र में सुधार हो रहा है।" लेकिन जब श्री लेखी ने यह पूछा क्या आप चाहेंगे कि एमरजेंसी फिर से लागू कर दी जाए, तो आयोग का कक्ष हंसी से गूंज उठा। श्री मेहता ने इसके जवाब में कहा, 'श्री लेखी एमरजेंसी के बारे में अपना राजनीतिक दुराग्रह छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं और मुझे स्वयं एमरजेन्सी से कुछ लेना देना नहीं है।'

(४) पंडित ब्रदर्स पर छापे

एमरजेंसी के दौरान दिल्ली की एक प्रतिष्ठित फर्म 'पंडित ब्रदर्स' पर छापे मारे गए। इस कार्यवाही का लक्ष्य बनाया गया था, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के निजी सचिव श्री पी० एन० हक्सर को। इस फर्म के हिस्सेदारों में श्री हक्सर की पत्नी, उनके चाचा तथा बहनोई शामिल थे।

नई दिल्ली के फैशनेबल इलाके कनाट प्लेस में स्थित इस फर्म की स्थापना सन १६२७ में हुई थी। यह फर्म बॉम्बे डाइंग के कपड़ों के लिए दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जम्मू-कश्मीर और हिमाचलप्रदेश के लिए वितरक का काम करती थी। इसके अतिरिक्त यह फर्म घरेलू साज-सज्जा के सामान बेचने का भी धंधा करती थी। इस फर्म की बाद में चांदनी चौक में एक शाखा खोली गई।

इस फर्म के हिस्सेदारों में श्री हक्सर के ८२ वर्षीय चाचा श्री आर० एन० हक्सर थे जो एक विख्यात व्यवसायी के साथ-साथ भारत कला केन्द्र के संस्थापक सदस्य रह चुके हैं और ७५ वर्षीय श्री के० पी० मुशरान, जो रेलवे बोर्ड के सदस्य रह चुके थे। श्री मुशरान रिश्ते में श्री पी० एन० हक्सर के बहनोई होते हैं। इनके अतिरिक्त श्री हक्सर की पत्नी श्रीमती उर्मिला हक्सर तथा

श्री मुशरान की पत्नी श्रीमती ए० मुशरान भी इस फर्म की हिस्सेदार थी।

फर्म की कनाट प्लेस स्थित दुकान पर १० जुलाई १९७५ को शाम को साढ़े पाच बजे दिल्ली प्रशासन के नवगठित प्रवर्तन विभाग द्वारा उनकी दुकान पर छापे मारे गए। ये छापे एक जुलाई स लागू किए गए मूल्य चिप्पी अधिनियम के अतगत मारे गए थ। काफी खोजबीन के बाद भी छापामार दस्ते को ऐसी कोई सामग्री नही मिल सकी जिसपर मूल्य चिप्पी नही लगी हुई थी, लिहाजा दो ऐसे रजिस्टर जब्त कर लिए गए, जिनमे इस विभाग के अनुसार एसी बिक्री का जिक्र था जो दूसरे राज्यो को गई थी तथा जिनका कैश मीमो मे जिक्र नही था। श्री खन्ना का कहना था कि ये रजिस्टर कारसीट कवर की बिक्री से सबधित थे। इन छापे का नेतत्व विशेष अधिकारी श्री अशोक कपूर ने किया था।

चूकि इन छापो म कोई आपत्तिजनक सामग्री नही पकडी जा सकी थी इसलिए आगे की कारवाई पर विचार करने के लिए ११ जुलाइ को राजनिवास मे एक बठक हुइ, जिसमे फर्म पर कठोर कारवाई के बार म विचार विमर्श किया गया। इस बठक म श्री कृष्णचद (उप-राज्यपाल), उनके निजी सचिव श्री नवीन चावला उप महानिरीक्षक (रेंज) श्री पी० एस० भिण्डर बिक्री कर आयुक्त श्री वीरेन्द्र प्रसाद और श्री अशोक कपूर उपस्थित थे। बठक म यह भी विचार प्रकट किया गया कि फर्म के हिस्सेदारो को गिरफ्तार कर लिया जाए तथा मुकदमा चलाया जाए।

बठक म लिए गए निर्णय के अनुसार फर्म की चादनी चौक स्थित दुकान पर १४ जुलाई को मूल्य चिप्पी अधिनियम के अतगत छापा मारा गया। इस छापे का नेतत्व उस इलाके के ए० डी० एम० श्री एस० एल० अरोडा ने किया। दुकान के मनेजर श्री एल० एस० माथुर के अनुसार इन छापो म पुलिस कास्टेबलो का भी उपयोग किया गया था परतु छापे मे कोई एसा माल नही मिल सका जिस पर मूल्य चिप्पी नही लगी हुई थी। अचानक श्री अरोडा की नजर दुकान के ऊपर की रको पर पडे कुछ बडलो पर पडी जिनम कुछ माल बधा हुआ था। बडल मे रखे प्रत्येक माल पर तो मूल्य चिप्पी नही लगी हुई थी परतु प्रत्येक बडल पर कीमत का कार्ड जरूर

लगा हुआ था। श्री अरोडा ने इन बडलो को नीचे उतरवाकर सारा माल बाहर निकाल दिया और आरोप लगाया कि यह अधिनियम के अतगत अपराध है। श्री माथुर का कहना था कि उन्होने श्री अरोडा से कहा कि अधिनियम म इस प्रकार स माल रखे जान पर कोई पाबदी नही है तथा यह अधिनियम के अतगत ही है, परन्तु श्री अरोडा यही कहत रहे कि अधिनियम म परिवतन हो गया ह तथा यह उसका उल्लघन है जबकि अधिनियम एक जुलाई स ही लागू किया गया था। इसके बाद श्री अरोडा वहा स कुछ देर क लिए चले गए।

बिक्री-कर विभाग के भी छापे

श्री माथुर ने बताया कि अभी यह कायवाही चल ही रही थी कि बिक्री कर विभाग क इस्पेक्टर आ गए और उन्होने भी अपनी पूछताछ जारी कर दी। उस समय दोपहर के लगभग एक बजे का समय रहा होगा।

गिरफ्तारी

उन्होन बताया कि श्री अरोडा, जो बाहर चले गए थे थोडी देर बाद वापस आए और उनसे इन बडलो के बारे म पूछताछ करने के लिए फम के हिस्सेदारो को दुकान पर बुलाने को कहा, परन्तु चूकि श्री मुशरान बीमार थे और श्री हक्सर भी ठीक नही थे इसलिए आ नहीं सके। इसके बाद लगभग दो बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। १५ तारीख को फम के हिस्सेदार श्री मुशरान और श्री हक्सर को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

उन्होने बताया कि १५ तारीख को उन्हें श्री मुशरान और श्री हक्सर के लाहोरी गट थाने मे अगुलिया, अगूठा और हथेली क निशान लिए गए और तीनो को अदालत ले जाया गया जहा काफी बहस के बाद श्री हक्सर और श्री मुशरान को तो २४ घटे की जमानत पर छोड दिया गया परन्तु उन्हें नहा छोडा गया। उसके बाद दूसरे दिन यानी १६ जुलाई को फिर अदालत म तीनो पेश हुए। एक बार फिर लम्बी जिरह हुई और उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया। श्री मुशरान और श्री हक्सर को दोपहर तीन बजे के लगभग ही रिहा कर दिया, लेकिन उन्हे रात्रि के ग्यारह

श्री मुशरान की पत्नी श्रीमती ए० मुशरान भी इस फर्म की हिस्से दार थीं।

फर्म की कनॉट प्लेस स्थित दुकान पर १० जुलाई, १९७५ की शाम को साढ़े पांच बजे दिल्ली प्रशासन के नवगठित प्रवर्तन विभाग द्वारा उनकी दुकान पर छापे मारे गए। ये छापे एक जुलाई से लागू किए गए मूल्य चिप्पी अधिनियम के अंतर्गत मारे गए थे। काफी खोजबीन के बाद भी छापामार दस्ते को ऐसी कोई सामग्री नहीं मिल सकी जिसपर मूल्य चिप्पी नहीं लगी हुई थी, लिहाजा दो ऐसे रजिस्टर जब्त कर लिए गए, जिनमें इस विभाग के अनुसार ऐसी बिक्री का जिक्र था जो दूसरे राज्यों को गई थी तथा जिनका कैश मीमो में जिक्र नहीं था। श्री खन्ना का कहना था कि ये रजिस्टर कास्मीट कवर की बिक्री से संबंधित थे। इस छापे का नेतृत्व विशेष अधिकारी श्री अशोक कपूर ने किया था।

चूंकि इन छापों में कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं पकड़ी जा सकी थी इसलिए आगे की कारवाई पर विचार करने के लिए ११ जुलाई को राजनिवास में एक बैठक हुई जिसमें फर्म पर कठोर कारवाई के बारे में विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में श्री कृष्णचंद (उप राज्यपाल), उनके निजी सचिव श्री नवीन चावला उप महानिरीक्षक (रेंज) श्री पी० एस० भिण्डर बिक्री कर आयुक्त श्री वीरेन्द्र प्रसाद और श्री अशोक कपूर उपस्थित थे। बैठक में यह भी विचार प्रकट किया गया कि फर्म के हिस्सेदारों को गिरफ्तार कर लिया जाए तथा मुकदमा चलाया जाए।

बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार फर्म की चांदनी चौक स्थित दुकान पर १४ जुलाई को मूल्य चिप्पी अधिनियम के अंतर्गत छापा मारा गया। इस छापे का नेतृत्व उस इलाके के ए० डी० एम० श्री एस० एल० अरोड़ा ने किया। दुकान के मैनेजर श्री एन० एम० माथुर के अनुसार इन छापों में पुलिस कान्स्टेबलों का भी उपयोग किया गया था परन्तु छापे में कोई ऐसा माल नहीं मिल सका जिस पर मूल्य चिप्पी नहीं लगी हुई थी। अचानक श्री अरोड़ा की नजर दुकान के ऊपर की रैकों पर पड़े कुछ बंडलों पर पड़ी जिनमें कुछ माल बंधा हुआ था। बंडल में रखे प्रत्येक माल पर तो मूल्य चिप्पी नहीं लगी हुई थी, परन्तु प्रत्येक बंडल पर कीमत का कोड जरूर

लगा हुआ था। श्री अरोड़ा ने इन बंडलों को नीचे उतरवाकर सारा माल बाहर निकाल लिया और आरोप लगाया कि यह अधिनियम के अंतर्गत अपराध है। श्री माथुर का कहना था कि उन्होंने श्री अरोड़ा से कहा कि अधिनियम में इस प्रकार से माल रखे जाने पर कोई पाबन्दी नहीं है तथा यह अधिनियम के अंतर्गत ही है, परन्तु श्री अरोड़ा यही कहते रहे कि अधिनियम में परिवर्तन हो गया है तथा यह उसका उल्लंघन है जबकि अधिनियम एक जुलाई से ही लागू किया गया था। इसके बाद श्री अरोड़ा वहां से कुछ देर के लिए चले गए।

बिक्री-कर विभाग के भी छापे

श्री माथुर ने बताया कि अभी यह कार्यवाही चल ही रही थी कि बिक्री-कर विभाग के इंस्पेक्टर आ गए और उन्होंने भी अपनी पूछताछ जारी कर दी। उस समय दोपहर के लगभग एक बजे का समय रहा होगा।

गिरफ्तारी

उन्होंने बताया कि श्री अरोड़ा जो बाहर चले गए थे, थोड़ी देर बाद वापस आए और उनसे इन बंडलों के बारे में पूछताछ करने के लिए फर्म के हिस्सेदारों को दुकान पर बुलाने को कहा, परन्तु चूंकि श्री मुशरान बीमार थे और श्री हुक्सर भी ठीक नहीं थे इसलिए आ नहीं सके। इसके बाद लगभग दो बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। १५ तारीख को फर्म के हिस्सेदार श्री मुशरान और श्री हुक्सर को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

उन्होंने बताया कि १५ तारीख को उन्हें श्री मुशरान और श्री हुक्सर के लाहौरी गेट थाने में अंगुलियों अंगूठों और हथेली के निशान लिए गए और तीनों को अदालत ले जाया गया जहां काफी बहस के बाद श्री हुक्सर और श्री मुशरान को तो २४ घंटे की जमानत पर छोड़ दिया गया परन्तु उन्हें नहीं छोड़ा गया। उसके बाद दूसरे दिन यानी १६ जुलाई को फिर अदालत में तीनों पेश हुए। एक बार फिर लम्बी जिरह हुई और उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया। श्री मुशरान और श्री हुक्सर को दोपहर तीन बजे के लगभग ही रिहा कर दिया, लेकिन उन्हें रात्रि के ग्यारह

बजे तिहाड जेल स रिहा किया गया ।

श्री माथुर ने बताया कि रिहाई क तीन चार दिन बाद ही चादनी चौक पुलिस थाने के सब इस्पक्टर श्री सतप्रकाश न उन्हे बुलाकर कहा कि फम क हिस्सादारो म जो दो महिलाए हैं उनकी अग्रिम जमानत करा ली जाए क्योकि उन्ह भी गिरफ्तार किया जा सकता है । उन्होने जब इस बात स श्री मुशरान और श्री हक्सर को अवगत कराया तो उन्होने थोडी देर बाद फोन पर कहा कि 'आप इकार कर दीजिए कि महिलाए अग्रिम जमानत के लिए तयार नहा हैं और व उन्ह गिरफ्तार कर सकत हैं। उन्होंने इस बात स सतपाल को सूचित कर दिया था, परन्तु बाद म एसी कोई गिरफ्तारी हुई नही ।

श्री आर० एन० हक्सर न आयोग को बताया कि १५ जुलाई को जब वे सवेरे घूमने का कायक्रम समाप्त कर घर लौटकर चाय पी रहे थे कुछ पुलिसवाले आए और बोले कि आप गिरफ्तार हैं।' उनके लिए यह आश्चयजनक नही था, क्योकि पिछले दिना हुई घटनाओ को देखते हुए इस बात की उन्ह पहले ही आशका थी। उन्होने पुलिसवालो स कहा कि उन्ह नहाने तथा नाश्ता करने का समय दिया जाए जिसे मान लिया गया । उन्ह गिरफ्तार कर लाहोरी गेट पुलिस थाने ले जाया गया जहा उनकी अगुलिया, अगूठे और हथेली के निशान लिए गए।

श्री मुशरान न बताया कि उन्हें भी १५ जुलाई को सवेरे गिरफ्तार कर लाहोरी गेट पुलिस थाने ले जाया गया जहा उनके भी निशान लिए गए।

उन्होंने बताया कि मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट ने लगभग डेढ घटे तक उनके वकील क तक सुनने के बाद २४ घटे की जमानत देना मजूर किया और वह भी काफी आनाकानी के बाद। दूसरे दिन भी यही हाल रहा । इसपर जस्टिस शाह ने आश्चय व्यक्त करते हुए कहा जहा एक ओर थोडी-सी बहस के बाद ही बड बड मामलो म लोगो को जमानत दे दी जाती है वही इतने छोटे स मामले म डेढ घटे की बहस के बाद भी मजिस्ट्रेट को जमानत देने म आनाकानी हो रही थी।

श्री मुशरान ने बताया कि १५ तारीख को उनकी तथा श्री हक्सर की गिरफ्तारी की खबर रेडियो और दूरदशन पर प्रसारित

की गई, परन्तु उन्हें जमानत पर छोड़ने का कोई जिक्र तक नहीं किया गया। इस प्रकार की खबर से उनके परिचितों का परेशान होना जरूरी था।

श्रीमती गांधी भी संजय से प्रसन्न नहीं थीं

श्री मुशरान का कहना था कि १५ तारीख की रात को उनकी पत्नी ने अपने भाई श्री हक्सर को फोन कर इस बारे में सूचना दी, परन्तु उन्होंने कहा कि वे इस मामले में शायद कुछ नहीं कर सकेंगे। श्री मुशरान ने बताया कि श्रीमती अरुणा आसफअली से उनकी काफी निकटता थी, इसलिए जब उन्हें इस बारे में मालूम पड़ा तो उन्होंने श्रीमती गांधी से बातचीत की। श्रीमती गांधी से उनकी क्या बातचीत हुई, इस बारे में उन्हें कुछ जानकारी नहीं है, परन्तु श्रीमती आसफअली ने उन्हें बताया था कि श्रीमती गांधी स्वयं श्री संजय गांधी के काम करने के तरीके से प्रसन्न नहीं हैं क्योंकि उनके बारे में सकड़ों शिकायतें आती रहती हैं।

हथेली के निशान नहीं

बाद में लाहौरी गेट थाने के एस० एच० ओ० श्री जगदीश ने आयोग को बताया कि तीनों व्यक्तियों की अंगुलियों और अंगूठों के निशान उनके निर्देश से नहीं लिए गए थे, बल्कि यह कार्य जांच अधिकारी द्वारा स्वयं किया गया था। जांच अधिकारी ने इस बात से इन्कार किया कि उसने इन लोगों की हथेली के भी निशान लिए थे। उनका कहना था कि यदि ये लोग ऐसा कहते हैं तो झूठ बोलते हैं। उन्होंने बताया, निशान लेने की कार्यवाही कैदी शिनाख्त अधिनियम के अंतर्गत की गई थी तथा यह चालान की खानापूरी लिए जरूरी था।

फर्म को तंग किए जाने की कार्यवाही यहां समाप्त नहीं हो गई थी। फर्म की कनाट प्लेस स्थित दुकान के मैनेजर श्री आर० के० खन्ना ने बताया कि बिक्री-कर विभाग तथा मूल्य नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत की गई कारवाई के बाद फर्म पर आयकर विभाग के जरिये भी परेशान करने की कारवाई कराई गई। फर्म को १६ जुलाई को एक नोटिस दिया गया जिसमें १९७३-७४ के खाता के संबंध में २२ जुलाई तक अपने जवाब दाखिल करने को कहा गया

था। काफी परेशानियों के बाद ३० सितम्बर को फर्म के खिलाफ फैसला दे दिया गया। फर्म ने ४,४३,३१२ रुपये की आय का आकलन किया था लेकिन आयकर विभाग ने उस वर्ष के लिए ६,३३,१८१ रुपये का निर्धारण कर २,४१,१३५ रुपये का कर लगा दिया। इसके अतिरिक्त फर्म के हिस्सेदारों की आय अलग से निर्धारित की गई। विभाग की ओर से इस राशि के फौरन वसूल करने का भी नोटिस दिया गया। फर्म द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की गई जिसे स्वीकार नहीं किया गया परन्तु सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल करने पर उसे स्वीकार कर लिया गया।

आयकर के छापे धवन के निर्देश पर

इस संबंध में आयकर आयुक्त श्री जे० सी० लूथर का कहना था कि पंडित ब्रदर्स पर मारे गए छापे तत्कालीन प्रधानमंत्री के अतिरिक्त निजी सचिव श्री आर० के० धवन के निर्देशानुसार मारे गए थे। उन्होंने कहा कि चूंकि यह निर्देश प्रधानमंत्री निवास से आए थे इसलिए इनका पालन किया गया।

बिक्री-कर के संबंध में मारे गए छापों के बारे में बिक्री-कर आयुक्त श्री वीरेन्द्र प्रसाद का कहना था कि उन्हें इस बारे में सूचित किया गया था कि फर्म की कनाट प्लेस तथा चान्दनी चौक स्थित दुकानों पर छापे मारे जाने हैं परन्तु चूंकि इस विशेष दुकान पर ही छापा मारा जाना उचित नहीं होता इसलिए अन्य दुकानों पर भी छापे मारे जाने को कहा गया।

'कठोर कार्रवाई' संजय के निर्देश पर

उन्होंने बताया कि राजनिवास में हुई बैठक में उन्हें कहा गया था कि फर्म के विरुद्ध 'कठोर कार्रवाई' की जानी चाहिए क्योंकि श्री संजय गांधी ऐसा चाहते हैं। इसके बाद उनकी श्री कृष्णचंद से काफी देर तक उनके कमरे में इस संबंध में बातचीत हुई।

दिल्ली के तत्कालीन उपराज्यपाल के निजी सचिव श्री नवीन चावला ने बताया कि प्रधानमंत्री निवास से उनके अतिरिक्त निजी सचिव श्री आर० के० धवन ने उन्हें फोन कर यह संदेश श्री कृष्णचंद को देने को कहा था कि श्री संजय गांधी को सूचना

मिली है कि कनाट प्लेस स्थित दुकानों से भारी मात्रा में कर चोरी की जा रही है इसलिए वहां छापे मारे जाएं तथा इन छापों में पंडित ब्रदर्स को भी नहीं बख्शा जाए हालांकि वे काफी प्रभावशाली हैं। श्री चावला का कहना था कि श्री कृष्णचंद को यह बात सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि पंडित ब्रदर्स पर भी छापे मारने की बात कही गई है। श्री कृष्णचंद ने इसकी पुष्टि के लिए श्री धवन को फोन किया तो श्री धवन ने यही बात दोहराई। इसके बाद उपराज्यपाल ने उनके अतिरिक्त मुख्य सचिव से इस मामले पर दूसरे दिन कारवाई करने के निर्देश दिए।

श्री चावला का कहना था कि उपराज्यपाल ने उन्हें इन छापों के संबंध में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कराने को भी कहा था।

निर्देश धवन से नहीं, सीधे संजय से मिले थे

श्री कृष्णचंद ने श्री चावला के इस बयान को एकदम गलत बताया कि उन्होंने यह कहा था कि यह संदेश श्री धवन ने दिया है। जबकि सत्य यह है कि श्री चावला ने उनसे कहा था कि श्री संजय गांधी ने उन्हें ऐसा निर्देश दिया है। श्री चावला ने इस संबंध में कहीं भी श्री धवन का जिक्र नहीं किया था।

उन्होंने जस्टिस शाह के एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि 'जहां तक इसकी पुष्टि करने का सवाल है श्रीमान जब श्री गांधी ने स्वयं फोन कर श्री चावला से यह बात कही थी तब मेरी यह एक बड़ी मूर्खता होती कि मैं श्री गांधी को फोन कर इसकी पुष्टि करता। उनका कहना था कि इस पूरे मामले में श्री चावला श्री गांधी से सीधे सम्पर्क में थे तथा उन्हें सिर्फ छापों के संबंध में सूचित किया गया था गिरफ्तारियों के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई थी। और न ही मैंने इस बारे में कोई निर्देश ही दिए थे।'

एल० जी० बनाम एस० जी०

श्री कृष्णचंद ने अपनी इस बात को पुनः दोहराया कि उन दिनों दिल्ली का प्रशासन सिर्फ चार या पांच व्यक्ति चला रहे थे जिनका श्री गांधी से सीधा सम्पर्क था। इन अधिकारियों में श्री चावला और श्री भिण्डर भी शामिल थे। उन्होंने कहा श्रीमान मुझसे तो सिर्फ उन्हीं मामलों में पूछा जाता था जहां कोई वैधानिक

परेशानी उठ खड़ी होती थी। वास्तव में यदि आप दिल्ली प्रशासन के कामों में एल० जी० (उपराज्यपाल) के स्थान पर एस० जी० (संजय गांधी) कर लें तो सब बात स्पष्ट हो जाएगी।'

छापों की कार्रवाई श्रीमती गांधी की जानकारी में

श्री कृष्णचंद ने सरकारी वकील श्री प्राणनाथ लेखी के प्रश्नों के उत्तर में बताया कि श्रीमती गांधी ने श्रीमती अरुणा आसफअली का ज़िक्र करते हुए उनसे इस बारे में जानकारी चाही थी। उन्होंने स्वीकार किया कि श्रीमती गांधी को इस मामले की जानकारी तो रही ही होगी अन्यथा वे फोन करते ही उनपर बरस पड़ती कि ऐसा कैसे हुआ परन्तु उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था।

उन्होंने इस बात से भी इंकार किया कि उन्होंने श्री चावला से इस बारे में कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी करने को कहा था।

छाया तक पसन्द नहीं

जहां श्री चावला यह कह रहे थे कि उन्हें छापे मारे जाने के बारे में श्री धवन ने निर्देश दिए थे वहां श्री धवन ने इस बात का खंडन किया कि उन्होंने श्री चावला को कोई निर्देश दिए थे। उनका कहना था कि 'श्रीमान श्री चावला उनके निर्देश लेना तो दूर, उनकी छाया तक को पसन्द नहीं करते थे।' उन्होंने कहा 'श्रीमान श्री चावला इस मामले में उन लोगों के नाम नहीं ले सकते जिनसे उन्होंने यह निर्देश लिए थे इसीलिए उनका नाम लिया जा रहा है।'

श्री धवन ने जस्टिस शाह की ओर मुखातिब होकर कहा, 'श्रीमान क्या आप उन दिनों दिल्ली में नहीं थे ?'

इसपर जस्टिस शाह ने कहा 'हां, आपका कहना सही है मैं उन दिनों यहां नहीं था।'

तभी आप श्री चावला के शिकार होने से बच गए। श्रीमान् श्री चावला काफी महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे और मेरे पद पर स्वयं आना चाहते थे।

(४) दो ट्रेड यूनियन नेताओ के यहा छापे

एमरजन्सी म न सिर्फ सरकारी अधिकारियो और राज नीतिज्ञो को बल्कि ट्रेड यूनियन नेताओ को भी नही छोडा गया। इन लोगो क विरुद्ध कारवाई करन का कारण यह था कि इन्होने बैंक कमचारियो को बोनस दिलाने से सबधित आदोलन म बढ चढकर भाग लिया था।

तत्कालीन प्रधानमत्री के अतिरिक्त निजी सचिव श्री राजेन्द्र कुमार धवन न २७ जुलाई, १९७५ को केन्द्रीय जाच ब्यूरो क तत्का लीन निदेशक श्री देवेन्द्र सेन को प्रधानमत्री निवास बुलाया और उनसे कहा कि 'बम्बई के दो ट्रेड यूनियन नेता श्री डी० पी० चड्ढा और श्री प्रभातकर लोगो को ऋण दिलान का प्रलोभन देकर उनसे यूनियनो के लिए चदा वसूल कर रहे ह तथा इस धन को खुद खच कर रहे हैं। इसलिए इनके खिलाफ कारवाई की जाए।'

श्री सेन ने इस बारे मे एक नोट लिखकर आयकर विभाग म निदेशक (गुप्तचर) श्री हरिहर लाल को भेजा। श्री लाल न इस नोट पर कारवाई करते हुए श्री कार के निवास की तलाशी लेन क आदेश दिए और श्री चड्ढा क सम्बन्ध म मामला बम्बई शाखा को सुपुर्द कर दिया।

तलाशी मे जाच ब्यूरो का हाथ नहीं

श्री सेन ने जिरह के दौरान प्रश्नो के उत्तर म बताया कि केन्द्रीय जाच ब्यूरो ने इन दोनो नेताओ के घरो की तलाशी लने के सम्बन्ध म कोई निर्देश नही दिए थ। उन्होने आयकर विभाग को सिर्फ व सूचनाए ही दी थीं जो उन्हे श्री धवन से प्राप्त हुई थी। तलाशी आदि का काय आयकर विभाग द्वारा कराया गया। इसम जाच ब्यूरो का कोई हाथ नही था।

श्री धवन के वकील श्री के० जी० भगत के प्रश्नो के उत्तर म श्री सेन ने बताया कि उन्होने किसी अधिकारी से यह नही कहा था कि य सूचनाए श्री धवन से मिली है क्योकि हमारे यहा कभी भी सूचना-स्रोत का नाम नही बताया जाता।

सरकारी वकील श्री प्राणनाथ लेखी द्वारा यह पूछे जान पर कि क्या वे जानते थे कि उन्हें ट्रेड यूनियन नेताओ के खिलाफ

औजार के रूप म काम म लिया जा रहा था श्री सन न कहा, 'उह सिफ सूचना प्राप्त हुई थी, व नहीं कह सकते कि उह किसीके द्वारा औजार क रूप म इस्तेमाल किया गया था अथवा नहीं।'

'क्या आपको मालूम है कि एमरजेन्सी क दौरान कानूनी समाप्त करने क सम्बध म कोई अध्यादेश जारी किया गया था ?'

श्री सन न कहा 'मुझ मालूम नहीं।

श्री सन न आयोग के प्रश्ना क उत्तर म बताया कि इस मामले म न ता कोइ प्रारम्भिक जाच ही कराई गई थी और न ही कोई मामला दज किया गया था। उनकी सस्था न सिफ सूचनाए एकत्र की और जब यह सदह हुआ कि मामले म आयकर की चोरी हुई है ता उस आयकर विभाग का भेज दिया गया और यही एक सामाय प्रक्रिया थी।

उहान बताया कि नताआ के घरा की तलाशी लिए जान के बाद श्री लाल द्वारा भेजी गई रिपोट का या ता उहाने श्री ओम महता को भेज दिया था या फिर श्री धवन के पास। उह ठीक तरह स याद नहीं आ रहा है कि उहान यह रिपोट किस भेजी थी।

जस्टिस शाह न उनस जानना चाहा क्या राष्टीयकत बका के कमचारी सरकारी कमचारी हात हैं जबकि उनका ता यही खयाल है कि वधानिक निगमा के कमचारी सरकारी कमचारी नहा हात।

जाच यूरो के पास राष्ट्रीयकत बका के खिलाफ भारी सख्या म मामले पडे है। उह सरकारी कमचारियो की तरह ही समझा जाता है।'

(vii) मारुति का मामला दबाया गया

एमरजेंसी क दौरान आयकर विभाग द्वारा जो भेदभावपूर्ण नीति अपनाई गई उसकी एक झलक मारुति लिमिटेड क सम्बध म की गइ कारवाइ स मिलती है। जहा अय फर्मों पर मात्र सदह क आधार पर छापे मारे गए और उनक परिवारजना तक को तग किया गया वहा मारुति क शेयरो क सम्बध म ससद म पूछे गए एक प्रश्न के सम्बध म की गई जाच का दबा दिया गया।

ससद म मारुति के सम्बन्ध म जानकारी चाही गई थी कि उसमे शेयर होल्डरो के नाम कितना कितना कर बाकी है। इसके लिए आयकर अधिकारियो ने मारुति के शेयर होल्डरो की सूची मागी, परन्तु वह सूची नही दी गई। निदेशक (गुप्तचर) श्री हरिहर लाल द्वारा प्रत्यक्ष कर बोर्ड से निर्देश मागने पर उन्हे कहा गया कि मारुति या उसके शेयर होल्डरो से कोई सूचना नही मागी जाए। ऐसे ही निर्देश मारुति के दो बेनामी शेयर होल्डरो के बारे म भी दिए गए।

छदम नाम

पश्चिम बगाल के आयकर आयुक्त ने सूचित किया था कि कलकत्ता में श्रीमती शारदादेवी और श्रीमती शातादेवी नाम की दो महिलाए नही हैं जिनके नाम से क्रमश ३० हजार और २५ हजार रुपये मूल्य के शेयर खरीदे गए हैं। आयुक्त के अनुसार यह छद्म महिलाए थी अर्थात ये शेयर छद्म नामो से खरीदे गए थे।

दिल्ली मे श्री हरिहरलाल ने २४ जुलाई, १९७५ को इस सूचना पर नोट लिखा कि प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष चाहते हैं कि जब तक वे निर्देश न दें, आगे की कारवाई न की जाए।

अधिकारिक पत्र-व्यवहार की सूचनाओ के अनुसार प्राथमिक दृष्टि से यह एक मामला बनता था तथा सामान्य परिस्थितियो म इसपर कारवाई भी की जा सकती थी परन्तु प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के निर्देशानुसार ही ऐसा नही किया गया।

बाद म ससद म इस प्रश्न के उत्तर म यही कहा गया कि मामले की जाच जारी है और शीघ्र ही सूचित किया जाएगा। परन्तु सत्य बात यह थी कि इसपर प्रधानमत्री सचिवालय म स्वीकृति नहीं आई थी, जाच तो हो ही चुकी थी।

मेहता द्वारा स्वीकार

श्री मेहता ने आयोग के समक्ष स्वीकार किया कि उन्होने ही यह निर्देश दिए थे कि बिना बोर्ड की पूर्व अनुमति के मारुति के सम्बन्ध म किसी प्रकार की जाच नही कराई जाए।

उनका कहना था कि मारुति का मामला इतना नाजुक हो गया था कि उन्होने यह उचित नहा समझा कि कोई ऐसी सूचना दी जाए

जो मरकारी रिकार्डों म नहीं है। अत उन्हान क्वल सरकारी रिकार्डों के आधार पर ही सूचनाए दन क आदेश दिए थ।

जस्टिस शाह द्वारा यह पूछे जान पर कि आपन मारुति के सम्बन्ध में सूचना एकत्र करन पर रोक क्या लगा दी थी श्री मेहता ने कहा उनके दिमाग म यही बात थी कि कानून के अनुसार व्यक्तिगत मामला की जाच पर रोक है इसीलिए उन्होंने श्री लाल स कहा था कि मैं इस बार म तत्काल कोई निर्देश नहीं द सकता। उन्ह पूरे मामल का अध्ययन करने म एक सप्ताह का समय लगा।

इसपर जस्टिस शाह न कहा क्या इसके बाद आपन कोई निर्देश दिए?'

नहीं मैंने समझा था कि मुझे इस बारे म सूचित किया जाएगा।'

यानी जब तक आपको कोई सूचित नहीं करता आप रोक वापस नहीं लत?'

'रोक तो अभी तक वापस नहीं ली गई है यद्यपि मैं हट चुका हू।

श्री महता द्वारा सवालो के जवाब घुमा फिराकर देने पर जस्टिस शाह न किंचित रोष प्रकट करते हुए कहा आप ढिठाई न करें मैं आपको एक उच्चाधिकारी के रूप म पूरा आदर प्रदान कर रहा हू और आप जानकारी देने के स्थान पर बहस कर रहे हैं और थोथी दलीलें द रहे हैं। इसके बावजूद श्री महता अपनी बात दोहराते रहे। उन्हान कहा आप जो चाहे अथ लगा सकते है।'

श्री मेहता न इस बात स अनभिज्ञता प्रकट की कि मारुति सम्बन्धी किसी भी प्रश्न का उत्तर श्रीमती गाधी द्वारा अनुमोदित कराए बिना ससद को भेजा जाना निषिद्ध था।

जहा श्री मेहता ने इस बात स इकार किया वहीं केन्द्रीय एक्साइज एव कस्टम बोर्ड के अध्यक्ष श्री एम० जी० ए० बोल ने स्वीकार किया कि उन्होंने स्वय बैकिंग एव राजस्व मत्री श्री प्रणव मखर्जी के निर्देशानुसार ससद के प्रश्नोत्तर सम्बन्धी उत्तरो का प्रारूप तयार कर प्रधानमत्री-सचिवालय भेजा था।

तत्कालीन प्रधानमत्री सचिवालय म एक निजी सहायक श्री

एम० एम० एन० शया न भी इस बात की पुष्टि की तथा तत्सबधी एक उत्तर के प्राम्प पर अपन हस्ताक्षर स निखित उस टिप्पणी की भी तसनीक की जिसम लिखा था कि प्रधानमत्री ने यह प्रारुप देख लिया है।

श्री लाल न जस्टिस शाह क इस प्रश्न पर कि उन्होने श्री महता से आदेश लेना क्या उचित समझा कहा 'मर पूववर्ती अधिकारिया के समय म ही यह बात स्पष्ट हो चली थी कि बाड की इजाजत क विना मारुति क बारे म कोई कारवाई न की जाए।

याद दिलाने पर मुसीबत

श्री महता न श्री लाल से कहा आपने बाद म मुझे इस आदेश क सम्बध म याद क्या नही दिलाया ?

आपस जमी बात हुई थी उसम स्पष्ट था कि यदि मैंने याद दिलाया तो मुसीबत म फस जाऊगा।

कसी मुसीबत ?

मैं आपक आदेश का उल्लघन नही कर सकता था।

श्री महता न कई बार जानना चाहा कि श्री लाल को किस तरह की मुसीबत म फस जान की आशका थी। इसपर हसी क साथ जस्टिस शाह न कहा वह मुसीबत क्या हो सकती थी यह तो आपपर हो निभर था।

श्री मेहता न कहा इसका अथ यह है कि श्री लाल मुझ सच बात नही बता रह हैं। इसपर जस्टिस शाह न खुलासा करत हुए उन्हे स्मरण कराया कि एमरजेन्सी के दुर्भाग्यपूण समय म बहुत-स लागा का आदेश न मानन क कारण मुसीबत का सामना करना पडा था।

(viii) रिश्वत का मामला रफा दफा

एमरजेंसी क दौरान प्रधानमत्री निवास म न सिफ बड़े-बडे मामला म ही हस्तक्षेप सजय गाधी की जाती थी बल्कि छोट अधिकारिया के छोट छोट मामला म भी हस्तक्षेप किया जाता था। ऐसी प्रकार क एक मामल म एक रमर बार रह रग हाथा रिश्वत लेन पर पकडे

जान के बावजूद उसके मामले का प्रधानमंत्री निवास के निर्देश के आधार पर अदालत में नहीं भेजा और मामला रफा-दफा कर दिया गया।

श्री सुदर्शन वर्मा नामक इस व्यक्ति को श्री गोपालदास नामक एक अन्य व्यक्ति द्वारा यह शिकायत करने पर कि वह किसी काम को पूरा करने के लिए रिश्वत मांगता है केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जाल फैलाकर २०० रुपये रिश्वत लेते पर रंगे हाथों पकड़ लिया गया।

इस घटना के दो-तीन दिन बाद श्री वर्मा केन्द्रीय जांच ब्यूरो के तत्कालीन निदेशक श्री देवेन्द्र सेन से प्रधानमंत्री निवास में मिले और उनसे कहा कि वे एक क्लर्क हैं और जांच ब्यूरो द्वारा उनके खिलाफ रिश्वत का जो मामला बनाया गया है वह झूठा है। श्री वर्मा ने सेन से अनुरोध किया कि एक क्लर्क के नाते वह मुकदमा नहीं लड़ पाएंगे इसलिए यह मामला समाप्त कर दिया जाए। इसपर श्री सेन ने उनसे कहा कि बेहतर यही होगा कि आप इस सम्बन्ध में अपना ज्ञापन भेज दें।

इसके बाद प्रधानमंत्री निवास से किसी ने फोन कर श्री सेन से इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटाने को कहा। बाद में श्री वर्मा के खिलाफ रेलवे को मुकदमा चलाने के लिए भेजी गई सिफारिश वापस मंगा ली गई।

श्री सेन ने आयोग को बताया कि श्री वर्मा की उनसे मुलाकात प्रधानमंत्री निवास में हुई थी। शायद वे प्रधानमंत्री के जन-दरबार में अपनी शिकायत लेकर आए थे। उन्होंने श्री वर्मा से हुई दूसरी भेंट में इस सम्बन्ध में एक लिखित ज्ञापन देने को कहा परन्तु उन्हें याद नहीं है कि उनके कार्यालय में वह ज्ञापन पहुंचा था या नहीं।

श्री सेन ने कहा कि उन्हें याद नहीं आ रहा कि प्रधानमंत्री निवास से किसने फोन किया था। परन्तु उसने इतना जरूर कहा था कि मामले का यथाशीघ्र निपटाया जाए। उन्होंने साथ ही यह भी स्वीकार किया कि इस प्रकार के मामले उन तक सीधे नहीं आते बल्कि ब्रांच स्तर पर ही निपट जाते हैं।

उन्होंने बताया कि रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद सभी मामले अदालत में नहीं भेजे जाते क्योंकि बाद में अभियुक्त पिछली तारीख में लिखा प्रोनोट दिखाकर यह सिद्ध करने की चेष्टा करते

है कि उधार दिया धन वापस लिया है।

श्री सेन ने बताया कि गृहमंत्रालय के निर्देशों के अनुसार पहले इस प्रकार के मामलों को विभागीय कारवाई के लिए भेजा जाता है और बाद में मुकदमा चलाया जाता है।

उन्होंने स्वीकार किया कि प्रधानमंत्री निवास से किसी ने फोन पर मामले को जल्दी निपटाने को जरूर कहा था, परन्तु उसमें दबाव जैसी कोई बात नहीं थी।

रेलवे के सतर्कता अधिकारी श्री महेश्वर प्रसाद ने बताया कि श्री वर्मा के भाई ने जो रेलवे में ही सतर्कता अधिकारी थे, उनसे यह मामला वापस लेने को कहा था। इसके अतिरिक्त जांच ब्यूरो के एक अधिकारी ने उन्हें बताया था कि उनपर दबाव डाला जा रहा है किन्तु उन्होंने श्री वर्मा के संबंध में रेलवे को मुकदमा चलाने की जो सिफारिश की है उसे वापस लिया जाए।

जांच ब्यूरो के उपमहानिरीक्षक श्री एन० पी० मुखर्जी ने बताया कि रंगे हाथों पकड़े जाने के दो-तीन दिन बाद ही श्री सेन ने उनसे इस मामले से संबंधित फाइलें दिखाने को कहा था। श्री सेन ने फाइलें देखने के पश्चात कहा था कि इस मामले पर पुनर्विचार किया जाए। श्री सेन के आदेशानुसार उन्होंने सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक को जिसने मामला रेलवे को भेज दिया था, उसे वापस मंगाने को कहा।

बाजार बंद

आयोग के समक्ष श्री गोपालदास भी जिन्होंने श्री वर्मा को पकड़वाया था उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि अभियुक्त को रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद छोड़ दिया गया और एक तरीके से मामला भी समाप्त हो गया, परन्तु उनके व दो सौ रुपये अभी तक वापस नहीं किए गए हैं जिनके कारण यह सब हुआ। उन्होंने आयोग से प्रार्थना की कि उन्हें वे दो सौ रुपये वापस दिलवाए जाएं क्योंकि जब भी वे इन रुपयों को मांगने के लिए जांच ब्यूरो के कार्यालय गए उनसे कहा गया कि 'हमने बाजार बंद कर दिया है यहां बार-बार क्या आते हो ?'

७ एमरजेंसी मे सफाई के नाम पर नादिरशाही

भारत की राजधानी नई दिल्ली की नई और आधुनिक इमारतो से थोड़ा-सा हटकर यदि पुरानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाके पर नजर डालें तो वहा ऐसी पुरानी इमारतें पाएंगे जिन्होंने हिन्दुस्तान की न सिर्फ बनती बिगडती सल्तनतो को ही देखा है बल्कि अपने गर्भ मे भारत के उस पुराने इतिहास को भी छिपा रखा है जिसे इसके हिन्दू और मुसलमान शासको ने रचा है। पुरानी दिल्ली की ये पुरानी परन्तु शानदार इमारतें आज भी भारत की प्राचीन संस्कृति और कला को उजागर कर रही है।

पुरानी दिल्ली और इसके चारो ओर की नई दिल्ली का इलाका और उसमे जगह जगह कई आवासीय बस्तिया व कुछ पुराने और अवैध निर्माणो को एमरजेंसी के दौरान सिर्फ इसलिए गिरा दिया गया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री के पुत्र श्री संजय गाधी को यह सब दिल्ली की सुन्दरता पर बदनुमा दाग की तरह नजर आता था।

ऐतिहासिक स्मारक भी गिराए गए

इमारतें गिराए जाने के इस दौर मे ऐतिहासिक स्मारको को भी नही बख्शा गया हालांकि स्वयं तत्कालीन प्रधानमंत्री यह दम भरा करती थी कि इनकी सुंदरता को बरकरार रखा जाएगा परन्तु इस पागलपन मे सुंदरता को बनाए रखना तो दूर की बात शाहजहा के दिल्ली स्थित अस्थायी निवास 'कला महल' को भी गिरा दिया गया।

एमरजेंसी के दौरान जिस प्रकार से अनधिकृत निर्माणो के नाम पर बनी-बनाई इमारतो दुकानो कच्चे मकानो और झुग्गियो आदि को गिराया गया वह अपने-आपमे एक आश्चर्य है। एमरजेंसी के पूर्व जहा १९७३ १९७४ और जून १९७५ तक कुल १८०० निर्माणो को गिराया गया था लेकिन एमरजेंसी के बाद २३ मार्च १९७७ तक एक लाख ५० हजार १०५ निर्माण गिराए गए।

इमारतें और दुकानो को गिराने का सिलसिला पुरानी दिल्ली के जामा मस्जिद और तुर्कमान गेट इलाके तक ही सीमित नही रहा,

बल्कि नई दिल्ली म भी इसके नजारे देखे गए। दिल्ली-गुडगाव सडक पर स्थित कापसहेडा गाव, दक्षिण दिल्ली की एक बस्ती अर्जुन नगर, महरौली रोड पर स्थित अधेरिया मोड पर बनी कुछ पुरानी दुकानें तथा मकान और न जाने कितनी बस्तिया और मकान सुन्दरता के इस अभियान की भेंट चढा दिए गए।

(1) जामा मस्जिद की सफाई
तुर्कमान गेट की तबाही

पुरानी दिल्ली का एक पुराना और प्रसिद्ध स्मारक है जामा मस्जिद। एमरजेंसी की घोषणा से पूर्व जामा मस्जिद के चारो ओर के इलाके म सकडो दुकानें बनी हुई थी जिनसे वहा के लोगो की न सिर्फ आवश्यकताओ की ही पूर्ति होती थी बल्कि हजारो परिवारों का रोजी रोटी भी चलती थी। एमरजेंसी के दौरान इस इलाके को खूबसूरत बनाने के नाम पर यहा की दुकानो को उजाड तो दिया गया, लेकिन दुकानदारो के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नही की गई जबकि इसस पूर्व इस इलाके के लोगो को पाईवालान योजना म बसाया जाना था और शुरू म यह आश्वासन दिया गया था कि पहले इस योजना को पूरा किया जाएगा और उसके बाद ही इस इलाके के लोगो को हटाया जाएगा। परन्तु उस योजना पर अभी काम शुरू भी नहीं हो पाया था, और लोगो को हटा भी दिया गया।

इसी प्रकार जामा मस्जिद से थोडा-सा दक्षिण म चलने पर आसफअली मार्ग अजमेरी रोड और पुरानी अजमेरी गेट के बीच स्थित है तुर्कमान गेट इलाका। मुस्लिम बाहुल्य वाले इस इलाके का इमारतें स्मरणीय वष नहीं बल्कि सकडो वर्ष पुरानी हैं और आज भी अनेक स्थितियो म पुरानी यादें समेटे हुए हैं। एमरजेंसी के दौरान देश के अन्य भागों की तरह यहा भी परिवार नियोजन के बारे में की गई जोर-जबरदस्ती के कारण और कुछ इन पुराने मकानों को गिराए जाने के कोशिश म पनपे हुए तनाव का परिणाम हुआ, 19 अप्रैल 1976 का गोली काड। अभी दिन ढला भी नहा था और गलियो म मरने वालों और घायलों की कराहें ठडी भी नहीं

हो पाई थी कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के धड़धड़ाते बुलडाजरा ने इस इलाके के मकानों को ध्वस्त करना प्रारम्भ कर दिया।

घायलों की कराहें और जश्न

रोम जलता रहा और नीरो ठहाका लगाता रहा। बताया जाता है कि एक ओर तो यह कांड हो रहा था और दूसरी ओर आसफ अली रोड पर स्थित एक शानदार होटल म श्री संजय गांधी श्रीमती रुखसाना सुलतान और प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री जगमोहन जश्न मना रहे थे।

दिल्ली के मकानात गिराए जाने की इन घटनाओं के विरोध म कई संसद सदस्यो सामाजिक कार्यकर्ताओ और अनेक राजनीतिक नेताओ ने तत्कालीन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक अपनी फरियाद पहुचाने की चेष्टा की परन्तु कुछ भी नही हो सका क्योंकि उन दिनो तो श्री संजय गांधी का कहा पत्थर की लकीर हुआ करता था। उनके आदेश अथवा निर्देश के आगे किसीकी फरियाद कसे टिक सकती थी !

श्री गांधी की कोई सरकारी हैसियत न होने के बावजूद वे दिल्ली प्रशासन के उच्चाधिकारियो को सीधे आदेश दिया करते थे। यहा तक कि इन समस्याओ पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री निवास पर सम्पन्न बैठको मे भी वे भाग लेते थे। श्री गांधी अपने सभी आदेश मौखिक दिया करते थे। एक अवसर पर तो उन्होंने दिल्ली नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त श्री बहादुरराम टमटा से कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री जगमोहन उनके पास प्रतिदिन आते हैं वे भी आया करें।' एक अन्य अवसर पर उन्होंने श्री टमटा से कहा कि श्री जगमोहन विचार विमर्श के लिए फाइलें लेकर आते हैं आप भी लेकर आया करें। मैं आपसे भी दिल्ली नगर निगम के प्रत्येक मामले पर विचार विमर्श किया करूगा।

इमारतें गिराने से जनता नाराज नहीं, प्रसन्न थी

इमारतें गिराए जाने की इन कारवाइयो के विरोध म श्रीमती गांधी को भी कई ज्ञापन दिए गए थे। कम्युनिस्ट पार्टी ने भी इस सम्बन्ध म एक ज्ञापन दिया। दिल्ली के संसद सदस्यों ने भी इस

बारे म अपनी नाराजगी प्रकट की थी, परन्तु श्रीमती गाधी का यही कहना था कि जनता इन सब बातो से नाराज नही बल्कि प्रसन्न है। दिल्ली के दो भूतपूर्व कांग्रेसी सदस्या श्री शशिभूषण और श्रीमती सुभद्रा जोशी ने इस बारे म श्रीमती गाधी से कई बार भेंट की और उन्होंने कई पत्र लिखे परन्तु उनका कोई नतीजा नही निकला।

मकान गिराने की इन कारवाइयों से स्वर्गीय राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद भी प्रसन्न नही थे। विशेष तौर से जामा मस्जिद इलाके के मामले म। उनका मानना था कि इन लोगो को पाईवालान योजना पर काम पूरा होने से पहले उजाडा नही जाए। जामा मस्जिद इलाके के एक सामाजिक कार्यकर्ता श्री शिराज पिरचा इस सम्बन्ध म स्वर्गीय राष्ट्रपति से मिले भी थे और उन्होंने (राष्ट्रपतिजी ने) आश्वासन भी दिया था कि वे इस सम्बन्ध मे प्रधानमन्त्री म बात करेंगे, परन्तु इसका कोई परिणाम नही निकला।

राष्ट्रपति भी सम्प्रदायवादी

श्रीमती सुभद्रा जोशी ने आयोग को बताया कि श्री सजय गाधी न राष्ट्रपतिजी तक को सम्प्रदायवादी कहा था, क्योकि उनका खयाल था कि राष्ट्रपतिजी नसबन्दी कार्यक्रम का विरोध कर रहे थे। श्रीमती जोशी का कहना था कि जब वह राष्ट्रपति से शिकायत करने गइ कि सजय उन्हें (श्रीमती जोशी को) सम्प्रदायवादी और 'राष्ट्रविरोधी' कह रहा है तो राष्ट्रपतिजी न कहा था कि तुम्हे क्या वह तो मुझे भी सम्प्रदायवादी' कहता है।

भूतपूर्व आवास और निर्माणमन्त्री श्री के० रघुरमया तथा गहमन्त्रालय म उपमन्त्री श्री पी० एच० मोहसिन का भी कहना था कि स्व० राष्ट्रपति अहमद मकानात गिराए जाने की कार्यवाही से अप्रसन्न थ। उन्हें स्वय इस कार्यवाही के बारे में जानकारी नही थी।

परन्तु दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री जगमोहन ने श्री रघुरमया और श्री मोहसिन के इन बयानों को गलत बताया कि मकान गिराए जाने की कार्यवाही के सबध में उनको कोई जानकारी नहीं दी गई थी। उनका कहना था कि उन्होंने स्वय इन दोना

मन्त्रियों को इससे अवगत कराया था।

जामा मस्जिद क्षेत्र के एक अन्य सामाजिक कार्यकर्ता इन्द्रमोहन ने इमारतें गिराए जाने के बारे में प्रधानमंत्री को तो एक ज्ञापन दिया ही, इस सम्बन्ध में श्री संजय गांधी से भी भेंट की। श्री गांधी से भेंट करने की सलाह उन्हें प्रधानमंत्री के अतिरिक्त सचिव श्री धवन ने दी थी क्योंकि उनके अनुसार श्री गांधी ही इस मामले को देख रहे थे।

श्री इन्द्रमोहन ने श्री गांधी से भेंट के दौरान कहा था कि पहले पाईवालान योजना पूरी कर ली जाए और इस बीच लोगों को किसी दूसरे स्थान पर भेज दिया जाए। परन्तु श्री गांधी ने इस प्रस्ताव को यह कहकर ठुकरा दिया कि 'एक बार एमरजेंसी हटी नहीं और ये लोग वापस आए नहीं। मैं इस योजना पर लगने वाले एक करोड़ ८० लाख रुपये का रिस्क नहीं ले सकता।' श्री गांधी ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि इस इलाके के निवासियों और दुकानदारों को वहीं जाना होगा जहां हम उन्हें बसाना चाहेंगे।

दिल्ली में एक और पाकिस्तान

श्री इन्द्रमोहन ने इस सम्बन्ध में गृहराज्यमंत्री श्री ओम मेहता और श्री जगमोहन से भी मुलाकात की। श्री जगमोहन ने उन्हें बताया था कि इस समुदाय को शहर के विभिन्न भागों में तितर बितर करना आवश्यक है। श्री इन्द्रमोहन के अनुसार श्री जगमोहन कहा करते थे कि दिल्ली में एक और पाकिस्तान बरदाश्त नहीं किया जा सकता।

श्री जगमोहन ने इस सम्बन्ध में श्रीमती गांधी के विशेष दूत श्री मोहम्मद यूनुस से हुई मुलाकात का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि इन सभी मुसलमानों को जो जामा मस्जिद के इमाम का समर्थन करते हैं धक्का देकर शहर से बाहर निकाल देना चाहिए।

श्री इन्द्रमोहन की इस दौड़ धूप का जो परिणाम सामने आया वह था भारत सुरक्षा कानून के अन्तर्गत उनकी गिरफ्तारी।

एमरजेंसी के दौरान सरकार द्वारा चलाए जा रहे परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत की जा रही जबरन नसबन्दी और फिर मकान गिराने के नोटिसों ने तुर्कमान गेट इलाके के लोगों को

वेचन करने के साथ आधित भी कर दिया था। कुछ उसके फल स्वरूप और कुछ समाजविरोधी तत्वो की कारगुज़ारिया के कारण पुलिस को वहा १६ अप्रल १९७६ को गोली चलानी पडी। शाम को चली गोली की घटना को अभी थोडी देर ही हुई थी कि प्राधिकरण के बुलडोजरो ने अपना काय प्रारम्भ कर दिया जो शाम के धुधलके से प्रारम्भ होकर रात तक चलता रहा।

विवादास्पद बयान

गोली चलाने की घटना और मकान गिराने के मामले पर आयोग म इतने विवादास्पद बयान दिए गए जिनसे पता लगाना मुश्किल था कि क्या सही है और क्या गलत। गोली चलाने के मामले म दिए गए बयानो म यह पता लगाना मुश्किल था कि गोली चलाने के आदेश किसने दिए वही मकान गिराए जाने के बारे म यह कहना मुश्किल था कि श्री टमटा सही बोल रहे हैं या श्री जगमोहन।

जहा तत्कालीन पुलिस उपमहानिरीक्षक (रेंज) श्री पी० एस० भिण्डर ने इस आरोप से माफ इकार किया कि उन्होने गोली चलाने का कोई आदेश दिया था तथा उस दिन वहा किसी पुलिस दल का नतत्व किया था वही अपराध शाखा के पुलिस उपअधीक्षक श्री अविनाश चद्र का कहना था कि श्री भिण्डर ने न केवल वहा पुलिस दल का ही नेतत्व किया था बल्कि गोली चलाने का आदेश भी दिए। श्री भिण्डर का कहना था कि 'उस दिन तो मैं चोट लगने के कारण चलने फिरने की स्थिति म भी नही था, वहा पहुचने का तो सवाल ही नही था।'

सी० आर० पी० द्वारा अमानवीय व्यवहार

दिल्ली सशस्त्र पुलिस की पहली बटालियन के तत्कालीन कमाडेंट श्री एन० के० सिंह ने इस बात से साफ इकार किया कि उन्होने अपनी पिस्तौल से कोई गोली चलाई थी। उनका कहना था कि स्थिति उस समय इतनी तनावपूण हो गइ थी उनको अपने राइफलमैन से हवा म गोलो चलाने को कहना पडा। उन्होने इस बात की पुष्टि की कि सी० आर० पी० के जवानो द्वारा गोली से घायलो के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया था।

महिलाओं की बेइज्जती

तुर्कमान गेट इलाके के बहुत से नागरिकों ने आयोग को बताया कि किस प्रकार से उनके मकान गिराए जाने के साथ-साथ उनके परिवारजनों को परेशान किया गया लूटा गया और महिलाओं की बेइज्जती की गई। इन निवासियों के अतिरिक्त इस इलाके से चुने गए महानगर परिषद के सदस्य श्री राजेश शर्मा ने भी इस बात की पुष्टि की।

आमू बहाती कई महिलाओं ने बताया कि पुलिस ने घर घर में घुसकर मारपीट की औरतों को बेइज्जत किया और कुछ महिलाओं के जेवर तक छीन लिए गए।

महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने के बारे में जामा मस्जिद थाने के सहायक सब इंस्पेक्टर श्री गोविंदराम भाटिया ने भी पुष्टि करते हुए कहा कि एक सिपाही श्री रविभानसिंह ने उन्हें बताया था कि उसने सी० आर० पी० के कुछ जवानों को एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार करते देखा था परंतु उसके हस्तक्षेप करने पर वे उसमें सफल नहीं हो सके।

योजना ही गैरकानूनी थी

तुर्कमान गेट इलाके के सौंदर्यकरण की जिस योजना के नाम पर यह विनाशलीला की गई थी वह भी गैरकानूनी थी। दिल्ली के भूतपूर्व अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक श्री सईदुश शफी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि इस इलाके के विकास के लिए बनाई गई किसी भी योजना को पूर्ण स्वीकृति नहीं मिली थी और ऐसे ही कार्य प्रारंभ कर दिया गया था। उनका कहना था कि शाहजहांबाद (जहां इमारतें गिराई गई) इलाके में प्रस्तावित ४४ मंजिली इमारत न केवल उस इलाके की बल्कि नई दिल्ली की पुरातन कला के भी अनुरूप नहीं थी।

आपत्ति न करने पर इमारतें गिराई गई

प्राधिकरण के गंदी बस्ती विभाग के ... प्रमुख श्री एच० के० लाल जस्टिस शाह द्वारा ... पर भी यह स्पष्ट नहीं कर सके कि किस ... भी गिरा

न्या गया जो प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित नही की गई थी। श्री लाल इसका जवाब यही देते रहे कि उन्हें यही जानकारी थी कि य समस्त इमारतें प्राधिकरण म अतगत आती हैं और फिर इमारतें गिराते समय किसीने भी आपत्ति नही की थी कि यह इमारत प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित नही है तथा उनकी है। इसपर जस्टिस शाह ने कहा आप कल यहा बुलडोजर लेकर आएग तो क्या इस आधार पर इस पटियाला हाउस को गिरा देंगे कि कोई यह कहने वाला नही है कि यह उसका है ?'

श्री लाल इस बात का भी ठीक तरह स जवाब नही दे सके कि दिल्ली गेट स अजमेरी गेट तक की सात चरणो वाला इस योजना के कार्यान्वयन स पहल इसका सर्वे कराया गया था तथा इस बार म उपाध्यक्ष श्री जगमोहन की स्वीकृति भी ली गई थी।

जो कुछ किया, जनता की भलाई के लिए किया

श्री जगमोहन न अपनी सफाई म तुर्कमान गेट इलाके के पुनरुद्धार को सन १९२८ स १९७७ तक की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए यह बताने की चेष्टा की कि इस योजना पर जल्दबाजी म नही बल्कि काफी सोच विचार के बाद ही काय किया गया था। उन्होंने बताया कि १९२८ स ही इस योजना पर काम चालू हो गया था और इमारतो का अधिग्रहण हो गया था और जहा तक उनका खयाल है सभी इमारतो का अधिग्रहण हो चुका था।

उनका कहना था कि प्राधिकरण ने जो कुछ किया जनता की भलाई के लिए किया। उन्होंने कहा कि इस इलाके म १९ अप्रैल १९७६ को हुए गोलीकाड के लिए प्राधिकरण नही, बल्कि सरकार द्वारा चलाया जा रहा परिवार नियोजन कायक्रम दोषी था। उस इलाके की जनता इसलिए भडकी क्योकि वहा परिवार नियोजन शिविर म जबरन नसबन्दी की जा रही थी और फिर राजनीतिक नेताओ न भी इस अवसर का गलत फायदा उठाया।

दिल्ली नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त श्री टमटा ने आरोप लगाया कि तुर्कमान गेट इलाके में प्राधिकरण की ओर से की गई कारवाई के बारे में निगम को कोई जानकारी नही थी जबकि श्री जगमोहन न उनके आरोप का खडन करते हुए कहा कि समस्त काय श्री टमटा की जानकारी म था।

(ii) कापसहेडा गाव

इमारतें गिराने का सिलसिला यहीं समाप्त नहीं हुआ। जिले के दक्षिण में पालम-गुड़गांव सड़क पर एक गांव है कापसहेडा। यह गांव भारत की पहली छोटी कार बनाने की तैयारी में लगी श्री संजय गांधी की मारुति फैक्टरी से दो-तीन किलोमीटर दूर पहले स्थित है।

कार की रफ्तार धीमी करने के कारण

कहा जाता है कि श्री गांधी को यह गांव दो कारणों से पसंद नहीं था पहला तो यह है कि उनके फैक्टरी जाते समय गांव वालों के बच्चे सलत-सलत सड़क पर आ जाया करते थे जिससे उन्हें अपनी तेज रफ्तार से चली आ रही कार की गति को धीमी करना पड़ती थी और दूसरा यह है कि जहां इस गांव में इतने छोटे उद्योग पनप रहे थे वहीं उनकी फैक्टरी के पास के इलाके में कोई उद्योग नहीं लग रहे थे जबकि वे अपने उस इलाके को बड़े और छोटे उद्योगों के एक कम्पलेक्स के रूप में देखना चाहते थे। इन्हीं कारणों के फलस्वरूप सितम्बर १९७६ में इस गांव के कई उद्योगों और मकानों पर बुलडोजर चलवा दिया गया।

इस गांव की मेसर्स न्यू फोम रबर इंडस्ट्री नामक फर्म को जो लटेक्स रबड़ का सामान बनाया करती थी ११ और १८ सितम्बर १९७५ को बिना नोटिस और चेतावनी के गिरा दिया गया। इससे फर्म को ४ ३६ लाख रुपये का नुकसान हुआ। फैक्टरी के मालिकों ने जब इसके विरोध में श्री एस० एन० खन्ना की अदालत के दर वाजे खटखटाए और वहां से रोक के आदेश लाने में सफलता प्राप्त कर ली तो उन्हें प्राधिकरण द्वारा धमकी दी गई कि यदि उन्होंने मामला वापस नहीं लिया तो उन्हें मीसा के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मरता क्या न करता मामला वापस लेना ही पड़ा।

इसी प्रकार की घटना दिल्ली पेपर प्रॉडक्टस नाम की फर्म के साथ भी हुई। इसे १७ सितम्बर को गिराया गया था और बाद में उसे भी २३ तारीख को मामला वापस लेना पड़ा।

लेथ का काम करने वाले श्री रतिराम की वर्कशाप को भी

इसी तरह बिना नोटिस और चेतावनी के गिरा दिया गया। इसी तरह की घटनाएं दुग्गल इजीनियरिंग और इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज के साथ भी हुई। इन फक्टरियों के अतिरिक्त झुग्गी झोपड़ियों और अनेक मकानों को भी गिराया गया।

करुण गाथा

इस गांव के कई निवासियों ने अपनी करुण गाथा सुनाई। ७५ वर्षीय श्री रामकिशन ने बताया कि उसके १६ पक्के मकान ढहा दिए गए और मलवा ट्रकों में लदवाकर वहां से हटा दिया गया ताकि वहां मकान गिराने का नामोनिशान तक न रहे।

एक किसान श्री गंगादत्त ने रुंधे हुए गले से कहा कि जब उनका पारिवारिक मकान गिराया गया तो उनकी बहू यह देखकर बेहोश हो गई। उनका कहना था श्रीमान् श्रीमती गांधी के फार्म हाउस को बुलडोजर से गिरा देना ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे हमें न्याय मिल सकता है।

एक पैसे का झगड़ा

हरियाणा के वर्तमान शिक्षामंत्री कर्नल आर० एस० यादव ने बताया कि लगभग पचास बदमाशों के एक दल ने उनके ८२ वर्षीय पिता को गोली से मार दिया और उनके पेट में भी गोली लगी तथा पास खड़ा पुलिस का उड़नदस्ता यह सब देखता रहा। उन्होंने इसका कारण बताते हुए कहा कि उनके पेट्रोल पम्प से पेट्रोल लाने पर श्री संजय गांधी दो पैसा लीटर कमीशन चाहते थे, जबकि वे एक पैसा ही देना चाहते थे।

कर्नल यादव १९७५ की दीपावली की उस घटना को बताते हुए रो पड़े जब उन्हें अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ अपना फार्म हाउस खाली करना पड़ा था। उन्होंने कहा श्रीमान जीवन भर अपनी मातृभूमि की सेवा करने का मुझे यह फल मिला था।'

प्राधिकरण के कार्यकारी अधिकारी श्री रणवीरसिंह ने आयोग को बताया कि कापसहेड़ा में इमारतें गिराने का कार्य दिल्ली नगर निगम द्वारा किया गया था हमने तो सिर्फ उनकी सहायता की थी। निगम की ओर से उन्हें कहा गया था कि आपको इन-इन इमारतों को गिराना है' और हमने यही किया। हमने ३४ में से २६ १२

इमारतें ही गिराई थी।

इस सम्बंध म प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री जगमाहन का कहना था कि श्री टमटा ने उन्हें फोन कर इस गाव म इमारतें गिराने के लिए प्राधिकरण का दस्ता भेजने को कहा था। इसपर आयोग म बठे श्री टमटा न तुरत उठते हुए कहा 'श्रीमान्' यह सरासर झूठ है। श्री जगमोहन न बाद म बताया कि हो सकता है, फोन श्री टमटा न नही किया हो। इन्होंने नहीं तो इनके किसी अधिकारी ने किया होगा।

सजय क आदेश न मानने पर निलम्बन का डर

श्री टमटा न बताया कि इस गाव म मकानात गिराए जाने का काय श्री गाधी की इच्छानुसार किया गया था। उनका कहना था कि उनके तथा उनके अधिकारियो को धमकाया गया, तथा उन्हें स्वय डर था कि यदि उन्होंने श्री गाधी के आदेशो का पालन नहीं किया तो उन्ह निलम्बित कर दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि एमरजेंसी के दौरान व पूण रूप से श्री गाधी की देख रेख तथा नियत्रण म काय कर रहे थे। एमरजेंसी की घोषणा के तुरत बाद तत्कालीन उपराज्यपाल के निजी सचिव श्री चावला ने उनसे कहा था कि 'उपराज्यपाल चाहते हैं कि आप श्री गाधी के आदेशो का पालन करें।'

मुगलियाई कानून

श्री टमटा के अनुसार, उन दिना मुगलिया' तरीके का कानून था। श्री गाधी द्वारा कई अधिकारियो का तग किया गया था तथा धमकिया दी गई थी। उन्होंने कहा 'श्रीमान वह सिफ नौकरी का नही बल्कि जीवन मत्यु का सवाल था। मुझे धमकी दी गई थी कि मुझ मीसा म गिरफ्तार कर लिया जाएगा।' उन्हें तथा उनके अधिकारियो को बता दिया गया था कि दिल्ली के मामलो का नियत्रण तथा देख रेख का काय श्री गाधी के उच्च पद पर जाने हेतु एक प्रशिक्षण क समान है।

(iii) अर्जुन नगर बनाम अर्जुनदास

दक्षिण दिल्ली म सफदरजग इलाके म एक बस्ती है/थी अजुन नगर। एमरजसी म मकान गिराने क दौर म इस बस्ती का भी उजाड दिया गया था। दिल्ली म अनेक स्थाना पर गिराए गए मकाना क समान इस बसी-बसाइ बस्ती का उजाडने म भी श्री सजय गाधी का अप्रत्यक्ष हाथ था।

इस बस्ती म लागो न १६५८ से ही मकान बनाने प्रारम्भ कर दिए थ। हालाकि यहा हो रहा समस्त निर्माण-काय गरकानूनी था परन्तु दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इस नियमित करन पर विचार किया जा रहा था। प्राधिकरण न ८ फरवरी, १६६५ के अपने एक प्रस्ताव मे इस बस्ती की योजना की रूपरेखा तयार करना स्वीकार कर लिया था तथा १६७०-७१ म यहा सीवर और पानी की लाइनें डाल दी थी। यहा के प्रत्येक मकान के लिए १५ रुपय प्रति गज की दर स विकास शुल्क भी वसूल किया गया था। इन सबके बावजूद इस सितम्बर-अक्तूबर १६७५ और ६ जनवरी १६७६ को उजाड दिया गया।

इस दौरान कुल १२१५ मकान गिराए गए, जिनम पक्क कच्चे आध पक्के मकान और झुगिया शामिल थी। यह कायवाही न सिफ बिना नाटिस के की गई बल्कि अदालत द्वारा इसपर दिए गए रोक के आदेश की भी परवाह नही की गइ।

पक्के मकान भी गिराए गए

साढे तीन लाख रुपय की लागत स बन एक तीन मंजिले मकान को भी इस कायवाही के दौरान गिरा दिया गया और जब मकान मालिक श्री रतन जाशी द्वारा अदालत स राक का आदेश लाया गया तो उसका भी पालन नही किया गया। इसपर श्री जाशी ने जो रेलवे म काय करते थे प्राधिकरण तथा उसक उपाध्यक्ष पर अदालत की मानहानि का मुकदमा दायर किया जिसपर उन्हे गिरफ्तार कर लिया गया। श्री जाशी क अतिरिक्त एक अन्य मकान मालिक श्री शर्मा का भी गिरफ्तार किया गया।

इस बस्ती को गिरान क पीछे सबस बडा हाथ श्री सजय गाधी क मित्र अजुनदास का बताया जाता है। श्री अजुनदास न सबस

पहले अपने रहने के मकान को गिरवाया और बाद में अन्य मकानों को गिरवाने में भी सहायता दी। श्री अर्जुनदास जिस मकान में रहते थे वह उनका नहीं था बल्कि वे वहां किरायेदार के रूप में रहते थे।

प्राधिकरण के अनुसार इस बस्ती में जिन १२१५ मकानों को गिराया गया था, उनमें से ३२७ परिवारों को दूसरी जगह मकान दे दिए गए थे। इनमें श्री अर्जुनदास को, जिनका वहां कोई मकान नहीं था और जो किरायेदार के रूप में रहते थे तथा उनके परिवार के सदस्यों को १३ मकान दिए गए। इनमें से ११ तो दक्षिण दिल्ली में और २ राजौरी गार्डेन में दिए गए। यह स्पष्ट नहीं हो सका कि श्री अर्जुनदास उनके पिता तथा उनके भाइयों को जो मकान दिए गए वे किरायेदार की हैसियत से दिए गए थे अथवा मकान मालिक की हैसियत से।

राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण मकान गिराए

प्राधिकरण के कार्यकारी अधिकारी श्री एस० पी० सक्सेना के अनुसार मकानात गिराए जाने की यह कार्यवाही संसद सदस्य श्री शशिभूषण तथा महानगर पार्षद श्री अर्जुनदास के बीच व्याप्त राजनीतिक विरोध के कारण हुई। श्री शशिभूषण ने इस बस्ती के निवासियों को आश्वासन दिया था कि उनके मकान नहीं गिरने दिए जाएंगे। श्री अर्जुनदास ने श्री संजय गांधी को अपने विश्वास में लेकर यह कार्यवाही कराई।

मकान गिराने की इस कार्यवाही का निर्णय श्री जगमोहन की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में लिया गया था। श्री जगमोहन ने कहा था कि यह कार्यवाही जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है क्योंकि इससे वहां के निवासी कानूनी कार्यवाही का सहारा नहीं ले सकेंगे। श्री जगमोहन ने बैठक में यह भी कहा था कि इस पर तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो जानी चाहिए क्योंकि यह प्रतिष्ठा का सवाल है तथा इसका निर्णय उच्च स्तर पर लिया गया है।

तीन घंटे का नोटिस

श्री सक्सेना ने बताया कि उन्होंने मकान गिराए जाने वाले दस्ते का नेतृत्व किया था तथा निवासियों को सिर्फ तीन घंटे का

नोटिस दिया गया था, उनके अनुसार श्री अर्जुनदास द्वारा दबाव डाल जान के कारण ही उनको तथा उनक परिवारजना का १३ मकान दिए गए। जस्टिस शाह ने उनस जानना चाहा कि क्या यह गर कानूनी नही था इसपर श्री सक्सना न कहा, "श्री अजुनदास महानगर परिषद क अध्यक्ष थे उनकी बात तो माननी ही पडती यदि कोई ससद सदस्य भी कहता तो उसकी भी बात मानी जाती।'

जगमोहन मुकरे

प्राधिकरण क उपाध्यक्ष श्री जगमोहन इस बात से साफ मुकर गए कि श्री अजुनदास तथा उनके परिवार के अय सदस्यो का अजुन नगर म गिराए गए मकाना के एवज म १३ मकान दिए जान म उनका कोई हाथ था। उनका कहना था कि जब तक वे प्राधिकरण म उपाध्यक्ष रहे उ ह इस बारे मे कोई जानकारी तक नही थी।

उन्हान इस बात स भी इकार कर दिया कि व व्यक्तिगत रूप स श्री अजुनदास का जानत हैं। पर वे इस बात से सहमत थे कि हो सकता है एक दो बार उनकी भेंट प्रधानमत्री निवास पर तथा किसी प्रतिनिधिमडल क साथ हुई हो। उहाने स्वीकार किया कि मकान दन क सबध म उनके हस्ताक्षरा से यह काम किया गया होगा परतु उस सूची म अय १४५ लोगा क नाम भी थे और उन्होंने नाम नहा देखे थ कि किस किसको मकान दिए जा रहे हैं। जहा तक एक ही मकान की एवज म तरह मकान दिए जाने का सवाल है, यह असाधारण बात नही थी। श्री जोशी के जिनका तीन मजिला मकान गिरा दिया गया था किरायेदारा को भी १३ मकान दिए गए थ तथा दो अय मामलो म स एक म नौ और एक म बारह मकान दिए गए।

(iv) अधेरिया मोढ

एमरजेंसी के दौरान प्रधानमत्री के परिवार क सदस्या की निगाहा मे किसी चीज क खटकने का क्या परिणाम हो सकता है इसका पता महरौली के पास अधेरिया मोढ पर स्थित ७० दुकाना

तथा कुछ आवासीय मकानो को गिराए जाने की कार्यवाही से चल जाता है। कापसहेडा गाव मे मकान गिराए जाने जस कारण की तरह यहा भी इन दुकानो तथा मकानो को श्री सजय गाधी की निगाहो का शिकार होना पडा।

रास्ते की रुकावट

श्री गाधी तथा उनके परिवार के अन्य सदस्य जब महरौली स्थित अपने फाम पर जाया करते थे तब अधरिया मोड पर स्थित एक निजी भूमि पर बनी ये पुरानी दुकानो और कुछ आवासीय मकान एक तरीके से उनके रास्ते की रुकावटें थी।

श्री गाधी के निर्देश पर दिल्ली नगर निगम के आयुक्त श्री बहादुरराम टमटा ने उस क्षेत्र के सहायक आयुक्त (ग्रामीण) श्री ओ० पी० गुप्ता से २६ अक्तूबर १९७६ को इन्हे गिराने को कहा और २८ अक्तूबर और १ नवम्बर को इनको गिरा दिया गया।

श्री गुप्ता के अनुसार उन्होने इसका विरोध किया था और श्री टमटा से कहा था कि बिना नोटिस उन्हे गिराना उचित नही होगा। इस सबध मे औपचारिकताए पूरी भी नही हो पाई थी कि २६ अक्तूबर को श्री टमटा ने पुन उन्हे आदेश दिया कि यदि तीन दिन के भीतर इन मकानो को नही गिराया गया तो उसके गभीर परिणाम भुगतने पडेंगे।

श्री टमटा ने आयोग को बताया कि उन्होने यह कार्यवाही श्री गाधी के निर्देश से की। उनका कहना था कि जब कभी भी श्री गाधी किसी क्षेत्र का दौरा करके लौटते, बहुत नाराज होते और उनसे अपमानजनक भाषा मे बात करते। इसी प्रकार एक बार महरौली क्षेत्र के दौरे के बाद उन्होने कहा कि इन निर्माणो को एक दिन मे गिरा दिया जाना चाहिए। उनके द्वारा यह कहने पर कि इसमे कुछ समय लगेगा क्योकि कुछ औपचारिकताए पूरी होगी। श्री गाधी ने यह स्पष्टीकरण पूरा सुना भी नही और बोले इस विशिष्ट तारीख तक यह काम हो जाना चाहिए अन्यथा क्षेत्रीय सहायक आयुक्त को नौकरी से हटा दिया जाएगा।

सजय की अहम की सतुष्टि के लिए

श्री टमटा ने बताया कि इन निर्माणो को गिराए जाने की

कारवाई श्री गाधी के अहम् की सतुष्टि के लिए की गई थी। एक वार इसी तरह म उन्होने पालम-गुडगाव सडक पर स्थित मकानो का एक निश्चित समय तक गिराने के लिए कहा था और धमकी दी थी कि यदि एसा नही हुआ तो क्षत्रीय सहायक आयुक्त को तो निलम्बित किया ही जाएगा और आपर (श्री टमटा) विरुद्ध भी इसी प्रकार की कायवाहा की जा सकती है।

जनसघ को चदे देने पर बरबादी

दुकानें बरबाद करन की कायवाही यही समाप्त नही हुई, बल्कि ऐमा ही हाल करौल बाग के गफ्फार मार्केट का भी हुआ। इस मार्केट म जब बरबादी का जनाजा उठ रहा था, तब श्री सजय गाधी भी उसका मुआयना करने पहुचे। व्यापारियो द्वारा विरोध प्रकट करने पर उन्ह लताडा गया और कहा गया कि तुम सबन जनसघ का चदे दिए और उसक उम्मीदवार को जिताया, अब उसका फल भुगतो। दुकानें गिराए जान की इस कायवाही के विरोध म जिन पाच दुकानदारो ने अदालत स रोक के आदेश प्राप्त कर लिए थ उन्हें गिरफ्तार करन की धमकी दी गई जिनम से तीन को तो गिरफ्तार कर लिया गया और उन दो को छोड दिया गया जिन्होने अदालत स अपनी दरखास्तें वापस ले ली थी।

इसी प्रकार की जोर जबरदस्ती कर चादनी चौक म एसप्लेनेड क्षत्र म साइकल विक्रेताओ का झडेवालान जान पर मजबूर किया गया। इसके अतिरिक्त भगतसिंह मार्केट सुलतानपुर माजरा, सराय पीपलथला तथा समालखा गाव म मकान तथा दुकानें गिराने क साथ-साथ ग्रीन पार्क स्थित आय समाज मदिर को भी मिटटी म मिला दिया गया।

इन्दिरा गाधी के राज मे

दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारी श्री रणवीरसिंह ने आयोग की अतिम चरण की कायवाही म कहा कि उन्होने जो कुछ किया अपने अधिकारियो क आदश स किया।

उनका कहना था कि वे भी श्री बसीलाल के जो हरियाणा के मुख्यमत्री रह चुके थ, पीन्ति म से थ। उन्होने भरे हुए गल से कहा कि यदि इस सरकार ने उन्ह नौकरी स हटा दिया अथवा

निलम्बित कर दिया तो व वहाँ के नहीं रहेंगे। उनका कहना था कि ऐसी स्थिति म उनका उद्धार सिफ तभी हो सकेगा जब श्रीमती गाधी सरकार म आएगी, परन्तु यदि उनके साथ एक बार फिर श्री वसीलाल आ गए तो यह आशा भी नहीं रहगी।

श्री रणवीरसिंह का कहना था कि जाच ब्यूरो द्वारा आयोग के मामले तयार करने के लिए सभी फाइलें नहीं देखी गइ और सिफ उन्ही फाइलो को देखा गया तथा लोगो की गवाहिया ली गई जिनसे मामला बन सके। उन्होंने इस सबध म दोबारा जाच कराने का अनुरोध किया।

प्राधिकरण के तत्कालीन उपाध्यक्ष श्री जगमोहन ने श्री सिंह की इस शिकायत का समथन करते हुए कहा कि जाच ब्यूरो द्वारा उचित तरीके से जाच-पडताल नहीं की गई।

श्री जगमोहन ने श्री सिंह द्वारा किए गए सभी कार्यों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए कहा कि श्री सिंह ने जो कुछ किया उनके कहने पर किया और व स्वय उस काय के लिए जिम्मेदार है।

८ जनप्रचार-साधनो का दुरुपयोग

चुनाव-घोषणा से पूर्व

तानाशाह हिटलर के प्रचारमत्री गोबल्स का कहना था कि यदि एक झूठ को सौ बार बोला जाए तो वह भी सच नजर आने लगता है। सच और झूठ बोलने का काम प्रचार साधना के जरिये किया जाता है। समाचारपत्र रेडियो दूरदर्शन और पत्रिकाए आदि प्रचार-साधनो पर यदि एक ही व्यक्ति या सस्था का बोल वाला हो जाए तो वह जसा चाहे और जितना चाहे सच को झूठ और झूठ को सच कर सकता है।

देश म २५ जून १९७५ की मध्य रात्रि को इमरजेंसी लागू करने के तुरत बाद समाचारपत्रो तथा अन्य प्रकाशनो पर सेंसर शिप लागू कर दी गई जिसका मतलब था कि बिना सेंसरबोड की स्वीकृति के कोई समाचार अथवा लेख आदि प्रकाशित नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार के वार्डों की नियुक्ति केन्द्र तथा राज्यो म की गई। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार के सूचना और प्रसारण

मत्रालय के अतर्गत आने वाले आकाशवाणी दूरदर्शन और पत्र सूचना कार्यालय पर तो पहले से ही सरकार का नियत्रण था। एमरजेंसी की घोषणा के बाद इन सबपर सरकार का शिकजा और कसता गया और सरकार ने जसा चाहा इनका उपयोग किया।

एमरजेंसी के दौरान आकाशवाणी से श्री सजय गाधी के प्रचार के लिए १ जनवरी, १९७६ से १८ जनवरी १९७७ के बीच १९२ समाचार प्रसारित किए गए। इसके अतिरिक्त जहा दिसम्बर १९७४ म सत्तारूढ दल की ५७१ तथा विपक्ष की ५२२ लाइनें प्रसारित की गइ, वही दिसम्बर १९७६ म सत्तारूढ दल की २२०७ तथा विपक्ष की सिर्फ ३४ लाइनें प्रसारित की गइ।

एमरजेंसी का लाभ उठाते हुए समाचारपत्रा पर न सिर्फ सेंसरशिप लागू कर दिया गया था, बल्कि उनको कुछ विशेष लेख और सम्पादकीय प्रकाशित करने पर भी दबाव डाले जाने लगा। इस सबके परिणामस्वरूप देश की ६० करोड जनता को वही मालूम पडा जो सरकार ने उसको बताना चाहा, क्योंकि सूचना प्राप्ति का कोइ स्रोत तो बचा नही था सिवाय गुप्त रूप से सूचनाए प्रसारित करने के।

इनके अतिरिक्त एमरजेंसी के दौरान ही देश की चार सवाद समितिया को मिलाकर एक सवाद समिति समाचार' का गठन किया गया। समाचार' के गठन से सरकार का खबरा के वितरण पर शिकजा और भी कडा हो गया। एमरजेंसी के दौरान युवक काग्रेस को आकाश की ऊचाइया पर पहुचाने के लिए उसका पूरा प्रचार किया गया, यहा तक कि उसके लिए सरकारी गीत एव नाटक प्रभाग का भी उपयोग किया गया। हिंदी फिल्मा के प्रसिद्ध गायक किशोरकुमार के गीता के प्रसारण पर आकाशवाणी और दूरदशन पर प्रतिबध लगा दिया गया क्योंकि उन्होंने सरकारी कार्यक्रमा मे भाग लेने स इकार कर दिया था।

(१) अखबारों पर शिकजा—बिजली काटकर और सेंसरशिप लगाकर

प्रचार-साधना पर शिकजा कसने का काम २५ जून को मध्यरात्रि को एमरजेंसी की घोषणा के साथ ही प्रारम्भ हो गया था जब दिल्ली तथा कुछ राज्या की राजधानिया स निकलने वाले

समाचारपत्रों के कार्यालयों की बिजली काट दी गई थी। इसके पीछे उस समय एक ही उद्देश्य था कि दूसरे दिन समाचारपत्रों में उस रात हुई गिरफ्तारियों के बारे में कोई समाचार नहीं निकल सके।

अखबारों की बिजली प्रधानमंत्री के निर्देश से काटी गई

दिल्ली के उप राज्यपाल श्री कृष्णचंद ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि अखबारों की बिजली काट देने का फसला प्रधानमंत्री निवास पर हुई एक बैठक में लिया गया था। दिल्ली विद्युत संस्थान के तत्कालीन महाप्रबंधक श्री बी० एन० महरोत्रा के अनुसार २५ जून की रात्रि को उप राज्यपाल ने उनसे राजधानी के प्रमुख समाचारपत्रों की बिजली काटने के आदेश दिए थे। जब उन्होंने इसमें कुछ कठिनाई व्यक्त की तो उन्हें कहा गया कि रात्रि को दो बजे से पहले बिजली कट जानी चाहिए, क्योंकि यह आदेश प्रधानमंत्री से मिले हैं।

चंडीगढ़ के तत्कालीन आयुक्त का भी यही कहना था कि उन्हें रात्रि को ट्रिब्यून अखबार की बिजली काटने के आदेश दिए गए थे।

सेंसरशिप लगाकर सरकार का प्रचार

सेंसर के अंतर्गत समाचारपत्रों में सरकार की नीति से असहमतिपूर्ण खबरों और विचारों के प्रकाशन पर रोक लगा दी गई थी। श्रीमती गांधी ने जुलाई १९७५ में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में कुछ भारतीय भाषाओं की पत्रिकाओं पर कड़ी निगाह रखने के निर्देश दिए थे। इस बैठक में श्रीमती गांधी ने यह भी कहा कि विदेशों में प्रचार के लिए वहां की पत्रिकाओं आदि में छपने के लिए लेख भेजे जाएं और इसके लिए उन्हें प्रेरित किया जाए।

प्रधानमंत्री को प्रमुखता

तत्कालीन सूचना और प्रसारणमंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल ने २६ जून १९७५ को हुई एक बैठक में यह आदेश दिए कि मंत्रियों के व्यक्तित्व पर जोर न दिया जाए बल्कि प्रधानमंत्री को ही अखबारों में प्रधानता दी जाए। तत्कालीन प्रधान सूचना अधिकारी श्री बाजी को निर्देश दिए गए कि वे अखबारों को प्रधानमंत्री के वक्तव्यों

को ही प्रमुखता देने को कहें।

मत्रालय म तत्कालीन अतिरिक्त सचिव श्री के० एन० प्रसाद ने आयोग को बताया कि एमरजेन्सी के दौरान २५० पत्रकारो को गिरफ्तार किया गया था। उनके अनुसार, यह भी निश्चय किया गया था कि पत्रकारो को भारत सुरक्षा कानून क अतगत गिरफ्तार किया जाए परन्तु उनके बारे म सरकार को तुरत सूचित किया जाए।

श्री प्रसाद का कहना था कि श्री शुक्ल के निर्देशो के अनुसार, फरवरी १९७६ के अत म उन्हें पत्रकारो की एक सूची दी गई थी। इन पत्रकारो के रिकार्डों की जाच कर यह पता लगाने को कहा गया था कि कहा इनका किसी प्रतिबधित सगठनो से सबध तो नही है या वे सुरक्षा के लिए खतरा तो नही। इसक अतिरिक्त कुछ विदेशी सवाददाताओ को भी देश से चल जाने को कहा गया था क्योंकि वे सेंसर क नियमो का पालन नही कर रहे थे।

सजय राष्ट्रीय नेता

एमरजेन्सी के दौरान श्री सजय गाधी का रेडियो और दूरदशन पर अत्यधिक प्रचार किया गया। दूरदशन पर उनकी कलकत्ता यात्रा के प्रचार पर ८ ३३ लाख रुपये खच किए गए। उन्हे युवा नेता ही नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय नता के रूप म प्रकट करने की हिदायत दी गई थी।

विधि मत्रालय की सलाह क विपरीत तत्कालीन सूचना और प्रसारण सचिव श्री वर्मा ने आदेश दिए थे कि परिवार नियोजन सबधी सभी खबरो को काट दिया जाए। न्यायाधीशों के फैसलों को सेंसर करने क बारे म विधि मत्रालय ने सावधानी बरतने की सलाह दी थी परन्तु इस मामले म भी मनमानी की गई।

गीता के उद्धरणो पर भी रोक

बम्बई की आपिनियन' पत्रिका के सम्पादक श्री ए० डी० गोरेवाला, साधना के सम्पादक श्री एस० एम० जोशी, हिम्मत के सम्पादक श्री राजमोहन गाधी तमिल पाक्षिक तुगलक' के सम्पादक श्री चो रामास्वामी, सेमिनार के सम्पादक श्री रमेश थापर, हिन्दुस्तान टाइम्स के भूतपूव सम्पादक श्री बी० जी० वर्गीज

तथा मेनस्ट्रीम के सम्पादक श्री निखिल चक्रवर्ती ने आयोग को दिए अपने बयानों में बताया कि उन दिनों गीता के उद्धरणों तक पर रोक थी। महात्मा गांधी पंडित नेहरू तथा रवीन्द्र नाथ ठाकुर के ही नहीं बल्कि स्वयं श्रीमती गांधी के उद्धरणों तक को छपने से रोक दिया गया था। इन सम्पादकों का कहना था कि उन दिनों सम्पादकीय कालम तक खाली नहीं छोड़े जा सकते थे तथा खाली जगहों में डैश आदि का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता था।

संजय के खिलाफ कोई खबर न छपे

श्री चक्रवर्ती ने बताया कि श्री शुक्ल ने उनसे कहा था कि श्री संजय गांधी के विरोध में कोई खबर नहीं छापी जाए। मुख्य सेंसर अधिकारी श्री डी० पेंढारकर ने तो यहां तक कहा था कि जो कांग्रेसी नेता श्री गांधी के विरुद्ध कोई बात कहे, उसका कोई समाचार नहीं छापा जाए।

उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के जमाने में भी अखबारों में सम्पादकीय कालमों को खाली छोड़े जाने पर प्रतिबंध नहीं था परन्तु एमरजेंसी के दौरान तो यह भी नहीं किया जा सकता था।

जासूसी और सुन्दरियां

श्री चक्रवर्ती ने बताया कि एमरजेंसी के दौरान पत्रकारों के आपसी वार्तालापों को टेप करने के लिए सुन्दरियों का प्रयोग किया गया। उन्होंने बताया कि जो भी पत्रकार श्रीमती गांधी के विरुद्ध सम्मेलन आदि में कोई बात कहता तो उनके आसपास मंडराती सुन्दरियां अपने बैग में रखे टेप रिकार्डरों से उनकी बातें टेप कर लेती और बाद में उस आधार पर उनको धमकाया जाता।

'माफिया' अभियान

श्री वर्गीज का कहना था कि सेंसरशिप का मुख्य उद्देश्य एमरजेंसी को स्वागत करना और पूर्व सेंसरशिप का उद्देश्य दहित करना तथा डराना धमकाना था। उन्होंने कहा कि सेंसरशिप तथा खबरों का अपने हिसाब से प्रबंध करने का कार्य अवैध तो नहीं परन्तु शुरू से आखिर तक मनमानीपूर्ण था। उनके अनुसार यह सब माफिया' जैसा अभियान था। उन दिनों मुख्य सेंसर-अधिकारी जो

कुछ कह देते थे वही कानून होता था।

जयप्रकाश का सम्भावित निधन और जीवन-चरित्र

सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पाक्षिक 'योजना' के सम्पादक श्री के० जी० रामकृष्णन ने आयोग को बताया कि श्री जयप्रकाश नारायण के अत्यधिक बीमार पड़ जाने से उनके निधन की सम्भावनाओं को देखते हुए आकाशवाणी ने उनका जीवन चरित्र तैयार कर लिया था, जिसका स्वयं श्री शुक्ल ने सम्पादन किया था। परन्तु सौभाग्य से उसके प्रसारण का मौका ही नहीं आया। उनका कहना था कि जीवन-चरित्र में श्री जयप्रकाश को पुरानी बीमारी से जर्जरित बताने की चेष्टा की गई थी, ताकि श्रोताओं को यह प्रतीत न हो कि उनका निधन नजरबंदी के दौरान दी गई यातनाओं के कारण हुआ है।

शुक्ल की सफाई

श्री शुक्ल ने आयोग के समक्ष स्वीकार किया कि उन्होंने भूतपूर्व प्रधान सूचना अधिकारी डा० ए० आर० बाजी से दिल्ली के समाचारपत्रों के सम्पादकों से मिलकर प्रधानमंत्री की खबरों तथा चित्रों के जरिये प्रचार कराने को कहा था। उनका कहना था कि यह निर्देश मंत्रालय की सामान्य पद्धति के अनुसार ही दिया गया था। उन्होंने कहा कि यह मंत्रालय का काम है कि वह प्रधानमंत्री तथा सरकार की छवि उभारने के लिए काम करे।

श्री शुक्ल का कहना था कि आज तक कभी भी पत्र सूचना कार्यालय का उपयोग विपक्षी दलों का प्रचार करने के लिए नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इसका काम सरकारी नीतियों और उपलब्धियों का प्रचार करना है और इसी आधार पर सरकार तथा प्रधानमंत्री का प्रचार-कार्य किया जाता है। यह आज ही नहीं, बल्कि पहले से होता रहा है।

पत्रकारों को सी० आई० ए० से धन

उन्होंने बताया कि देश के कई पत्रकारों तथा संस्थाओं को अमेरिका की गुप्तचर संस्था सी० आई० ए० से धन मिलता था। उन्होंने कहा कि प्रेस इंस्टीट्यूट आफ इंडिया के विरुद्ध कारवाई

करने का भी एक कारण यही था कि इस वहा स धन मिलता था। उन्हें यह सूचना भारत के गुप्तचर सगठन 'रा स मिली थी। इसके अतिरिक्त अमरिकी काग्रेस (ससद) द्वारा इस सबध म एकत्र की गई जानकारी म भी इस सस्था तथा श्री जनार्दन ठाकुर सहित कई पत्रकारो का सी० आई० ए० स सम्बद्ध होन का जिक्र किया गया था।

श्री शुक्ल ने स्वीकार किया कि उन्होने यह निर्देश दिए थ कि पत्रो के सम्पादकीय कालमो को खाली नही छोडा जाए क्योकि इसका तात्पय विरोध प्रकट करना हो सकता था। उन्होने कहा कि वे समझत थे कि ये निर्देश कानूनसम्मत हैं।

उन्होने बताया कि अखबारो पर सेंसर-सबधी मागदशन निर्देश उनके मत्रालय द्वारा तयार किए गए थे तथा उन्होने स्वय स्वीकृत किए थे। उन्होने कहा कि मागदशन निर्देशो का कानूनी तौर पर कोई महत्त्व नही था। यदि ऐसा होता तो इन्हे नियमो के रूप म जारी किया जाता। यह निर्देश अखबारो के सम्पादको की सहायता के लिए तयार किए गए थे तथा इन्हे तयार करते समय विभिन्न पत्रो तथा कई पत्रकारो स विचार विमश किया गया था।

जस्टिस शाह न पूछा 'क्या सेंसरशिप को अवध ठहराने के लिए गुजरात उच्च न्यायालय के निणय को प्रकाशित नही किए जाने के निर्देश उन्होने सेंसर-अधिकारी को दिए थे जबकि उच्च न्यायालय ने आदेश दिए थे कि फसले के प्रकाशन पर सेंसरशिप के अतगत रोक नही लगाई जाए ?'

श्री शुक्ल ने इसके जवाब म कहा सरकार ने उच्च न्यायालय के निणय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय मे अपील करन का निश्चय किया था। मैंने अधिकारियो से कहा था कि मेरे निर्देशो का कानून के अतगत पालन किया जाए और यदि कानून का उल्लघन हो तो उनपर अमल नही किया जाए।

श्री गाधी के प्रचार के सबध म श्री शुक्ल का कहना था कि उनकी कलकत्ता यात्रा के प्रचार के लिए उन्होने ही दूरदशन महा निदेशक को निर्देश दिए थे। उस समय न सिफ आकाशवाणी और दूरदशन ही बल्कि निजी समाचारपत्र भी श्री गाधी का काफी प्रचार कर रहे थे। ऐसी स्थिति म दूरदशन को भी उनकी यात्रा का पूरा कवरेज करने को कहा गया था।

(ii) अखबारों पर शिकंजा—विज्ञापनों के जरिये

एमरजेन्सी के दौरान अखबारों को सरकारी विज्ञापन देने के लिए उनका वर्गीकरण किया गया, जिसके अनुसार उन्हें तीन भागों में बाँटा गया—मित्र, तटस्थ और विरोधी। मित्र पत्रों को छोड़कर अन्य पत्रों को विज्ञापन रोकने अथवा बंद कर देने के आदेश दिए गए।

ज्यादतियों का नग्न तांडव

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डी० ए० वी० पी०) के एक अधिकारी (मीडिया एक्जक्टिव) श्री हरनामसिंह ने अखबारों के इस प्रकार में वर्गीकरण किए जाने की पुष्टि करते हुए बताया कि एमरजेन्सी के दौरान जनप्रचार-साधनों के उपयोग में ज्यादतियों का नग्न तांडव हुआ तथा हर क्षेत्र में दबाव डाला गया और मनमानी की गई।

उन्होंने बताया कि हर दिन उनके निदेशक स्वर्गीय श्री एन० के० सेठी कहा करते थे, 'यदि यह काम नहीं हुआ तो गर्दन कट जाएगी।' सम्भवतः यह बात कर्मचारियों को भयभीत करने के लिए कही जाती थी। श्री सिंह का कहना था कि एमरजेन्सी के दौरान कुछ पत्रों की विज्ञापन दरें एकदम बढ़ा दी गईं। नई पत्र पत्रिकाओं को विज्ञापन जारी करने के बारे में कानून-कायदों को उठाकर ताक पर रख दिया गया। जहाँ एक ओर नये पत्रों को उसके प्रकाशन के छः महीने बाद विज्ञापन दिए जाते थे वहाँ श्रीमती मेनका गांधी की पत्रिका सूर्य को उसके पहले अंक में ही विज्ञापन देने प्रारम्भ कर दिए गए।

डी० ए० वी० पी० के ही उपनिदेशक (विज्ञापन) श्री सी० एस० ग्रेवाल ने आयोग को बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की स्मारिका के लिए एक हजार रुपये प्रति पृष्ठ की दर से २० पृष्ठों के विज्ञापन स्वीकृत किए गए थे परन्तु स्मारिका की ओर से बिल दो हजार रुपये प्रति पृष्ठ की दर से दिए गए। इस बारे में जब श्री शुक्ल को सूचित किया गया तो उनके सचिव श्री सी० के० शर्मा ने इस बिल के भुगतान के निर्देश दिए जिनका पालन किया गया।

विजिटिंग काड पर आदेश

विनापन देन के बारे म एक रोचक प्रसग यह भी सामन आया कि विज्ञापन जारी करन के आदश न कवल मौखिक, बल्कि विजिटिंग कार्डों पर भी लिखकर दिए जाते थ।

नेशनल गाड क प्रबन्ध निदशक श्री अशोक वालिया श्री शुक्ल के पास विनापन लेने पहुचे। श्री शुक्ल न उन्ह श्री शर्मा के पास भेज दिया और उन्होने उन्ह डी० ए० वी० पी० के निदशक श्री सेठी के पास भेजा। श्री सेठी न श्री वालिया क विजिटिंग काड पर ही निर्देश देत हुए लिखा सूचनामत्री के निजी सचिव की इच्छानुसार कृपया इन्ह विनापन दे द।'

शुक्ल ने जिम्मेदारी ली

बाद म श्री शुक्ल न आयाग का दिए अपने बयान म कहा कि उन्होने विनापना के सम्बन्ध म जो भी आदेश दिए वे फाइला म देखे जा सकते है। उन्होने जो कुछ किया, अपने निणयानुसार किया। इसके अतिरिक्त व और कुछ नही कहना चाहते हैं। जहा तक काग्रेस स्मारिका के विनापना का स्वाल है उन्हे बताया गया था कि दर दो हजार रुपय प्रति पृष्ठ के हिसाब से ही भेजी गई थी।

(iii) समाचार का गठन

एमरजेन्सी की घोषणा क समय देश म चार सवाद समितिया काम कर रही थी। अग्रेजी भाषा म प्रेस ट्रस्ट आफ इडिया और यूनाइटेड न्यूज आफ इडिया तथा भारतीय भाषाओ म समाचार भारती और हिन्दुस्तान समाचार।

एमरजेन्सी की घोषणा के बाद स ही इन चारो एजेन्सिया पर तरह-तरह स दबाव डाले जान लग और श्री शुक्ल की ओर स कई बार कहा गया कि देश म इन चारो एजेन्सिया की बिखरती हुई वित्तीय स्थिति का सुधारने का एकमात्र विकल्प इन्हे मिलाकर एक ही समाचार एजेन्सी बना देना है।

इस दिशा मे पहला कदम १३ दिसम्बर १९७५ को उठाया गया जब मत्रिमडल म चारो एजेन्सियो को ससद म बिल लाकर

एक एजेंसी बनाने का प्रस्ताव रखा गया, परन्तु मन्त्रिमंडल ने उसे स्वीकार नहीं किया। ऐसा करने पर यह लगने की सम्भावना थी कि एमरजेन्सी पूर्ण रूप से सरकारी नियन्त्रण में रहेगी। श्री शुक्ल से इस मामले में कोई दूसरा तरीका ढूंढने को कहा गया।

इसके बाद चारों एजेंसियों को सूचित किया गया कि सरकार (आकाशवाणी) ने १ फरवरी १९७६ से उनकी सेवाएं न लेने का फैसला किया है। यहां यह बता देना उचित होगा कि इन चारों एजेंसियों की आय का प्रमुख स्रोत आकाशवाणी ही है। इसके बाद संचार मन्त्रालय से इन एजेंसियों के उन टेलीप्रिण्टर सर्किटों को काट देने को कहा गया जिनका भुगतान नहीं हुआ था। इसके साथ ही इन एजेंसियों से यह कहा जाता रहा कि भविष्य में इस प्रकार के परिणामों से बचने के लिए वे स्वेच्छा से एक एजेंसी का गठन करने पर सहमत हो जाएं।

२३ जनवरी, १९७६ को सोसायटी आफ रजिस्टेशन एक्ट के अंतर्गत 'समाचार' का गठन किया गया, जिसमें इन चारों एजेंसियों को अपना विलय करना था। १ फरवरी से इन एजेंसियों ने अपनी खबरें समाचार डेट लाइन से देना प्रारम्भ कर दिया।

सभी एजेंसियों के संचालक मंडलों ने देश में एक सुदृढ राष्ट्रीय संवाद समिति के लिए एक ही संवाद समिति के निर्माण की आवश्यकता मंजूर की और २ अप्रल, १९७६ से समाचार ने कार्य प्रबन्ध और अन्य गतिविधियों को अपने अंतर्गत ले लिया।

इस बीच श्री शुक्ल ने इस बात की तरफ इशारा किया कि इन चारों एजेंसियों के सर्वोच्च अधिकारियों को हटा दिया जाए। इस प्रक्रिया के रूप में प्रेस ट्रस्ट के श्री के० एम० रामचन्द्रन तथा यू० एन० आई० के श्री जी० जी० मीरचन्दानी को हटा दिया गया। समाचार के गठन के बाद समाचार भारती के प्रमुख सम्पादक श्री धर्मवीर गांधी को भी अपने पद से स्वेच्छापूर्वक त्यागपत्र देने के लिए बाध्य किया गया। हिन्दुस्तान समाचार के सचिव श्री बालेश्वर अग्रवाल को समाचार में कोई स्थान नहीं दिया गया, यद्यपि वे वहां जाते रहे।

यू० एन० आई० के अध्यक्ष डाक्टर राम तरनेजा ने आयोग को बताया कि यू० एन० आई० के साथ आकाशवाणी का समझौता अप्रल, १९७३ में समाप्त हो गया था। काफी विचार विमर्श के

बाद जून १९७५ म दोनो के बीच एक नया समझौता हुआ लेकिन उसके कार्यान्वय के पूर्व ही एमरजेन्सी की घोषणा हो गई और जुलाई-अगस्त से ही श्री शुक्ल ने एक सवाद समिति के लिए दबाव डालना प्रारम्भ कर दिया।

डाक्टर तरनेजा का कहना था कि यू० एन० आई० को आकाशवाणी से शुल्क के रूप म १५ लाख रुपये लेने थे, फिर भी बकाया किराये के बहाने उनकी टेलीप्रिण्टर लाइनें काट देने की धमकी दी गई जबकि यह बकाया राशि बहुत ही कम थी। इस बीच श्री शुक्ल उनपर निरतर एक ही एजेंसी बनाने के लिए दबाव डालते रहे। परन्तु यू० एन० आई० के बोर्ड ने अपनी २१ नवम्बर की बैठक में इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ६ सितम्बर को मत्रालय ने एक पत्र लिखकर इसपर पुन विचार करने को कहा जिसके उत्तर म १० दिसम्बर को हुई बोर्ड की बैठक म परिस्थितियो को ध्यान म रखते हुए एक एजेंसी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया।

विलय जोर-जबरदस्ती से

पी० टी० आई० के अध्यक्ष श्री पी० सी० गुप्ता ने बताया कि समाचार का गठन अनुचित दबाव तथा सूचना और प्रसारण मत्रालय की ओर जबरदस्ती से किया गया।

समाचार के अध्यक्ष श्री जी० कस्तूरी ने आयोग को बताया कि उन्हें जनवरी म किसी समय श्री शुक्ल ने फोन कर समाचार के बारे म बताया था। उन्होने इसका अध्यक्ष बनना इसलिए स्वीकार किया था क्योंकि उन्हें आशा थी कि इससे देश को एक सुदृढ स्वतत्र एव निष्पक्ष समाचार एजेंसी मिल सकेगी।

उनका कहना था कि यह सही है कि समाचार के गठन म सरकार का मुख्य हाथ रहा था परन्तु यह कहना गलत होगा कि उन्होंने समाचार के प्रबन्ध के बारे म कभी भी सरकार से कोई आदेश लिए थे। कभी कभी सरकार द्वारा सुझाव जरूर दिए गए थे परन्तु सभीको माना नहीं गया।

सरकार का कोई दबाव नहीं

श्री शुक्ल ने आयोग को बताया कि आकाशवाणी तथा सरकारी

विभागो म एजेंसियो के टेलीप्रिण्टर इसलिए काट दिए गए थे, क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि एजेंसियां वित्तीय सहायता के लिए सरकार पर निभर रह। सरकार के एजंसियो क साथ किए गए समझौत समाप्त हो चुके थे तथा नय समझौते हुए नहीं थे, इसलिए उन्ह सिफ तदथ राशि दी जा रही थी।

उनका कहना था कि समाचार के गठन स पूव इन एजंसियो की हालत और भी खराब थी तथा व प्रत्यक काय क लिए सरकार की आर ताकती रहती थी। श्री शुक्ल न कहा कि श्री रामचन्द्रन तथा श्री गिरचन्दानी का कायकाल तो पहल ही समाप्त हो चुका था तथा वे बढाई गई अवधि म काय कर रह थ इसीलिए उन्ह हटा दिया गया था।

(IV) गीत एव नाटक प्रभाग

सूचना और प्रसारण मत्रालय क गीत एव नाटक प्रभाग के कलाकारो का उपयोग सरकारी कायक्रमो तथा सरकारी स्तरो पर आयोजित कायक्रमो म ही किया जाता ह परन्तु एमरजेंसी के दौरान इसके कलाकारो का उपयोग युवक काग्रेस क कायक्रमो म भी किया गया।

युवक काग्रेस द्वारा आयोजित कुछ शिविरो म इस प्रभाग के कलाकारो को ले जाया गया जहा उन्होने अपने कायक्रम प्रस्तुत किए।

तत्कालीन सूचना और प्रसारणमत्री श्री शुक्ल न आयोग के समक्ष इसका स्पष्टीकरण देते हुए बताया कि कोई भी गर-सरकारी सस्था मत्रालय स अनुरोध कर इन कलाकारो की सवाए प्राप्त कर सकती है इसक लिए उसको कुछ भुगतान करना पडता है। इस प्रकार युवक काग्रेस क शिविरो म इन कलाकारो क उपयोग स कोई गर-कानूनी काय नहीं हुआ था।

(V) किशोरकुमार के गीतों पर प्रतिबन्ध

एमरजसी के दौरान ही हिन्दी फिल्मो के प्रसिद्ध गायक किशोरकुमार के गीतों पर भी आकाशवाणी और दूरदशन पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। इसका कारण यह था कि उन्होंने श्रीमती गांधी के २० सूत्री कायक्रम म सहयोग दन तथा युवक काग्रेस द्वारा आयोजित एक कायक्रम म भाग लन स इनकार कर दिया था।

समर्थन में प्रत्येक समाचार दिया गया।

(i) 'त्यागपत्र' बनाम 'दल-बदल'

२ फरवरी १९७७ को रक्षामंत्री श्री जगजीवनराम ने मंत्रिमंडल तथा कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। श्री जगजीवनराम ने इस बात की घोषणा एक संवाददाता सम्मेलन में की।

'समाचार' द्वारा श्री जगजीवनराम के त्यागपत्र के सम्बन्ध में एक समाचार कुछ ही देर बाद जारी किया गया कि 'श्री जगजीवनराम ने कांग्रेस तथा मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया है।' परन्तु उसके बाद उसकी टेलीप्रिंटर मशीनें इस समाचार के बारे में काफी देर तक खामोश रहीं और जब यह समाचार पुनः दिया गया तो उसमें छपा था कि श्री जगजीवनराम ने दल बदल कर लिया है।

इसी प्रकार आकाशवाणी द्वारा अपने पहले बुलेटिन में इसे त्यागपत्र ही बताया गया था, परन्तु बाद के बुलेटिनों में इसे 'दल बदल' कर दिया गया।

समाचार तथा आकाशवाणी द्वारा प्रारंभ में श्री जगजीवनराम के त्यागपत्र के उल्लेख के बाद 'समाचार' के जनरल मैनेजर श्री डब्ल्यू० लजारस को तथा आकाशवाणी में समाचार सेवा के निदेशक श्री शंकर भट्ट को मंत्रालय में बुलाया गया जहां उनसे श्री शुक्ल ने 'त्यागपत्र' शब्द पर आपत्ति करते हुए इसे 'दल बदल' करने को कहा और उन्हीं के निर्देशानुसार बाद के समाचारों और बुलेटिनों में यह शब्द 'दल बदल' ही चला।

(ii) 'बॉबी' का टीवी पर प्रदर्शन

६ फरवरी १९७७ को दिल्ली के रामलीला मैदान में विरोधी दलों द्वारा एक आम सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें श्री जयप्रकाश नारायण तथा श्री मोरारजी देसाई सहित कई अन्य विपक्षी नेता भी बोलने वाले थे। ५ फरवरी को श्री शुक्ल के विशेष सहायक श्री वी० एस० त्रिपाठी ने उनके निर्देशानुसार दूरदर्शन के सहायक महानिदेशक श्री एन० एन० चावला को फोन पर निर्देश दिया कि दूसरे दिन टीवी पर 'वक्त' के स्थान पर 'बॉबी' फिल्म दिखाई जाए। उन्होंने कहा कि यदि फिल्म यहां उपलब्ध नहीं है तो

बम्बई स मगाने की व्यवस्था की जाएगी।

दिल्ली दूरदशन के सहायक निदशक श्री एम० पी० लल न बताया कि श्री त्रिपाठी के निर्देशानुसार पाच तारीख की रात्रि को दस बजे 'बाबी' फिल्म दिखाने के सम्बन्ध मे घोषणा की गई थी जबकि उस समय तक फिल्म की प्रिंट हमारे पास तक नहीं आई थी। काफी प्रयत्न के बाद फिल्म दिखाए जाने के समय से लगभग एक घटे पहल चादनी चौक स्थित एक डिस्ट्रीब्यूटर के यहा फिल्म की प्रिंट ढढी जा सकी, और समय की कमी के कारण नियमानुसार उसकी पूर्व जाच भी नही की जा सकी। उनका कहना था कि फिल्म दिखाने का समय छ के स्थान पर पाच बजे करन का निणय भी श्री त्रिपाठी के निर्देशानुसार ही किया गया था।

दूरदशन निदेशालय मे कायक्रम नियत्रक श्री शिवशकर शर्मा ने बताया कि उन्होने सुना था कि 'वक्त' के स्थान पर 'बॉबी' के प्रदशन को उचित ठहराने के लिए 'वक्त' की एक रील बर्बाद कर दी जाए। उन्होंने स्वय श्री चावला के इस सुझाव का विरोध किया था कि बाबी के प्रदशन को छ के स्थान पर पाच बजे करन क लिए यह नोट लिख दिया जाए कि फिल्म के बडा होने के कारण यह किया गया।

सभा मे कम लोगो के जाने के उद्देश्य से प्रदशन

श्री त्रिपाठी का इस सम्बध म कहना था कि उन्होने श्री शुक्ल के निर्देशानुसार ही श्री चावला से 'बाबी' फिल्म दिखान को कहा था। उन्होन स्वीकार किया कि सम्भवत यह इसलिए किया गया था, ताकि लोग शाम को विरोधी दलो द्वारा आयोजित आम सभा मे कम से कम सख्या म जाए। परन्तु उन्होने इस बात से इकार किया कि बॉबी दिखाए जाने को उचित ठहराने क लिए उन्होंने वक्त फिल्म की एक रील बर्बाद कर देने को कहा था।

श्री शुक्ल न स्वीकार किया कि 'वक्त' के स्थान पर 'बाबी' का प्रदशन करने के लिए उन्होने ही निर्देश दिए थे।

इसकी सफाई म उनका कहना था कि कुछ लोगो ने उनसे शिकायत की थी कि वक्त फिल्म म कुछ दश्य ठीक नही हैं इसलिए इसका प्रदशन नहा किया जाए यद्यपि यह सही है कि उन्होने स्वय यह फिल्म नही देखी थी। शिकायत करने वाले ही कुछ लोगो न

सुझाव दिया था कि 'वक्त' के स्थान पर 'वाबी' फिल्म दिखाई जाए, और इसीलिए उन्होंने यह निर्देश दिए थे। उनका कहना था कि 'वक्त फिल्म को बाद मे अन्य केन्द्रो पर भी नही दिखाया गया था।

(III) काग्रेस चुनाव घोषणापत्र का 'सरकारी' अनुवाद

१९७७ मे मार्च मे हुए लोकसभा के चुनाव के लिए एमरजेंसी का फायदा उठाते हुए काग्रेस द्वारा अपने चुनाव घोषणापत्र का विभिन्न भारतीय भाषाओ मे अनुवाद कराने के लिए डी० ए० वी० पी० तथा आकाशवाणी के अनुवादको का उपयोग किया गया।

७ फरवरी १९७७ को दोपहर मे लगभग दो बजे श्री शुक्ल के विशेष सहायक श्री वी० एस० त्रिपाठी ने आकाशवाणी समाचार सेवा के निदेशक श्री शकर भटट तथा डी० ए० वी० पी० के तत्कालीन निदेशक (स्वर्गीय) एन० के० सेठी को फोन कर कहा कि श्री शुक्ल चाहते हैं कि घोषणापत्र के अनुवाद के लिए उनके यहा के अनुवादको की व्यवस्था की जाए। उन्होने यह भी कहा कि मत्री महोदय चाहते है कि इस काय को तुरन्त कराने की व्यवस्था की जाए और उनके निर्देशो का तुरत पालन हो।

श्री सेठी तथा श्री भटट ने एक दूसरे से बात कर यह तय किया कि किस किस भाषा के कितने कितने आदमी आकाशवाणी अथवा डी० ए० वी० पी० के जाएगे। इसके पश्चात दोनो ओर के अनुवादको को विश्व युवक केन्द्र ले जाया गया जहा अनुवाद का काय ढाई-तीन बजे दोपहर मे प्रारम्भ होकर रात्रि को साढे दस ग्यारह बजे तक चलता रहा। इस पूरे काय को गुप्त रखा गया। इसके कुछ दिनो बाद ही समाचारपत्रो मे जनता पार्टी की एक खबर छपी कि डी० ए० वी० पी० तथा आकाशवाणी के अनुवादको का काग्रेस के चुनाव घोषणापत्र के अनुवाद के लिए दुरुपयोग किया गया है। चुनाव आयोग की किसी भी सम्भावित जाच से बचने के लिए जो-जो अनुवादक इस काय के लिए ले जाए गए थे उनसे इस बात के खडन पत्र लिखवाए गए कि उनका इस प्रकार के अनुवाद कार्यों से कोई सम्बन्ध नही था।

इस पूरे काय मे आकाशवाणी के ११ तथा डी० ए० वी० पी० के भी इतने ही अनुवादको ने भाग लिया। इसमे से आकाशवाणी के

अनुवादकों को १२५ रुपया या इसके लगभग राशि का भुगतान किया गया, जबकि डी० ए० वी० पी० के अनुवादकों को कुछ भी राशि नहीं दी गई।

आकाशवाणी के विभिन्न अनुवादकों ने (सहायक सम्पादकों) आयोग को बताया कि उनमें से अधिकांश को उनके घरों से यह कहकर बुलाया गया था कि कोई बहुत ही जरूरी काम है। जब वे कार्यालय पहुंचे तो उन्हें स्टाफ कार और टैक्सियों में युवक केन्द्र ले जाया गया।

डी० ए० वी० पी० के विभिन्न अनुवादकों को कार्यालय से ही यह कहकर ले जाया गया कि उनकी सेवाएं एक जरूरी तथा गोपनीय कार्य के लिए चाहिएं। ले जाने से पूर्व निदेशक श्री सेठी ने उनसे यह शपथ दिलवाई कि वे इस कार्य के बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे, क्योंकि यह बहुत ही गोपनीय है। डी० ए० वी० पी० के कुछ लोग बसों और टैक्सियों से युवक केन्द्र पहुंचे।

अनुवाद करते समय रात को देर होने की आशंका से सभी ने अपने-अपने घरों पर सूचित करने को कहा, और अधिकांश ने फोन के जरिये अपने घरों पर सूचना भी दी कि वे देर से आएंगे परन्तु किसी को भी यह नहीं बताने दिया कि वे कहां से बोल रहे हैं तथा क्या काम कर रहे हैं।

डी० ए० वी० पी० के जिन लोगों ने अनुवाद-कार्य में भाग लिया वे हैं—सर्वश्री डी० एन० स्वादिया जी० पी० सोहनी पी० के० त्रिपाठी बी० के० सोखिया, श्रीमती मुखर्जी एस० एन० सरना, कालन्वलू श्रीमती जे० मगम्मा, मी० आर० मंडल कृष्णा दास, (सभी सहायक सम्पादक) तथा एक सीनियर कापी राइटर श्री श्रीनिवासन।

आकाशवाणी के जिन सह-सम्पादकों तथा न्यूज रीडरों ने भाग लिया, वे हैं—सर्वश्री रामचन्द्र राव (समाचार-सम्पादक), एन० रहमान डी० के० ढोलकिया, ए० आर० रंगाराव, एच० के० रामकृष्ण श्रीमती इन्दु काले आर० एस० वेंकट रमन, कुमारी सुरेन्द्र-बला, कुमारी इवा नाग, श्रीमती एम० बला तथा श्री शंकर-नारायणन।

शर्मिन्दगी का पारिश्रमिक

आकाशवाणी के समाचार-सम्पादक श्री राव ने बताया कि उस समय वातावरण ही ऐसा था कि किसी काम के लिए इंकार करने का सवाल ही पैदा नही होता था । श्री राव ने बताया कि अनुवाद काय के पारिश्रमिक के रूप म उन्हे १२५ रुपये के लगभग राशि दी गई थी परन्तु वे उस समय इतने ज्यादा शर्मिन्दगी महसूस कर रहे थे कि उन्होंने उसे गिना भी नही और ज्योंही छुट्टियां मिली, वे सबसे पहले बद्रीनाथ की यात्रा पर गए और वहा वे रुपये चढा आए ।

इसपर आयोग के वकील काल खडालावाला ने कहा, क्या वे रुपये मन्दिर म चढाने से आपके पाप धुल गए ?

'पाप धुले हो या नही परन्तु इससे मेरी आत्मा को काफी शान्ति मिली है ।

भीड इकट्ठी करने के लिए बुलाया

आकाशवाणी के ही श्री ढोलकिया ने बताया कि जब उन्हे केंद्र ले जाया गया तभी उन्होने सोच लिया था कि कोई ऐसा वैसा काम ही होगा या फिर काग्रेस की कोई सभा होगी, जहा लोगो की भीड इकट्ठी करने की जरूरत पड गई होगी ।

इसपर श्री शुक्ल के वकील श्री राजेन्द्रसिंह ने कहा, क्या इससे पूर्व भी आप इसी प्रकार से काग्रेस की सभाओ म सख्या बढाने के लिए जाते रहते थे ?

'नही मैं गया तो कभी नही लेकिन मैंने ऐसा ही अपना विचार बनाया था ।'

एक वाक्य के अनुवाद मे चार घटे

डी० ए० वी० पी० के श्री सरना ने आयोग को बताया कि उन्हे अनुवाद काय का ३० वष का अनुभव है, परन्तु यह काम काम पर निर्भर करता है कि उसपर कितना समय लगता है । उन्होने इस सबन्ध म एक उदाहरण देते हुए बताया कि एमरजेंसी म उन्हे एक नारे का अनुवाद करना था— फारगट दी गवनमट एण्ड डू इट योर सेल्फ । इसका साधारण अनुवाद होता— सरकार को भूलिए अपना

काम स्वय करिए।' उन्ह इस अनुवाद मे चार-पाच घटे लग गए परन्तु जो अनुवाद हुआ, वह था, 'सरकार को राम राम, खुद सभालो अपना काम।'

जिरह के दौरान जहा आयोग के वकील सभी गवाहो से यह सिद्ध करा रहे थे कि उन्होंने यह काम इसलिए किया था कि उन्ह भय था कि इकार कर देने पर नौकरी से हटाया जा सकता था तथा इससे उनके परिवार पर गम्भीर आर्थिक सकट आ सकता था वही श्री शुक्ल के वकील श्री सिंह इन गवाहो से यही प्रश्न पूछकर यह सिद्ध करना चाहते थे कि नौकरी के डर से ही वे अब भी झूठ बोल रहे है और उस समय भी उन्होने जो कुछ किया, अपनी इच्छा से किया।

पूछताछ के कारण खडन-सम्बन्धी बयान

आकाशवाणी समाचार सेवा के निदेशक श्री शकर भटट का कहना था कि चुनाव आयोग द्वारा किसी भी सभावित पूछताछ को ध्यान म रखते हुए ही अनुवादको से खडन-सबधी बयान लिखवाए गए थ।

श्री भट्ट ने इस सब काय की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए कहा मैं कानून तो नही जानता फिर भी मैं उस समस्त काय की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हू, जो श्री मुशी तथा उनके अधीनस्थ अधिकारियो ने किए हैं।

मत्रालय म तत्कालीन सयुक्त सचिव श्री के० एन० प्रसाद ने इस बात से इकार किया कि उन्होंने श्री भटट तथा श्री सेठी से अनुवाद के सम्बन्ध म खडन सबधी बयान लिखवाने को कहा था।

श्री शुक्ल के विशेष सहायक श्री त्रिपाठी ने इस बात को एकदम गलत बताया कि उन्होंने अनुवाद के सबध म श्री भट्ट अथवा श्री सेठी को कोई निर्देश दिए थ। उनका कहना था कि उन्होंने इस प्रकार की खबरें जब अखबारो म पढी तो पहली बार उन्ह इस बारे म जानकारी हुई थी और उन्होंने इसस श्री शुक्ल को रायपुर फोन कर सूचित किया था, परन्तु उन्होंने कोई टिप्पणी नही की थी।

तीन दिन मे पालन

एमरजेंसी के दौरान सूचना और प्रसारण मत्रालय ने अपने

सभी विभागो को इस बात के लिखित आदेश दिए थे कि मंत्री महोदय द्वारा स्वय अथवा उनके किसी निजी सचिव और विशेष सहायक के जरिये दिए गए सभी मौखिक और लिखित आदेशो का तीन दिन मे पालन होना चाहिए।

ये तथ्य आकाशवाणी के महानिदेशक के महानिदेशक श्री चटर्जी द्वारा ३० जून १९७६ को अपने सभी केन्द्र निदेशको को लिखे गए एक पत्र की प्रतिलिपि से ज्ञात हुए। श्री चटर्जी ने लिखा था 'कुछ दिनो पूर्व मत्रालय द्वारा एक केन्द्र के कर्मचारी को दिल्ली स्थानातरित करने का निर्देश दिया गया था, परन्तु विभागाध्यक्ष यह काय नही कर सके और वे स्वय भी भूल गए। लगभग दो महीने बाद मत्रालय द्वारा इस बारे म जानकारी चाही गई और इससे उन्हे बडी कठिन स्थिति से गुजरना पडा।'

श्री चटर्जी ने आगे लिखा था कि 'मत्रालय द्वारा दिए गए आदेशो के अनुसार मत्री महोदय द्वारा स्वय अथवा उनके निजी सचिव और विशेष सहायक के जरिये दिए गए सभी मौखिक तथा लिखित आदेशो का तीन दिन के भीतर पालन हो जाना चाहिए। आदेशो का पालन न होने की स्थिति म सम्बधित व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उसके परिणाम भुगतने को तयार रहना चाहिए।'

चुनाव पोस्टर भी

काग्रेस के चुनाव घोषणापत्र के अनुवाद के अतिरिक्त चुनाव पोस्टरो को तयार करने म भी डी० ए० वी० पी० की सहायता ली गई थी। सीनियर कॉपीराइटर श्री श्रीनिवासन ने बताया कि उनसे श्री सजय गाधी के विशाल आकार के फोटो चित्र और चुनाव पोस्टर तयार करने को कहा गया था। इसके अतिरिक्त श्री शुक्ल के निर्वाचन-क्षेत्र के लिए भी पोस्टर बनाने का काय किया गया था।

इस सम्बध म डी० ए० वी० पी० के मुख्य विजुअलाइजर श्री जे० भट्टाचार्जी का कहना था कि तत्कालीन निदेशक श्री सेठी ने उनसे पाच पोस्टर बनाने को कहा था जो इस प्रकार थे—एक पोस्टर म श्री श्यामचरण शुक्ल के साथ श्रीमती गाधी को दिखाया गया था दूसरे म श्री विद्याचरण शुक्ल को श्रीमती गाधी के साथ तीसरे म श्री श्यामचरण शुक्ल अकेले चौथे मे, श्री विद्याचरण

शुक्ल अकेले और पाचवें मे श्रीमती गाधी अकेली दिखाई गई थीं।

उन्होने बताया कि उनको पोस्टरो के सम्बन्ध म मौखिक और लिखित दोनो आदेश दिए गए थे जिनकी पुष्टि फाइल देखकर की जा सकती है। पोस्टर बनने के बाद श्री सेठी उन्ह तथा आट एक्जूक्यूटिव श्री दत्ता गुप्ता को लेकर श्री शुक्ल के घर गए थे और उन्ह पोस्टर दिखाए थ। श्री शुक्ल ने इनम कुछ परिवतन करने का सुझाव दिया था। उन्होने इन पोस्टरो को परिवतन के बाद श्री सेठी को दे दिया था। उसके बाद इनका क्या हुआ—उन्ह मालूम नहीं।

(१४) हमला सजय गाधी और पुरुषोत्तम कौशिक पर

चुनाव घोषणा के बाद आकाशवाणी द्वारा जहा अमेठी म श्री सजय गाधी पर हुए कथित हमले के समाचार को तुरन्त दूसरे दिन सवेरे और उसके बाद के सभी समाचार बुलेटिनो म स्थान दिया गया वही रायपुर म श्री पुरुषोत्तम कौशिक पर हुए हमले के समाचार का जिक्र तक नही किया गया। श्री गाधी पर हुए हमने के सम्बन्ध म तो नेताओ की प्रतिक्रियाए तक दी गई थी।

शुक्ल के निर्देश मे

आकाशवाणी म समाचार सेवा के निदेशक श्री भटट का इस सम्बन्ध म कहना था कि १५ १६ माच की रात्रि को लगभग १ २ बजे के बीच उनके पास श्री शुक्ल की ओर से फोन आया था कि श्री गाधी पर हुए हमले का समाचार तुरन्त प्रसारित किया जाए तथा सवेरे तक उनपर हुए आक्रमण पर काग्रेस नताओ की प्रतिक्रियाओ को भी प्रसारित किया जाए जबकि दूसरी ओर श्री कौशिक पर हुए आक्रमण के बारे मे उनके पास निर्देश आए थे कि इस समाचार को नही दिया जाए। उन्होने जो कुछ किया श्री शुक्ल के निर्देशानुसार किया।

श्री शुक्ल ने अपने बयान मे स्वीकार किया कि उन्होने रायपुर म उनके विरुद्ध चुनाव लड रहे जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री पुरुषोत्तम कौशिक पर हुए हमले के समाचार को न देने के निर्देश दिए

थे।

इसका स्पष्टीकरण देते हुए उन्होंने बताया कि सरकार की नीति है कि चुनावों के दिनों चुनाव प्रचार के दौरान हुई हिंसक घटनाओं का प्रचार न किया जाए, क्योंकि इससे गलत वातावरण बनता है। इसके अतिरिक्त श्री कौशिक पर हुआ हमला वास्तव में उनपर नहीं हुआ था बल्कि उनके साथ बैठे एक राजनीतिक नेता पर किया गया था।

अलग अलग स्टैंडर्ड क्यों ?

इसपर श्री जस्टिस शाह ने जानना चाहा कि अमेठी में श्री संजय गांधी पर हुए आक्रमण को तो इतनी प्रमुखता से प्रसारित किया गया और श्री कौशिक पर हुए आक्रमण को बिलकुल गोल कर दिया गया आखिर एक ही जैसे दो मामलों में अलग-अलग स्टैंडर्ड क्यों ?'

श्री शुक्ल ने इसके जवाब में कहा श्री गांधी के समाचार को हमने ही नहीं बल्कि निजी समाचारपत्रों तथा अन्य प्रचार साधनों ने भी प्रमुखता दी थी, जबकि उसके मुकाबले श्री कौशिक पर हुए आक्रमण को बहुत कम प्रमुखता दी गई थी। उनका कहना था कि जब निजी प्रचार तंत्र द्वारा श्री गांधी को इतनी अधिक प्रमुखता दी जा रही थी तब भी हमने उसके अनुसार ही ऐसा किया यह तो जनरुचि की बात थी।'

(४) चुनावों की घोषणा और सेंसरशिप

जनवरी १९७७ में लोकसभा के चुनाव घोषित किए जाने के बाद से यद्यपि कहने के लिए सेंसरशिप के नियमों में ढील दे दी गई थी परंतु उनपर लगातार नज़र रखी जा रही थी। इस सबके पीछे एक ही उद्देश्य था कि जो समाचारपत्र इन दिनों सरकार का विरोध करेंगे उनके विरुद्ध चुनाव समाप्त हो जाने के बाद कारवाई की जा सकेगी।

चुनावों की घोषणा के बाद अखिल भारतीय समाचारपत्र सम्पादक सम्मेलन के साथ मिलकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक आचार-संहिता बनाई और यह तय किया गया कि समाचारपत्र इसका स्वेच्छा से पालन करेंगे। सम्मेलन की इस बैठक में देश

नल हेराल्ड के श्री चेलापति राव 'पट्रियट' के श्री एडता नारायणन, हिंदुस्तान टाइम्स के श्री हिरनमय कार्लेकर और समाचार' के श्री डब्ल्यू० लजारस शामिल थ। इस बैठक म मत्रालय के अधिकारियो के अतिरिक्त प्रधानमंत्री की ओर स उनके सचिव श्री पी० एन० धर तथा प्रेस सचिव श्री शारदाप्रसाद भी शामिल थे।

पत्र-पत्रिकाओ पर नजर

श्री शुक्ल न २१ जनवरी को अपने मत्रालय क वरिष्ठ अधिकारियो की एक बैठक बुलाकर निर्देश दिए कि देश के विभिन्न भागो म निकलन वाल सभी समाचारपत्रो और पत्रिकाओ पर सावधानी पूर्वक नजर रखा जाना आवश्यक है। इस सम्बध म कोई लिखित आदेश तो नही दिए गए थ परतु मत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियो के जरिये समाचारपत्रो के सम्पादको को इस सबध म चेतावनी जरूर दी गई थी।

मुख्य सूचना अधिकारी डा० एल० दयाल इस सबध म 'स्टटसमन' के सम्पादक श्री एस० सहाय तथा टाइम्स आफ इडिया क सपादक श्री गिरिलाल जन से मिल तथा उनके पत्रो म छप रही कुछ खबरो के प्रति उन्हे चेतावनी दी।

प्रधानमंत्री क प्रेस सलाहकार श्री शारदाप्रसाद के निर्देशानुसार प्रतिदिन अखबारो म छपन वाली खबरो की समीक्षा तयार की जान लगी। इसका एकमात्र उद्देश्य प्रेस क रुख पर नज़र रखना था।

सेंसरशिप में ढील बनाम सरो पर लटकी तलवार

स्टटसमन के श्री एस० सहाय 'टाइम्स आफ इडिया' के श्री गिरिलाल जन तथा 'हिंदुस्तान टाइम्स' के श्री हिरनमय कार्लेकर क अनुसार यद्यपि चुनावो की घोषणा के बाद सेंसरशिप म ढील दे दी गई थी तथापि वह ढील उस लटकी हुई तलवार के समान थी, जो कभी भी उनपर गिर सकती थी और ऐसा डर बराबर उन लोगो के मन म बना रहा था। उनका कहना था कि व जो कुछ छाप रह थे एक तरीके से अपनी जोखिम पर ही छाप रह थे, क्योकि मत्रालय के अधिकारियो के व्यवहार से साफ लग रहा था कि यदि चुनाव म सत्तारूढ पार्टी पुन सत्ता म आ जाती, जसीकि उस समय सभा

बना व्यक्त की जा रही थी, तो निश्चित रूप से उन्हें किसी भी हालत में नहीं बख्शा जाता।

इंडियन एक्सप्रेस' के उप मुख्यसम्पादक श्री अजीत भट्टाचार्जी का कहना था कि लोकसभा चुनावों की घोषणा के बाद एक राजनयिक समारोह में श्री डी० पेंटल ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा था कि यद्यपि सरकार समाचारपत्रों में छप रही आपत्तिजनक खबरों पर कोई कारवाई नहीं कर रही परन्तु यह याद रखा जाना चाहिए कि इनपर आपत्तिजनक सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत कारवाई की जा सकती है और इसका यह भी तात्पर्य नहीं है कि चुनावों के बाद कोई कारवाई नहीं की जाएगी। इस बार में अखबारों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

श्री भट्टाचार्जी ने बताया कि उनके जनरल मैनेजर श्री आर० के० मिश्र ने बताया था कि श्री प्रसाद ने उन्हें सूचित किया है कि सरकार इंडियन एक्सप्रेस द्वारा हरियाणा के दो गांवों में हुए अत्याचारों से संबंधित खबर छापने पर खुश नहीं है।'

श्री दयाल ने इस सम्बन्ध में बताया कि सरकार को इंडियन एक्सप्रेस तथा स्टेटसमैन में छप रही खबरों तथा लेखों पर काफी शिकायत थी। श्री शुक्ल ने उनसे कहा था कि 'स्टेटसमन' के संपादक से मिलकर उन्हें उनकी नाराजगी से अवगत करा दें। परन्तु वे स्वयं नहीं समझते थे कि उनके इस प्रकार से सम्पादक से मिलने के बाद स्टेटसमन अपनी सम्पादकीय नीति में परिवर्तन कर लेगा।

तीन फरवरी की बैठक के बाद श्री शुक्ल के निर्देशानुसार मंत्रालय के प्रमुख अधिकारियों की एक बैठक प्रतिदिन होती थी जिसमें समाचार के श्री लजारस और आकाशवाणी के श्री भट्ट को भी बुलाया जाता था। इस बैठक में प्रतिदिन की खबरों के मामले में समीक्षा की जाती थी तथा नीति निर्धारित की जाती थी कि किस प्रकार की खबरें देनी हैं और किस प्रकार की नहीं।

आकाशवाणी में समाचारों का सन्तुलन

चुनाव घोषणा के बाद से ही आकाशवाणी पर खबरें प्रसारित किए जाने के बारे में दबाव डाला जाने लगा था। २४ फरवरी को मंत्रालय के सचिव ने आदेश दिए कि कांग्रेस और विपक्ष की खबरों का अनुपात दो के मुकाबले एक होना चाहिए परन्तु यह अनुपात

वढते-वढते १२ स १५ मई के बीच साढे आठ के मुकावले एक हो गया।

इस सवध म आकाशवाणी के श्री भटट का कहना था कि जहा चुनावो की घोषणा के बाद समाचारपत्रा पर स सेंसर हटा लिया गया था वही आकाशवाणी पर यह और भी कडा हो गया था। उन्होने बताया कि जहा एक अवसर पर आकाशवाणी द्वारा काग्रेस को ५५ प्रतिशत तथा विपक्ष को ४५ प्रतिशत समय दिया जाता था वही यह फरवरी १७ स २३ के बीच तीन के मुकाबले दो के अनुपात म हो गया था और माच १२ से १५ के बीच तो यह बढकर आठ क मुकावल एक हो गया और अगले चार दिन तक यही चलता रहा।

काग्रेस हरिजना और पिछडे वर्गो के हितो की एकमात्र रक्षक

श्री भटट ने बताया कि इस प्रकार के निर्देश दिए गए थे कि समाचारो को इस तरह पश किया जाए जिसमे लगे कि सिफ काग्रेस ही ऐसा दल है जो पिछडे वग तथा हरिजना के हितो की रक्षा करन म समथ है।

'समाचार के श्री लजारस का कहना था कि सिफ श्री जगजीवनराम के त्यागपत्र से सम्बधित अवसर ही ऐसा था जब उन्हे सरकार की ओर स कोई निर्देश दिए गए थे। जहा तक मत्रालय की बैठको म उनके शामिल होने का सवाल है उन्होने ऐसा मत्रालय के सचिव के कहने पर किया था। उस बठक म मुख्यत पत्र सूचना कार्यालय और आकाशवाणी के लिए ही निर्देश दिए जाते थे। उन्होने इस बात को गलत बताया कि समाचार के लिए भी वहा कोई निर्देश दिए गए थे। उन्होने बताया कि वे १५ या २० बार उस बठक म भाग लेने गए थ, उसके बाद नही गए।

श्री लजारस ने इस बात को गलत बताया कि उन्होने अपन स्टाफ के लोगो का चुनाव समाचारों को देने से पहले उनसे स्वीकृत कराने को कहा था। उन्होने कहा कि यह हो सकता है कि कुछ समाचारो को उनको दिखाकर दिया गया हो परन्तु यह तो पहले स ही होता आया था। उनकी पूववर्ती एजेन्सी पी० टी० आई० म एसी परम्परा रही थी कि चुनाव आदि के समय किसी भी विवादास्पद

समाचार को दिल्ली की केंद्रीय डेस्क पर भेजा जाता था।

इससे पूर्व 'समाचार' के विभिन्न संवाददाताओं ने आयोग को बताया कि उन्हें निर्देश दिए गए थे कि राजनीतिक समाचार संपादकीय विभाग में देने से पहले श्री लजारस से स्वीकृत कराए जाएं। कितनी ही बार तो समाचारों में भारी रद्दोबदल तक किए गए थे।

शुक्ल की सफाई

श्री शुक्ल का इस संबंध में कहना था कि अखबारों पर किसी प्रकार का दबाव डालने की बात गलत है। जहां तक आचार संहिता का सवाल है उसे समाचारपत्रों के सम्पादकों से विचार विमर्श के बाद ही बनाया गया था।

प्रचार के लिए सर्वे

समाचारों के बारे में जोर जबरदस्ती के अतिरिक्त मंत्रालय द्वारा २० जनवरी को सलाहकार डा० एन० बी० राय को निर्देश दिए गए थे कि वे ऐसे क्षेत्रों का पता लगाएं जहां विपक्षी दलों का प्रभाव है तथा यह भी सुझाएं कि इन क्षेत्रों के लिए किस प्रकार से प्रचार कार्य किया जा सकता है।

सत्तारूढ़ दल और सरकार में अन्तर नहीं

इस सम्बन्ध में श्री राव का कहना था कि उन्हें इस प्रकार के निर्देश मंत्रालय के सचिव श्री बर्नी ने दिए थे। उन्होंने बताया कि उन दिनों सत्तारूढ़ दल और सरकार में कोई अंतर नहीं रह गया था। इसलिए सत्तारूढ़ दल के लिए किया जाने वाला कार्य एक तरीके से सरकार के लिए किए जाने जैसा ही था।

गुस्ताखी का फल

चुनाव घोषणा के बाद रायपुर स्थित आकाशवाणी के अंशकालिक संवाददाता श्री बोरा को हटाने के भी आदेश दिए गए। श्री बोरा के अनुसार उन्हें इसलिए हटाया गया था क्योंकि उन्होंने श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित की एक सभा की खबर भेजने की गुस्ताखी की थी।

श्री शुक्ल ने इस सम्बन्ध मे स्वीकार किया कि उन्होंने श्री वोरा को हटाने के निर्देश दिए थे, परन्तु इस बात से इकार किया कि यह इसलिए किया गया था क्योंकि उन्होंने श्रीमती पटित की सभा का समाचार दिया था। उनके अनुसार सच तो यह है कि छत्तीसगढ इलाके म रायपुर के महत्त्व का देखत हुए वहा एक पूर्णकालिक सवाददाता नियुक्त किया जाना था श्री वोरा को इसलिए नियुक्त नही किया जा सकता था क्योंकि वह पहले मे ही एक समाचारपत्र म काय कर रहे थे। उनका कहना था कि उनकी यह बात इसीसे सिद्ध हो जाती है कि जनता सरकार ने भी श्री वोरा को नही रखा है और वहा एक पूर्णकालिक सवाददाता की नियुक्ति की गई है।

शुक्ल की लाचारी

आयोग द्वारा अपनी कार्यवाही के अतिम चरण म श्री शुक्ल स १३ अप्रैल को आयोग के सामन पश हाने का कहा गया था, परन्तु श्री शुक्ल ने अपनी सफाई म कुछ भी कहन म असमर्थता प्रकट करते हुए कहा कि वे इस समय अपनी सफाइ म कुछ भी कहने की स्थिति म नही हैं, क्योंकि इस समय वे एक अन्य मुकदमे म (किस्सा कुर्सी का) फसे हुए हैं और उसके कारण समय नही निकाल पा रहे हैं।

उन्होंने आयोग स अनुरोध किया कि वह मामल पर सुनवाई स्थगित कर दे, ताकि उन्ह अपनी सफाई के लिए समय मिल सके परन्तु जस्टिस शाह ने उनका अनुरोध अस्वीकार करत हुए जन-प्रचार-साधना के दुरुपयोग वाले सभी मामला म, जिनम काग्रेस चुनाव घोषणापत्र का अनुवाद और अपन निर्वाचन क्षेत्र के लिए डी० ए० वी० पी० के जरिये पास्टर बनान का मामला भी शामिल है उनका पक्ष सुन बिना ही सरकारी वकील और आयाग के वकील स अपन तक रखन को कहा।

आयाग के वकील श्री खडालावाला और सरकारी वकील श्री लेखी का कहना था कि जनप्रचार साधना क दुरुपयाग म श्री शुक्ल का पूरा हाथ रहा है तथा उन्होंने यह काय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती गाधी की तस्वीर उभारन क लिए किया जो उचित नही था।

भुगतना पड़ा। उन्होंने बताया, 'हैदराबाद में इण्डियन एयर लाइंस ने अपना बुकिंग आफिस बनाने के लिए एक जमीन खरीदी थी। परन्तु बाद में इस विचार को त्याग दिया गया और बोर्ड की बैठक में विचार विमर्श के बाद उस भूमि को एक निजी पार्टी को बेच दिया गया। सरकारी आडिटर भी किसी ऐसी बात का पता नहीं लगा सके कि श्री मूर्ति का इस जमीन को बिकवाने में या किसी विशेष व्यक्ति को दिलवाने में कोई हाथ था।'

श्री लाल ने बताया कि उन्होंने श्री मूर्ति को हटाए जाने के बाद ही त्यागपत्र देने का निश्चय कर लिया था। उन्होंने सोचा था कि वे अप्रैल में श्री मेहता को अपना त्यागपत्र दे देंगे, परन्तु जब उन्होंने एक व्यक्ति को अपने कमरे के बाहर मंडराते हुए देखा और पूछने पर पता चला कि एक पुलिस अधीक्षक तथा जांच ब्यूरो के चार अन्य अधिकारी मुख्यालय पर निगरानी रख रहे हैं, तो उन्होंने अपना इस्तीफा और पहले ही दे दिया।

जब वे श्री राजबहादुर से मिलकर अपने कमरे में लौटे और ब्रीफ केस उठाकर जाने ही लगे कि एक पुलिस अधिकारी ने उन्हें रोककर ब्रीफ केस की तलाशी देने को कहा। पुलिस अधिकारी ने उनसे कहा कि आप इस प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करें कि अपने साथ कोई गुप्त कागजात नहीं ले जा रहे हैं।

श्री लाल ने भरे गले से कहा "श्रीमान् जब मैं वायुसेनाध्यक्ष था तब इण्डियन एयर लाइंस के कागजातों से भी कीमती और गोपनीय कागजात मेरे पास आते थे।

राजबहादुर की स्वीकारोक्ति

बाद में श्री राजबहादुर ने स्वीकार किया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री ने दोनों एयर लाइन्स के निदेशक मंडलों के नामों के सुझाव उनके अनुरोध पर ही दिए थे।

उन्होंने बताया कि निदेशकमंडलों का गठन मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति ही किया करती थी परन्तु उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि गठन के संबंध में सार्वजनिक उद्योग चयन बोर्ड की राय लिया जाना जरूरी था अथवा नहीं। उनका कहना था कि यह जरूरी नहीं कि एयर लाइंस के अध्यक्षों से मंडलों के गठन के बारे में राय ली ही जाए।

तत्कालीन प्रधानमंत्री के अतिरिक्त सचिव श्री धवन ने स्वीकार किया कि उन्होंने श्री राजबहादुर के विशेष सहायक श्री भटनागर को फोन कर दोनो निदेशक मडलो के सदस्यो के नाम बताए थे। उनका कहना था कि यह नाम श्रीमती गाधी ने स्वीकृत किए थे। उन्होंने बताया कि श्री भटनागर को जिस दिन उन्होंने नाम बताए थे उसी दिन श्री राजबहादर के हस्ताक्षरो से निदेशक मडलो की सूची प्रधानमंत्री सचिवालय को प्राप्त हो गई थी।

(ii) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के गवर्नर पद पर श्री के० आर० पुरी की नियुक्ति

तत्कालीन वित्तमंत्री श्री सुब्रह्मण्यम ने २९ जुलाई, १९७५ को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाधी को एक अत्यन्त गोपनीय पत्र लिखा जिसमे रिजर्व बैंक के गवर्नर पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया का जिक्र किया गया था। पत्र मे उन चार नामो का भी उल्लेख था, जिनमे से किसी एक को गवर्नर पद के लिए चुना जाना था।

पुरी की नियुक्ति सुब्रह्मण्यम की इच्छा के बिना

श्रीमती गाधी ने श्री के० आर० पुरी का इस पद पर नियुक्त किए जाने की इच्छा व्यक्त की थी क्योकि उनके अनुसार उन्होंने जीवन बीमा निगम जैसी बडी सस्था के अध्यक्ष के रूप मे काफी अच्छा काम किया था। श्रीमती गाधी की इच्छानुसार श्री सुब्रह्मण्यम ने श्री पुरी की १८ अगस्त १९७५ को एक वर्ष के लिए नियुक्ति कर दी, जबकि वे स्वय इमसे सहमत नही थे।

श्री पुरी की नियुक्ति जहा १८ अगस्त को की गई वही मंत्रिमडलीय नियुक्ति समिति के सचिव के पास इसकी सूचना २० अगस्त को भेजी गई।

नियुक्ति समिति की कोई औपचारिक बैठक नहीं

इस सम्बन्ध मे श्री सुब्रह्मण्यम का कहना था कि किसी भी

नियुक्ति पर विचार विमर्श करने के लिए मंत्रिमंडलीय समिति की कोई औपचारिक बैठक नहीं हुआ करती थी। नियुक्ति के सम्बन्ध में जब भी कोई सिफारिश की जाती थी उस समिति के सदस्यों को भेज दिया जाता था और उनकी सहमति ले ली जाती थी। इस तीन सदस्यीय समिति के दो सदस्य में प्रधानमंत्री और गृहमंत्री हुआ करते थे जबकि तीसरा सदस्य सम्बंधित मंत्रालय का मंत्री हुआ करता था।

(iii) पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष पद पर श्री टी० आर० तुली की नियुक्ति

बैंकिंग मंत्रालय में सचिव ने 12 मई को रिज़र्व बैंक के गवर्नर को एक पत्र लिखकर पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष पद से रिटायर हो रहे श्री टण्डन के स्थान पर नये व्यक्ति का नाम सुझाने को कहा। रिज़र्व बैंक ने इस पत्र के जवाब में बैंक के उपाध्यक्ष श्री ओ० पी० गुप्ता का नाम सुझाया। इस नाम पर तत्कालीन वित्तमंत्री ने भी अपनी सहमति व्यक्त की।

श्री गुप्ता के नाम पर मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति की स्वीकृति लेने के लिए एक पत्र ३० मई को लिखा गया परन्तु काफी लम्बे समय तक उसका कोई जवाब नहीं आया। मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री एम० जी० बाल सुब्रह्मण्यम ने उक्त फाइल पर १५ जुलाई को एक नोट लिखा जिसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री सचिवालय से यह फाइल वापस आ गई है तथा इसमें कोई और नया नाम सुझाने को कहा गया है तथा उन्होंने इस संबंध में रिज़र्व बैंक के गवर्नर से भी बात कर ली है।

सिर्फ मैट्रिक पास फिर भी बैंक चेयरमैन

श्री बाल सुब्रह्मण्यम ने अपने इस नोट के बाद २१ जुलाई को एक और नोट लिखा, जिसमें कहा गया था कि मेरी १६ जुलाई को कलकत्ता में रिज़र्व बैंक के गवर्नर से मुलाकात हुई थी तथा मैंने उनसे सरकार द्वारा यूको बैंक आफ इंडिया के श्री टी० आर० तुली को पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने से

सबंधित प्रस्ताव पर बातचीत की। श्री बा० सुब्रह्मण्यम ने १६ जुलाई को हुई इस बातचीत के तुरन्त पश्चात् २० जुलाई को रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने लिखा, 'आपने जभी इच्छा व्यक्त की थी, मैंने श्री तुली के बारे में पूछताछ कराई है। श्री तुली का जन्म ९ अक्तूबर १९१३ को हुआ था और इस हिसाब से वे ६१ वर्ष पूरे भी कर चुके हैं। वे सिर्फ मैट्रिक पास हैं परन्तु उन्होंने अपने बैंक (यू बैंक आफ इंडिया) में काफी अच्छा काम किया है। इस बैंक की पूरी उन्नति का श्रेय श्री तुली के नेतृत्व और कार्यकुशलता को ही जाता है। डा० हजारी द्वारा उनके स्वास्थ्य की जांच कराना गई है और उन्होंने भी उनकी नियुक्ति के बारे में कोई आपत्ति नहीं की है।'

गवर्नर के इस पत्र पर २२ जुलाई को ही वित्तमंत्री श्री सी० सुब्रह्मण्यम ने एक नोट लिखकर कहा, "श्री तुली को पंजाब बैंक के लिए सीधे अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। इसपर प्रधानमंत्री की अनुमति ले ली जाए।" प्रधानमंत्री ने २४ जुलाई को स्वीकृति प्रदान कर दी और ३१ जुलाई को एक अधिसूचना के जरिये श्री तुली की नियुक्ति भी कर दी गई। नियुक्ति के बाद औपचारिकता के नाम पर मंत्रिमंडलीय नियुक्ति-समिति को इस बारे में अवगत करा दिया गया।

श्रीमती गांधी ने सुझाव दिया था, आदेश नहीं

श्री सुब्रह्मण्यम का इस मामले में कहना था कि प्रधानमंत्री ने उन्हें सुझाव दिया था कोई आदेश नहीं। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि श्री तुली की नियुक्ति के बाद पंजाब नेशनल बैंक द्वारा मारुति लिमिटेड को कोई ऋण दिया गया था अथवा नहीं। उन्होंने कहा कि जहां तक श्री गुप्ता का संबंध है रिज़र्व बैंक ने कुछ सोच-समझकर ही अपनी राय बनाई होगी।

इसपर जस्टिस शाह ने कहा 'फिर आपने रिज़र्व बैंक की सुझाव क्यों नहीं माना?'

'उस समय तक तो सिर्फ नाम पर ही विचार चल रहा था इस बीच प्रधानमंत्री ने श्री तुली का नाम सुझाया और उसे मान लिया गया।'

"एक छोटे बैंक के अध्यक्ष को, जिसकी शैक्षणिक योग्यता भी बहुत कम थी, किस प्रकार एक बड़े बैंक के लिए उपयुक्त समझ लिया गया ?"

श्री सुब्रह्मण्यम ने इसके जवाब में कहा कि शैक्षणिक योग्यता तो केवल नौकरी पाने के समय काम में आती है बाद में उन्नति के लिए तो व्यक्ति का अनुभव ही काम में आता है और इसी आधार पर उन्होंने रिजर्व बैंक से श्री तुली के अनुभव के बारे में पता लगाने को कहा था। उन्होंने बताया कि नियुक्ति से पहले रिजर्व बैंक ने श्री गुप्ता के साथ साथ श्री तुली के नाम पर भी विचार किया था और हमने उसमें से श्री तुली को चुना।

(IV) स्टेट बैंक आफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर श्री टी० आर० वरदाचारी की नियुक्ति

स्टेट बैंक आफ इंडिया के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक श्री तलवार का कार्यकाल समाप्त होने में अभी लगभग ६ महीने शेष थे कि उनको हटाकर श्री टी० आर० वरदाचारी को नियुक्त कर दिया गया। श्री वरदाचारी श्री तलवार के बाद सबसे अधिक वरिष्ठ थे परंतु श्री वरदाचारी की नियुक्ति से पहले ही श्री तलवार उनके विरुद्ध अनियमितताओं के आरोप लगा चुके थे। परंतु सरकार का कहना था जांच के बाद इन आरोपों में कोई सचाई नहीं मिली थी। स्टेट बैंक आफ इंडिया अधिनियम की धारा १९ (ए) (१) के अनुसार इस बैंक के अध्यक्ष पद पर केन्द्र सरकार और रिजर्व बैंक की अनुमति से ही किसी की नियुक्ति की जा सकती है परंतु इस मामले में रिजर्व बैंक तथा मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति की भी अनुमति नहीं ली गई। बाद में श्री वरदाचारी की नियुक्ति के संबंध में जारी की गई अधिसूचना पर ही समिति के सचिव से हस्ताक्षर कराकर यह खानापूरी कर दी गई।

नियुक्ति के लिए संजय गांधी की सिफारिश

श्री वरदाचारी का अपनी नियुक्ति के संबंध में कहना था कि भूतपूर्व बैंकिंग तथा राजस्वमंत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने उन्हें इस

सबध मे श्री सजय गाधी से मिलने को कहा था और इस निर्देशानुसार वे उनसे मिले भी थे। इसके अतिरिक्त कई अन्य मौको पर भी वे श्री गाधी से निर्देश लेने गए थे।

श्री मुखर्जी ने श्री वरदाचारी के इस बयान को गलत बताते हुए कहा कि उन्होने श्री वरदाचारी से कभी भी श्री गाधी से मिलने को नही कहा था।

उन्होने श्री वरदाचारी की नियुक्ति का स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि श्री तलवार के बाद श्री वरदाचारी ही सबसे वरिष्ठ थे, इसलिए उन्ह ही अध्यक्ष बनाया गया था। उस समय श्री तलवार और श्री वरदाचारी म काफी खीचतान चल रही थी और इससे बक का वातावरण भी खराब हो रहा था। श्री मुखर्जी का कहना था कि उन्होने इस सबध मे रिजव बैंक के गवनर से भी बात की थी परन्तु वह मौखिक ही थी इसलिए यह नही कहा जा सकता कि उसके रिकाड रखे गए हैं या नही।

मत्रालय म तत्कालीन सचिव श्री एन० पी० सेन का इस सबध मे कहना था कि श्री तलवार के स्थान पर श्री वरदाचारी की नियुक्ति के बारे म उन्होने स्वय व्यक्तिगत रूप स बैंक के गवनर से बात की थी, क्योकि समय बहुत कम रह गया था। उन्होने इस बात स पूव भी गवनर से इस सबध मे चर्चा की थी।

श्री सेन ने बताया कि उनके विचार स तो श्री वरदाचारी और श्री तलवार दोना को ही हटा दिया जाना चाहिए था, क्योकि इनके बीच भयकर रूप से वापसी प्रतिद्वद्विता चल रही थी, परन्तु वे क्या कर सकते थे, सचिव का काम तो अपने उच्चाधिकारी के आदेशा को पूरा करना हाता है और इस मामले म उन्होने मत्री के निर्देशा का पालन कर अपना काम पूरा किया था।"

(५) भारतीय पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष एव प्रबध निदेशक के पद पर ले० जनरल जे० पी० सतारावाला की नियुक्ति

भारतीय पयटन विकास निगम के अध्यक्ष एव प्रबध निदेशक

पद पर नियुक्ति के लिए सावजनिक उद्योग चयन बोड द्वारा श्री अजीतसिंह तथा श्री बी० एस० दास के नामा की सिफारिश किए जान के बावजूद पयटन एव नागरिक उड्डयनमत्री श्री राजबहादुर के निर्देश पर ले० जनरल जे० पी० सतारवाला की नियुक्ति कर दी गई।

इस नियुक्ति के सबध म श्री राजबहादुर ने अपनी पूरी जिम्मेदारी लते हुए कहा कि उनके अधीनस्थ मत्री न जनरल सतारावाला का नाम सुझाया था, जिस उन्होंने उपयुक्त समझते हुए स्वीकार कर लिया।

उनका कहना था कि जनरल सतारावाला अपनी कम उम्र के बावजूद काफी अनुभवी थे। उन्होंने अशोक होटल के प्रबधक के रूप म बहुत ही अच्छा काम किया था और उनके प्रयत्ना से ही होटल को १६७३ ७४ म ६३ लाख का लाभ हुआ था।

श्री राजबहादुर ने बताया कि उन्होंने श्री अजीतसिंह और श्री दास के स्थान पर जनरल सतारावाला के नाम के लिए प्रधानमत्री को कहा था क्योंकि उनकी नजर म व ही सवश्रेष्ठ उम्मीदवार थे। प्रारम्भ म काम देखन के लिए उन्होंने जनरल सतारावाला को सिफ एक वष के लिए ही नियुक्त करने का प्रस्ताव किया था। इन सब बाता के अतिरिक्त जनरल सतारावाला न दो महीने के तदथ अध्यक्ष के रूप म निगम के काम को अच्छी तरह सभाला या जबकि दूसरी ओर श्री दास और श्री सिंह को इस क्षेत्र का कोई अनुभव नही था।

(vi) भारत के अन्तर्राष्ट्रीय हवाई पत्तनम प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर एयर मार्शल एच० सी० दीवान की नियुक्ति

एयर माशल वाई० वी० माल्से का कायकाल समाप्त होन के कारण प्राधिकरण के अध्यक्ष पद के लिए सावजनिक उद्योग चयन बोड द्वारा एयर माशल एच० सी० दीवान तथा श्री बी० एस० दास सहित कुछ व्यक्तियो का इटरव्यू लिया गया और उसम

श्री दास को उपयुक्त ठहराते हुए उनकी नियुक्ति की सिफारिश की गई।

चयन बोर्ड की सिफारिश के बावजूद मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति ने श्री दास के नाम को नहीं माना और श्री दीवान के नाम पर स्वीकृति दी। समिति का यह निर्णय मंत्रालय और पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन सचिव के लिए आश्चर्यजनक था।

श्री राजबहादुर ने आयोग को बताया कि चयन-बोर्ड द्वारा दीवान के अतिरिक्त श्री दास श्री ए० के० सरकार और श्री मुलगाव कर के नामों पर भी विचार किया था परन्तु बाद में श्री दास के मुकाबले सभी को अनुपयुक्त ठहराया गया था। इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि श्री दीवान ही इन लोगों में सर्वाधिक उपयुक्त नहीं थे।

श्री राजबहादुर ने यह भी स्वीकार किया कि चयन-बोर्ड द्वारा सुझाए गए नामों को ताक पर रखकर दूसरे व्यक्तियों की नियुक्ति वास्तव में एक अच्छी परिपाटी नहीं कही जा सकती।

(vii) दिल्ली परिवहन निगम के अध्यक्ष पद पर श्री यू० एस० श्रीवास्तव की नियुक्ति

दिल्ली परिवहन निगम के अध्यक्ष पद पर जून, १९७६ में श्री ए० एन० चावला कार्य कर रहे थे परन्तु उनके द्वारा पूरा समय न दे पाने के कारण दिल्ली के तत्कालीन उप राज्यपाल श्री कृष्णचंद ने श्री यू० एस० श्रीवास्तव जैसे जूनियर अधिकारी को अध्यक्ष बनाने के संबंध में प्रधानमंत्री से सिफारिश की, जिसपर उन्होंने अपनी सहमति दे दी।

उप-राज्यपाल द्वारा अधिकार-क्षेत्र के बाहर कार्य

उप राज्यपाल द्वारा यह कार्य अपने अधिकार-क्षेत्र के बाहर किया गया था क्योंकि इसपर केंद्रीय परिवहनमंत्री की सिफारिश आवश्यक थी, परंतु परिवहनमंत्री उन दिनों दिल्ली से बाहर थे और उनके आने का इंतजार किए बिना ही यह कार्य पूरा कर लिया गया।

उप राज्यपाल ने जब यह प्रस्ताव तत्कालीन गृहमंत्री श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी के पास भेजा तो उन्होंने इसपर कोई आपत्ति तो नहीं की, परन्तु इसपर यह लिखा कि ' श्री श्रीवास्तव सिर्फ निदेशक स्तर के ही अधिकारी हैं। परंतु जब उप राज्यपाल ने सिफारिश कर ही दी है, तब चाहे जैसा भी स्तर हो क्या अन्तर पड़ता है फिर भी प्रधानमंत्री जैसा चाहें, निर्णय लें।'

तत्कालीन परिवहनमंत्री श्री जी० एस० ढिल्लो जब दिल्ली वापस आए तो उन्हें ये बातें आश्चर्य में तो डालती हीं। वे इसपर नाराज भी बहुत हुए और उन्होंने इस प्रकार के कार्य के विरोध में प्रधानमंत्री को भी एक पत्र लिखा परंतु प्रधानमंत्री ने इस सारे कार्य से अपनी अनभिज्ञता प्रकट की। प्रधानमंत्री ने अनभिज्ञता प्रकट करने के कुछ दिनों बाद ही उन्हें एक पत्र लिखकर सूचित किया कि 'श्री श्रीवास्तव की नियुक्ति पर उन्होंने अपनी सहमति प्रदान कर दी है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर देनी चाहिए।"

श्री ढिल्लो का कहना था कि श्री श्रीवास्तव की नियुक्ति के बारे में प्रधानमंत्री ने उनसे तो अपनी अनभिज्ञता व्यक्त की थी और उसके कुछ दिन बाद ही अधिसूचना जारी करने के निर्देश भी दिए ये सब बातें उनके लिए आश्चर्यजनक थीं। परंतु उन्होंने न चाहते हुए भी प्रधानमंत्री के निर्देशों की अवमानना करना उचित नहीं समझा और अधिसूचना जारी कराई।

श्री कृष्णचंद ने इस समस्त मामले में अपनी सफाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री निवास में एक बार श्रीमती गांधी ने जिक्र किया था कि श्री चावला अब आगे कार्य नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें समय नहीं मिल पाता है। इसपर उन्होंने श्रीमती गांधी से श्री श्रीवास्तव के बारे में बात की जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया।

उन्होंने खेद प्रकट किया कि उनके इस कार्य से श्री ढिल्लो ने अपना अपमान महसूस किया। श्री कृष्णचंद ने स्वीकार किया कि इस मामले में जल्दबाजी की गई और श्री श्रीवास्तव की वरिष्ठता के बारे में नहीं सोचा गया।

(viii) दिल्ली और बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावनति और पुर्नानियुक्ति

एमरजेन्सी के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश के बावजूद बम्बई उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश श्री यू० आर० ललित तथा दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश श्री आर० एन० अग्रवाल की सेवाओं की आगे पुष्टि नहीं की गई। श्री अग्रवाल को तो वापस सत्र तथा जिला न्यायाधीश के पद पर भेज दिया गया। बाद में बताया गया कि श्री अग्रवाल की पदावनति के पीछे राजनीतिक बदले की भावना थी क्योंकि वे मीसा के मामले सुनने में सबधित बेंच में थे और उन्होंने एक मामले में केन्द्र सरकार के विरुद्ध निर्णय दिया था।

भूतपूर्व विधिमंत्री स्वर्गीय एच० आर० गोखले का कहना था कि न्यायाधीश श्री ललित से सबधित फाइल काफी लम्बे समय तक प्रधानमंत्री के पास पड़ी रही। फाइल पर लिखे नोट से पता चला कि बाद में विभाग के सचिव को फोन पर कहा गया था कि न्यायाधीश श्री ललित की आगे पुष्टि नहीं की जाए।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सचिवालय में जब फाइल उनके पास आई तो उसमें लिखी कुछ टिप्पणियां गायब थीं। बाद में उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री से बात की लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा कि वे न्यायाधीश श्री ललित की पुष्टि करने वाली नहीं हैं। न तो प्रधानमंत्री ने ही उन्हें इस बात के कारण बताए और न ही उन्हें स्वयं श्री ललित के खिलाफ कोई ऐसी बात मालूम थी जिससे अनुसार प्रधानमंत्री ने यह निर्णय लिया।

न्यायाधीश श्री अग्रवाल के बारे में श्री गोखले का कहना था कि उनके बारे में मंत्रालय के सचिव ने एक गोपनीय नोट भेजा था परन्तु वे उससे सहमत नहीं थे यद्यपि प्रधानमंत्री उससे सहमत जान पड़ती थीं।

न्याय विभाग में तत्कालीन सचिव श्री सुंदर लाल खुराना ने जस्टिस शाह के प्रश्नों के उत्तर में कहा कि न्यायाधीश अग्रवाल को हटाए जाने के संबंध में यह कहना उचित नहीं होगा कि मीसा के मामले में सरकार के विरुद्ध निर्णय देने के कारण उन्हें हटाया गया

था। उनका कहना था कि श्री अग्रवाल द्वारा निर्णय दिए जाने से पूर्व ही सरकार ने सबंधित मामले में मीसा आदेश वापस ले लिए थे। इसपर जस्टिस शाह ने कहा, जब सरकार को लगने लगा कि निर्णय उनके विरोध में जाएगा उन्होंने मामला वापस ले लिया।'

जस्टिस शाह के एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री खुराना ने कहा कि न्यायाधीश श्री अग्रवाल पर लगाए गए आरोप से संबंधित फाइल की उन्होंने कोई जाच नहीं की थी, क्योंकि ज्योंही यह फाइल उनके पास आई थी उन्होंने उस मंत्री के पास भेज दिया था।

जस्टिस शाह ने इसपर कहा क्या आपने न्याय सचिव के रूप मे अपना विभाग इस बारे में लगाया था कि जब एक न्यायाधीश उच्च न्यायालय के लिए उपयुक्त नहीं समझा जा रहा है तो क्या वह सत्र और जिला न्यायालय के रूप में उपयुक्त रहेगा ?

नहीं इस सबंध में विचार नहीं किया गया था।

दिल्ली उच्च न्यायालय के एक अन्य न्यायाधीश श्री एस० रगराजन को भी जो कुलदीप नायर मामले में बच के प्रमुख थे दिल्ली से स्थानातरित कर दिया गया क्या यह सही है ?

'यह सही है कि उनका स्थानातरण कर दिया गया था।'

इसपर जस्टिस शाह ने व्यग्य से कहा जहा तक कुलदीप नायर के मामले का सबध है यह तो एक दुर्घटना ही होनी चाहिए।'

श्री खुराना ने कहा यह तो वास्तव में एक दुर्घटना थी।

उनका कहना था कि न्यायाधीशों के स्थानातरण के सबध में मुख्य न्यायाधीश तथा विधिमंत्री में विचार विमर्श के बाद ही निर्णय लिया जाता है। यह काम निचले स्तर पर नहीं होता।

१० ऋण जो चुकाए नहीं गए

प्रधानमंत्री के निर्देश पर किसी बैंक के अध्यक्ष बनाए जाने पर उनके प्रति अपना आभार प्रदर्शित करना तो स्वाभाविक हो सकता है परन्तु उसके लिए कुछ फर्मों को बिना किसी गारटी के ऋण देना अनियमित तो है ही निश्चित रूप से बैंक को लाखो रुपये की हानि की ओर धकेलना भी है।

श्री टी० आर० तुली ने इसी तरह पंजाब नेशनल बैंक को

अध्यक्ष बनाए जाने के कुछ दिन बाद ही एसोसिएटेड जनरल्स तत्कालीन गृह राज्यमंत्री श्री ओम मेहता के एक संबंधी की फर्म अम्मा कमिकल्स तथा तत्कालीन प्रधानमंत्री के पुत्र श्री संजय गांधी की फर्म मारुति लिमिटेड को बिना किसी उचित गारंटी के ऋण उपलब्ध कराए या उनके भुगतान में रियायत दिलाई। दिलाए गए अधिकांश का बाद में भुगतान भी नहीं किया गया।

(1) एसोसिएटेड जनरल्स

एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड ने जो लखनऊ और दिल्ली में अंग्रेजी दैनिक नेशनल हेराल्ड, हिन्दी दैनिक नवजीवन और उर्दू दैनिक कौमी आवाज प्रकाशित करता है विजय बैंक की गारन्टी पर छपाई की मशीन आयात की थी। उसे कस्टम और विलम्ब शुल्क के रूप में दस लाख रुपये से अधिक का भुगतान करना था। मार्च, १९७६ में तत्कालीन केन्द्रीय उर्वरक और रसायनमंत्री श्री प्रकाशचंद सेठी ने श्री तुली से इस संबंध में कम्पनी की सहायता करने का आग्रह किया। श्री तुली ने बैंक की पार्लियामेंट स्ट्रीट स्थित शाखा के मैनेजर श्री एल० डी० अधलखा से प्राथमिकता के आधार पर इस कार्य को निपटाने को कहा।

कम्पनी के इस ऋण के लिए दिल्ली स्थित अपने भवन हेराल्ड हाउस को गिरवी रखने का प्रस्ताव किया। बैंक ने ऋण के रूप में कम्पनी को ८,२९,५०० रुपये की राशि का एक ड्राफ्ट दिया और शेष १,७०,५०० रुपये की राशि की कम्पनी ने स्वयं व्यवस्था की।

श्री अधलखा के अनुसार जो आजकल इस बैंक के क्षेत्रीय मैनेजर हैं श्री तुली ने मार्च १९७६ में एसोसिएटेड जनरल्स के प्रबंध निदेशक कर्नल बशीर हुसैन जैदी से उनका परिचय कराते हुए कहा था, 'कम्पनी को १५ लाख रुपये के ऋण की आवश्यकता है और उसके एवज में वह अपने दिल्ली स्थित हेराल्ड-हाउस को गिरवी रखने को तैयार है और जब तक गिरवी रखने की कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती सिंडिकेट बैंक उसके लिए गारंटी देने को तैयार है। इसके अतिरिक्त सिंडिकेट बैंक से भी इसी शर्त पर १५ लाख रुपये ऋण लेने की बात चल रही है। श्री तुली ने उनसे कहा कि चूंकि इन्हें कुछ भुगतान तुरंत करने हैं इसलिए इन्हें प्राथमिकता के आधार पर ऋण दे दिया जाए।

कम्पनी की वित्तीय स्थिति खराब होने के बावजूद ऋण

बैंक के केंद्रीय जाच विभाग द्वारा बाद म की गई जाच स पता चला कि कम्पनी की स्थिति बिलकुल खराब है तथा उस पिछले दो वप म कुल १६ लाख १६ हजार रुपये का नुकसान हो चुका है।

बाद म ज्ञात हुआ कि सिंडिकेट बक ने हेराल्ड हाउस को गिरवी रखकर १५ लाख रुपय का ऋण देने का प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया है परन्तु श्रीमती गाधी के विशेष दूत श्री मुहम्मद युनुस द्वारा, जो बाद म इस कम्पनी क प्रबध निदेशक बनाए गए थ, सिंडिकेट बक को भेज एक टेलक्स सदेश म इस मामले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करने पर बक ने इस स्वीकार कर लिया।

यहा यह उल्लेखनीय है कि फम को ऋण देते समय न तो उसकी बैलेंस शीट देखी गई और न ही उसके ऋणदाताओ की सूची ही। इसके अतिरिक्त कम्पनी द्वारा अभी तक बक क ऋण के भुगतान के रूप म उसका पूरा ब्याज भी नही चुकाया गया है।

दो महीने का काम दो दिन म

श्री अधलखा का कहना था कि बक मनेजर के रूप मे उन्ह दस हजार रुपये स अधिक का ऋण देने की अनुमति नही थी। साधारणतया किसी भी प्रकार का कर्ज देने से पहल कर्ज लेने वाले की आर्थिक क्षमता आदि की जाच की जाती है परन्तु इस मामले म श्री तुली के आदेश मानने क सिवाय और कोई चारा नही था। उन्होने बताया कि उन्होने ३४ वष क बक अनुभव म कभी भी ऐसा कोई मामला नही देखा था जिसम बिना कम्पनी की स्थिति देखे और जाच कर बिना किसी जमानत के इतना अधिक ऋण दिया गया हो। उन्होने बताया कि यह क्लीन ओवर ड्राफ्ट दो ही दिन म दे भी दिया गया जबकि साधारणतया ऐसे काम म एक या दो महीने तक का समय लग सकता था।

जस्टिस शाह के प्रश्नो के उत्तर म श्री अधलखा ने बताया कि पार्टी को कर्ज देने सबधी औपचारिकताए बाद म बक के ऋण विभाग ने पूरी कर ली थी हालाकि पार्टी द्वारा इसके बदले 'हेराल्ड हाउस' गिरवी रखने म आना-कानी की जाती रही, जबकि उसको ऋण इसी शत पर दिया गया था। यद्यपि बाद मे बैंक के प्रबध मडल ने

इस ऋण की स्वीकृति दे दी थी।

अधलखा भी संजय की सिफारिश पर क्षेत्रीय मैनेजर बने

श्री तुली के वकील श्री डी० एस० डाग ने आयोग के समक्ष एक पत्र पढ़कर सुनाया जो आयोग को एक व्यक्ति ने एमरजेंसी के दौरान हुई ज्यादतियों के सबंध में लिखा था। पत्र में कहा गया था कि श्री संजय गाधी की सिफारिश पर ही श्री अधलखा को महाराष्ट्र का क्षेत्रीय प्रबधक नियुक्त किया गया था। श्री डाग यह पत्र दिखाकर सिद्ध करना चाहते थे कि चूंकि श्री अधलखा स्वय श्री गाधी के प्रति अपना आभार प्रदर्शित करना चाहते थे इसीलिए उन्होंने उनके परिचितो से सबधित कम्पनी को ऋण देने में जल्दी दिखाई। परन्तु श्री अधलखा ने इस बात से इकार किया कि वे कभी भी श्री गाधी से मिले थे।

श्री अधलखा ने यह जरूर स्वीकार किया कि वे एक बार प्रधान मत्री निवास अवश्य गए थे जहा उन्होंने श्री धवन से मुलाकात की थी परन्तु वे वहा श्री संजय गाधी से भेंट के सिलसिले में नही, बल्कि श्री राजीव गाधी का बैंक में खाता खोले जाने के सबध में कुछ कागजात देने गए थे। इसपर श्री डाग ने कहा "यह काम तो एक चपरासी भी कर सकता था। आप जैसे वरिष्ठ अधिकारी को इतने-से काम के लिए वहा जाने की क्या आवश्यकता थी?"

"मुझे श्री तुली ने निर्देश दिए थे कि श्री राजीव को बचत खाता के बारे में कुछ जानकारी देनी है।

श्री तुली ने जिरह के दौरान स्वीकार किया कि कम्पनी को जल्दी से जल्दी ऋण देने के पीछे एक कारण यह भी था क्योंकि यह प्रतिष्ठित लोगो की संस्था थी तथा इसमें कई अन्य लोगों की भी दिलचस्पी थी।

श्री तुली ने कहा कि कर्ज से सबधित कागजों के बारे में पुष्टि करने की जिम्मेदारी श्री अधलखा पर थी क्योंकि वे ही ब्राच मैनेजर थे। बैंक के अध्यक्ष के नाते यह काम उनका नही था कि वे पार्टी की बैलेंस शीट और कर्जदारों की सूची देखते। उनका कहना था कि श्री अधलखा द्वारा सहमति देने पर उन्होंने यह समझा था कि उन्होंने सबधित कागजात देखकर अपनी पुष्टि कर ली होगी। श्री अधलखा से उनका जो भी विचार विमर्श हुआ मौखिक ही हुआ था,

उन्होंने लिखित में कोई आदेश नहीं दिए थे।
उन्होंने बताया कि कर्ज की स्वीकृति देते समय उनके दिमाग में यही बात थी कि हराल्ड हाउस की कीमत कम से कम साठ सत्तर लाख रुपये तो होगी ही और उसको गिरवी रखकर आठ-नौ लाख रुपये का कर्ज देना कोई विशेष बात नहीं थी। चूंकि कम्पनी को धन की तुरन्त आवश्यकता थी और वे सिंडिकेट बैंक से भी ऋण ले रहे थे इसलिए हमने उन्हें एक तरीके से ब्रिजिंग ऋण दिया था। इसपर जस्टिस शाह ने मुस्कराते हुए कहा 'और वह ब्रिज (पुल) कभी नहीं बना। इसपर आयोग का कक्ष हंसी के ठहाकों से गूंज उठा।
श्री तुली ने आयोग को बताया कि चूंकि श्री सेठी ने उन्हें यह ऋण मंजूर करने को कहा था उन्होंने इसीलिए ऐसा किया आखिर श्री सेठी एक मंत्री थे।
इसपर जस्टिस शाह ने कहा 'यदि कम्पनी इस ऋण का भुगतान नहीं करेगी तो क्या मंत्री (श्री सेठी) इसका भुगतान करेंगे ?
'नहीं।
तो क्या आपने फिर इस ऋण की इसलिए स्वीकृति दी कि प्रधानमंत्री ने आपको नियुक्त कराया था ? आपने यह काय किसी न किसी रूप में उनको खुश करने के लिए किया होगा। श्री तुली ने इसका नकारात्मक उत्तर दिया।
आपमें ही ऐसी क्या बात थी कि आपको ही पंजाब नेशनल बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया ?
इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं !
क्या आपको अपनी नियुक्ति के बारे में सुनकर आश्चय नहीं हुआ ?'
उस समय मैं बाहर था और मुझे यह सुनकर वाकई बहुत आश्चय हुआ था।

जांच की जिम्मेदारी अधलखा पर

श्री तुली ने जिरह के दौरान आयोग के वकील श्री खंडालावाला द्वारा यह पूछे जाने पर कि गिरवी रखे जाने का दस्तावेज आखिर पूरा क्या नहीं किया गया कहा कि गिरवी रखे जाने का यह करार न किया जाना एक गम्भीर खामी थी लेकिन इसकी जिम्मेदारी उस समय के ब्रांच मनेजर श्री अधलखा पर थी उनपर नहीं।

श्री तुली बार-बार पूछे जाने के बाद भी यही कहते रहे कि उन्होंने ऋण देने के बारे में श्री अधलखा को कभी आदेश नहीं दिए। उन्होंने श्री अग्रवाल को कर्नल जदी से मिला दिया था और कहा था कि उनकी सहायता करें।

दस लाख के ऋण में से दस हज़ार का भुगतान

उन्होंने बताया कि कम्पनी ने अभी तक इस ऋण के भुगतान के रूप में सिर्फ दस हज़ार रुपये चुकाए हैं जो ब्याज में भी पूरे नहीं पड़ते।

तत्कालीन रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री सेठी ने आयोग के समक्ष स्वीकार किया कि उन्होंने श्री तुली को फोन कर बुलाया था तथा उनसे एसोसिएटेड जनरल्स की सहायता करने को कहा था। उन्होंने बताया कि कम्पनी के तत्कालीन प्रबंध निदेशक कर्नल नगीन ने उनसे कहा था कि उनकी मशीनें बंदरगाह पर पड़ी हैं और वे श्री तुली से यह काम जल्दी से निपटाने को कह दें।

श्री सेठी का कहना था कि यह अनुरोध करने के पीछे उनके मन में सिर्फ यही बात थी कि इस पत्र को पण्डित नेहरू ने स्थापित किया था इसलिए संकट के समय इसकी सहायता की जानी चाहिए। उन्होंने श्री तुली से कहा था कि वे इस मामले को बैंक की शर्तों तथा नियमों के अंतर्गत निपटा दें वे आभारी रहेंगे। उनका इस मामले में कोई व्यक्तिगत हित नहीं था।

उनका कहना था कि उन्होंने श्री तुली से मामले को जल्दी से निपटाने को कहा था न कि ऋण मंजूर करने को क्योंकि इस मामले में पहले से ही बैंक के साथ बातचीत हो रही बताई गई थी।

उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने यह अनुरोध करने से पूर्व कम्पनी की वित्तीय स्थिति तथा उसकी सम्पत्ति आदि के बारे में जांच नहीं की थी। उनके दिमाग में यही बात थी कि कम्पनी के पास दिल्ली और लखनऊ दोनों ही जगह अपने भवन हैं।

राजनीतिक दबाव में ऋण

आयोग के वकील श्री गुडानावाला ने जिरह के बाद कहा कि कम्पनी को ऋण देने के लिए राजनीतिक दबाव का उपयोग किया गया। उनका कहना था कि इस मामले में श्री तुली भी बराबर के

जिम्मेदार हैं क्योंकि उनके निर्देशानुसार ही ऐसा किया गया था, जबकि श्री तुली के वकील श्री शाग का कहना था कि इसकी जिम्मेदारी श्री तुली के अधीनस्थ अधिकारियों की है। श्री तुली ने तो सामान्य प्रक्रिया का पालन किया था इसलिए वे व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराए जा सकते।

(ii) फस्मा केमिकल्स

२३ अक्तूबर १६७५ को फरीदाबाद की एक फर्म फस्मा केमिकल्स प्रा० लिमिटेड को कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन किया गया। इस फर्म की प्रारंभिक पूंजी सिर्फ चार लाख रुपये थी तथा इसके एक निदेशक तत्कालीन गृह राज्यमंत्री श्री ओम मेहता के भाई श्री सत मेहता थे।

कुछ ही दिनों बाद फर्म गम्भीर आर्थिक संकट से गुजरने लगी और उसके सामने सहायता के लिए बैंक के पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। इसी संकट के दौरान इस फर्म के एक निदेशक श्री एस० पी० मेहता (जो श्री सत मेहता के ससुर भी थे) बैंकिंग और राजस्वमंत्री के निजी सहायक श्री कुमार के साथ बैंक के अध्यक्ष श्री टी० आर० तुली के कार्यालय पहुंचे और उन्होंने फर्म को ६ लाख ३० हजार रुपये के तीन ऋण पत्र दिलाने का अनुरोध किया ताकि फर्म इस संकट की घड़ी से उबर सके।

श्री तुली द्वारा फर्म की आर्थिक हालत देखे बिना ही यह स्वीकृति भी दे दी गई जिससे बैंक को बाद में ४.५० लाख रुपये का नुकसान उठाना पड़ा।

बैंक के दिल्ली क्षेत्र के मैनेजर श्री डी० पी० नायर ने बताया कि श्री तुली ने उन्हें बुलाकर श्री मेहता की ओर इशारा करते हुए कहा था कि आप इनको ले जाइए और बिना बैंक मार्जिन के ऋण पत्र जारी करा दीजिए। इनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

बैंक की पार्लियामेंट शाखा के मैनेजर श्री के० एन० वाली का कहना था कि इस फर्म का मूल आवेदन श्री तुली ने स्वयं ही प्राप्त किया था और फिर उसे ब्रांच कार्यालय में भेज दिया था। चूंकि श्री तुली ने स्वयं ही इस फर्म का परिचय दिया था, इसलिए उसकी ऋण लेने संबंधी आर्थिक क्षमता की जांच नहीं की गई।

एक महीने का काम एक दिन मे

बक की विदेशी मुद्रा शाखा के मनेजर श्री एस० एस० जौली ने बताया कि इन ऋणपत्रो को सिफ एक दिन म जारी कर दिया गया था जबकि सामान्यतया ऐसे काम मे लगभग एक महीने का समय लग जाता है।

श्री तुली ने जिरह के दौरान इस सबध म अपनी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि यह एक सामान्य मामला था और इसे सिफ शीघ्रता से निपटाया गया था। उन्होने कहा 'यह सही है कि मैंने कभी इस फम की अथवा इसके निदेशको की आर्थिक क्षमता के बारे मे कोई जाच नही कराई थी परन्तु चूकि यह मामला स्वय श्री कुमार द्वारा लाया गया था इसलिए मैंने यह किया।

परन्तु श्री कुमार ने इस बात से साफ इकार किया कि उन्होने कभी बैंक क अध्यक्ष श्री तुली से श्री एस० पी० मेहता का परिचय कराया था अथवा उनके कार्यालय गए थे। उन्होंने बताया कि उन्होने श्री तुली को श्री मेहता के सबध मे फोन जरूर किया था, परन्तु क्या लेन देन हुआ इसकी उन्हे कोई जानकारी नही है।

श्री तुली न बाद म बताया कि ऋण पत्रो के सबध म किसी प्रकार की जमानत लेने का कोई सवाल ही नही उठता था क्याकि माल अपने-आपमे एक जमानत होती है। उन्होने कहा कि इस प्रकार के ७० स ७५ मामला म बिना बैंक मार्जिन लिए ही काम होता है, इसलिए इस विशेष मामले म कोई अति विशिष्टता वाली बात नही थी।

इसपर जस्टिस शाह ने कहा चूकि श्री मेहता श्री मुखर्जी के निजी सहायक श्री कुमार के साथ आए थे इसलिए आपने सामान्य प्रक्रिया न अपनाते हुए इसे जल्दी करा दिया ?'

मैं यह नही कह सकता कि वह किसी मत्री की सिफारिश लेकर आए थ। हा श्री कुमार ने उनस परिचय जरूर कराया था।

'आपने उसके अतिरिक्त एसा कुछ नही किया जसा श्री कुमार ने कहा था ?

वह एक सामान्य लेन देन था।

मत्री के निजी सहायक आपके पास इस प्रकार की सिफारिशें लेकर और कितनी बार आ चुके थे ?'

मैं जब तक पजाब नेशनल बक म रहा—दो, तीन या फिर

चार बार आए होंगे। कभी किसीको नौकरी दिलाने के संबंध में और कभी किसीका स्थानांतरित कराने के लिए।'

'क्या वे किंग लेन देन के संबंध में वे सिर्फ इसी मामले में आए थे?'

'मुझे कुछ याद नहीं।'

'क्या आप समझते हैं कि यह एक बुद्धिमत्तापूर्ण लेन-देन था?'

'जी हां। इस लेन देन में कोई गलत बात नहीं थी।'

राजनीतिक दबाव का उदाहरण

बाद में इस मामले पर हुई जिरह के बाद आयोग के वकील श्री खंडालावाला और सरकारी वकील श्री प्राणनाथ लखी ने कहा कि यह मामला भी राजनीतिक दबाव का एक उदाहरण है।

(iii) मारुति लिमिटेड

श्री संजय गांधी की छोटी कार बनाने की तैयारी में लगी फर्म मारुति लि० को मई १९७४ में पंजाब नेशनल बैंक की ओर से ३० लाख और ५० लाख रुपये की दो ऋण सुविधाएं मिली हुई थीं परंतु इसमें शर्त यही थी कि इन दोनों मामलों में यह ऋण सुविधा एक समय में कुल ७५ लाख रुपये से अधिक नहीं होगी। इसके बावजूद मार्च १९७५ में यह राशि बढ़कर ९० लाख तक पहुंच गई थी।

श्री तुली द्वारा अगस्त १९७५ में बैंक के अध्यक्ष पद का कार्य संभालते समय मारुति का यह ऋण-खाता बहुत ही अनियमित चल रहा था। इसलिए बैंक ने मारुति से पेनल ब्याज लेना शुरू कर दिया। इसपर मारुति ने बैंक को लिखा कि इस समय उनकी कम्पनी घाटे में चल रही है इसलिए जितना सम्भव हो इस पेनल ब्याज को कम कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने खाते को नियमित करने के लिए एकमुश्त राशि के रूप में पांच लाख रुपये का भुगतान किया और इसके अतिरिक्त एक लाख रुपया महीना देते रहने का वादा भी किया।

श्री तुली की अध्यक्षता में हुई बैंक के निदेशक मंडल की बैठक में महाप्रबंधक जनरल मैनेजर (उधार) की सिफारिश पर ब्याज की राशि में ७०,२४७ रुपये ६८ पैसे की कटौती कर दी गई तथा

ब्याज का भी डेढ प्रतिशत घटा दिया गया ।

श्री तुली ने बाद म आयोग को जिरह के दौरान बताया कि एमरजेन्सी के १५ महीनो के दौरान व २१ बार १ सफदरजग रोड स्थित प्रधानमत्री निवास गए थे। इसम स व नौ बार श्री सजय गाधी स मिले और १० बार श्रीमती गाधी के अतिरिक्त सचिव श्री आर० के० धवन स । बैंक द्वारा दिए गए ऋण को वसूल करने के सबध म उन्होने कहा 'श्रीमान मारुति के मालिको जसी ऊची प्रतिष्ठा वाले व्यक्तियो स धन वसूल करना आसान नही था ।" उन्होने कहा 'श्रीमान् मारुति के व्यक्तियो के स्तर को देखते हुए उसकी सम्पत्ति को कुर्क करके बक के ऋण की वसूली करना बडा मुश्किल काम था ।'

उन्होने बताया कि मारुति का एक बीमार खाता था । उन्होने पार्टी के साथ यह समझौता इसलिए किया था ताकि दिए गए ऋण का कम स कम कुछ भाग तो वसूल हो और इसी सिलसिले म वे श्री गाधी से कई बार मिल थे।

इसपर जस्टिस शाह न पूछा क्या मारुति सयत्र की मशीनों का कुर्क नहीं किया जा सकता था ? क्या व बहुमूल्य नही थीं ?'

श्री तुली ने इसके जवाब म कहा, ' हा कम स कम कागजों पर तो थीं ही।

श्री तुली न स्वीकार किया कि बैंक के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति क लिए वे श्रीमती गाधी को धन्यवाद देने उनके घर पर गए थे ।

इसपर जस्टिस शाह ने कहा, क्या इसीलिए कि आपकी नियुक्ति आपके स्तर के हिसाब स ऊची थी ?

श्रीमान वह सिफ एक शिष्टाचार भेंट थी । मैं श्री सुब्रह्मण्यम को भी धन्यवाद देने गया था ।'

श्री तुली ने बताया कि बैंक के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के कुछ दिन बाद से ही व श्री आर० के० धवन को जानने लगे थे। वे अपनी नियुक्ति क कुछ दिन बाद ही श्री धवन से मिलने गए थे, क्योंकि उन्होने उन्हे बुलाया था । उनका कहना था कि उनकी नियुक्ति क कुछ दिन बाद वे २० अगस्त १६७५ का श्रीमती गाधी से मिलने गए थ ।

श्री तुली जस्टिस शाह के प्रश्नो स कुछ परेशान म हो गए थ,

और उन्होंने सवालो का उलटा-सीधा जवाब दिया। जब जस्टिस शाह ने उनसे पूछा क्या वे वहा श्री सजय गाधी से भी मिले थे?" उन्होने जवाब दिया, 'हा मैं प्रधानमत्री से भी मिला था।"

जिरह के बाद आयोग के वकील श्री काल खडालावाला और सरकारी वकील श्री प्राणनाथ लेखी ने सिद्ध करना चाहा कि श्री तुली ने मारुति को दिए गए ऋण पर पनल्टी ब्याज म इसलिए छूट दी क्योकि उनसे ऐसा करने को कहा गया था। इसपर जस्टिस शाह ने कहा कि यह ऋण श्री तुली की नियुक्ति से पूर्व ही दे दिया गया था तथा एक बैकर के नाते उन्होंने इसकी वसूली के लिए एक तरीका यह भी अपनाया था कि 'इस प्रकार स छूट देकर जितना ऋण वापस लिया जा सके ले लिया जाए इसलिए इस मामल म हम देखना होगा कि ज्यादती कहा हुई है। परन्तु दोनो वकीलो का मानना था कि श्रीमती गाधी द्वारा नियुक्त कराए जाने के कारण ही श्री तुली ने यह नरमी दिखाई थी परन्तु जस्टिस शाह इस विचार स सहमत नही जान पडे।

११ गैर-सरकारी हैसियत

यह सही है देश क प्रधानमत्री का काफी अधिकार होते हैं परतु इसका तात्पय यह नही है कि उनके परिवारजनो और परिचितो को भी बिना किसी सरकारी हैसियत के ऐसे अधिकार मिल जाते हैं जिनके अन्तगत वे सरकारी बैठको म भाग ले सकें या अपने प्रभाव का उपयोग कर निजी काम करा सकें।

एमरजेसी के दौरान तत्कालीन प्रधानमत्री श्रीमती इन्दिरा गाधी के दोनो पुत्र श्री राजीव और श्री सजय गाधी तथा उनके निकटस्थ स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी द्वारा जिस प्रकार से गैर-सरकारी हैसियत का उपयोग किया गया वह अपने-आपमे एक उदाहरण है।

(१) सजय की आगरा-यात्रा

एमरजेसी के दौरान न सिर्फ छोटे-बड़े सरकारी अधिकारियो म बल्कि राज्यो के मुख्यमत्रियो म भी श्री सजय गाधी का प्रसन्न करने की होड-सी लगी हुई थी। उनकी इस गैर-सरकारी हैसियत

के बावजूद उनके निर्देशो के प्रति सहमति न रखने वाले अधिकारियो को हटाया जा रहा था या फिर स्थानातरित किया जा रहा था। इसी सदभ म एक छोटी-सी घटना है उनकी आगरा-यात्रा की, जब उत्तरप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमत्री श्री नारायण दत्त तिवारी न सभी कायदे-कानूनो को ताक पर रखकर उनकी खातिरदारी म अपन को बिछा दिया था।

किस्सा २ मई १९७६ का है जब श्री गाधी श्री तिवारी के साथ आगरा गए। उन्होने दिल्ली स आगरा तक की यात्रा कार से की। उनके साथ केन्द्र तथा राज्य सरकार के कुछ अधिकारी भी थे। भारत सरकार म अतिरिक्त पयटन महानिदेशक श्री बी० एस० गिडवानी को, जो होनोलूलू म 'पाटा' के एक सम्मेलन मे भारतीय प्रतिनिधि मडल का नेतृत्व कर रहे थे २ मई को आगरा पहुचने के निर्देश दिए गए थे।

श्री गाधी आगरा जाते समय बीच रास्ते म कोसी स्थित भारतीय पयटन विकास निगम द्वारा चलाए जा रहे एक रेस्तरा पर रुके। यह रेस्तरा बहुत घाटे म चल रहा था तथा इसे लाभ म चलान क लिए कई योजनाए विचाराधीन थी। इन योजनाओ म से एक यह भी थी कि राज्य सरकार या तो स्वय रेस्तरा से आगरा दिल्ली सडक के बीच की भूमि की दृश्यावली को सुदर बनाए या फिर यह भूमि निगम को दे दे ताकि वह यह काम कर सके। यह मामला कई महीनो से यूही पडा था। २ मई की इस विशेष यात्रा के दौरान पयटन विभाग द्वारा वहा एक बठक आयोजित की गई, जिसकी कायवाही की रिपोट स पता चलता है कि श्री सजय गाधी ने सहमति प्रदान की तथा मुख्यमत्री ने आदेश प्रदान किए कि इस क्षेत्र को सुदर बनाने के लिए कोसी रेस्तरा के आसपास की भूमि का तुरत पयटन विकास निगम को दे दिया जाए। वास्तव मे मुख्यमत्री न वहा उपस्थित पयटन निगम के अधिकारियो म कहा कि आप यह समझिए कि यह भूमि आज ही स आपकी है।

निगम की उप महानिदेशक श्रीमती विभा पार्थी के अनुसार पयटन तथा नागरिक उड्डयन मत्री को इसकी जानकारी दे दी गई तथा उन्होने स्वय इस योजना म अपनी विशेष रुचि दिखाते हुए इस काय पर काम चालू कराने के मौखिक आदेश दे दिए

जबकि अभी औपचारिकताए भी पूरी नही हो पाई थी। बाद म १९७७ ७८ के वार्षिक पयटन योजना म काफी विचार विमश के बाद भी योजना सचिव इस योजना पर सहमत नही हो सके। परन्तु इस बीच इस योजना पर निर्देशानुसार काय प्रारम्भ भी हो चुका था इसलिए बाद म मन्त्रीजी को स्वय इसकी स्वीकृति प्रदान करनी पडी।

जब तिवारी सजय की कुर्सी के चक्कर लगाते रहे

आगरा पहुचने के बाद वहा के सकिट हाउस म केन्द्र तथा राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियो की एक बठक म आगरा म पयटको की सुविधा के बारे म विचार विमश हुआ। बठक प्रारम्भ होने ही श्री गाधी कमरे म आए तथा मुख्य कुर्सी पर बठ गए और श्री तिवारी उनके चारो ओर चक्कर लगाते रह। वास्तव म श्री गाधी द्वारा ही बैठक सचालित की गई जबकि श्री तिवारी अधिकारियो को बुलाने तथा निर्देश देत हुए उनकी सहायता करते रहे। इस पूरी बठक की कायवाही राज्य सरकार के सचिव द्वारा रिकाड की गई। बैठक की कायवाही के अनुसार श्री सजय गाधी ने भी बैठक मे हुए विचार विमश म भाग लिया तथा योजनाओ के कार्यान्वयन के लिए उचित निणय तक पहुचने म अपन सुझाव दिए।

इस बैठक म जिन योजनाओ पर विचार विमश किया गया, उनम से एक थी मथुरा रोड पर टामपोट नगर बसाने की। इस योजना के अ तगत यमुना किनारे पर बसे ट्रक आपरेटरो को इस नये स्थान पर बसाना था। श्री गाधी ने बठक म कहा कि यह योजना ३० जून १९७६ तक समाप्त हो जानी चाहिए। इसपर आगरा विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियन्ता श्री एस० एन० पी० अग्रवाल ने बताया कि मथुरा रोड वाले प्रस्तावित स्थान पर जगह जगह गहरे गड्ढे हैं तथा पूरी चेष्टा के बावजूद इस योजना को ३० जून तक समाप्त करना सभव नही हो पाएगा।

यदि काम नहीं कर सके तो हटा दो

श्री गाधी न इस बात को पसद नही किया और श्री तिवारी स कहा यदि यह इजीनियर यह काम नही कर सकता है तो इस

दूसरे स्थान पर भेज दो।' बाद में श्री गांधी ने घोषणा भी कर दी कि यह योजना ३० जून तक पूर्ण हो जाएगी और श्री तिवारी एक जुलाई को इसका उद्घाटन करेंगे। इस योजना को पूरा करने के लिए भारतीय थलसेना की जमीन साफ करने की भारी मशीनों का भी उपयोग किया गया तथा एक ले० कर्नल को इस पूरे कार्य का इंचार्ज बनाया गया, ताकि काम ३० जून तक पूरा हो सके।

श्री गांधी द्वारा इस बैठक में एक नहीं कई निर्णय लिए गए। उन्होंने इच्छा प्रकट की थी कि छावनी क्षेत्र में पांच स्टार होटलों के लिए जगह तलाश की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि महात्मा गांधी रोड बहुत ऊटपटांग बनी हुई है उसे सुधारा जाए। उन्होंने यह भी सलाह दी कि आगरा विकास निगम द्वारा सभी प्रमुख स्मारकों पर दो रुपये का प्रवेश शुल्क लगा देना चाहिए।

राजनीति के आकाश में नये सितारे का उदय

बैठक के बाद शाम को सात बजे एक सार्वजनिक सभा हुई, जिसमें मुख्यमंत्री तथा श्री गांधी ने भाषण दिए। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि राजनीति के आकाश में एक नये सितारे का उदय हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री संजय गांधी ने आगरा की लम्बे अर्से से चली आ रही कई समस्याओं का समाधान कर दिया है। उन्होंने यह भी वायदा किया कि वे तथा उनकी सरकार भविष्य में श्री गांधी द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार काम करेंगी।

संजय के सुझाव न मानने पर स्थानांतरण

आगरा संभाग के तत्कालीन आयुक्त श्री के० किशोर ने आयोग को दिए अपने बयान में बताया कि उनको बिना कोई कारण बताए स्थानांतरित कर दिया गया। उनकी गलती संभवतः यही थी कि उन्होंने आगरा के विकास कार्यों में श्री गांधी द्वारा सुझाए गए तरीकों के प्रति असहमति व्यक्त की थी।

मैं नहीं, वे मेरे साथ गए थे

जस्टिस शाह ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा आप श्री गांधी के साथ आगरा जाने के लिए विशेष रूप से दिल्ली आए

थे ?' श्री तिवारी ने कहा, श्री गाधी मेरे साथ गए थे, मैं उनके साथ नही गया था। (इसपर हाल हसी के ठहाका से गूज उठा)

उन्होंने कहा, 'मुझे कुछ केन्द्रीय मंत्रियो के साथ विचार विमश करने के लिए दिल्ली बुलाया गया था। अगले दिन मैं आगरा के लिए रवाना हुआ। श्री गाधी को भी वहा युवक काग्रेस तथा गुरु तेगबहादुर के एक सौ वष समारोह समिति की ओर से बुलाया गया था।

श्री तिवारी न बताया कि आगरा के रास्ते कासी म हुई बठक कोई औपचारिक बठक नही थी तथा इस बठक म श्री गाधी के कुछ सुझावो क प्रति सिफ सहमति व्यक्त की गई थी। इसपर जस्टिस शाह ने कहा जब यह बठक औपचारिक ही थी, तब इसकी काय वाही क्या लिखी गई ?'

मैंने किसीसे कायवाही लिखने को नही कहा था तथा पयटन विकास निगम को भूमि दिए जान के आदेश मैंने दिए थे श्री गाधी ने नही।'

श्री गाधी की पयटन विकास निगम तथा उत्तरप्रदेश सरकार म क्या हैसियत थी ?

' वे भारत के युवको के एक प्रमुख गर सरकारी प्रतिनिधि थे।

श्री तिवारी न बडी मासूमियत स कहा लगता है पयटन मत्रालय ने कायवाही बहुत ही हलके तरीके से लिखी है।'

उन्होंने इस बात स इकार किया कि आगरा के सकिट हाउस म हुई बठक की अध्यक्षता श्री गाधी न की थी। उन्होंने कहा कि बैठक की अध्यक्षता श्री गाधी ने नही बल्कि उन्होंने की थी। उनकी समझ म नही आ रहा कि श्री किशोर ने किस प्रकार से यह कहा कि मैं उनकी कुर्सी के आगे पीछे घूम रहा था। व तो एक बहुत अच्छे अधिकारी हैं।

फिर उनका क्या स्थानातरण किया गया ?'

' हम वहा और अच्छा अधिकारी चाहते थे।'

परन्तु अभी-अभी आपने कहा है कि व एक अच्छे अधिकारी हैं ? (श्री तिवारी इसका कुछ जवाब नही दे सके।)

श्री तिवारी ने बताया कि इतने कम समय म ट्रासपोट नगर बनाए जाने पर हम बधाई दी जानी चाहिए, यह एक आश्चय था। इसपर जस्टिस शाह ने कहा मैं काम की निन्दा नही कर

रहा हू। मैं आपको आपके उस व्यवहार के लिए बधाइ भी दे रहा हू जा आपन उस बठक मे किया था।'

(11) बोइग विमानो की खरीद

एमरजेंसी के दौरान सरकारी बठका म विचार विमश क समय सजय गाधी ता भाग लिया ही करत थे इसी प्रकार की एक बठक म उनके बडे भाई श्री राजीव गाधी न भी भाग लिया था और वह अवसर था इडियन एयरलाइस के लिए बोइग ७३७ विमाना की खरीद के सम्बन्ध म हुई बठक का।

अक्तूबर १९७६ के प्रारम्भ म इडियन एयर लाइस के तत्कालीन अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक श्री ए० एच० मेहता के कमर म हुई एक बठक म एयर लाइस के निदेशक (वित्त) श्री कृपालचन्द क अतिरिक्त निदेशक (आपरेशस) कप्टन ए० एन० कपूर ने भी भाग लिया। इस बठक मे कप्टन कपूर के साथ श्री राजीव गाधी भी आए थे तथा व विचार विमश के पूरे समय वहा मौजूद थ। बठक म कुछ विमाना की क्षमताओ के बार म चर्चा हुई जिसम बोइग ७३७' विमान भी शामिल था। बठक म बोइग ७३७ से सम्बधित वित्तीय प्रावधाना जसी गोपनीय फाइल दिखाई गई। ३० २५ करोड रुपये की लागत के इन विमाना की खरीदे जाने के सम्बन्ध म मत्रालय द्वारा बिना किसी सिस्टम स्टेडी के सीध ही स्वीकृति दे दी गई। इसके बार म बताया गया कि बोइग कम्पनी ने इन विमाना की खरीद के सम्बन्ध म अतिम तारीख ८ अगस्त, १९७७ दी थी और उस समय तक कोई फसला न होने के कारण ही इतनी जल्दी की गई, क्योकि इसम देर होने पर इन विमाना का और अधिक मूल्य देना पड सकता था।

इस बीच ऐसा पता चला था कि एयर लाइस के प्रबन्ध निदेशक श्री मेहता इन विमाना के स्थान पर कोई अन्य विमान खरीदे जान के इच्छुक थे और इसी आधार पर ४ अक्तूबर १९७६ को केन्द्रीय जाच ब्यूरो के निदेशक श्री देवेन्द्र सेन ने श्री मेहता के भ्रष्टाचार म लिप्त होन के बार म एक गुप्त नोट लिखा था। उसके बाद १२ नवम्बर १९७६ को लिखे दूसरे नोट म उन्होने लिखा था कि श्री मेहता के बारे म एक विमान बनाने वाली फम

म रवि ि्खान के सम्बन्ध म जो आरोप लगाया गया था, उसम कुछ सत्यता नजर आती है।

श्री सन न श्री मेहता स सम्बन्धित यह फाइल तत्कालीन प्रधान मन्त्री के अतिरिक्त निजी सचिव श्री धवन के पास भज दी थी।

श्री मेहता ने आयोग का न्िए अपने बयान म बताया कि कप्तन कपूर न उन्ह फोन पर कहा था कि वह एयरो जस कुछ विमाना के सम्बन्ध म उनकी सलाह चाहत है। उन्होने इस मामल म निदेशक (इजीनियरिंग) से मिलने को कहा परन्तु कप्तन कपूर का कहना था कि निदेशक (इजीनियरिंग) उपलब्ध नही है और उन्हे उनकी सलाह की तुरन्त आवश्यकता है। इसपर उन्होने उन्ह बुला लिया।

श्री मेहता न बताया कि इस बठक म कपूर के साथ श्री राजीव गाधी भी आए थ। यह दखकर उन्ह आश्चय हुआ कि इस प्रकार की बठक (विचार विमश) म श्री गाधी जस जूनियर पाइलट का क्या काम था? परन्तु चूकि कप्तन कपूर के साथ आए थे इसलिए उन्होंने कोई आपत्ति नही की। बैठक म विचार विमश के दौरान कप्तन कपूर ने बोइग ७३७ विमाना की खरीद के प्रस्ताव पर हुई प्रगति क बार म जानकारी चाही थी। जहा तक उन्हे याद है उन्होन श्री कृपानन्द स बोइग विमाना क वित्तीय प्रावधाना स सम्बन्धित फाइल श्री गाधी को दिखाने को नही कहा था। उन्होन स्वीकार किया कि श्री गाधी इस बठक के दौरान एक शब्द भी नही बोल थ।

सरकारी वकील श्री प्राणनाथ लेखी क एक प्रश्न के उत्तर म श्री मेहता ने बताया कि बोइग विमाना के वित्तीय प्रावधाना से सम्बन्धित फाइल कोई गोपनीय दस्तावेज नही थे परन्तु उनपर विश्वसनीय अवश्य लिखा था।

श्री मेहता न बताया कि उन्ह उस समय इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि केन्द्रीय जाच ब्यूरो द्वारा उनके खिलाफ कोई जाच की जा रही है। उन्ह एक अधिकारी ने बाद म बताया था कि मर खिलाफ इस प्रकार की कोई जाच चल रहा है।

केन्द्रीय जाच ब्यूरो के तत्कालीन निदेशक श्री देवेन्द्र सन न स्वीकार किया कि उन्होने श्री मेहता क सम्बन्ध म दो नोट बनाए थे तथा उनम स एक गोपनीय नोट तत्कालीन प्रधानमन्त्री क

अतिरिक्त सचिव श्री आर० के० धवन का भेजा था। उस नोट म लिखा था कि श्री मेहता के विरुद्ध सरसरी नजर मे मामला बनता है।

श्री कृपालचन्द ने जस्टिस शाह द्वारा पूछे गए प्रश्नो के उत्तर म आयोग की इस बात से सहमति व्यक्त की कि श्री गाधी की एयर लाइस म कोई हैसियत नही थी तथा एक जूनियर पाइलट के रूप म उनका सगठन के वित्तीय मामलो से कोई लेना-देना भी नहीं था।

श्री कृपालचन्द ने इस बात स इकार किया कि उन्होने श्री गाधी स बोइग विमानो की खरीदसे सम्बधित किसी भी पहलू पर कुछ विचार विमश किया था।

जस्टिस शाह न कहा जब मन्त्रिमण्डल न बोइग विमानो की खरीद पर अपनी स्वीकृति दे दी थी तब इन विमानो के बार म आपन ६ फरवरी, १६७७ को ही हस्ताक्षर करन म इतनी जल्दी क्या दिखाई ? इसके अतिरिक्त वित्त मत्रालय ने भी कहा था कि उनके अधिकारी स इस मामले म अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने स पूव सहमति ली जाए। इससे पूव कि मत्रालय को इस सम्बन्ध म सूचित किया जाता आपन हस्ताक्षर भी कर दिए।'

श्री कृपालचन्द ने इसके उत्तर म बताया कि मैंने इतनी जल्दी हस्ताक्षर इसीलिए किए क्योकि मुझे ऐसा करने को कहा गया था इसके अतिरिक्त यदि अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करन म देर हो जाती तो विमानो की सप्लाई म देर हो जाती। बोइग कम्पनी न सप्लाई के लिए ७ फरवरी अन्तिम तारीख दी थी तथा इसके बाद १५ तारीख से इनकी कीमतो मे वृद्धि हो जाती।

श्री कृपालचन्द ने एक प्रश्न के उत्तर म बताया कि ८ फरवरी को मन्त्रीजी न उन्हे बुलाया और कहा कि बोइग विमानो की खरीद म सम्बन्धित प्रस्ताव पर मन्त्रिमडल न अपनी अन्तिम स्वीकृति दे दी है। मन्त्रीजी ने नागरिक उड्डयन मत्रालय म सयुक्त सचिव श्री ए० एस० भटनागर को निर्देश दिए कि इस सम्बन्ध म औपचारिक स्वीकृति स निगम को अवगत करा दिया जाए तथा अनुबन्ध पर तुरन्त हस्ताक्षर करवा लिए जाए। मत्रालय द्वारा इन विमानो की खरीद लागत ३० २८ करोड रुपय की तुरन्त स्वीकृति दे दी गई।

उन्होने बताया कि नय विमानो की खरीद बहुत ही जरूरी थी

क्योंकि यातायात दिन प्रतिदिन तेजी से बढ रहा था और यदि और देरी होती तो इससे निगम को काफी हानि उठानी पड सकती थी।

बिना सिस्टम स्टडी के खरीद

इडियन एयर लाइस मे योजना आयोग के सलाहकार श्री नितिन देसाई ने आयोग को बताया कि विमानो की खरीद के लिए उनकी सिस्टम स्टेडी के बारे मे स्वय इडियन एयर लाइस ने मान्यता दे रखी है। उनका कहना था कि इस मामले मे भी इडियन एयर लाइस ने सिस्टम स्टडी की आवश्यकता को स्वीकार किया था परन्तु वे इसे बहुत जल्दी पूरा कराना चाहते थे क्योकि उनके अनुसार एक तो विमानो की कीमत बढने वाली थी और दूसरे १९७७ ७८ की मन्दियो के लिए काफी विमान चाहिए थे।

श्री देसाई ने बताया कि कीमत बढने के सम्बन्ध मे योजना आयोग की मान्यता थी कि वढी हुई कीमतें उस बचत से बहुत कम होती जो सिस्टम स्टेडी के बाद बचती। जहा तक १९७७ ७८ तक यातायात मे वद्धि की बात थी, योजना आयोग के अनुसार ऐसी कोई बात नही थी कि ६ महीने अथवा एक वर्ष मे यातायात पर ऐसा कोई विशेष दबाव पडने वाला है।

उन्होने कहा कि इन सबके बावजूद यदि सिस्टम स्टेडी कराई जाती तो उसमे अधिक से अधिक दो महीने का समय लगता जो बहुत अधिक नही होता। इन सब बातो के अतिरिक्त बिना सिस्टम स्टेडी के विमानो की खरीद का निर्णय योजना आयोग तथा सार्वजनिक पूजी कोष को भी स्वीकार नही था।

धवन के कहने पर

तत्कालीन उड्डयनमन्त्री श्री के० रघुरमैया तथा उनसे पूर्व इस मन्त्रालय के मन्त्री श्री राजबहादुर ने आयोग को बताया कि भूतपूर्व प्रधानमन्त्री के अतिरिक्त निजी सचिव श्री आर० के० धवन ने उनसे बोइग विमानो की खरीद के सम्बन्ध मे बातचीत की थी। उन दिनो कायदा ही यह था कि जो कुछ धवन कहते थे उसके लिए ऐसा माना जाता था कि श्रीमती गाधी कह रही हैं।

श्री रघुरमैया ने बताया कि श्रीमती गाधी को जानकारी मे अमरिका के कुछ समाचारपत्रो मे प्रकाशित यह खबर थी जिसमे

कहा गया था कि बोइंग कम्पनी ने भारत सरकार के कुछ अधिकारियो को तीन विमान खरीदे जाने के सम्बन्ध मे कमीशन दिया है। श्रीमती गाधी ने मन्त्रिमण्डल की एक बैठक म स्वय यह बात उनसे कही थी, इसपर उन्होने उनसे कहा था कि आप ही देखिए, इस मामले म क्या करना है।

इसपर जस्टिस ने कहा 'अमेरिका के समाचारपत्रो मे जिन १३ सलाहकारो के नाम छपे थे, उनमे भारतीय प्रतिनिधियो के भी नाम थे। बोइंग कम्पनी के अधिकारियो का भी कहना था कि वास्तविकता मे कुछ कमीशन दिया गया है। आपने इस मामले म क्या सोचा था?'

श्री रघुरमया ने इसके जवाब म कहा 'मैंने इस मामले को आगे नही बढाया था क्योकि इस मामले म कारवाई प्रधानमन्त्री को करनी थी, मुझे नही।

स्वास्थ्य अच्छा है इसलिए राज्यपाल नहीं बनना चाहता

श्री रघुरमया न बताया कि वे नही जानते कि इस मामले म सिस्टम स्टेडी क्या नही कराई गई, क्योकि जब यह बात हो रही थी, व मन्त्री नही थ। इसपर श्री राजबहादुर न कहा कि उन्होन श्रीमती गाधी से सिस्टम स्टेडी कराने की बात कही थी तब उनसे कहा गया कि आप यह पद छोड दें तथा त्यागपत्र दे दें। इसके बाद उनसे किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर जाने का प्रस्ताव किया गया परन्तु उन्होने यह कहकर इकार कर दिया कि अभी मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है।'

उन्होने कहा कि यह कहना गलत होगा कि विमान की खरीद म कोई जल्दबाजी की गई थी तथा यह कहना भी गलत है कि उन्होने बोइंग ७३७ खरीदने म ही कोई विशेष दिलचस्पी ली थी। कौन-सा विमान खरीदा जाना है यह बात उन्होने तकनी शियनो पर छोड दी थी।

श्री राजबहादुर ने इस बात से इकार किया कि श्री राजीव गाधी एयर लाइस क प्रशासनिक मामलो म कोई हस्तक्षेप किया करते थे।

क्योकि यातायात दिन प्रतिदिन तेजी स बढ रहा था और यदि और देरी हाती ता इसस निगम को काफी हानि उठानी पड सकती थी।

बिना सिस्टम स्टेडी के खरीद

इडियन एयर लाइस म योजना आयोग के सलाहकार श्री नितिन देसाई न आयोग को बताया कि विमाना की खरीद के लिए उनकी सिस्टम स्टेडी के बारे मे स्वय इडियन एयर लाइस ने मान्यता दे रखी है। उनका कहना था कि इस मामले म भी इडियन एयर लाइस न सिस्टम स्टेडी की आवश्यकता को स्वीकार किया था, परन्तु वे इस बहुत जल्दी पूरा कराना चाहत थे, क्योकि उनके अनुसार एक ता विमाना की कीमत बढने वाली थी और दूसरे १६७७ ७८ की सर्दिया के लिए काफी विमान चाहिए थे।

श्री देसाई ने बताया कि कीमत बढने के सम्बन्ध म योजना आयोग की मान्यता थी कि बढी हुई कीमतें उस बचत स बहुत कम हाती जो सिस्टम स्टेडी के बाद बचती। जहा तक १६७७ ७८ तक यातायात म वद्धि की बात थी योजना आयाग के अनुसार ऐसी कोई बात नही थी कि ६ महीने अथवा एक वप मे यातायात पर ऐसा कोई विशप दबाव पडने वाला है।

उन्हाने कहा कि इन सबके बावजूद यदि सिस्टम स्टेडी कराई जाती तो उसम अधिक से अधिक दो महीने का समय लगता जो बहुत अधिक नही होता। इन सब बातो के अतिरिक्त बिना सिस्टम स्टेडी के विमानो की खरीद का निणय योजना आयोग तथा सावजनिक पूजी कोप को भी स्वीकार नही था।

धवन के कहने पर

तत्कालीन उड्डयनमन्त्री श्री के० रघुरमया तथा उनसे पूव इस मन्त्रालय के मन्त्री श्री राजबहादुर ने आयोग को बताया कि भूतपूव प्रधानमन्त्री के अतिरिक्त निजी सचिव श्री आर० के० धवन न उनसे बाइग विमानो की खरीद के सम्बन्ध म बातचीत की थी। उन दिना कायदा ही यह था कि जो कुछ धवन कहते थे उसके लिए ऐसा माना जाता था कि श्रीमती गाधी कह रही हैं।

श्री रघुरमया ने बताया कि श्रीमती गाधी की जानकारी म अमरिका के कुछ समाचारपत्रो म प्रकाशित यह खबर थी जिसमे

विमान को आयात करने खरीदन और हवाई पटटी के निर्माण की अनुमति भी मिल चुकी थी जबकि इस मामले म सामान्यत कितना समय लग सकता है इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है।

विमान खरीदने की अनुमति

स्वामीजी न सबस पहल जम्मू काश्मीर सरकार का २६ माच १९७६ का एक पत्र लिखा जिसम उन्हान मतलाई म निजी हवाई पटटी बनाने की अनुमति देन तथा इस सम्बन्ध म कोई आपत्ति न होन का प्रमाण पत्र चाहा। राज्य के मुख्यमन्त्री न दो दिन के भीतर ही इसे स्वीकृति प्रदान करते हुए लिखा कि उन्हे कोई आपत्ति नही है।

स्वामीजी न उसी दिन वैमानिक निरीक्षण निदेशक श्री वी० एन० कपूर का एक पत्र लिखकर आवेदन किया कि वे कृषि के काय के लिए अमेरिका की मौले कम्पनी द्वारा बना गया एम ५' किस्म का विमान आयात करना चाहते हैं तथा यह विमान कम्पनी द्वारा अपर्णा आश्रम का उपहारस्वरूप दिया जा रहा है।

जाच करन पर पता चला कि मौले कम्पनी एम ५ श्रेणी म कृषिकाय के लिए कोई विमान बनाती ही नही है। श्री कपूर ने नागरिक उडडयन महानिदशक श्री रामअमृतम स विचार विमश कर ३१ माच को स्वामीजी का एक पत्र लिखकर कहा कि आप एक दूसरा आवेदन करें जिसम इस बात का जिक्र नही होना चाहिए कि विमान का उपयोग किस काम म किया जाएगा। इसके बाद २ अप्रल १९७६ को महानिदशक नागरिक उडडयन न व्यक्तिगत उपयोग दिखाते हुए विमान की स्वीकृति प्रदान कर दी। इसी दिन स्वामीजी का आवदन जम्मू-कश्मीर सरकार की स्वीकृति तथा श्री कपूर के नोट के साथ नागरिक उडडयन मत्रालय भेज दिया गया।

श्री कपूर का कहना था कि उन्होने कृषि के बजाय व्यक्तिगत उपयोग के लिए विमान का इसी आधार पर सुझाव दिया था कि इससे नागरिक उडडयन म विकास होगा। श्री कपूर क अनुसार उपहारस्वरूप दिए गए विमान के लिए अनुमति दना असाधारण नही था इसस पूव महर्षि महश योगी का भी इसी आधार पर विमान आयात करन की अनुमति दी गई थी।

श्री रामअमृतम न आयोग को बताया कि चूकि आवदन पर

(III) स्वामीजी और विमान

नई दिल्ली म अशोक रोड पर गोल डाकखाने क एक किनारे पर स्थित विश्वायतन योगाश्रम और उसके सचालक स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी एमरजेंसी के दौरान काफी चर्चित रहे थे। कहा जाता है कि स्वामीजी का तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रीमती इदिरा गाधी तथा उनके परिवारजनो से बडा निकट का सम्बन्ध था और उनका उन लोगो पर काफी प्रभाव भी था। इस प्रभाव का उपयोग करते हुए तथा श्रीमती इन्दिरा गाधी के परिवार के साथ उनके निकट के सम्बन्धो के कारण वे राज्यो तक प्रभावी थे और उनके एक पत्र लिखने मात्र से ही कई काम हो जाया करते थे।

अपर्णा आश्रम

स्वामीजी ने जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर जिले म मतलाई म अपना एक आश्रम बनाया जिसका नाम रखा 'अपर्णा आश्रम'।

६ ३०० फुट की ऊचाई पर ५० एकड भूमि म बना यह आश्रम तीन ओर स पहाडो स घिरा हुआ है। इसके चारो ओर देवदार के वृक्ष लगे हैं। आश्रम म ५०० विभिन्न किस्मो के सेबो के पेड लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त कैलीफोर्निया के बादाम इटली की लीची तथा अच्छी किस्म के नीबू और लाल माल्टा भी लगे हुए हैं। आश्रम के बीच म स्थित बाग म ७५ फुट चौडा ३५ फुट लम्बा और ११ फुट गहरा आम की आकार का तरने का एक तालाब है जिसके लिए छ किलोमीटर दूर से पानी लाया जाता है।

यह आश्रम पूर्ण रूप से सीमेंट-कक्रीट का बना हुआ है। इसके कमरे वातानुकूलित साउड प्रूफ तथा डैम्प प्रूफ हैं। आश्रम म एक विशेष गुफा बनाई गई है जिसपर किसी चीज का असर नही हो सकता। कहा जाता है कि यह विश्व म अपनी किस्म की एक ही गुफा है। इस गुफा म शिष्यो को योग सिखाने का प्रबन्ध है।

इस खूबसूरत आश्रम तक सडक के रास्ते जाना असम्भव नही तो मुश्किल जरूर है। इसीलिए स्वामीजी ने एक विमान आयात करने का कार्यक्रम बनाया। स्वामीजी ने इसके बारे म पहला पत्र २६ मार्च १९७६ को जम्मू कश्मीर के मुख्यमन्त्री को लिखा था। कई मन्त्रालयो की खाना पूरी के बाद ३१ दिसम्बर १९७६ को इस

विमान का आयात करने खरीदने और हवाई पटटी के निर्माण की अनुमति भी मिल चुकी थी जबकि इस मामले म सामान्यत कितना समय लग सकता है इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है।

विमान खरीदने की अनुमति

स्वामीजी न सबसे पहल जम्मू काश्मीर सरकार को २६ माच १९७६ को एक पत्र लिखा जिसम उन्हाने मतलाई मे निजी हवाई पटटी बनाने की अनुमति देने तथा इस सम्बन्ध म काई आपत्ति न हाने का प्रमाण पत्र चाहा। राज्य क मुख्यमन्त्री न दो दिन के भीतर ही इस स्वीकृति प्रदान करत हुए लिखा कि उन्हे कोई आपत्ति नही है।

स्वामीजी न उसी दिन वमानिक निरीक्षण निदेशक श्री वी० एन० कपूर का एक पत्र लिखकर आवदन किया कि व कृषि के काय के लिए अमेरिका की मौले कम्पनी द्वारा बना गया एम ५' किस्म का विमान आयात करना चाहते हैं तथा यह विमान कम्पनी द्वारा अपणा आश्रम को उपहारस्वरूप दिया जा रहा है।

जाच करन पर पता चला कि मौले कम्पनी 'एम ५ श्रेणी म कृषिकाय के लिए कोई विमान बनाती ही नही है। श्री कपूर न नागरिक उडयन महानिदेशक श्री रामअमृतम स विचार विमश कर ३१ माच को स्वामीजी को एक पत्र लिखकर कहा कि आप एक दूसरा आवदन करें जिसम इस बात का जिक्र नही हाना चाहिए कि विमान का उपयाग किस काम म किया जाएगा। इसके बाद २ अप्रल, १९७६ को महानिदेशक नागरिक उडयन न व्यक्तिगत उपयोग दिखाते हुए विमान की स्वीकृति प्रदान कर दी। इसी दिन स्वामीजी का आवदन जम्मू कश्मीर सरकार की स्वीकृति तथा श्री कपूर के नोट के साथ नागरिक उडडयन मत्रालय भेज दिया गया।

श्री कपूर का कहना था कि उन्होंने कृषि के बजाय व्यक्तिगत उपयोग के लिए विमान का इसी आधार पर सुझाव दिया था कि इसमे नागरिक उडडयन म विलम्ब हागा। श्री कपूर के अनुसार उपहारस्वरूप दिए गए विमान के लिए अनुमति देना असाधारण नही था इसस पूव महर्षि महेश योगी का भी इसी आधार पर विमान आयात करन की अनुमति दी गई थी।

श्री रामअमृतम न आयाग का बताया कि चूकि आवदन पर

मौने कम्पनी से पत्र यह लिखा लिया था कि विमान उपहार स्वरूप दिया जा रहा है ताकि सभी प्रकार की तकनीकी आपत्तियों से बचा जा सके।

सूचना मिलने पर भी कारवाई नहीं

प्रवतन निदेशालय में २८ अप्रैल को एक व्यक्ति एक पत्र लेकर आया, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली के विश्वायतन योगाश्रम के स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी दो-तीन दिन में एक प्रतिनिधि मण्डल के साथ लदन रवाना होने वाले हैं। उन्होंने यहां एक व्यक्ति वीरेन्द्र जैन के जरिये साढ़े तीन लाख रुपये मूल्य के डालर खरीदे है तथा आगे और भी खरीदे जाने वाले हैं। सूचना देने वाले ने इस पत्र में अपना नाम, पता और टेलीफोन नम्बर भी लिखा था ताकि बाद में उससे सम्पर्क किया जा सके।

यह पत्र प्रवतन अधिकारी श्री आर० एस० सेठ को दिया गया था और उन्होंने उप निदेशक श्री ए० एम० सिन्हा को इस बारे में सूचित कर दिया था। श्री सिन्हा ने निदेशक श्री एस० बी० जैन से उसी दिन फोन पर बात कर कहा कि यह सूचना अस्पष्ट लगती है इसलिए इसपर कोई कारवाई करने की आवश्यकता नही है। इसके बाद में १२ मई को कारवाई न करने के निर्देश दिए गए जबकि स्वामीजी २७ अप्रैल को ही दिल्ली से रवाना होकर लन्दन के रास्ते ३० अप्रैल को अमेरिका पहुच चुके थे और बाद में २४ मई को वहां से दिल्ली लौट आए थे।

अस्पष्ट सूचना के कारण कार्रवाई नहीं

श्री सिन्हा ने इस बारे में अपनी सफाई देते हुए कहा कि चूंकि प्राप्त सूचना बहुत ही अस्पष्ट थी इसीलिए उसपर कोई कारवाई नही की गई। उन्होंने उस व्यक्ति को जिसने सूचना दी थी, उसी दिन शाम को बुलाने को कहा था परन्तु वह आया नही। इस बीच वे इस मामले में और सूचनाएं प्राप्त करना चाहते थे। इसके बाद उन्हें मालूम पड़ा कि स्वामीजी लन्दन के लिए रवाना भी हो गए हैं उसके बाद कोई कारवाई करना बेकार था।

श्री जैन का कहना था कि इस प्रकार के मामलों को श्री सिन्हा ही देखते थे और जब उन्होंने उन्हें फोन कर कहा कि 'सूचना के

स्पष्ट होने के कारण वे उसपर कोई कारवाई नही कर रहे है, तो उनके द्वारा स्वय इस मामले म कोई कारवाइ करन का सवाल ही नही था। यदि श्री सिन्हा उनम कोई सुझाव मागते तो वे जरूर कोई कारवाई करने का कहते।

चुगी मे छूट

स्वामीजी द्वारा आयातित विमान क लिए चुगी म छूट देने सम्बन्धी आवेदन पर भी सिफ छ दिनो के भीतर ही स्वीकृति प्रदान कर दी गई जबकि वित्तमत्रालय के एक अधिकारी न इस उचित नही बताया था।

स्वामीजी ने विमान के लिए चुगी म छूट दने के सम्बन्ध म केन्द्रीय एक्साइज एव कस्टम बोड क सचिव को एक जुलाई को पत्र लिखा। पत्र का जवाब न आने पर उन्हान दूसरा पत्र १२ जुलाई का श्री प्रणव मुखर्जी को तथा उसकी प्रतिलिपि श्री धवन को भेजी। २३ जुलाई को बाड के सम्बधित विभाग न आवेदन को इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया क्योकि उनक अनुसार यह आश्रम एक मान्यताप्राप्त सस्था नही था तथा खरीदे जाने वाले विमान के बारे म यह नही बताया गया था कि वह शक्षणिक कार्यों म ही काम आएगा। विभाग क एक इस नोट पर अवर सचिव श्री ए० क० सरकार न भी अपनी सहमति प्रदान की थी। अवर सचिव ने यह नोट उसी दिन उपसचिव श्री बी० के० गुप्ता को भेज दिया था।

श्री गुप्ता ने इस आवेदन पर बात करके टिप्पणी लिखकर इसे श्री सरकार के पास वापस भेज दिया। २६ जुलाई का श्री गुप्ता ने इसपर लिखा कि इस मामले पर गहराई से विचार करने का निणय लिया गया है। इससे पूव उन्होने शिक्षा मन्त्रालय के पास भी उक्त नोट सुझाव के लिए भेजा।

शिक्षा मत्रालय ने २७ जुलाई को लिखे अपने नोट म कहा कि मत्रालय के पास इस आश्रम की गतिविधियो के बारे म कोई सूचना नही है। ऐसी स्थिति म मत्रालय इस प्रस्ताव पर कोई टिप्पणी नही कर सकता।

शिक्षा मत्रालय स इस प्रस्ताव के वापस आन पर श्री गुप्ता ने इसपर वित्त सचिव श्री एच० एन० रे सदस्य (टरिफ) श्री के०

नरसिम्हन, सदस्य (कस्टम) श्री एम० ए० रंगास्वामी, तथा बकिंग और राजस्वमंत्री श्री प्रणव मुखर्जी से विचार विमर्श किया। विचार विमर्श के बाद श्री गुप्ता ने २८ जुलाई को इस प्रस्ताव को इस आधार पर स्वीकार कर लिया कि इस आश्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को योग का नि शुल्क प्रशिक्षण देना है विमान उपहारस्वरूप दिया जा रहा है तथा उसके लिए कस्टम विभाग की स्वीकृति भी ली जा चुकी है। इसके अतिरिक्त आश्रम जिस ऊंचाई पर बना हुआ है उसको देखते हुए आने जाने के लिए विमान की आवश्यकता महसूस की जा सकती है।

हवाई पट्टी की अनुमति

विमान खरीदने के लिए समस्त खानापूरी भी हो गई और विमान खरीद लिया गया परन्तु जब तक मंतलाई स्थित आश्रम में विमान उतरने के लिए हवाई पट्टी नहीं हो तो विमान का आयात करना ही बेकार था। इसलिए हवाई पट्टी बनाने का काय भी शुरू हुआ और उसके साथ ही उसकी अनुमति के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को आवेदन किया गया।

स्वामीजी ने २० अगस्त १९७६ को महानिदेशक को लिखे एक पत्र मे हवाई पट्टी बनाने की अनुमति देने की प्रार्थना की तथा उस स्थान पर किसी अधिकारी को भी निरीक्षण हेतु भेजने का निवेदन किया। इस काय के लिए एयरोडम अधिकारी श्री के० सी० दुग्गल वहा गए। उन्होंने पाया कि हवाई पट्टी बनाने का काम शुरू हो गया है तथा भूमि को समतल किए जाने तक का काम हो भी चुका है। श्री दुग्गल ने इस बारे में २७ अगस्त को एक रिपोर्ट बनाकर अपने विभाग को दी। यह रिपोर्ट अनुमति के लिए वायु सेना मुख्यालय भेजी गई जहां से उसे इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि प्रस्तावित हवाई पट्टी सेना के सामरिक महत्त्व के स्थान के बहुत पास ही स्थित है और उक्त स्थल से १५ मील दूर ही सैनिक हवाई अड्डा है।

स्वामीजी ने २७ नवम्बर को एक बार फिर महानिदेशालय मे इसकी अनुमति प्रदान करने के लिए पत्र लिखा जिसे एक बार फिर वायुसेना मुख्यालय भेजा गया जहां से उसे फिर अस्वीकृत कर दिया गया।

रक्षामंत्री से अनुरोध

स्वामीजी ने २३ दिसम्बर को तत्कालीन रक्षामंत्री श्री बंसीलाल को एक पत्र लिखा और पत्र के साथ उप निदेशक (योजना) श्री एस० के० बोस द्वारा वायुसेना मुख्यालय को लिखे पत्र की वह प्रतिलिपि भी भेजी, जिसमें उन्होंने इस मामले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया था। (यह आश्चर्य की बात थी कि मंत्रालय के इस गोपनीय पत्र की प्रतिलिपि स्वामीजी के पास कैसे पहुंची।) स्वामीजी ने रक्षामंत्री को लिखे पत्र में हवाई पट्टी बनाने की अनुमति दिलाने के लिए व्यक्तिगत रूप में रुचि लेकर यह कार्य करने का अनुरोध किया था, परन्तु इस सबके बावजूद मुख्यालय ने श्री बोस को निर्णय में कोई परिवर्तन न करने के बारे में सूचित कर दिया।

सामरिक महत्त्व के स्थान से निकटता के कारण अनुमति नहीं

मुख्यालय में इस बारे में हुए पत्राचार से पता चलता है कि एयर कमाण्डर श्री पी० पी० सिंह ने जो निदेशक (गुप्तचर) का भी कार्य कर रहे थे ३० दिसम्बर को एक नोट लिखा था, जिसमें कहा गया था कि मंतलाई क्षेत्र की सामरिक महत्त्व के स्थान के साथ निकटता को देखते हुए अनुमति नहीं दी जा सकती। श्री सिंह ने ३१ दिसम्बर को लिखे गए दूसरे नोट में कहा था कि प्रस्तावित स्थान सामरिक महत्त्व के स्थान से सिर्फ ७ मील दूर तथा सैनिक हवाई अड्डे से १५ मील दूर है। वहां पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही ओर से रास्ता है क्योंकि बाकी तीन ओर पहाड़ियां हैं। इसके अतिरिक्त विमान का उपयोग विदेशी शिष्यों को लाने-ले जाने में भी किया जाएगा जो सुरक्षा के लिहाज से उचित नहीं है।

श्री सिंह के ये दोनों नोट मंत्रालय में संयुक्त सचिव (वायु सेना) के पास पहुंचा दिए गए, परन्तु ये नोट श्री सिंह को लौटा दिए गए और बाद में उन्हें रद्द भी कर दिया गया। श्री सिंह ने बाद में ३० दिसम्बर की तारीख में ही एक अन्य नोट लिखा जिसमें कहा गया था कि वृहत्तर हितों को देखते हुए कड़ी शर्तों के साथ मंतलाई में हवाई पट्टी बनाने की अनुमति दी जा सकती है। श्री

सिंह ने यह नोट लिखा से पूर्व वायुसेनाध्यक्ष से भी मुलाकात की थी।

जासूसी की आशंका का खंडन

श्री सिंह ने आयोग को इस आशंका का निर्मूल बताया कि इस विमान के जरिये विदेशी लोग भारत पर जासूसी कर सकते थे या फिर इस हवाई पट्टी का उपयोग इसी प्रकार की किसी कारवाई के लिए किया जा सकता था।

जस्टिस शाह ने इस बात पर खेद प्रकट किया कि 'एक व्यक्ति के हित के लिए देश के हितों को ध्यान में नहीं रखा गया तथा एस स्थानों पर हवाई पट्टी बनाने की अनुमति दे दी गई जो सामरिक महत्त्व का स्थान था और जिससे देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता था।

श्री सिंह ने जस्टिस शाह को इस बारे में संतुष्ट करने की काफी चेष्टा की कि मतलाई हवाई पट्टी बनाने की इजाजत बहुत सोच समझकर तथा कड़ी शर्तों के साथ दी गई थी।

उन्होंने कहा कि जहां तक स्वामीजी के विमान के जासूसी का सवाल है उसमें आधुनिक इलेक्ट्रोनिक यंत्र नहीं लगाए जा सकते थे। सिर्फ छोटे किस्म के कमरे ही लगाए जा सकते थे। इसके अतिरिक्त राडार से विमान का निरीक्षण भी किया जा सकता था, इसपर जस्टिस शाह ने पूछा क्या राडार यह पता लगा सकता था कि विमान के अन्दर शत्रु बैठा है या मित्र जबकि आपने स्वयं लिखा था कि विमान को विदेशी शिष्यों को लाने ले जाने में भी काम में लिया जाएगा। इसपर श्री सिंह यही जवाब दे सके कि यह देखना नागरिक उड्डयन विभाग का काम था।

कोई दबाव नहीं

श्री सिंह ने इस बात को भी गलत बताया कि इस काय को करने के लिए उनपर किसी प्रकार का कोई दबाव डाला गया था या कोई निर्देश दिए गए थे। श्री सिंह ने हवाई पट्टी बनाने की अनुमति देने के पीछे एक और कारण बताते हुए कहा कि युद्ध के समय इसका उपयोग वायुसेना के लिए किया जा सकता था इस पर जस्टिस शाह ने कहा फिर तो एक तरीके से आपने ही स्वामीजी को पट्टी बनाने के लिए आमंत्रित किया था।

श्री सिंह ने सरकारी वकील के विचार से असहमति व्यक्त की कि वायुसेनाध्यक्ष एयर चीफ मार्शल मुलगांवकर ने इस मामले पर विचार करने के बाद उन्होंने अपना निर्णय बदला था।

उप महानिदेशक (नागरिक उड्डयन) श्री जी० आर० कठ पालिया ने आयोग के समक्ष इस बात का दावा किया कि स्वामीजी को अलवाई में हवाई पट्टी बनाने की अनुमति देना असाधारण बात नहीं थी, भले ही वह सैनिक हवाई अड्डे से १५ मील के अन्दर ही रही हो। उन्होंने बताया कि दिल्ली में पालम से सफदरजंग हवाई अड्डे के बीच की दूरी १० मील से भी कम है। इसी प्रकार बम्बई सांताक्रुज हवाई अड्डे से जुहू हवाई पट्टी भी इससे अधिक दूरी पर नहीं है।

रक्षामंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री विनय व्यास ने आयोग को बताया कि उन्होंने श्री सिंह से फोन कर पूछा था कि स्वामीजी को हवाई पट्टी बनाने की अनुमति किन शर्तों पर दी जा रही है। श्री व्यास का कहना था कि रक्षामंत्री से सम्बद्ध संयुक्त सचिव श्री एस० के० मिश्र ने उनसे पूछा था कि पट्टी बनाने की अनुमति की क्या शर्तें हो सकती हैं?

श्री मिश्र का कहना था कि रक्षामंत्री ने उनसे जानकारी चाही थी कि स्वामीजी की हवाई पट्टी बनाने संबंधी आवेदन पर कार्रवाई में क्या प्रगति है। इसपर उन्होंने श्री व्यास से इस बारे में बात की थी। श्री व्यास ने उन्हें फाइल भेजी थी जिसमें वायु सेना ने आपत्ति कर रखी थी। ये कागज उन्होंने रक्षामंत्री को दिखाए थे और उन्होंने जानना चाहा था कि किन शर्तों पर अनुमति दी जा सकती है आप मालूम करिए।

श्री मिश्र ने कहा कि रक्षामंत्री द्वारा शर्तें पूछे जाने का कारण नीति संबंधी निर्णय लेना था। वे निजी हवाई पट्टियों के संबंध में एक निश्चित नीति तय करना चाहते थे। उन्होंने इस बात को गलत बताया कि अनुमति देने के लिए रक्षामंत्री की ओर से किसी प्रकार का कोई दबाव डाला गया था।

रक्षामंत्रालय की दिलचस्पी के कारण अनुमति

वायुसेनाध्यक्ष एयर चीफ मार्शल एच० मुलगांवकर ने आयोग के समक्ष स्वीकार किया कि हवाई पट्टी बनाने के संबंध में अनुमति

र ग्रामत्रालय की विशेष दिलचस्पी के कारण दी गई थी परन्तु उन्होंने इस बात से साफ इनकार किया कि अनुमति देने के लिए उन पर किसीने कोई दबाव डाला था।

एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने स्वीकार किया कि रक्षामंत्रालय इतना उत्सुक नहीं होता तो सुरक्षा के हितों का ध्यान में रखते हुए अनुमति नहीं दी जा सकती थी। उन्होंने कहा 'जब मंत्रालय को ही आपत्ति नहीं थी तो हम रोकने वाले कौन होते थे !"

श्री मुनगावकर का कहना था कि जहां तक सैनिक हवाई पट्टी के पास नागरिक हवाई अड्डे होने की बात है तो इसमें गलत कुछ नहीं है क्योंकि आज भी आगरा के सैनिक हवाई अड्डे से कुछ शर्तों के साथ नागरिक विमानों को उतरने की अनुमति दी जाती है। उन्होंने कहा 'यदि आज भी उस क्षेत्र में कोई हवाई पट्टी बनती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।" एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि केन्द्र में नई सरकार के आने के बाद मंतलाई हवाई पट्टी के उपयोग के आदेश को रद्द करने संबंधी आदेश भी मंत्रालय की ओर से ही दिए गए हैं और उनका पालन किया गया।

स्वामीजी भी उसी रास्ते पर

स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी आयोग द्वारा भेजे गए सम्मन के जवाब में आयोग के समक्ष पेश तो हुए, परन्तु उन्होंने कुछ भी कहने से इंकार कर दिया। उनका सिर्फ यही कहना था कि उन्होंने जो विमान आयात किया था वह उन्हें उपहार में मिला था न कि खरीदा था। स्वामीजी द्वारा शपथ लेकर बयान न देने के आरोप में उनका मामला भी भारतीय दंड संहिता की धारा १७८ तथा १७९ के अंतर्गत दिल्ली के मुख्य मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में भेज दिया गया। साथ ही अदालत में पेश होने की गारंटी के रूप में आयोग ने उनसे दो हजार रुपये की जमानत भी ली जो वहां उपस्थित स्वामीजी के एक शिष्य ने उसी समय जमा करवाई। जमानत देने के बाद ही स्वामीजी को आयोग से जाने की अनुमति दी गई।

OOO